अष्टम माला, खण्ड 18, अंक 6

गुरुवार, 24 जुलाई, 1986
2 श्रावण, 1908 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(आटवीं लोक सभा)

(खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण।

खंड 18

अंक 6 → 10

24 जुलाई → 30 जुलाई

1986

P.L.

# विषय-सूची

शाला, खण्ड 18, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

, गुरुवार, 24 जुलाई, 1986/2 श्रावण, 1908 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | 2—20 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 103, 106 और 108 से 113 | |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | 20—191 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 104, 105, 107 और 114 से 121 | 20—38 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 899 से 935 और 937 से 1104 | 38—185 |
| **सभा-पटल पर रखे गए पत्र** | 191—195 |
| **राज्य-सभा से संदेश** | 195—196 |
| **वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1986** | 196 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण** | 200—214 |
| देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति | |
| श्री बुद्धि चन्द्र जैन | 200 |
| डा० जी० एस० ढिल्लों | 200 |
| श्री एम० रघुमा रेड्डी | 205 |
| श्री पराग चालिहा | 206 |
| श्री धर्मपाल सिंह मलिक | 208 |
| **समितियों के लिए निर्वाचन** | 215 |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 215—219 |
| (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता | |
| श्री अजीज कुरेशी | 215 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| (दो) चीनी उद्योग को लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता | |
| श्री बालासाहेब विखे पाटिल | 216 |
| (तीन) बाईसिकिल और साइकिल रिक्शा के पुर्जों पर कर कम करने की आवश्यकता | |
| श्री चिंतामणि जेना | 217 |
| (चार) कलपक्कम, नेवेली और रामगुंडम विद्युत केन्द्रों से और केन्द्रीय कोटे से बिजली की आपूर्ति करके केरल में विद्युत संकट का निवारण करने की आवश्यकता | |
| श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन | 217 |
| (पांच) मध्य प्रदेश में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता | |
| श्री प्रताप भानु शर्मा | 218 |
| (छः) राजस्थान के बीकानेर नगर में रानी बाजार रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल बनाने की आवश्यकता | |
| श्री मनफूल सिंह चौधरी | 218 |
| (सात) पंजाब के, विशेष रूप से फरीदकोट जिले के, बाढ़ प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता | |
| श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया | 219 |
| (आठ) आन्ध्र प्रदेश में, विशेष रूप से तिरुपति में बीड़ी कर्मकारों की रहन-सहन की दशा सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता | |
| डा० चिंता मोहन | 219 |
| **अनुसंधान और विकास उपकर विधेयक** | 220—254 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री बी० के० गढ़वी | 220 |
| श्री सी० माधव रेड्डी | 221 |
| श्री के० एस० राव | 226 |
| डा० गौरी शंकर राजहंस | 229 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री हन्नान मोल्लाह | 231 |
| श्रीमती फूलरेणु गुहा | 234 |
| श्री आनन्द सिंह | 235 |
| श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर | 238 |
| श्री हरीश रावत | 241 |
| श्री शान्ताराम नायक | 243 |
| डा० दत्ता सामन्त | 244 |
| श्री शरद दिघे | 246 |
| श्री अजय मुशरान | 248 |
| श्री राज कुमार राय | 252 |
| श्रीमती गीता मुखर्जी | 253 |
| देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा (जारी) | 254—267 |
| श्री बूटा सिंह | 254 |

# लोक सभा

---

गुरुवार, 24 जुलाई, 1962/2 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

---

[अनुवाद]

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : मैं महिलाओं के आरक्षित कक्ष में बैठा हुआ हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर एकाधिकार स्थापित न करें।

**प्रो० मधु दण्डवते** : श्री माधवराव सिंधिया ने जो कहा है मैं उसके बारे में एक बात पूछना चाहता हूं। प्रधानमन्त्री दो संयोजनों को परख रहे हैं :

(पहला) महिला मन्त्री परिवहन मन्त्रालय की प्रमुख हैं और तीन पुरुष उनके सहायक हैं; और

(दूसरा) श्री नरसिंह राव एक पुरुष हैं और वस्तुतः तीन महिलाएं उनकी सहायक हैं। इनमें कौन-सा अधिक महत्वपूर्ण है? (व्यवधान)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे ख्याल में माधवराव जी वह हो गया। कम से कम उन्होंने सारे कम्पलीमेंट्स पे कर दिए न।

[अनुवाद]

**श्री माधवराव सिंधिया** : जिस पुरुष को ईर्ष्या होनी चाहिए वह चुप बैठा है।

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन आप तो मोर्चा संभाले हुए हैं।

---

**तारांकित प्रश्न संख्या 102 के बारे में**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : प्रश्न संख्या 102.

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : प्रश्न 102 गम्भीर प्रकृति

का है और इसका उत्तर गृह मन्त्रालय द्वारा दिया जाना चाहिए था। मैं निवेदन करूंगा कि इसे स्थानांतरित कर दिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह पहले ही कर दिया जाना चाहिए था।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जब यह प्रश्न दिया गया था उस समय आपका कार्यालय यह पता लगा सकता था किस मन्त्रालय को इस पर कार्यवाही करनी है।

**अध्यक्ष महोदय** : वे सभी एक साथ हैं। उन्हें चाहिए था·····

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह प्रश्न बेकार नहीं जाना चाहिए। क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे कि इसे स्थानांतरित कर दिया जाए ?

**अध्यक्ष महोदय** : अगर गृह मन्त्रालय इसे स्वीकार करता है तो, मैं यह कर दूंगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** : 30 तारीख गृह मन्त्रालय का दिन है। प्राथमिकता को बदला नहीं जाना चाहिए। श्री इन्द्रजीत गुप्त जी का प्रश्न उस दिन प्रथम प्रश्न होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : अगर गृह मन्त्रालय इसे स्वीकार करता है तो में कर दूंगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह एक गम्भीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : गृह मन्त्रालय का कोई व्यक्ति यहां नहीं है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : हम सुझाव दे रहे हैं। आप कहिए कि आप इसे स्वीकार करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कहता हूं कि मैं इसे स्वीकार करता हूं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इसे अगले सप्ताह के लिए स्थानांतरित किया जाए।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : मिनिस्ट्री मूव कर देगी। पहले कर देते जिसे अब कर देंगे।

[अनुवाद]

**डा० वी० वेंकटेश** : गीताजी इससे सम्बद्ध हैं।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : गीताजी तो बड़ी समझदार हैं। मान जाती हैं।

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

### बैतरणी नदी पर आखूआपदा आयकट पुल का नवीकरण

*103. **श्री अनादि चरण दास** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि] :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा राज्य में बैतरणी नदी पर आखूआपदा आयकट पुल का, जिसको बने सौ वर्ष पूरे हो गए हैं, नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

**श्री अनादि चरण दास** : शायद उड़ीसा सरकार समस्या की गम्भीरता को महसूस नहीं करती। इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते मुझे समस्या की विकटता का पता है ।

आखूआपदा ऐनिकट जो बैतरणी नदी पर हैं, बालासोर जनपद के भद्रक सब-डिवीजन तथा कटक जनपद के जाजपुर सब-डिवीजन के हजारो एकड़ भूमि को सिंचाई करने के लिए जल सप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐनिकट के समीप नदी के तल में काफी रेत जमा होने से खरीफ मौसम में भी आवश्यक जल नहर में नहीं बह पाता जबकि दोनों खरीफ और रबी मौसम में जल की आवश्यकता होती है ।

क्या मैं सरकार से जांच तथा सर्वेक्षण करने के लिए आदेश जारी करने का निवेदन कर सकता हूं ताकि समस्या का पता लग सकेगा तथा ऐनिकट का नवीकरण का कार्य शुरू किया जा सके ?

**श्री बी० शंकरानन्द** : मैंने पहले ही बताया है कि राज्य सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है और पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

**श्री अनादि चरण दास** : एक प्रस्ताव है । रंगेली बांध से बैतरणी स्थित ऐनिकट से ऊपर बैतरणी नदी में फालतू जल छोड़ा जाना था । क्या सरकार ऐसे ही कार्य शुरू करने का प्रस्ताव करती है ? ऐनिकट में ऐसे ही फालतू पानी खरीफ और रबी मौसम में पहुंचेगा । जल का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

**श्री बी० शंकरानन्द** : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि आखूआपदा के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने स्वयं कहा है कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद मैं कह सकता हूं कि रंगेली बांध परियोजना जोकि एक बहु-उद्देशीय परियोजना है जो बाढ़ नियन्त्रण, पन-विद्युत शक्ति तथा सिंचाई सुविधाओं से पूर्ण है तथा पन-विद्युत एकक लगाए जा रहे हैं और बांध की लागत में बाढ़ नियन्त्रण उपकरण का खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में विशेष रूप से वहन किया गया था । इसकी 'लैफ्ट कनाल' आखूआपदा के 29500 हैक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल की सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध कराती है ।

**श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : अध्यक्ष महोदय, क्या केन्द्रीय सरकार के पास विभिन्न राज्यों के 100 वर्ष से पुराने विभिन्न ऐनिकटों के बारे में कोई आंकड़े हैं ? इन पुराने ऐनिकटों में दरारों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार कैसे निगरानी तथा नियन्त्रण करती है ? उदाहरण के तौर पर, आंध्र प्रदेश के गोदावरी ऐनिकट में एक दरार आई थी । क्या निगरानी है तथा इन सभी पुराने ऐनिकटों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को क्या तकनीकी सहायता या सलाह दे रही है ?

**श्री बी० शंकरानन्द** : मुझे नए नोटिस की आवश्यकता है ।

**श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : यह एक बहुत ही साधारण प्रश्न है और जल संसाधन मन्त्री बता सकते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार के पास सभी प्राचीन ऐनिकटों के बारे में आंकड़े हैं तथा इन सभी प्राचीन ऐनिकटों में दरार न पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए वह कैसे निगरानी तथा नियन्त्रण कर रही है । (व्यवधान) माननीय मन्त्री को पता है कि गोदावरी ऐनिकट में दरार आयी थी ।

**श्री बी० शंकरानन्द** : महोदय, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इसके बारे में, आंकड़े पहले ही दिए जा चुके हैं ।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : मन्त्री महोदय इतने गैर-जिम्मेदार क्यों हैं? यह तेलुगु-गंगा का प्रश्न नहीं है ।

**श्री चिंतामणि जेना** : महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास रंगेली बांध के फालतू जल का, जो वैतरणी नदी में बेकार बहकर जा रहा है, उपयोग करने के लिए कोई कार्यक्रम है ? अगर हां, तो क्या मैं उसका विवरण जान सकता हूं ?

**श्री बी० शंकरानन्द** : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं जिसमें मैंने कहा था कि रंगेली बांध के 'लैफ्ट कनाल बैंक' का जल आखूआपदा को जा रहा है ।

## दक्षिण भारतीय भाषाओं में रेलवे समय सारणी

*106. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे समय-सारणी कन्नड़ और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में मुद्रित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन भारतीय भाषाओं में इसका मुद्रण किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे कन्नड़ और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में मुद्रित करने का है ताकि इन राज्यों की जनता इसका लाभ उठा सके ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) से (ग) सम्बद्ध क्षेत्रीय रेलवे समय-सारणियां पहले ही चार दक्षिण भारतीय भाषाओं में, यथा—तमिल, कन्नड़, तेलगु और मलयालम में छापी जा रही हैं ।

**श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि क्षेत्रीय रेलवे समय-सारणियां वहां पहले से ही उपलब्ध हैं । किन्तु हमारा देश एक विशाल देश है और हमारी रेल लाइनों का जाल 70,000 किलो मीटर में फैला हुआ है तथा हर राज्य का हर व्यक्ति अन्य राज्यों और पूरे भारत की यात्रा करना चाहेगा । इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार हर क्षेत्रीय भाषा में अखिल भारतीय समय-सारणी का संक्षिप्त संस्करण निकालने का है । (व्यवधान)

**श्री माधवराव सिंधिया** : महोदय, अखिल भारतीय समय-सारिणी हिन्दी और अंग्रेजी में

छपवाई जाती है और क्षेत्रीय समय सारणियां विभिन्न भाषाओं में छपवाई जाती है किन्तु हर क्षेत्रीय भाषा की समय-सारणियों में भी देश के अन्य भागों में चलने वाली प्रमुख रेलगाड़ियों के समयों का सार भी होता है।

**श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : महोदय, मैंने इसे देखा है। किन्तु यह अधिक उलझनपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि यह आवश्यक है कि अखिल भारतीय समय-सारणी प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। संक्षिप्त समय-सारिणी में यह दर्शाया गया है कि गाड़ी मिराज पर रुकती है और इसके बाद बम्बई जाती है। बीच के प्रमुख स्टेशन छोड़ दिये गए हैं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि इन चार क्षेत्रीय भाषाओं की कितनी प्रतियां छपवाई जाती हैं, उनका वितरण किस प्रकार किया जाता है और उन्हें कहां बेचा जाता है। मैंने यह देखा है कि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर भी समय-सारणियां उपलब्ध नहीं होती हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि रेल विभाग ने इन समय-सारणियों को, चाहे वह अंग्रेजी भाषा में हों अथवा क्षेत्रीय भाषा में, बेचने का प्रबन्ध किया है।

**प्रो० मधु दंडवते** : आप कहते हैं कि वे देवनागरी लिपि में दक्षिणी भाषाओं में हैं।

**श्री माधवराव सिंधिया** : मैं इस बात को पुनः कहना चाहूंगा कि रेल समय-सारणियों की छपाई उनकी आंकी गई मांग के अनुसार प्रत्येक भाषा में कराई जाती है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा की समय-सारणी में कन्नड़ समय-सारिणी को छोड़कर प्रत्येक भाषा में देश के अन्य भागों में चलने वाली प्रमुख गाड़ियों का सार दिया जाता है और यह अनुदेश भी जारी कर दिये गये हैं कि यह सार कन्नड़-समय सारणी में भी दिया जाए। मैं इस प्रकार के अनुदेश जारी कर चुका हूं।

जहां तक कुल संख्या का सम्बन्ध है, 3500 प्रतियां तेलुगू में, 9000 प्रतियां तमिल में, 2500 प्रतियां कन्नड में और मलयालम में 4,000 प्रतियां छपवाई जाती हैं।

**डा० श्रीमती प्रभा सामन्त** : महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय को पता है, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर कर्नाटक राज्य में बेलगांव, कानापुर और निप्पनी जैसे क्षेत्र हैं जहां स्टेशनों के पास रहने वाले शत-प्रतिशत लोग मराठी बोलते हैं। उन क्षेत्रों में स्थित रेलवे स्टेशनों पर मराठी के बोर्डों को हटाकर कन्नड़ के बोर्ड लगा दिये जाते है। स्टेशनों के निकट शत-प्रतिशत मराठी बोलने वाले 15 लाख लोगों का आबादी के बावजूद कन्नड़ भाषा की समय-सारणी निकाली जाती है।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रेलवे समय-सारणियां मराठी में सप्लाई की जायेंगी और रेलवे स्टेशनों पर मराठी के बोर्ड लगाने के लिए अनुदेश जारी किये जायेंगे।

**श्री माधवराव सिंधिया** : माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया गया है।

**श्री पी० कुलनदईवेलु** : महोदय, रेलवे की समय-सारणियां केवल जोनल मण्डलों में ही छापी जाती है। और मेरे विचार से 9,000 प्रतियां तमिल भाषा में छपवाई गई हैं। तमिल एक समृद्ध और सुविख्यात भाषा है तथा दक्षिण की सभी भाषाओं की जननी है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं

कि आप हिन्दी को महत्त्व दे रहे हैं जिसका कोई व्याकरण नहीं है और न ही कोई ऐसा साहित्य है। ·····(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवस्था बनाए रखिये।

**श्री पी० कुलनदईवेलु** : आप ऐसा क्यों कहते हैं·····

(व्यवधान)

**श्री पी० कुलनदईवेलु** : क्षेत्रीय भाषाओं को भी उतना ही महत्त्व दिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य प्रत्येक भाषा का आदर करें। किसी भाषा के प्रति अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। वे सभी अच्छी भाषायें हैं। हमारे यहां सर्वोत्तम भाषायें हैं।

**श्री पी० कुलनदईवेलु** : मेरा प्रश्न यह है कि संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त सभी भाषाओं को आप समान महत्त्व क्यो नहीं देते।

**प्रो० मधु दण्डवते** : वह अपनी हिन्दी की बात कह रहे हैं जिससे वह व्याकरण का प्रयोग नहीं करते।

**अध्यक्ष महोदय** : तब तो इसे छूट दी जा सकती है। इसके लिए उन्हें छूट है। आप व्याकरण-विमुक्त हैं।

**श्री पी० कुलनदईवेलु** : आप सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान महत्त्व क्यों नहीं देते हैं? रेलवे की समय-सारणी भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होनी चाहिए। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया ध्यान दीजिए। एक अन्तर है। हम महत्त्व देंगे। किन्तु क्षेत्रीय भाषाओं और राष्ट्रीय भाषा में अन्तर है।

**श्री पी० कुलनदईवेलु** : कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हम हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा नहीं मानते। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : चीखिए नहीं। संविधान में जो लिखा है, वह मान्य है। बस।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कुलनदईवेलु जी, संविधान में जो कुछ कहा गया है, वह मान्य है। संविधान में जो कुछ कहा गया है, संविधान से आप बाद्ध हैं और संविधान में जो कुछ कहा है, स्वीकार्य है। कृपया बैठ जाइए।

**श्री एच० ए० डोरा** : अध्यक्ष महोदय के अनुसार राष्ट्रीय भाषा क्या है?

**अध्यक्ष महोदय** : अंग्रेजी और हिन्दी राजभाषायें हैं।

**एक माननीय सदस्य** : हिन्दी सहित सभी भाषायें राष्ट्रीय भाषायें हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इसीलिए मैंने कहा कि संविधान में जो कुछ कहा गया है, वह सही है।

**श्री एन० बी० एन० सोमु** : राष्ट्रीय भाषा कहना एक गलत धारणा है।

**अध्यक्ष महोदय** : संविधान में जो कुछ कहा गया है वह सही है। बस यही ठीक है।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : हम चाहते हैं कि नेपाली को भी राष्ट्रीय भाषा माना जाए। सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं।

**श्री माधवराव सिंधिया** : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं ये समय-सारणियां मांग के आधार पर छपवाई जाती है और जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि होता यही है कि छपाई मांग के आधार पर कराई जाती है और जहां तक अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रश्न है मांग 300 और 4000 के बीच रहती है तथा तमिल के बारे में यह है कि हम 1,000 समय सारणियां छपवा रहे हैं तथा यह संख्या अन्य किसी भी क्षेत्रीय भाषा के मुकाबले दुगुनी है। पुनः मैं वही बात दोहराता हूं कि इसका आधार मांग ही है। (व्यवधान)

**श्री पी० कुलनवईवेलु** : किन्तु आप तमिल में केवल 1,000 समय-सारणियां छपवा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम उन्हें आपके सुपुर्द कर देंगे। ठीक है ना? इनसे पैसा ले लीजिए। वह उन्हें बेच देंगे।

**श्री माधवराव सिंधिया** : मैं यह महसूस करता हूं कि यदि किसी भाषा को प्रतिष्ठा का मूल्यांकन रेलवे की समत-सारणियों की छपाई की संख्या के आधार पैर किया जाये तो वह इस भाषा के प्रति अन्याय होगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** : जो भी हो, समय-सारणी का पालन किया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : गाड़ियां समय पर चलनी चाहिए।

## अलवर रेलवे स्टेशन के पास उपरि पुल का निर्माण

*108. **श्री राम सिंह यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक उपरि रेल पुल का निर्माण करने के लिए सहमत हो गया है और उसने राजस्थान सरकार को अपनी स्वीकृति भेज दी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना अलवर के निदेशक ने यह अनुरोध किया है कि उपरि पुल का निर्माण-कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए और शहरी सुधार न्यास, अलवर परियोजना के लिए धनराशि में अपना अंशदान देगा; और

(ग) उपरि पुल का निर्माण-कार्य वस्तुतः कब तक शुरू किया जायेगा और इस कार्य मे विलम्ब के कारण क्या हैं?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) अलवर स्टेशन के निकट मौजूदा समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने से सम्बन्धित प्रस्ताव की पश्चिम रेलवे और राज्य सरकार संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद इस कार्य को निर्माण-कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जायेगा बशर्ते राज्य सरकार द्वारा उसे प्राथमिकता दी जाये और धनराशि उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

**श्री राम सिंह यादव** : माननीय अध्यक्ष जी, अलवर शहर राष्ट्रीय राजधानी विकास योजना के अन्तर्गत है। जिस लेवल क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग है यह वह मार्ग है जहां से जयपुर-दिल्ली, दिल्ली-जयपुर के लिए यातायात रहता है। अलवर शहर की आबादी लेवल क्रासिंग से पश्चिम की है और वहां का जो औद्योगिक क्षेत्र है वह पूर्व को है इसलिए रेलों के आने-जाने के कारण दोनों तरफ का आवागमन दिन में तीन या चार घण्टे तक अवरुद्ध रहता है, कभी पन्द्रह मिनट, कभी आधा घण्टा तक यातायात रुका रहता है। माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में जो तथ्य प्रकट किए हैं, स्थिति उसके विपरीत है। राज्य सरकार ने और पश्चिम रेलवे के अधिकारीगण ने इस योजना की सम्भावनाओं को और इसकी उपयोगिता का पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है और प्रोजेक्ट की फिजीबिलिटी को पाया गया है। राज्य सरकार ने लिखित में अपने वित्तीय संसाधन देने का आपसे अनुरोध किया है, क्या इन तथ्यों के होते हुए आप उसको प्राथमिकता के आधार पर वर्क्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे और यह आश्वासन सदन में देंगे ?

**श्री माधवराव सिंधिया** : सर, जहां तक इसकी जस्टिफिकेशन का प्रश्न है, एक लाख 70 हजार ट्रेन व्हिकल यूनिटस से ज्यादा वहां ट्रैफिक डैन्सिटी है और इसीलिए मैं माननीय सदस्य के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि ओवरब्रिज बनाने की पूरी जस्टिफिकेशन है। उसमें विलम्ब इसलिए हुआ है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि जहां इस समय लेवल-क्रासिंग स्थित है, उससे लगभग 583 मीटर दूर हटकर यह ओवर-ब्रिज बनाया जाए। हमारी नीति के अनुसार कोई ओवर-ब्रिज उसी स्थान पर बनाया जाता है जहां लेवल-क्रासिंग होता है। यदि हमने वहीं पर ओवर-ब्रिज नहीं बनाया तो फिर लेवल-क्रासिंग को बन्द करना कठिन हो जाता है। इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को एक सुझाव भेजा है कि जहां राज्य सरकार इस ओवर ब्रिज को बनवाना चाहती है, उस जगह हम बनाने के लिए तैयार हैं लेकिन आज जहां लेवल-क्रासिंग मौजूद है वहां पैडैस्ट्रियन्स के लिए एक फुट-ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि लेवल-क्रासिंग का गेट बन्द कर दिया जाए। यह सुझाव स्टेट गवर्नमेंट के विचाराधीन है।

**श्री राम सिंह यादव** : क्या यह सही है कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहां की भूमि का परीक्षण करने के लिए, सायल टैस्टिंग का कार्य राजस्थान ब्रिज कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन को सौंप दिया है और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। जिस स्थान पर यह ओवर-ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है, उसे रेलवे के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी देख लिया है। सभी ने उस स्थान को सभी दृष्टियों से उपयुक्त पाया है। आजकल जहां लेवल-क्रासिंग मौजूद है, वहां ओवर-ब्रिज इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसके दोनों तरफ स्थिति बहुत बदल गई है, दोनों तरफ आबादी का क्षेत्र है और अब वहां से किसी को हटाना और इतना अधिक मुआवजा देना न तो राज्य सरकार के लिए सम्भव है और न रेलवे मन्त्रालय के लिए सम्भव है। इसलिए राज्य सरकार तथा वहां के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने आपको जो सुझाव भेजा है, वह उपयुक्त है। आपके अधिकारियों ने उस स्थान को

देख लिया है। क्या आप राज्य सरकार के सुझाव और ट्रस्ट के सुझाव को अविलम्ब स्वीकार करके ओवर-ब्रिज के शीघ्र कार्य को शुरू करेंगे।

**श्री माधवराव सिंधिया :** जहां तक परीक्षण और सर्वेक्षण के कार्य का सम्बन्ध है, वह अभी चल रहा है, स्थगित नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हमें राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई हैं। इस कारण हमने कार्य बन्द नहीं किया है। राज्य सरकार ने पहले हमें जो सुझाव भेजा था, उसको हमने स्वीकार कर लिया है और हम ओवर-ब्रिज बनाने के लिए भी तैयार हैं परन्तु इस शर्त पर कि जहां इस समय लेवल-क्रासिंग है, वहां पर फुट-ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि लेवल क्रासिंग को बन्द कर दिया जाए। यदि राज्य सरकार से हमें अनुमति मिल जाएगी और वह हमारे सुझाव को स्वीकार कर लेगी तो इस कार्य में और अधिक विलम्ब नहीं होगा। परन्तु जब तक राज्य सरकार हमें अनुमति नहीं देती, हम कार्य को आगे चलाने में असमर्थ हैं।

**श्री गिरधारी लाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से अहमदाबाद को जो नेशनल हाईवे नम्बर 8 जाता है, उस पर कई लेवल क्रासिंग हैं और उनके सम्बन्ध में हम कई दफा रेलवे मन्त्रालय को लिख चुके हैं, कन्सलटेटिव कमेटी में भी इस मामले को हमने उठाया है कि आप राजस्थान में तमाम जगह देख लीजिए, सिर्फ जयपुर में एक ओवर-ब्रिज आपने जरूर बनाया है, अन्यथा कहीं पर ओवर-ब्रिज नहीं है। उसकी तुलना में यदि आप मध्य प्रदेश पर दृष्टि डालें तो वहां कम से कम 10-12 ओवरब्रिज हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वे हमारे पड़ोसी राज्य के रहने वाले हैं जितनी हमदर्दी आप अपने राज्य के साथ करते हैं, उतनी हमारे साथ क्यों नहीं बरतते और राजस्थान के लिए भी ओवर-ब्रिज क्यों नहीं मंजूर करते। हमारी राज्य सरकार की तरफ से उनके पास कई प्रस्ताव आए हुए हैं।

**श्री माधवराव सिंधिया :** इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे अलग से नोटिस की आवश्यकता होगी। फिर भी जयपुर के अलावा बीकानेर में भी एक रोड ओवरब्रिज सैंक्शन्ड है। जहां तक मुझे मालूम है, आंकड़ों का तो पता नहीं, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है।

**श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** अध्यक्ष महोदय, अलवर के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री और राजस्थान सरकार ओवरब्रिज बनाने के बारे में, दोनों सहमत हैं, तो इस सम्बन्ध में जो भी कठिनाइयां हैं, उनको जल्दी से जल्दी तय करने के लिए आपके अधिकारी और राजस्थान सरकार के अधिकारी भी आने के लिए तैयार हैं, दोनों के अधिकारियों को बुलाकर के जल्दी से जल्दी निर्णय क्यों नहीं लेते हैं, ताकि इस मामले को हल किया जा सके। इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं?

**श्री माधवराव सिंधिया :** अध्यक्ष महोदय, हमने जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर राजस्थान सरकार के समक्ष अपना सुझाव प्रस्तुत किया है। मैं ऑनरेबल मैम्बर से यही निवेदन करूंगा कि वे भी यह प्रयास करें कि अब राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले।

[अनुवाद]

**"गंगा लैण्ड इरोजन अनचेक्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

*109. **श्री आनन्द सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1986 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गंगा लैण्ड इरोजन अनचैक्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुर्शिदाबाद जिले में भारत की ओर की भूमि के अनियंत्रित कटाव के कारण बंगलादेश को गंगा नदी द्वारा काटी गई 35,000 हैक्टेयर भारतीय भूमि प्राप्त हो गई है; और

(ग) इस भूमि कटाव को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) बंगलादेश को कोई भूमि लाभ हुआ है या नहीं, यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) संकटापन्न पहुंचों में पुश्ताबदों के निर्माण जैसे कटाव रोधी उपाय क्रमब : रूप से किए जा रहे हैं।

**श्री आनन्द सिंह** : समाचार-पत्रों में यह बताया गया है कि गंगा नदी की धारा दाहिनी ओर खिसक रही है। न केवल कुछ भूमि अपितु अनेक बाग और खेत तथा पूरे के पूरे गांव कटते जा रहे हैं; मुर्शिदाबाद जिले में जो धुलिया शहर है उसके एक बड़े भाग का भी कटाव हो रहा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नदी के बाईं ओर क्या हो रहा है। क्या उन्हें मालूम है कि यह सब नदी के दाईं ओर और हमारी भूमि पर हो रहा है। यदि नदी की धारा दाईं ओर खिसक रही है तो बाईं ओर जो भूमि नदी छोड़ती जा रही है उसका क्या हो रहा है ? यदि यह भू-भाग बंगलादेश की ओर नहीं जा रहा तो कहां जा रहा है ?

**श्री बी० शंकरानन्द** : जब मैंने कहा कि यह सत्य है कि नदी के दाएं तट पर भारत में जो भूमि है, उसका कटाव हो रहा है, तो यह सही है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि दाईं ओर जितनी भूमि का कटाव हो रहा है वह बाईं ओर जा रही है। (**व्यवधान**) नदी में कटाव होने से, मेरे विचार में सीमा रेखा परिवर्तित नहीं होती।

**अध्यक्ष महोदय** : नदी नहीं बदलेगी.....

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : नदी सीमा रेखा बदल सकती है।

**श्री बी० शंकरानन्द** : सीमा रेखा स्थिर है। यह किसी कटाव आदि से नहीं बदलती। (**व्यवधान**) मैं सदन को बता दूं कि यह प्रश्न कटाव के बारे में है; मेरे विचार में प्रश्न गंगा नदी के दायें तट पर भूमि कटाव के बारे में है। माननीय सदस्य का तर्क यह है कि इस बात का कि नदी के दायें तट पर कटाव हो रहा है, मतलब यह है कि बायें तट पर भी कटाव हो रहा है। यह सही नहीं है।

**श्री आनन्द सिंह** : नदी अपना रास्ता दाईं ओर बदल रही है। नदी यदि अपनी धारा दाईं ओर हट रही है तो जो भूमि नदी बाईं ओर छोड़ रही है, उसका क्या होगा ? कोई नदी दूसरी ओर की भूमि छोड़े बिना अपनी दिशा किस प्रकार बदल सकती है ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह आपका दूसरा प्रश्न है ?

**श्री आनन्द सिंह** : यह दूसरा प्रश्न नहीं है। मैं केवल पहले प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। मैं एक उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि हम भूमि गंवा रहे हैं और किसी और को भूमि मिल रही है। यह 35000 हैक्टेयर भूमि का सवाल है। लोग तो इससे कहीं कम भूमि के लिए युद्ध करते हैं·····(व्यवधान) इतना ही नहीं बल्कि इससे फरक्का बांध को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरे विचार से मन्त्री जी जानते हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : आप यह कहते हैं कि सीमा-रेखा निश्चित है और वह नक्शे में दिखाई गई है।

**श्री बी० शंकरानन्द** : महोदय, मैं अब भी यही कह रहा हूं। प्रश्न गंगा नदी के दाएं तट पर कटाव के बारे में है न कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यहां बैठा हूं। मैं यह कह रहा हूं। उनके कहने का मन्तव्य यह है कि यह दायें तट पर हो रहा है। यदि दायें तट का कटाव होता है तो वह इस स्थान पर चली जाती है। स्वभाविक है, नदी उस तरफ चली जाएगी। अर्थात उसे स्थायी बनाया जाना चाहिए।

**श्री बी० शंकरानन्द** : यह प्रश्न इतना सीधा नहीं है कि नदी और भूमि में कटाव हो रहा है। गंगा नदी टेढ़ी-मेढ़ी है। यह टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर बहती है। जब यह अपना रास्ता बदलती है तो लहरें दूसरी ओर के तट से टकराती हैं। जब लहरें टकराती हैं तो ये पुनः वापिस आकर दूसरे तट से भी टकराती हैं। यह इस प्रकार हो रहा है। ऐसा अब ही नहीं अनेक वर्षों से होता आ रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए मैंने आपसे पूछा था। स्वयं मेरे पास सिंचाई विभाग का प्रभार रहा था।

**प्रो० मधु दण्डवते** : वे कह रहे हैं कि ऐसा उनके पद-भार ग्रहण करने के पहले से होता आ रहा है।

**श्री बी० शंकरानन्द** : मैंने कहा है कि नदी के दूसरी ओर क्या हो रहा है, हमें मालूम नहीं। हमें इतना मालूम है कि हमारी ओर नदी-तट पर कटाव हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप पता लगाएं।

**श्री ई० अयप्पु रेड्डी** : मौखिक उत्तर लिखित उत्तर के विपरीत है। लिखित उत्तर यह है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**श्री आनन्द सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि उन्होंने एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति बनाई थी जिसका नाम गंगा-कटाव समिति है और इसकी सिफारिशें मिल चुकी हैं। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी ने यह प्रतिवेदन देखा है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या करने का इरादा है क्योंकि समिति ने 198 करोड़ रुपयों की मांग की है। उनकी यह मांग काफी पुरानी है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस रिपोर्ट की जानकारी है और इस पर कोई कार्यवाही की गई है या नहीं।

**श्री बी० शंकरानन्द** : मुझे इस रिपोर्ट के बारे में मालूम है। समिति केन्द्रीय जल आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई थी। समिति 1978 में नियुक्त की गई थी और 1980 में इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसमें कुछ सिफारिशें की गई थीं जो मुख्यतः तट को मजबूत बनाने और इस पर आने वाले व्यय के बारे में थी।

> "समिति ने सिफारिश की कि नदी तट पर भूमि के कटाव को रोकने के लिए वहां पर महमेज लगाने की अपेक्षा पक्के ढालू किनारे बनाए जाएं। समिति ने आगे महसूस किया कि यद्यपि गंगा में कटाव की समस्या की पूरी तरह से जांच की गई है और समिति ने कटाव से प्रभावित पूरे क्षेत्र में बचाव के उपायों के लिए 293.70 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया है, तथापि कृषि क्षेत्र को कटाव से बचाने के वित्तीय और आर्थिक पहलुओं से देखा जाए तो उसकी लागत इतनी अधिक है कि उसका औचित्य नहीं बैठता।"

इसकी विभिन्न निकायों द्वारा भिन्न-भिन्न जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योजनाएं तैयार की जाएं। तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित योजना, जिसकी लागत 11.85 करोड़ रुपए थी, की जांच गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा की गई और उसकी लागत पुनः संशोधित करके 11.64 करोड़ की गई जिसके अन्तर्गत नदी के तट मुख्यतः बड़े-बड़े पत्थर लगाकर मजबूत बनाए तथा 6.6 कि० मी० तक ढलवां मेंड़ लगाने की व्यवस्था रखी गई।

तत्पश्चात् रेल मन्त्रालय, नौवहन मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार की एक बैठक हुई। रेल मन्त्रालय तथा नौवहन मन्त्रालय ने हिचकिचाते हुए यह कहा कि "हमारी रेल-मार्ग की भूमि सुरक्षित है। हमारा इतना खर्च क्यों करवाया जा रहा है? नौवहन मन्त्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग है और हम व्यय नहीं करेंगे। किन्तु जब हमने रेल मन्त्रालय से आग्रह किया तो वे 2.54 करोड़ रुपए अपने हिस्से के तौर पर खर्च करने के लिए सहमत हो गए। गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन ने अक्तूबर, 1985 में पश्चिम बंगाल की सरकार को सूचित किया था कि रेल मन्त्रालय द्वारा व्यय के लिए स्वीकृत राशि को छोड़कर शेष राशि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा व्यय की जाएगी और उन्होंने उनका विचार पूछा था ताकि इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्यवाही की जा सके। अभी मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार से उत्तर की आज तक प्रतीक्षा की जा रही है।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या यह सही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बार-बार केन्द्र से यह आग्रह किया है कि यह भूमि गंवाने की दृष्टि से तथा आस-पास क्षेत्रों के लोगों को खतरे की दृष्टि से यह एक राष्ट्रीय मामला है। यह एक बड़ी राशि है और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए इसे वहन करना असम्भव है। इसलिए केन्द्र से बार-बार यह अनुरोध किया गया है कि वे कुछ सहायता दें। इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्री बी० शंकरानन्द** : बाढ़ तथा बाढ़ नियन्त्रण राज्य सरकार के विषय हैं और धन राज्य सरकारों को ही व्यय करना पड़ता है। (**व्यवधान**)

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : यह एक और बात है। यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। यह अकेले राज्य सरकार पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

**श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और महोदय, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि मन्त्री महोदय को अपने विभाग के माध्यम से भी जानकारी मिली होगी। दो स्थान हैं। भगीरथी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बार्डर के नजदीक बहती है। ये स्थान लाल—गोला और जालंगी हैं। मैं वहां पर प्रति माह दो या तीन बार जाता हूं। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहता हूं कि जो श्री आनन्द सिंह ने कहा है वह सही है। लाल-गोला नदी के दाईं तरफ है और जालंगी दूसरी ओर है। पद्मा नदी बंगलादेश तक पहुंच जाती है। भूमि के कटाव की समस्या 1938 से है और कई एकड़ भूमि दूसरी ओर चली गई है और हम वहां पर बगलादेश के युवकों को फुटबाल खेलते हुए देखते हैं। हम भारत के इस भाग से यह देख सकते हैं। ऐसा प्रति-वर्ष होता है और जो कुछ कहा गया है वह बिलकुल सही है। क्या मन्त्री महोदय इस अधिवेशन के बाद अपने सहायकों के साथ स्वयं लाल गोला तथा जालंगी सीमा पर जाकर वस्तुस्थिति देखेंगे? वह पायेंगे कि प्रति वर्ष थोड़ी-थोड़ी करके भारतीय भूमि दायें तट पर कटाव के कारण हाथ से जा रही है। (व्यवधान) मैं वहां प्रति माह जाता हूं। मैं लाल गोला तथा जालंगी की स्थिति को जानता हूं।

**श्री बी० शंकरानन्द** : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और उनकी चिन्ता में उनके साथ हूं। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए तथा कटाव को रोकने के लिए हम यथासम्भव सहायता करेंगे।

**एक माननीय सदस्य** : जैसा श्री मुन्शी द्वारा प्रस्ताव किया गया है, क्या आप उस क्षेत्र का दौरा करेंगे·····(व्यवधान)

**श्री बी० शंकरानन्द** : मैं वहां जाना बहुत पसन्द करूंगा। भगीरथी के उद्गम से नदी के बहाव के साथ गंगा नदी के दायें तट पर कटाव की समस्या तथा फरक्का बांध के अनुप्रवाह के बिल्कुल निकट बिदुग्राम/बेनीग्राम गांवों में जैसप कालोनी तथा नयनसुख के बीच फरक्का बांध के बहाव के साथ गंगा नदी के दायें तट पर कटाव की समस्या पर परियोजना की तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया था तथा इस समिति ने सिफारिश की थी कि नदी के तट मजबूत बनाए जाएं तथा ढालू मेंड़ लगाई जाए ताकि कटाव को रोका जा सके। जंगीपुर बांध की पूरी लम्बाई में नदी के कटाव को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए ताकि गंगा भगीरथी-हुगली में न आ मिले जिससे इस परियोजना का लक्ष्य ही समाप्त हो जाए।

जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया है, जो भी सम्भव होगा किया जाएगा।

[हिन्दी]

## मालवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों की हालत

*110. **श्री राज कुमार राय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर-नई दिल्ली मालवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी है, के डिब्बों की हालत बहुत खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इन डिब्बों की हालत में कब तक सुधार किया जाएगा?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं। सवारी डिब्बों की हालत सन्तोषजनक होने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री राजकुमार राय** : मान्यवर, जब मैंने यह प्रश्न किया तभी मैं यह सोच रहा था·····

**अध्यक्ष महोदय** : किसकी बात मानूं ?

**श्री राजकुमार राय** : मैं यह सोच रहा था कि यही जवाब मिलेगा कि रिपोर्ट जो मिली है उसके अनुसार डिब्बों की हालत संतोषजनक है । सिर्फ एक बार मुझे इस गाड़ी से जाने का मौका मिला·····

**अध्यक्ष महोदय** : संयोगवश कहीं ऐसे डिब्बे में तो नहीं बैठ गए ?

**श्री राजकुमार राय** : मान्यवर, ऐसे ही डिब्बे में बैठे । दिल्ली से हावड़ा लाइन पर जाने का अवसर ही अवसर मिलता है क्योंकि अपने गांव या निर्वाचन क्षेत्र में उसी से जाना पड़ता है । उसके कोचेज की हालत भी ऐसी ही खराब है । लखनऊ से बाराबंकी, माननीय मन्त्री जी के घर से होते हुए बनारस चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं तो हालात यह हैं कि टूटे हुए कोच हैं, बाथरूम इतने बदबूदार हैं कि कहा नहीं जा सकता । कोई लाइट नहीं है । इतनी खराब हालत है । तो जब प्रश्न किए कुछ जानने के लिए तो बजाय इसके कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ डेवलपमेंट हो, वह भी बाद की बात है पर सरकार कम से कम उस पर यह तो कहती कि हम यह कोशिश कर रहे हैं ताकि ठीक हो, उत्तर में वह रिपोर्ट पता नहीं किससे मंगाकर देते हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री जी ने स्वयं देखा है या किसी अधिकारी से आपको यह रिपोर्ट मिली है कि उसकी हालत ठीक है । मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कोई गड़बड़ी मिली या नहीं मिली ?

**श्री बालकवि बैरागी** : इन्होंने एक बार यात्रा की और प्रश्न पूछ लिया, हम तो रोज उससे आते-जाते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको आदत पड़ गई है ।

**श्री माधवराव सिंधिया** : यह प्रश्न मैं मालवा एक्सप्रेस तक सीमित रखना चाहता हूं क्योंकि यह सिर्फ मालवा एक्सप्रेस से सम्बन्धित प्रश्न है । मालवा एक्सप्रेस में 17 कोचेज हैं जिनमें से दस कोचेज·····

**अध्यक्ष महोदय** : मालवा रीजन हमारे पंजाब में भी एक है ।

**श्री माधवराव सिंधिया** : उसको वहां तक बढ़ा देंगे अगर आपका आदेश हो ।

**श्री राजकुमार राय** : मान्यवर, आप बढ़वा दीजिए तो हमारे कोचेज की हालत भी ठीक हो जाएगी ।

**श्री माधवराव सिंधिया** : 17 कोचेज में से दस कोचेज ऐसे हैं जो एक से लेकर 5 साल तक पुराने हैं । तीन ऐसे हैं जो 6 से लेकर 10 साल तक पुराने हैं और निश्चित रूप से चार कोचेज ऐसे हैं जिनमें माननीय सदस्य अवश्य बैठे होंगे जो 11 से लेकर 15 साल तक पुराने हैं । हमारा यह प्रयास है कि निकट भविष्य में इन कोचेज का भी रिप्लेसमेंट किया जाए और जब नये यू० ए० एच०

वाले कोचेज आएंगे निकट भविष्य में तो हमारा यही प्रयास होगा कि ये चार कोचेज रिप्लेस किए जाएं।

**श्री राजकुमार राय** : जिस कोच की कल्पना आप कर रहे हैं उसकी हालत वही थी, मैं सदन के सामने बयान कर रहा हूं, परिवहन मन्त्री जी बैठे हैं, उनकी बगल में तीन तो महिला मन्त्री हैं और चौथी तरफ हमारे परिवहन मन्त्री जी हैं। तीन महिला मन्त्री और एक माननीया मोहसिना जी—ठीक यही हालत थी मेरी उस डिब्बे में और सारे पैसेंजर्स अपने दुख की गाथा गा रहे थे.....

**अध्यक्ष महोदय** : अरे, एक तो आप यही देखें कि औरतों के डिब्बे में कब्जा किए बैठे हैं।

**श्री राजकुमार राय** : चार और एक उधर पांच के बीच में मान्यवर, माननीय सिंधिया जी बैठे हैं। लेकिन वहां केवल चार ही थीं मान्यवर और उनकी आलोचना कोचेज के बारे में सुनते-सुनते मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने सोचा कि यह प्रश्न करूं तो परिवहन मन्त्री महिला हैं, शायद उनका ध्यान इस तरफ हो जाए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे व्यक्तिगत अनुभव को ध्यान में रखते हुए और माननीय सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्या इस बात पर अलग से रिपोर्ट ले लेंगे कि कितनी सारी गाड़ियों में कोचेज की हालत खराब है और उनको दुरुस्त कराकर जल्दी ही सदन को अवगत करा देंगे ?

**श्री माधवराव सिंधिया** : जब से क्वेश्चन आवर का शुभारम्भ हुआ है तब से मैंने देखा है कि लोग एतराज कर रहे हैं कि मैं इस बेंच पर बैठा हूं। इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी जगह परिवर्तन कर लूं।

**अध्यक्ष महोदय** : उनको जलन हो रही होगी।

**श्री माधवराव सिंधिया** : आपकी अनुमति से अपनी जगह परिवर्तन कर लूं ताकि सदस्यों का ध्यान सिर्फ प्रश्नों के ऊपर केन्द्रित रहे।

**श्री राजकुमार राय** : सिंधिया जी सीट भी बदल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

**श्री दिनेश गोस्वामी** : हम केवल श्री माधवराव सिंधिया की घरेलू खुशी को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**डा० प्रभात कुमार मिश्र** : हमारे राज्य रेल मन्त्री सिंधिया जी मध्य प्रदेश के हैं इसलिए उनके ऊपर आक्षेप होता है कि वह मध्य प्रदेश की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मैं कलिंग एक्सप्रेस जो 8 स्टेट्स को जाती है, उसकी हालत बतलाता हूं। दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक यह गाड़ी जाती है। इसकी हालत तो मालवा एक्सप्रेस से भी बदतर है। मालवा एक्सप्रेस में महिलाएं भी जाती हैं लेकिन हमारी गाड़ी में तो महिलाएं भी नहीं चलती हैं। दूसरी तकलीफ यह है कि ए० सी० के जितने बेकार डिब्बे होते हैं उनको कलिंग एक्सप्रेस में लगा दिया जाता है। क्या रेल मन्त्री

बताने की कृपा करेंगे कि कलिंग एक्सप्रेस की तरफ भी समुचित ध्यान दिया जाएगा क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है ?

**श्री माधवराव सिंधिया** : यह प्रश्न तो मालवा एक्सप्रेस के बारे में था । मैं एक चीज कहना चाहता हूं मुझे बड़ा हर्ष है कि जो हमारे सामने कठिनाइयां हैं उनके बारे में हमारे माननीय सदस्यगण भली-भांति परिचित हैं क्योंकि जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं उससे यह विदित हो जाता है । हमारे देश में लगभग 1200-1300 यात्री कोचेज प्रति वर्ष उत्पादित होती हैं जबकि आवश्यकता होती है लगभग 2500 काचेज की । कोचेज की इतनी कमी है फिर भी इतनी मांगें आती हैं कि नई ट्रेन्स प्रारम्भ की जाएं । हमारे सामने दो विकल्प हैं । या तो माननीय सदस्यों की मांग को स्वीकार करते हुए हम प्रयास करें कि डिब्बों की हालत जिस तरह की होनी चाहिए वह न होते हुए भी रेल सर्विसेज दें या फिर विशेषकर अधिकांश ब्रांच सर्विसेज को बन्द कर दें । ये दो विकल्प हैं, माननीय सदस्य जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं ।

**श्री मोहम्मद अयूब खां** : जनाब सदरे मोतरम, खुदा-खुदा करके हमारे क्षेत्र में एक पहली ट्रेन चली और वह भी सिर्फ झाखड़ साहब के एलेक्शन जीतने की बिना पर । वैसे उस ट्रेन का नाम है शेखावाटी एक्सप्रेस लेकिन लोग कहते हैं झाखड़ एक्सप्रेस । उस ट्रेन के डिब्बों की ऐसी हालत है कि अगर आप फर्स्ट क्लास के डिब्बे में भी सफर करें तो ऐसा लगेगा कि ऊंट पर सवारी कर रहे हैं । इतनी बड़ी मुश्किल के बाद वह ट्रेन चली है उसके डिब्बों की हालत सुधारने का कभी मौका मिलेगा या नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : एक बार इनको भी साथ लेकर हम चलेंगे । ट्रेन में बुकिंग कराएंगे बिना बताये ?

[अनुवाद]

## गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा रेलवे में पूंजी निवेश

*111. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की पूंजी निवेश नीतियों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार है कि पूंजी निवेश नीति में ऐसा परिवर्तन करने से गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होने वाले उपकरणों की गुणवत्ता पर रेलवे का नियन्त्रण कम नहीं होगा ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) यद्यपि रेलें अपनी निवेश सम्बन्धी अधिकांश आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर रही हैं, तथापि विशिष्ट क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का सहयोग लेना भी जारी है ।

(ग) रेलों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित निरीक्षण करने के बाद निजी क्षेत्र से उपस्कर प्राप्त करना जारी रखा जाएगा ।

**श्री सी० माधव रेड्डी :** श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि वे कौन-से विशिष्ट क्षेत्र हैं, जिनमें निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जा रहा है ? किस आधार पर निजी व्यक्तियों को सहयोजित किया जा रहा है ? क्या यह सहयोग सहायक कलपुर्जों सम्बन्धी समझौते के अन्तर्गत है ? या रेलवे ने कुछ मदों के बारे में सूचना प्रकाशित की है कि इन-इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लोग सहयोग दे सकते हैं ?

**श्री माधवराव सिंधिया :** मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग है । कई दफा जो निजी कम्पनियां पहले ही रेलवे के उपकरण बना रही हैं, वे नई पेशकश करती हैं और गुणवत्ता और मूल्य के आधार पर रेलवे उनका चयन करता है । अन्य मामले में, उदाहरण के तौर पर कंकरीट स्लीपरों के मामले में टेंडर आमन्त्रित किए गए और प्राप्त टेंडरों के आधार पर निर्णय किया जाता है । हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग निर्णय लिया जाता है ।

**श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि निजी पार्टियों द्वारा सप्लाई किए गए काफी मात्रा में स्लीपर निचले स्तर के पाए गए हैं और रेलवे इनका प्रयोग नहीं कर रहा है ।

**श्री माधवराव सिंधिया :** श्रीमन्, जहां तक कंकरीट स्लीपरों का सम्बन्ध है, जो स्लीपर घटिया पाए जाते हैं उन्हें शीघ्र ही रद्द कर दिया जाता है । जैसे ही वे प्राप्त होते हैं रेलवे उन्हें स्वीकार नहीं करता और जो सही मानदण्ड के पाए जाते हैं केवल उन्हीं की कीमत का भुगतान किया जाता है ।

**श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मन्त्री से जानना चाहता हूं क्या सरकार ने भारतीय रेलवे के मूल्यांकन का अध्ययन किया है और क्या भारतीय रेलवे में विद्यमान विभिन्न दरों को मानकीकृत करने के लिए कोई अध्ययन किया है, अगर हां तो अनुमानतः मूल्यांकन क्या है ?

**श्री माधवराव सिंधिया :** कृपया दोहराइए । मैं आपकी बात समझ नहीं पाया ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री वाडियर, क्या आप थोड़ा आगे आकर बोलेंगे ?

**श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** मैं माननीय रेलवे मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए कोई लम्बी अवधि का कार्यक्रम बनाया है और क्या इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का प्रस्ताव है ?

**श्री एस० जयपाल रेड्डी :** जब वह ही नहीं समझ रहे तो हम उन्हें (मन्त्री को) कैसे समझ सकते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** आपको मेरा अनुसरण करना चाहिए ।

**श्री माधवराव सिंधिया :** आधुनिकीकरण एक व्यापक शब्द है और निश्चित रूप से रेलवे में आधुनिकीकरण की ओर काफी कार्य हो रहा है । जहां तक बढ़ते हुए परिवहन से उत्पन्न आवश्यकताओं का सम्बन्ध है । यह इसी प्रकार पूरी की जा सकती हैं । यह एक विस्तृत प्रश्न है ।

मैं इसका विस्तार से उत्तर नहीं दे सकता। कई मामलों में हम विश्व बैंक से सहायता ले रहे हैं। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हम बिना किसी एजेन्सी की सहायता से ही आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

**श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : दरों को मानकीकरण के बारे में क्या उत्तर है ?

**श्री माधवराव सिंधिया** : किसका मानकीकरण ?

**श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : दरों का मानकीकरण ?

**अध्यक्ष महोदय** : अब डा० राजहंस।

**डा० गौरी शंकर राजहंस** : श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि निजी निर्माताओं द्वारा सप्लाई किए गए काफी मात्रा में 'एक्सल बाक्स' खराब पाए गए हैं और रेलवे की ओर से सही प्रकार से गुणवत्ता नियन्त्रण नहीं है ?

**श्री माधवराव सिंधिया** : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके लिए काफी जानकारी की आवश्यकता है।

**जल की कमी के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट**

*112. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन शुष्क अर्द्धशुष्क और उपार्द्र क्षेत्रों के बारे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जो शताब्दी के अन्त तक अत्यधिक जल की कमी का सामना कर सकते हैं;

(ख) क्या वनों को नष्ट किए जाने तथा रेगिस्तान का विस्तार होने से जल चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा नदियों, झीलों और भूमिगत जल दूषित होने के कारण स्वच्छ जल की निरन्तर हानि हो रही है;

(ग) क्या भारत में स्वच्छ जल संसाधनों का लगभग 70 प्रतिशत असंसाधित घरेलू कूड़े-करकट तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के बहाए जाने के कारण प्रदूषित होना बताया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का जल संसाधनों के सम्बन्ध में अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन मिट्टी और जल संरक्षण योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) कोई सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार ने भण्डारन जलाशय, बड़े और छोटे अवरोध बांध नाला बांध, अवनालिका मुंह बन्दी आदि जैसी विभिन्न जल तथा मृदा संरक्षण स्कीमें हाथ में ली हैं।

**श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : श्रीमन्, मैं आपका ध्यान मन्त्री जी से पूछे गए अपने सुरचित प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। इस प्रश्न के उत्तर को कृपया देखें। यह चलताऊ उत्तर है, न कि उपयुक्त उत्तर।

हमारे देश में पानी की हमेशा ही कमी रही है। आप अपने राज्य को ही लें। हाल ही में गुजरात में भी पानी की कमी थी। इन सबको देखते हुए मन्त्री महोदय का आम उत्तर देना, न तो सही है, न ही उचित। प्रथम तो यह कि मैंने न तो यह पूछा है कि क्या उन्हें रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मैंने मात्र यह पूछा है कि क्या उन्हें इस रिपोर्ट की जानकारी है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा कराई जाए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक वर्ष सारे देश में पानी की कमी रहती है। अतः, हमें इस पर आधे घण्टे की चर्चा करनी चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया है, और जो सारे राष्ट्र के लिए इतना महत्वपूर्ण है। उसका इस प्रकार उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर पहले ही कई बार चर्चा की जा चुकी है। अगर फिर भी सदस्य पुनः चर्चा करना चाहते हैं, तो आप लिखकर दे सकते हैं।

**श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : अगर सरकार ऐसे उत्तर देती रहेगी तो क्या कर सकते हैं? (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप दुबारा दे सकते हैं।

**श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : सारे राष्ट्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप दे सकते हैं।

**श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : मैं पुनः दूंगा। धन्यवाद।

**पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के सिंचाई और जल संसाधन मंत्रियों की बैठक**

*113. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1986 के दूसरे सप्ताह में बम्बई में पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के सिंचाई और जल संसाधन मन्त्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनके प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था; और

(ग) बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) इस बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की राज्य सरकारों तथा गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं, समेकित जल संसाधन आयोजना तथा विकास, सिंचाई क्षमता का उपयोग, चक्रवात, बाढ़ें तथा सूखा, प्रणाली संचालन तथा रख-रखाव, जन शक्ति आयोजना, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, अनुसूचित जाति घटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : मैंने माननीय मन्त्री से राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों के सम्मेलन में हुई चर्चा के विषय और उसमें लिए गए फैसलों के बारे में पूछा था। लेकिन मन्त्री ने निर्णयों के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने उत्तर में मांग की गई चर्चा के बारे में ही बताया है। अतः मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या बृहद, मध्यम, लघु सिंचाई परियोजनाओं, समेकित जल संसाधन आयोजना तथा विकास, सिंचाई क्षमता का प्रयोग, चक्रवात, बाढ़ें तथा सूखा, प्रणाली संचालन तथा रख-रखाव, जनशक्ति आयोजना, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, अनुसूचित जाति घटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना के लिए छठी योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है? अगर नहीं, तो प्राप्त की गई सफलता का प्रतिशत क्या है?

**श्री बी० शंकरानन्द** : पहली बार हमने देश में क्षेत्रीय बैठकों का आयोजना किया है। 6 जून से देश के सभी क्षेत्रों में ये बैठकें आरम्भ हुईं और 22 जुलाई तक चलीं। पश्चिम क्षेत्र की बैठक बम्बई में हुई और मैंने इसमें भाग लेने वाले राज्यों के नाम पहले ही बता दिए हैं। इन बैठकों में राज्यों के सम्मुख जल संसाधन विकास, सिंचाई क्षमता को बढ़ाना, बढ़ाई गई और उपयोग की गई क्षमता, कमांड क्षेत्र विकास योजनाएं और कार्यक्रम, भूमिगत जल विकास आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया गया।

जहां तक लिए गए निर्णयों का सम्बन्ध है, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है, जिस पर सहमति हुई हो। लेकिन राज्य कुछ पहलुओं के बारे में एकमत थे—जैसे, कि प्रत्येक परियोजना के लिए पीने का पानी की सप्लाई करना एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। राज्य इसी बारे में सहमत हुए थे। दूसरे वे केन्द्र द्वारा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई आसान और प्रभावी प्रक्रिया अपनाने के पल में थे। तीसरे पर्यावरणीय पहलुओं और भविष्यवाणियों एवं जंगलातों के सन्दर्भ में परियोजनाओं को मंजूरी देना —इन पर अभी काफी समय खर्च हो जाता है और वे चाहते हैं कि इन्हें शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए। चौथे, वे चाहते थे कि लघु परियोजनाओं की मंजूरी राज्य स्तर पर ही दे दी जाए, और उन्हें मंजूरी के लिए केन्द्र को न भेजा जाए।

ये निर्णय लिए गए थे और इन पर विचार किया गया था।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

### महिला कैदियों की हालत का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय समिति

*104. **श्री सुभाष यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कैदियों की हालत का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति के निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) महिला कैदियों के कल्याण की जांच के लिए भारत सरकार ने दिनांक 26-5-1986 की अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

भारत सरकार ने दिनांक 26-5-1986 की अधिसूचना सं० 9-51/86-डब्ल्यू० डब्ल्यू द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति बनाई है :

1. मि० जस्टिस कृष्णा अय्यर, — अध्यक्ष
   रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट,
   "सत्गम्य" एम० जी० रोड,
   एरनाकुलम, कोचीन-682011
2. श्रीमती सी० पी० सुजया, — सदस्या
   संयुक्त सचिव,
   महिला एवं बाल विकास विभाग,
   भारत सरकार,
   नई दिल्ली ।
3. श्रीमती श्यामला पप्पु, — सदस्या
   एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट,
   16, नीति बाग, नई दिल्ली ।
4. श्रीमती सनोबर शेखर, — सदस्या
   टाटा इन्स्टीच्यूट आफ सोशल साइंसिस,
   बम्बई ।
5. श्री एल० के० अरोड़ा, — सदस्य
   अतिरिक्त आई० जी० प्रिजनर्ज
   यू० पी०, लखनऊ ।
6. डा० (श्रीमती) सुधा विट्ठल कालदाते, — सदस्या
   रीडर, डिपार्टमेंट आफ सोशलोजी,
   मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी,
   औरंगाबाद-4310034

7. कु० कुंकुम चड्ढा, सदस्या
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस,
कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली ।

8. कु० शीला बरसे, सदस्या
न० 3-ए, रत्नदीप,
29, जुहू तारा रोड,
बम्बई ।

9. श्रीमती नीरा के० सोहोनी, सदस्या
69, सुन्दर नगर,
नई दिल्ली-110003

समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :

(1) कारागार या अभिरक्षा में महिला अपराधियों की व्यवस्था के लिए कार्य-प्रणाली का अध्ययन करना ।

(2) हवालात में महिला अपराधियों के उपचार तथा दण्डात्मक एवं सुधारात्मक संस्थाओं से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा करना ।

(3) महिला अपराधियों के सुधार और पुनर्वास के लिए संस्थागत तथा अन्य सेवाओं की क्षमता पर विचार करना ।

(4) अपराधी न्याय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर महिला अपराधियों के उचित, मानवीय और प्रभावी व्यवहार को सुनिश्चित करने हेतु कानूनी, प्रशासनिक और संगठनात्मक उपायों का सुझाव देना ।

(5) महिला विकास की वर्तमान नीति के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर महिला अपराधियों से सम्बन्धित किसी अन्य पहलू पर विचार करना ।

आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1986 तक प्रस्तुत कर देगी ।

## महाराष्ट्र में "सीरम हेपाटाइटिस" रोग का फैलना

*105. श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में "सीरम हेपाटाइटिस" नामक एक नया घातक रोग तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग से पीड़ित कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई अथवा कितने अस्पताल में दाखिल किए गए;

(ग) इस रोग के कारण क्या है;

(घ) इस रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (घ) महाराष्ट्र से इस वर्ष जनवरी से जून के दौरान सीरम हेपेटाइटिस से कुल 378 रोगियों के ग्रस्त होने और इस रोग से हुई 19 मौतों की सूचना मिली है।

यह बीमारी सामान्यतया दूषित रक्त और रक्त उत्पादों के आधान तथा निर्जीवाणुकृत (नान-स्टेरिलाइज्ड) सिरिंजों और सुइयों के इस्तेमाल से फैलती है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं :

(1) ये हिदायतें जारी कर दी गई हैं :

(क) हेपेटाइटिस-बी० के लिए रक्तदाताओं की जांच की जाए।

(ख) संदिग्ध रक्तदाताओं को रक्तदान करने की अनुमति न दी जाए।

(ग) अस्पतालों तथा विशेष रूप से ब्लड बैंकों, सर्जिकल, स्त्रीरोग विज्ञानी और डायलाइसिस केन्द्रों में सभी सिरिंजों, सुइयों और सर्जिकल उपकरणों को ऑटोक्लेव किया जाए।

(2) बम्बई नगर निगम अस्पतालों और बम्बई के अन्य सरकारी अस्पतालों में उन व्यक्तियों को, जिन्हें यह बीमारी लगने का अधिक खतरा है, हेपेटाइटिस-बी० वैक्सीन देना जो इसे लेने के इच्छुक हैं।

## एक दिवसीय क्रिकेट चैम्पियनशिप प्रतियोगिता

*107. **कुमारी डी० के० तारा देवी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 1987 के विश्व कप से केवल एक दिवसीय क्रिकेट चैम्पियनशिप के लिए रणजी ट्राफी की तरह एक प्रतियोगिता शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठाता।

(ग) चूंकि यह भारत में क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड जो एक स्वायत्त निकाय है, के क्षेत्राधिकार में आता है और यह मुख्य तौर पर सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

## "एड्स" के सम्बन्ध में राष्ट्रीय गोष्ठी

*114. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7 और 8 जून, 1986 को नई दिल्ली में "एड्स" के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस बीमारी का पता लगाने से पहले की खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या भारत में "एड्स" की बीमारी पर काबू पाने और उसके उपचार के लिए कोई अनुसंधान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान संघ ने 7 और 8 जून, 1986 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से एड्स-रोग पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था। इस सेमिनार में भारत के विभिन्न राज्यों से भारतीय आयुर्विज्ञान संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रख्यात वैज्ञानिकों ने एड्स-संक्रमण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यनीति की रूपरेखा भी इस सेमिनार में प्रस्तुत की गई थी।

देश में पहले केवल दो निगरानी केन्द्र कार्य कर रहे थे। एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए 12 निदान केन्द्रों की स्थापना करके निगरानी तन्त्र का विस्तार और सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, चार रेफरल केन्द्र भी स्थापित किये गए हैं जिनमें एड्स के निदान के लिए उच्चतर स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विभिन्न जनसमूहों में एड्स के संक्रमण की व्याप्तता की जांच करने के लिए निगरानी केन्द्रों में सहामारी सम्बन्धी अध्ययन किए जा रहे हैं ताकि जिन लोगों को इस रोग के लगने का अधिक खतरा है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर इस रोग को रोकने के उपयुक्त उपाय किए जा सकें जिनमें स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम भी शामिल हैं।

## डीजल रेल इंजनों का आयात

*115. श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से डीजल रेल इंजन आयात किए जाने हैं और कितने डीजल रेल इंजन आयात किये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या ये देश प्रोद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ग) इससे देश के बढ़ते हुए रेल यातायात को किस सीमा तक सहायता मिलेगी और इस प्रस्ताव को कब तक कार्यरूप दिए जाने की सम्भावना है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) पूर्णतः तैयार 25 डीजल-बिजली रेल इंजनों तथा खुले पुर्जों वाले कुछेक रेल इंजनों का प्रौद्योगिकी अन्तरण शर्तों के तहत आयात करने के लिए विश्वव्यापी टेंडर आमन्त्रित करने का प्रस्ताव है। अन्य ब्यौरा टेंडर प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

(ग) नयी प्रौद्योगिकी से यातायात के लिए अधिक संख्या में रेल इंजनों की उपलब्धता तथा ईंधन में अधिक बचत जैसे कई लाभ प्राप्त होने की आशा है और इस प्रकार भारतीय रेलें रेल परिवहन की भावी चुनौतियों का सामना करने में अधिक समर्थ होंगी। इसमें कितना समय लगेगा यह प्राप्त होने वाले टेंडरों पर निर्भर करेगा।

**राष्ट्रीय जल नीति और दक्षिणी राज्यों में जल की कमी**

*116. **श्री एन० डेनिस** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दक्षिणी राज्यों को आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय जल नीति में उनकी पीने के पानी और सिंचाई तथा अन्य प्रयोजन के लिए पानी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार ने विशेष कर राज्य के दक्षिणी जिलों में पानी की भारी कमी से उत्पन्न समस्याओं से केन्द्र को अवगत करा दिया है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय संदर्शी योजना को भी कार्यान्वित करने का आग्रह किया है; जिसमें महानदी और गोदावरी नदियों के अतिरिक्त पानी को दक्षिण की पानी की कमी वाली नदियों की ओर मोड़ने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिण राज्यों में पानी की भारी कमी को पूरा करने से सम्बन्धित प्रश्न के बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) राष्ट्रीय जल नीति तैयार करते समय विभिन्न जल प्रयोगों तथा उनकी प्राथमिकताओं पर विचार करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) भूतल तथा भूजल विकास, इष्टतम उपयोग तथा अन्तः बेसिन अन्तरण सहित जिसके लिए अन्वेषण किए जा रहे हैं, कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष जल के अन्तरण द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का सरकार का प्रस्ताव है।

## सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

*117. डा० ए० के० पटेल :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किए जाने के लिए शेष रहा;

(ख) इन परियोजनाओं को इनके बनाए जाने के समय मूल लागत कितनी थी और अब इनमें से प्रत्येक पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) परियोजनाओं में हुए इस विलम्ब का संचित ब्याज की राशि और उत्पादन हानि के रूप में देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 181 बृहद् सिंचाई परियोजनाएं पिछली योजनाओं से सातवीं योजना में आगे लाई गई हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चूंकि परियोजना रिपोर्टों में उल्लिखित पूरा होने की मूल निर्धारित तारीख तथा वर्ष-वार वित्तीय परिव्यय अनंतिम है, अतः वास्तविक रूप में संचित ब्याज का हिसाब लगाना कठिन है। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सिंचाई एक निवेश होने के कारण, विलम्ब के कारण कृषि उत्पादन पर होने वाले प्रभाव की मात्रा बता पाना सम्भव नहीं है।

### विवरण

### सातवीं योजना की निर्माणाधीन बृहद् परियोजनाओं की मूल तथा अद्यतन अनुमानित लागत

(करोड़ रुपए में)

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | मूल लागत | 1986-87 योजना के अनुसार अद्यतन अनुमानित लागत | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **आन्ध्र प्रदेश** | | | |
| 1. | नागार्जुनसागर (अनु) | 91.12 | 849.63 | |
| 2. | श्रीरामसागर चरण-1 (अनु) (पचमपाद) | 40.10 | 1007.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | वाम्सधारा चरण-1 (अनु) | 8.78 | 51.15 | |
| 4. | वाम्सधारा चरण-2 (परि) | 74.53 | 154.33 | |
| 5. | गोदावरी बराज (अनु) | 26.59 | 86.01 | |
| 6 | सोमासीला चरण-1 और 2 (अनु) | 17.20 | 147.00 | |
| 7. | निजामसागर चरण-1 का सुधार | 13.20 | 15.98 | |
| 8. | सिंगूर (परि) | 32.15 | 57.34 | |
| 9. | यल्लेरू जलाशय (परी) | 147.02 | 158.53 | |
| 10. | श्रीसैलम दायां तट नहर (अनु) | 220.22 | 371.00 | |
| 11. | श्रीसैलम बांया तट नहर (परी) | 480.00 | 480.00 | |
| 12. | तेलुगू गंगा (परी) | 637.00 | 637.00 | |
| 13. | पोलावरम् बराज (परी) | 884.00 | 884.17 | |
| 14. | जुराला (परी) | 76.40 | 115.00 | |
| | **असम** | | | |
| 15. | घनसिरी (अनु) | 15.83 | 66.32 | |
| 16. | चम्पामती (अनु) | 15.32 | 21.72 | |
| | **बिहार** | | | |
| 17. | पश्चिमी कोशी नहर (अनु) | 13.49 | 282.21 | |
| 18. | बागमती (अनु) | 5.78 | 197.83 | |
| 19. | सुबर्णरेखा (परी) (अ० रा०) | 480.90 | 1056.69 | उड़ीसा के हिस्से सहित। |
| 20. | उत्तरी कोईल जलाशय (परी) | 113.77 | 256.39 | |
| 21. | दुर्गावती जलाशय (अनु) | 26.30 | 100.98 | |
| 22. | बरानार जलाशय (अनु) | 8.03 | 62.93 | |
| 23. | अपरकियूल जलाशय (अनु) | 8.07 | 41.30 | |
| 24. | कोनार व्यपवर्तन (परी) | 93.61 | 97.55 | |
| 25. | तिल्लैया व्यपवर्तन (परी) | 46.74 | 65.15 | |
| 26. | बेतेश्वरास्थान पम्प सोपाल-1 (अनु) | 13.88 | 61.83 | |
| 27. | अजय बराज सिकतिया (परि) | 66.03 | 77.45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **गुजरात** | | | |
| 28. | दमनगंगा (अनु) | 24.40 | 132.26 | |
| 29. | पनाम (अनु) | 10.67 | 56.54 | |
| 30. | साबरमती (अनु) | 17.59 | 86.00 | |
| 31. | कर्जन (अनु) | 37.20 | 153.24 | |
| 32. | सुखी (अनु) | 23.11 | 71.51 | |
| 33. | हेरन (अनु) | — | — | कार्य रोक दिया गया |
| 34. | सिप्पू (अनु) | 18.80 | 70.04 | |
| 35. | वतरक (परी) | 13.50 | 33.03 | |
| 36. | नर्मदा (सरदार सरोवर) (परी) (अ० रा०) | 1762.87 | 4867.72 | राजस्थान के हिस्से सहित। |
| 37. | जनखारी (अनु) | 18.70 | 86.50 | |
| 38. | सिधुम्बर (परी) | 30.53 | 30.62 | |
| | **हरियाणा** | | | |
| 39. | डब्ल्यु० जे० सी० रिमाडलिंग (अनु) | 3.02 | 12.49 | राजस्थान के हिस्से सहित। |
| 40. | गुड़गांव नहर (अनु) (अ० रा०) | 2.88 | 30.75 | |
| 41. | लोहारू लिफ्ट (अनु) | 4.13 | 34.62 | |
| 42. | जे० एल० एन० लिफ्ट (अनु) | 40.00 | 130.00 | |
| 43. | नया तेजेवाला बराज (परी) (अ० रा०) | 40.25 | 67.50 | उ० प्र० के हिस्से सहित। |
| 44. | सतलुज यमुना लिंक कनाल (परी) (अ० रा०) | 352.88 | 346.60 | पंजाब के हिस्से सहित। |
| 45. | कोटला, भिण्डवास, ओतु और मसानी बराज का जल भण्डारण (परी) | 35.96 | 10.00 | |
| 46. | मिवाड़ क्षेत्र तथा पटौदी क्षेत्र को सिंचाई और गुड़गांवा फरीदाबाद तथा नया औद्योगिक कम्पलैक्स को जल सप्लाई करना | 20.00 | 60.63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 47. | नहर प्रणाली, लिफ्ट एवं एफ० सी० प्रणाली पर 1500 नए जल छिड़काव सिंचाई सैटों को प्रतिष्ठापित करके सुरक्षात्मक उपाय | 15.00 | 37.50 | |
| | **जम्मू और कश्मीर** | | | |
| 48. | रावीतवी लिफ्ट सिंचाई कम्पलैक्स (परी) | 32.99 | 80.19 | |
| | **कर्नाटक** | | | |
| 49. | तुंगभदरा एल० एल० सी० (अनु) | 1.59 | 97.23 | |
| 50. | भदरा (अनु) | 31.93 | 59.00 | |
| 51. | मालाप्रभा (अनु) | 19.91 | 269.68 | |
| 52. | हिमावथी (परी) (एन० पी०) | 0.94 | 386.50 | |
| 53. | तुंगभदरा एच० एल० सी० चरण-2 (अनु) (अ० रा०) | 14.52 | 127.04 | आन्ध्र प्रदेश के हिस्से सहित । |
| 54. | अपरकृष्णा चरण-1 (अनु) | 58.20 | 1071.00 | |
| 55. | कबीनी (एन० पी०) (परी) | 2.50 | 115.00 | |
| 56. | हरंगी (परी) | 32.50 | 114.00 | |
| 57. | घटप्रभा चरण-3 (अनु) | 90.54 | 221.76 | |
| 58. | करंजे। (परी) | 59.99 | 68.00 | |
| 59. | बेनीथोरा (परी) | 8.31 | 49.50 | |
| 60. | हिपारगी बराज (परी) | 97.95 | — | आस्थगित रखा गया। |
| 61. | बराणा (एन० पी०) | उपलब्ध नहीं | 25.70 | |
| | **केरल** | | | |
| 62. | पेरीयार घाटी (अनु) | 3.48 | 57.49 | |
| 63. | पाम्बा (अनु) | 3.83 | 54.00 | |
| 64. | चित्तूरपूझा (अनु) | 0.99 | 17.85 | |
| 65. | कूटियाड़ी (अनु) | 4.96 | 50.00 | |
| 66. | कनहीरपूझा (अनु) | 3.65 | 44.56 | |
| 67. | पज्जासी (अनु) | 4.42 | 59.12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 68. | कल्लाड़ी (अनु) | 13.28 | 220.00 | |
| 69. | मुआत्तूपूझा (अनु) | 48.08 | 58.34 | |
| 70. | चिम्मोनी (परी) | 23.43 | 28.12 | |
| 71. | इट्टमालायर (परी) | 61.55 | 61.47 | |
| | **मध्य प्रदेश** | | | |
| 72. | महानदी जलाशय (परी) | 496.02 | 734.28 | |
| 73. | कोलार (परी) | 69.96 | 119.47 | |
| 74. | पैरी (अनु) | 4.97 | 18.46 | |
| 75. | सिन्ध सोपान-1 (अनु) | 4.95 | 13.60 | |
| 76. | रंगवान (एच० एल० सी०) (अनु) | 1.86 | 6.12 | |
| 77. | जोंक (अनु) | 4.14 | 20.00 | |
| 78. | बाणसागर (परी) (अ० रा०) | 328.41 | 754.60 | उ० प्र० और बिहार के हिस्से सहित। |
| 79. | बरगी (परी) | 412.40 | 392.08 | |
| 80. | अपर वेनगंगा (अनु) | 50.60 | 97.20 | |
| 81. | कोदार (अनु) | 2.94 | 17.01 | |
| 82. | बैरियापुर बांया तट नहर (अनु) | 18.40 | 25.00 | |
| 83. | हसदेव बांगो (अनु) | 115.30 | 629.00 | |
| 84. | हलाली (अनु) | 13.06 | 15.90 | |
| 85. | थनवार (परी) | 18.20 | 18.30 | |
| 86. | अरपा (अनु) | 32.13 | 127.31 | |
| 87. | माही (अनु) | 27.10 | 72.77 | |
| 88. | मान (परी) | 44.10 | 35.94 | |
| 89. | जोबट (अनु) | 30.75 | 26.91 | |
| 90. | नर्मदा सागर (परी) | 1392.85 | 470.57 | |
| 91. | सिंध सोपान-दो (परी०) | 185.00 | 16.26 | |
| | **महाराष्ट्र** | | | |
| 92. | खडकवासला (अनु०) | 11.62 | 175.31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 93. | कृष्णा (अनु०) | 27.66 | 155.20 | |
| 94. | भीमा (अनु०) | 42.58 | 321.00 | |
| 95. | कुकड़ी (अनु०) | 17.90 | 240.69 | |
| 96. | अपर गोदावरी चरण-1 | 14.20 | 79.74 | |
| 97. | वरना (अनु०) | 31.08 | 284.73 | |
| 98. | अपर तापी चरण एक और दो (अनु०) | 12.09 | 93.73 | |
| 99. | पेंच (अनु०) (अ० रा०) | 40.69 | 142.77 | |
| 100. | अपर पेनगंगा (अनु०) | 84.48 | 340.00 | |
| 101. | अपर वर्धा (अनु०) | 39.88 | 282.01 | |
| 102. | मंजरा (अनु०) | 20.19 | 32.15 | |
| 103. | दुधगंगा (परी०) (अ० रा०) | 97.54 | 185.05 | कर्नाटक का हिस्सा शामिल है। |
| 104. | वाघुर (अनु०) | 12.28 | 34.62 | |
| 105. | जयकवाडी चरण-1 (अनु०) | 38.46 | 252.81 | |
| 106. | जयकवाडी चरण-2 (अनु०) | 88.90 | 353.45 | |
| 107. | अपर प्रवरा (अनु०) | 15.87 | 102.75 | |
| 108. | कालीसरार (अनु०) (अ० रा०) | 3.22 | 12.45 | मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल है। |
| 109. | चसकमान (अनु०) | 22.48 | 73.64 | |
| 110. | नन्दूर मधमेश्वर (अनु०) | 72.66 | 77.66 | |
| 111. | लोवर दुधना (अनु०) | 53.21 | 53.28 | |
| 112. | भटसा (परी०) (अ० रा०) | 40.60 | 32.02 | |
| 113. | सूर्या (अनु०) | 19.35 | 77.04 | |
| 114. | बावनथाडी (परी०) (अ० रा०) | 27.00 | 185.91 | मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल है। |
| 115. | इष्ठपुरी (अनु०) | 78.93 | 105.00 | |
| 116. | तिल्लारी (परी०) (अ० रा०) | 45.20 | 77.86 | गोवा का हिस्सा शामिल है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 117. | नीरा देवघर (परी०) | 61.47 | 61.48 | |
| 118. | लेंडी (परी०) (अ० रा०) | 39.12 | 42.15 | |
| 119. | लोवर पेनगंगा (परी०) (अ० रा०) | 163.54 | 207.14 | |
| 120. | लोअर थिरना (अनु०) | 37.65 | 60.42 | |
| 121. | घोसी खुर्द (सवारगांव) (परी०) | 372.22 | 464.82 | |
| 122. | लोअर वरधा (परी०) | 48.78 | 92.59 | |
| 123. | लोअर वन्ना (परी०) | 39.75 | 52.09 | |
| 124. | बाण (परी०) | 113.37 | 34.14 | |
| 125. | अरुणावती (परी०) | 37.28 | 33.23 | |
| 126. | तुलतुली (परी०) | 29.41 | 33.23 | |
| 127. | कारवा (परी०) | 6.59 | 11.20 | |
| 128. | खोडासी पर गेटेड वेयर | 2.22 | 3.24 | |
| 129. | संगोला शाखा नहर (परी०) | 25.43 | 21.93 | |
| 130. | तालोम्बा (परी०) | 72.37 | 72.38 | |
| 131. | पुनाड (परी०) | 9.14 | 13.30 | |
| 132. | हूमन (परी०) | 37.59 | 61.47 | |
| 133. | कोयना-कृष्णा लिफ्ट स्कीम | 82.97 | 76.04 | |
| | **मणिपुर** | | | |
| 134. | लोकतक लिफ्ट सिंचाई (अनु०) | 4.62 | 24.40 | |
| 135. | सिंगडा सिंचाई (अनु०) | 3.75 | 12.70 | |
| 136. | थाऊबल (अनु०) | 47.25 | 80.00 | |
| 137. | खुगा (अनु०) | 15.00 | 34.00 | |
| | **उड़ीसा** | | | |
| 138. | अपर इन्द्रावती (अनु०) | 77.66 | 230.35 | |
| 139. | रेंगाली (अनु०) | 233.64 | 553.97 | |
| 140. | आनन्दपुर बराज (अनु०) | 21.94 | 15.04 | |
| 141. | महानदी बिरुपा बराज (अनु०) | 42.09 | 131.55 | |
| 142. | अपर कोलाब (अनु०) | 24.05 | 149.09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **पंजाब** | | | |
| 143. | यू० बी० डी० सी० भूभाग के क्षेत्र में बारहमासी सिंचाई का विस्तार (परी०) | 9.24 | 9.24 | सिंचाई हिस्सा पूर्ण हुआ। |
| 144. | थीन बांध | — | — | |
| 145. | अतिरिक्त रावी व्यास जल का प्रयोग | 7.37 | 13.75 | |
| | **राजस्थान** | | | |
| 146. | राजस्थान नहर चरण-एक (अनु०) | 66.46 | 246.00 | |
| 147. | राजस्थान नहर चरण-दो (अनु०) | 89.12 | 1331.00 | |
| 148. | जाखम (अनु०) | 2.33 | 60.25 | |
| 149. | माही बजाज सागर (अनु०) (अ० रा०) | 31.36 | 261.72 | गुजरात का हिस्सा शामिल है। |
| 150. | कोटा बराज को ऊंचा करना (परी०) | 0.91 | 0.56 | |
| 151. | चम्बल लिफ्ट (परी०) | 11.36 | 17.40 | |
| | **तमिलनाडु** | | | |
| 152. | परम्बीकुलम अलियर (अनु०) | 24.86 | 64.29 | |
| 153. | पैरियर वैगई प्रणाली चरण-दो का आधुनिकीकरण (परी०) | 46.00 | 58.00 | |
| 154. | परम्बीकुलम अलियर परियोजना अयाकट का विस्तार (परी०) | 30.22 | 24.63 | |
| | **उत्तर प्रदेश** | | | |
| 155. | गंडक नहर सोपान एक (अनु०) (अ० रा०) | 15.47 | 139.47 | |
| 156. | शारदा सहायक (अनु०) | 64.84 | 775.00 | |
| 157. | कोसी सिंचाई (अनु०) | 2.93 | 17.32 | |
| 158. | टेहरी बांध (अनु०) | 40.00 | 250.00 | |
| 159. | लखवार व्यासी बांध (अनु०) | 140.97 | 170.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 160. | मध्य गंगा नहर चरण-एक (अनु०) | 66.01 | 206.22 | |
| 161. | सरजू नहर (बायां तट घाघरा नहर) (अनु०) | 78.68 | 696.00 | |
| 162. | नया ओखला बराज (अनु०) (अ० रा०) | 25.37 | 46.90 | हरियाणा और राजस्थान के लागत के हिस्से के सहित । |
| 163. | पूर्वी गंगा नहर (अनु०) | 48.46 | 126.47 | |
| 164. | सुहेली | 6.40 | 7.630 | |
| 165. | भीमगोडा हैड वर्क्स का पुनर्रूपण | 0.85 | 32.40 | |
| 166. | राजघाट (परी०) (अ० रा०) | 169.37 | 337.56 | मध्य प्रदेश के हिस्से सहित । |
| 167. | शाहजाद बांध (अनु०) | 8.03 | 25.00 | |
| 168. | जामरानी बांध (अनु०) | 61.25 | 164.00 | |
| 169. | उर्मिल (अनु०) (अ० रा०) | 14.97 | 20.31 | मध्य प्रदेश के हिस्से सहित । |
| 170. | नरायनपुर पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना (अनु०) | 9.96 | 38.75 | |
| 171. | सोन पम्प नहर (अनु०) | 5.64 | 31.00 | |
| 172. | कन्हर सिंचाई (परी०) | 53.80 | 107.44 | |
| 173. | बेवार फीडर (परी०) | 18.10 | 18.10 | |
| 174. | माधो टाण्डा (परी०) | 2.15 | 2.98 | |
| 175. | मौदहा बांध (परी०) | 26.75 | 37.44 | |
| 176. | जामिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना (परी०) | 19.49 | 22.00 | |
| 177. | मेजा बांध को ऊंचा करना (परी०) | 7.87 | 29.69 | |
| | **पश्चिम बंगाल** | | | |
| 178. | डी० वी० सी० का बराज और सिंचाई प्रणाली (विस्तार और सुधार) | उ० न० | 30.00 | |
| 179. | कंसावती (अनु०) | 25.26 | 100.16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 180. | तीस्ता बराज सोपान एक चरण एक (अनु०) | 69.72 | 400.00 | |
| | **गोवा, दमन व दीव** | | | |
| 181. | सलौली (अनु०) | 9.61 | 73.18 | |

अ० रा०—अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं

अनु—अनुमोदित परियोजनाएं

परी०—परीक्षणाधीन परियोजनाएं (शेष परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं)।

टिप्पणी : 1. अनुमोदित परियोजनाओं के मामले में मूल लागत का अभिप्राय मूल अनुमोदित लागत से है, परीक्षणाधीन परियोजनाओं के मामले में परियोजना रिपोर्ट में दी गई लागत है और उन परियोजनाओं के मामले में जिनकी परियोजना रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं, परियोजना के शुरू होने पर दी गई लागत बताई गई हैं।

**केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में छात्रों का प्रतिनिधित्व**

*118. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और उसकी समीक्षा करने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में कार्य करेगा;

(ख) क्या इस बोर्ड में छात्र समुदाय का भी कोई प्रतिनिधि है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उक्त बोर्ड में छात्र समुदाय को प्रतिनिधित्व देने का विचार है?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां। पुनर्गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कार्यकरण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

(क) समय-समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना;

(ख) उस सीमा और तौर तरीके का मूल्यांकन करना जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा शिक्षा नीति कार्यान्वित की गई है और इस मामले में उपयुक्त सलाह देना;

(ग) शिक्षा नीति के अनुसरण में शैक्षिक विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों के बीच समन्वय के सम्बन्ध में सलाह देना;

(घ) किसी भी शैक्षिक प्रश्न के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन द्वारा भेजे गए सन्दर्भ में अथवा अपनी ओर से सलाह देना।

(ङ) जी नहीं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**उड़ीसा में सम्बलपुर तालचेर रेल लाइन का निर्माण**

*119. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
**श्री चिन्तामणि जेना :**

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में सम्बलपुर-तालचेर रेल लाइन के निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) उक्त आबंटित धनराशि से कुल कितने किलोमीटर लाइन का निर्माण किया जा सकता है; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और उक्त रेल लाइन का निर्माण पूरा करने की निर्धारित लक्ष्य तिथि क्या है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) 2 करोड़ रुपए।

(ख) 2 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल इस रेल लाइन के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना है न कि लाइन के कुछेक किलोमीटर पूरे करने के लिए। बहरहाल, प्रथम चरण में सम्बलपुर से मानेश्वर (17.5 कि० मी०) तथा तालचेर से अंगुल (19 कि० मी०) तक के खण्डों में कार्य चल रहा है।

(ग) इस परियोजना पर 58 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। रेल सम्पर्क का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**परिवार नियोजन कार्यक्रमों में ग्राम नेताओं और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करना**

*120. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में ग्रामीण नेताओं और स्वयंसेवी संगठनों का पर्याप्त रूप में शामिल न किए जाने के कारण उपलब्धि अपर्याप्त और लक्ष्य से कम रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने भी इस कार्यक्रम की इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम की मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गये आंकड़ों के अनुसार :

(i) नमूना अध्ययन में 75.8 प्रतिशत गांवों ने बताया कि ग्रामीण और स्थानीय नेताओं ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भूमिका निभाई।

(ii) नमूना अध्ययन में पता चला कि केवल 26.6 प्रतिशत गांवों में महिला और युवक मण्डल जैसी एजेन्सियां हैं जबकि 20.1 प्रतिशत गांवों में दूसरे स्वैच्छिक संगठन हैं इनमें से अधिकांश एजेन्सियों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भूमिका निभाई है।

रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि सभी गांवों में परिवार नियोजन और तत्सम्बन्धी क्रियाकलापों में इन एजेन्सियों का अब के मुकाबले में कहीं ज्यादा सहयोग प्राप्त करने के अर्थोपाय ढूंढ़े जाएं। प्रेरणात्मक कार्य, जन अभियान/बैठकें आयोजित करने और विस्तार/स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों में इन एजेन्सियों को नियोजित प्रयासों के जरिये कारगर ढंग से सहयोजित किया जाए।

परिवार कल्याण में रुचि रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों को मदद देने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई सम्बन्धी एक स्थायी समिति गठित की गई है। यह स्थायी समिति जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य स्तरों में सुधार लाने सम्बन्धी परिवार कल्याण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में बुनियादी स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेन्सियों को प्रोत्साहित करेगी और उनकी मदद करेगी।

राज्य, जिला, ब्लाक और पंचायत स्तरों पर लोकप्रिय समितियां गठित करने का प्रस्ताव है जिनमें गण्यमान्य जन नेता होंगे। पंचायत के सदस्यों, युवा क्लबों और महिला मण्डलों को परिवार कल्याण कार्यक्रम में बुनियादी स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारी संगठनों को भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ग्राम नेताओं के लिए विषय परिचायक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, जनसंख्या सम्बन्धी विषयों में अध्यापकों को चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षण देने, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की विषय-वस्तु शामिल करने और प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं को जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षण देने सम्बन्धी कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

**शोरुवण्णूर-मंगलोर लाइन पर रेलगाड़ियों का देर से चलना**

*121. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोहरी रेल लाइन और स्वचालित सिगनल व्यवस्था न होने के कारण शोरुवण्णूर-मंगलोर लाइन पर सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय के अनुसार नहीं चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त रेल लाइन को दोहरा बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय**

899. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है और क्या प्रत्येक राज्य में इसके क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार क्षेत्रीय केन्द्रों के स्थानों के नाम क्या हैं और ये किस तारीख तक अपना कार्य शुरू कर देंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्षेत्रीय केन्द्रों को कब तक स्वीकृति दिये जाने तथा खोले जाने की सम्भावना है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ने 20 सितम्बर, 1985 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। विश्वविद्यालय इस समय अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को तैयार कर रहा है। यद्यपि विश्वविद्यालय के अधिनियम में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा 1987 के आरम्भ में अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को शुरू करने की सम्भावना है। जब कभी शैक्षिक कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन शुरू होंगे तभी क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के बारे में निर्णय लिए जाने की सम्भावना है

**राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयातित फिल्मों का चयन**

900. **डा० वी० एस० शैलेश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्मों के आयात को सरणीबद्ध करने में पहल की है;

(ख) यदि हां, तो यह जांच करने के लिए क्या सावधानी बरती गयी है कि ये फिल्में कामुकता, अश्लीलता से भरी नहीं हों;

(ग) क्या इन फिल्मों को सार्वजनिक सिनेमाघरों में दिखाने के लिए स्वीकृत करते समय सुरुचिपूर्णता और अश्लीलता के बीच अन्तरस्थापित करने के लिए यदि कोई विभाजक रेखा निर्धारित की गई है तो वह क्या है; और

(घ) यदि इस प्रकार का अन्तरस्थापित नहीं किया गया जाता है तो इसके कारण क्या हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में फीचर फिल्मों के पूर्व दर्शन के लिए उपसमितियां हैं और उनसे आशा की जाती है कि वे आयात के लिए फिल्मों की सिफारिशें तभी करेंगे जब वे सौंदर्य-बोधक हों एवं उनका चलचित्रीकरण अच्छा हो तथा साथ ही वे दर्शकों का साफ-सुथरा एवं स्वच्छ मनोरंजन कर सकें।

(ग) और (घ) भारत में जनता को दिखाई जाने वाली सभी फिल्में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा चलचित्रकला अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार जांची जाती हैं। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को सुनिश्चित करता रहेगा कि अभद्रता, अश्लीलता एवं चरित्रहीनता द्वारा किसी भी प्रकार से मानवीय संवेदनाओं को ठेस न पहुंचे।

**दिल्ली में कामकाजी लड़कियों के होस्टल**

901. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कामकाजी लड़कियों के लिये बनाये गए होस्टलों में ठहरने के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं; और

(ख) दिल्ली में ऐसे और अधिक होस्टल खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)** : (क) दिल्ली में भारत सरकार की सहायता से बने 8 श्रमजीवी महिला होस्टलों में आवास के लिए 188 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 5 श्रमजीवी महिला होस्टलों को (जिनमें वर्तमान होस्टलों का विस्तार करना भी शामिल है) निर्माण किया जा रहा है। इन होस्टलों में 531 श्रमजीवी महिलाओं को आवास प्रदान किया जाएगा। दिल्ली प्रशासन के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर भारत सरकार दिल्ली में श्रमजीवी महिला होस्टलों के और प्रस्तावों पर भी विचार करेगी।

**मेट्रो रेल नेट वर्क का "साल्ट लेक सिटी" तक विस्तार करने का प्रस्ताव**

902. **श्री रेणुपद दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का मेट्रो रेल नेट वर्क का पूर्वी उप रेल मार्ग से साल्ट लेक सिटी तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा इस बारे में आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**"गैट आफ बुलाज बैंक, प्लीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

903. **श्री सोडे रमैया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया", नई दिल्ली में "गैट आफ बुलाज बैंक, प्लीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब से महिला तैराक बूला चौधरी आस्ट्रेलिया में अपना प्रशिक्षण बीच में छोड़ कर भारत वापस आयी है, तब से अब तक भारतीय खेल संघ ने भारत की सर्वोत्तम महिला तैराक की प्रगति में रोड़े अटकाने के भरसक प्रयास करने के अलावा कुछ नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय तैराकी संघ ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने तैराकों की प्रगति को न तो कोई हानि पहुंचाई है और न ही कोई रुकावट डाली है । संघ ने यह भी बताया है कि उन्होंने तैराकी में अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए तैराकों को सभी अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की हैं। सरकार ने अपनी ओर से उसी आस्ट्रेलियन कोच की सेवाएं प्राप्त की थी जिन्होंने आस्ट्रेलिया में तैराकों को प्रशिक्षित किया था और अब वह दिल्ली में एशियाई खेल प्रशिक्षण शिविर के तैराकों को प्रशिक्षण दे रहा है जिसमें प्रश्न में उल्लिखित तैराक भी शामिल है ।

**हावड़ा नगर निगम की कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की और बकाया राशि**

904. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के अन्त तक विभिन्न शीर्षों में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने हावड़ा नगर निगम को कुल कितनी राशि का भुगतान करना था; और

(ख) दिसम्बर, 1985 को हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों का कुल कितना मूल्य था ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) हावड़ा नगर निगम द्वारा वर्ष 1984-85 के अन्त तक विभिन्न शीर्षों के तहत नगर निगम मांग के अनुसार वसूल की गई कुल राशि निम्नलिखित है :

(1) **न्यासियों की खास सम्पत्तियां**

3/84-85 से 4/84-85 तक 88,983.03 रुपए प्रति क्वार्टर की दर से : —1,77,966.06 रु०

(2) **टेनेंट्स स्ट्रक्चर्स** :

3/84-85 से 4/84-85 तक (2 क्वार्टर) 34,034.90 रुपए की दर से। —68,069.80 रु०

(3) 1/60-61 से 4/80-81 तक अवधि के लिए हावड़ा नगर निगम द्वारा 1982 में (टेनेंट्स स्ट्रक्चर एकाउण्ट) दिए गए पूरक बिलों की शेष राशि (हावड़ा नगर निगम द्वारा समुचित एकाउंटिंग होने पर भुगतान योग्य) —2,61,740.14 रु०

(4) **पूरक बिल एकाउण्ट**

4/61-62 से 2/84-85 तक की अवधि के लिए न्यासियों की सम्पत्तियों पर 3526.94 रुपए की दर से × 91 क्वार्टर —3,20,951.54 रु०

(5) **पूरक बिल एकाउण्ट**

4/62-63 से 2/84-85 तक की अवधि के लिए न्यासियों की खास सम्पत्तियों पर 1283.80 रुपए की दर से × 87 क्वार्टर। —1,11,690.60 रु०

कुल : 9,40,418.14 रु०

उपर्युक्त राशि में से 9 लाख रुपए का तदर्थ भुगतान कर दिया गया है।

(ख) हावड़ा नगर निगम क्षेत्र (निगम के मूल्यांकन के अनुसार) के अन्तर्गत आने वाली कलकत्ता पत्तन न्यास की भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों का कुल मूल्य नगर निगम के मूल्यांकन के अनुसार 10,33,935.00 रुपए है।

## रेल पटरियों का विद्युतीकरण

905. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल पटरियों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम कुछ मन्दा पड़ गया है;

(ख) यदि हां, उसके कारण क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान विद्युतीकरण किए जाने वाली रेल पटरियों के नाम क्या हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1986-87 और 1987-88 के दौरान निम्नलिखित खण्डों का विद्युतीकरण करने की सम्भावना है :

**1986-87**

| | |
|---|---|
| बयाना-गंगापुर सिटी | 83 मा० कि० मी० |
| गंगापुर सिटी-कोटा | 171 मा० कि० मी० |
| रतलाम-नागदा | 42 मा० कि० मी० |
| बमनिया-रतलाम | 43 मा० कि० मी० |
| ग्वालियर-झांसी | 98 मा० कि० मी० |
| मधिरा-दोर्णाकल | 76 मा० कि० मी० |
| चन्द्रपुरा कम्पलैक्स | 47 मा० कि० मी० |
| | 560 मा० कि० मी० |

**1987-88**

| | |
|---|---|
| नागदा-कोटा | 224 मा० कि० मी० |
| झांसी-बीना | 151 मा० कि० मी० |
| दोर्णाकल-बल्हारशाह | 328 मा० कि० मी० |
| | 703 मा० कि० मी० |

**विदेशों में प्रतिबन्धित औषधियों की भारत में बिक्री**

906. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में औषधियां जिन पर विदेशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अभी तक उनको भारत में बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधियों के नाम क्या हैं और किन कम्पनियों द्वारा उनका निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) भारत में इन औषधियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनके निर्माताओं के विरुद्ध क्या उचित कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (ग) यह सही नहीं है कि काफी संख्या में औषधियां, जिनकी बिक्री पर विदेशों में प्रतिबन्ध है भारत में अभी भी बेची जा रही हैं।

औषधियों को बाजार से वापस लेने का निर्णय देश में औषधों के किस हद तक हो रहे इस्तेमाल, उचित दामों पर सुरक्षित वैकल्पिक दवाइयों की उपलब्धता और बेनेफिट रिस्क कन्सीडरेशन पर विचार करने के बाद लिया जाता है औषधों को वापस लेने के लिए विभिन्न देशों द्वारा की गई कार्यवाही अलग-अलग किस्म की होती है। किसी एक विकसित देश द्वारा वापस ली गई औषध को किसी अन्य विकसित देश में बेचा जाना जारी रखा जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुछ देशों में जिन 33 औषधों को वापस लेने की सूचना दी गई थी, उनमें से 16 औषधों को भारत में बेचने की स्वीकृति बिलकुल नहीं दी गई थी, 10 औषध बाजार से वापस ले ली गई हैं और शेष 7 औषधों अर्थात (1) नाइट्रोफयूरत कम्पाउण्डस (2) फेनफॉर्मिन (3) हाइड्राक्सीक्विनोलिन डेरीवेटिव्ज (4) हायर डोज लिनेस्ट्रनॉल उत्पाद (5) पिपराजाइन (6) फेनिलबुटाजोन/आक्सीफेनबुटाजोन और (7) एनलजीन को चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से इस शर्त पर देश में बेचने की अनुमति दी गई है कि कुछ मामलों में औषध के लेबल/पैकेज के अन्दर रखो जाने वाली पर्ची पर इसके लाभ और हानियों की चेतावनी दी जाएगी।

जिन औषधों को विदेश में बेचने पर प्रतिबन्ध है लेकिन भारत में बेचने की अनुमति दी गई है उनके नामों का एक विवरण संलग्न है, जिसमें इन औषधों को बेचने वाली मुख्य फर्मों के नामों का भी उल्लेख किया गया है।

**विवरण**

| औषधि का नाम | फर्म का नाम |
|---|---|
| 1 2 | 3 |
| 1. हाइड्राक्सीक्यूनोलिन टेबलेट्स (एन्ट्रोक्यूनाल) | मैसर्स ईस्ट इण्डिया फार्मास्युटिकल वर्क्स, कलकत्ता<br>मैसर्स इसकेई, बंगलौर<br>मैसर्स दिस मेडिकल स्टोर, कलकत्ता<br>मैसर्स सरला इण्डिया, बम्बई<br>मैसर्स पी० सी० आई०, बम्बई<br>मैसर्स अलवर्ट डेविड लिमिटेड, कलकत्ता |
| 2. फेनफार्मिन (डी० बी० आई०) | मैसर्स यू० एस० विटामिन (इण्डिया) लिमिटेड बम्बई |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | मैसर्स केडिला लेबोरेटरीज, अहमदाबाद<br>मैसर्स पी० सी० आई०, बम्बई<br>मैसर्स बंगाल इम्युनिटी, कलकत्ता<br>मैसर्स जेमो फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई<br>मैसर्स उसान फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई |
| 3. नाइट्रोफ्यूरन कम्पाउण्ड्स | | मैसर्स इस्केई आफ बंगाल |
| | (क) फ्यूराजोलीडोन (फ्यूराक्सन) टेबलेट्स लिक्यूड ओरल | मैसर्स एम० एम० लेबोरेटरीज, बम्बई<br>मैसर्स पी० सी० आई०, बम्बई |
| | (ख) नाइट्रोफ्यूराजोन क्रीम (फ्यूरासीन) | मैसर्स स्काई ऑफ, बंगलोर<br>मैसर्स स्टेरफिल लेबोरेट्रीज, बम्बई<br>मैसर्स इन्क्यू, बम्बई<br>मैसर्स गुफिक लेबोरेट्रीज, बम्बई<br>मैसर्स स्मीथ स्टानी स्ट्रीट, कलकत्ता |
| 4. लिनांस्ट्रनॉल टेबलेट्स (हाइडोज) | | मैसर्स इनफार इण्डिया, कलकत्ता |
| आर्गेमेट्रिल आर्गेलुटिन | | मैसर्स हिन्दुस्तान सिवा लिगो, वास्वे |
| 5. पिपरांजिन टेबलेट्स/लिक्यूड ओरल (एन्टीपोर) | | मैसर्स वरौघस वेलकम एण्ड कम्पनी, बम्बई<br>मैसर्स अलवर्ट डेविड लिमिटेड, कलकत्ता<br>मैसर्स मेरिड, बम्बई ।<br>मैसर्स केडिला लेबोरेट्रीज, अहमदाबाद<br>मैसर्स डावर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली<br>मैसर्स मोर्टिन एण्ड हारिस, बम्बई<br>मैसर्स ग्लुकोनेट, कलकत्ता<br>मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज, बम्बई<br>मैसर्स स्मीथ स्टैनिस्ट्रीट, कलकत्ता<br>मैसर्स आई० डी० पी० एल०, गुड़गांवां<br>मैसर्स डेज, कलकत्ता<br>मैसर्स हाफकिन वी० ओ०-फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई |
| 6. (क) आक्सीफेनबुटाजोन टेबलेट्स (सुगनरिल) | | मैसर्स एस० जी० फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई<br>मैसर्स डैडिला लेवोरेट्रीज, अहमदाबाद<br>मैसर्स वायोकोल, बम्बई<br>मैसर्स खण्डेलवाल लेबोरेट्रीज, बम्बई |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | (ख) फेनिलबुटाजोन टेबलेट्स (जोलेण्डीन) | मैसर्स एस० जी० फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई<br>मैसर्स फार्मंड, बम्बई<br>मैसर्स अलेम्बिक केमिकल वर्क्स, बरोदा<br>मैसर्स पी० सी० आई० बम्बई<br>मैसर्स केडिला लेबोरेट्रीज, अहमदाबाद<br>मैसर्स थेमिस फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई<br>मैसर्स हल्वर्ट डेविड, कलकत्ता |
| 7. | एनलजीन टेबलेट्स (नावलजोन) | मैसर्स होथेस्ट इण्डिया, बम्बई<br>मैसर्स आई० डी० पी० एन० गुड़गांवां<br>मैसर्स हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई<br>मैसर्स यू० एस० विटामिन्स, बम्बई<br>मैसर्स पी० सी० आई०, बम्बई<br>मैसर्स टेनबैक्सी लेबोरेट्रीज, नई दिल्ली |

**स्कूल की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में कमियां**

907. श्री साइमन तिग्गा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 15 सदस्यीय दल ने मन्त्रालय को यह बताते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि स्कूल की विद्यमान इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में गम्भीर खामियां और कमियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आदिवासी लोगों, किसानों तथा श्रमिक आन्दोलन और महिलाओं की भूमिका को नजरअन्दाज कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास को वर्गीकृत रूप में लागू करने के लिए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करने तथा इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श पाठ्यचर्या का सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए कार्य-दल ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के शिक्षण में प्रयुक्त विद्यमान पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री में कुछ आम कमियां देखीं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय लोगों, किसानों तथा कामगरों के आन्दोलन तथा महिलाओं की भूमिका की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति शामिल है। कार्य-दल ने सिफारिश की है कि नई पाठ्यचर्या सम्बन्धी कार्य-ढांचा तैयार करते समय इन कमियों को ध्यान में रखा जाए।

(घ) नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में रा० शै० अनु० प्र० परि० ने अन्य एजेंसियों के सहयोग से स्कूल-शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाओं, पाठ्यक्रम आदि के विकास के लिए कदम उठाए हैं। कार्य-दल की सिफारिशों का इन प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाएगा।

**त्रिवेन्द्रम से नई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव**

908. **श्री टी० बशीर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के नई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी विशेष कृतिक बल की रिपोर्ट**

909. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी विशेष कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) से (ग) ग्रामीण विश्वविद्यालयों की नई पद्धति के समेकन और विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्रवाई योजना की सिफारिश करने हेतु एक कार्य बल गठित किया गया था। कार्य बल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इस उद्देश्य से गठित सभी कार्य बलों की सिफारिशों के आधार पर समेकित कार्रवाई कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

**कनिष्क विमान दुर्घटना में मारे गए विमान चालक दल के सदस्यों के परिवारों को मुआवजा**

910. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कनिष्क विमान दुर्घटना में मारे गए चालक दल के प्रत्येक सदस्य के परिवार को 3.20 लाख रुपए दिये जाते हैं जबकि मारे गए यात्रियों के परिवारों को प्रति यात्री 9 लाख रुपये दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस दुर्घटना में मारे गए विमान चालक दल के सदस्यों और यात्रियों की स्मृति में कालिना, बम्बई में एक स्मारक स्तम्भ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जैसा कि कार्क, आयरलैंड में किया गया है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) और (ख) यात्रियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान विमान वहन अधिनियम, 1972 के अधीन किया जाता है जिसमें प्रति यात्री 20,000 अमरीकी डालर की सीमा निर्धारित की गई है। तथापि, एयर इण्डिया ने देयता की इस सीमा को बढ़ाकर 75,000 अमरीकी डालर कर दिया है। प्रत्येक मामले में इस सीमा के अन्दर देय वास्तविक मुआवजे की राशि का निर्धारण दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की आयु, अर्जन क्षमता, हैसियत और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विमान वहन अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित परिवार के सदस्यों को हुई आर्थिक हानि का सामान्या नियमों और कानूनों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाएगा। कर्मीदल के सदस्यों को देय क्षतिपूर्ति की गणना एयर इण्डिया कर्मचारी सेवा विनियमावली के विनियम 31 के अनुसार की जाती है। इस नियम के अन्तर्गत कर्मीदल के सदस्यों को दुर्घटना के दिन मूल वेतन के साठ गुना वेतन देय है। इसके अलावा एयर इण्डिया कर्मचारी सेवा विनियमावली के विनियम 31-ए के अधीन प्रत्येक कर्मीदल के सदस्य को 2.25 लाख रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए की राशि दुर्घटना बीमा के रूप में पाने का हक है। एयर इण्डिया बोर्ड ने भी कर्मीदल के प्रति सदस्य को 2 लाख रुपए अनुग्रह अदायगी भी स्वीकृति की है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

## भारतीय जहाजों का रूस से खाली लौटना

911. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार समझौतों के अनुसार भारतीय जहाज रूप से अपने वापस यात्रा पर माल नहीं लाद सकते और पिछले कई वर्षों से उन्हें खाली वापस आना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत कुल कितनी हानि हुई है और इसका भुगतान कौन करता रहा है;

(ग) क्या भारत आने वाले रूस के अपने जहाज अथवा अन्य जहाज भी समझौते अथवा भारत द्वारा लागू किए गए खण्डों के अनुसार खाली लौटते हैं; और

(घ) क्या ऐसे खाण्डों को निकालने और पिछली हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का विचार है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**परिवार नियोजन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन**

912. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जिन राज्यों ने लक्ष्य प्राप्त किए हैं उन्हें यदि कोई प्रोत्साहन दिए जाने हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को कोई विशेष पुरस्कार नहीं दिए गए थे। राष्ट्रीय परिवार कल्याण पुरस्कार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत राज्यों/संघ रास्य क्षेत्रों को पांच विभिन्न गुणों में सामूहित किया गया है तथा हर वर्ष प्रत्येक गुण के सर्वोतम कार्य करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

**नौवहन क्षेत्र में कम्पनियों को अग्निशमन और सुरक्षा उपकरण की सप्लाई करने वाले एकक**

913. **श्री के० एस० राव**: क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के अनेक एकक नौवहन क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों को स्वदेशी अग्निशमन और सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन एककों के क्या नाम हैं जिनमें से प्रत्येक ने एक लाख रुपए से अधिक मूल्य के उपकरणों की सप्लाई की है और प्रत्येक एकक द्वारा सप्लाई किए गये उत्पाद और उसके मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षिण भारत में स्थित उन निर्माता एककों की संख्या कितती है जो नौवहन कम्पनियों और शिपयार्डों सहित सरकारी क्षेत्र को उपकरणों की सप्लाई कर रही है और प्रत्येक का सक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित एककों ने नौवहन क्षेत्र की कम्पनियों को स्वदेशी अग्निशमन और सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई की है।

(i) मैसर्स विजय फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स प्रा० लिमिटेड, बम्बई ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को लगभग 13.1 लाख रुपए की लागत के विभिन्न प्रकार के अग्निशामक, अग्नि होसेज, फायरमैन परिधान, सुरक्षा वस्त्र इत्यादि सप्लाई किए हैं। इस एकक ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 8.9 लाख रु० की कीमत के इंजन कक्ष के लिए अग्निशमन तथा धुएं का पता लगाने वाले संयंत्र और कारगो होल्ड्स भी सप्लाई किए है।

(ii) मैसर्स कुवरजी देवशी प्रा० लिमिटेड, बम्बई ने 8 लाख रु० की लागत का अग्निशमन सिस्टम कोचीन शिपयार्ड लि० को तथा 1 लाख रु० से अधिक की लागत का भारतीय

नौवहन निगम को सप्लाई किया। इस एकक ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को 1.1 लाख रु० की लागत के विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरण भी सप्लाई किए हैं।

(iii) मैसर्स फायर इक्विपमेंट कारपोरेशन बम्बई, मैसर्स स्टीलेज इन्डस्ट्रियल लि० बम्बई तथा मैसर्स गेबरुडर मित्तर एन्टरप्राइजेज, कलकत्ता, प्रत्येक ने, 1 लाख रुपए से अधिक की लागत के अग्निशगन उपकरण भारतीय नौवहन निगम को सप्लाई किए हैं।

(iv) मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को 9.71 लाख रुपए की लागत के बूट सप्लाई किए।

(v) मैसर्स इण्डियन रेयन कारपोरेशन लि० ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को 4.63 लाख रु० की लागत के फायर हासेज कैन्वस सप्लाई किए हैं।

(ग) दक्षिण भारत में स्थित निर्माता युनिटों की संख्या, जो सार्वजनिक क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों/शिपयार्डों को उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं, प्रत्येक के संक्षिप्त ब्यौरों सहित निम्नलिखित है :

(i) मैसर्स एयर फोम इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० मद्रास तथा मैसर्स स्टैन्डर्ड बैटरी लि०, मद्रास फोम बनाने वाले मिश्रण के निर्माता हैं।

(ii) मैसर्स स्टील एज इन्डस्ट्रीज लि०, मद्रास अग्निशामकों के निर्माता हैं।

(iii) मैसर्स वादयार बोट्स, मद्रास जीवन-नौकाओं एवं नौका-उपकरण के निर्माता हैं।

(iv) मैसर्स एरो मैरीन इन्डस्ट्रीज लि०, मद्रास इन्फलेटेबल लाइफ रैफ्ट्स का निर्माण करते हैं।

**नेहरू फैलोशिप दिया जाना**

914. **श्री जी० भूपति** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विद्वानों को कुल कितने वरिष्ठ तथा कनिष्ठ नेहरू फैलोशिप प्रदान किए गए हैं तथा प्रत्येक फैलोशिप की अवधि और उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि कितनी है;

(ख) क्या प्रोजेक्टों की उपादेयता और विद्वानों की योग्यता की परख करने के लिए कोई जांच समिति है; और

(ग) यदि हां, तो पूरे हो चुके प्रोजेक्टों की संख्या और जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं उनकी संख्या कितनी है और नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक द्वारा अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और प्रोजेक्टों के कितने ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास और समकालीन अध्ययन की योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई शिक्षा-वृत्तियों की संख्या उनकी अवधि और इसमें शामिल खर्च निम्नलिखित है :

| शिक्षावृत्तियों का प्रकार | पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या | शिक्षावृत्तियों की अवधि | शामिल वार्षिक व्यय |
|---|---|---|---|
| (i) वरिष्ठ शिक्षावृत्ति | 5 | 3 वर्ष जो अन्य 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है | 3,26,440 रु० |
| (ii) शिक्षावृत्ति | 3 | —वही— | 1,47,768 रु० |
| (iii) कनिष्ठ शिक्षावृत्ति | 3 | —वही— | 1,22,520 रु० |

(ख) जी, हां।

(ग) सभी 11 पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपनी परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, और उनके द्वारा संचालित अनुसंधानों के परिणाम शिक्षावृत्तियों की उनकी अवधि पूरी होने पर उपलब्ध होंगे।

## राजस्थान में उपरि पुलों का निर्माण

915. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में और विशेषकर जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर में वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान उपरि रेल पुलों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा क्या प्राथमिकता सूची भेजी गई थी; और

(ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में ऐसी कितनी परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) राजस्थान सरकार ने ऊपरी सड़क पुलों के निम्नलिखित कार्यों को अपनी अग्रता सूची में शामिल किया है :

| वर्ष | निर्माण-कार्यों का ब्यौरा |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1984-85 | कोई नहीं |
| 1985-86 | 1. जयपुर के निकट समपार संख्या 85 और 220 के बदले ऊपरी सड़क पुल। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | 2. समपार संख्या 238 के बदले सेवर में ऊपरी सड़क पुल । |
| 1986-87 | 1. समपार संख्या 177 के बदले दौसा में ऊपरी सड़क पुल । |
| | 2. समपार संख्या 108 के बदले रींगस में ऊपरी सड़क पुल । |

(ख) 1985-86 के रेल बजट में कोई निर्माण-कार्य शामिल नहीं किया जा सका है। एक जयपुर के निकट समपार संख्या 85 और 220 के बदले तथा दूसरा बीकानेर में रानी बाजार समपार संख्या एस०-264 के बदले, दो ऊपरी सड़क पुलों को 1986-87 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है।

**कलकत्ता महानगर रेलवे की रेलों की आवाजाही में व्यवधान**

916. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्षाकाल के दौरान वर्षा के कारण कलकत्ता महानगर रेलवे की रेलगाड़ियों की आवाजाही में व्यवधान पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो भूमिगत रेलवे में इससे पहले पानी भर जाने से क्या पूर्व अनुभव प्राप्त हुआ और वर्षाकाल में ऐसे व्यवधान से बचने के लिए क्या स्थायी उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(ग) महानगर रेलवे के कार्यकरण में रेलवे प्रशासन "ट्यूब" यात्रा में शोर जैसी अन्य कौन-सी प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) से (घ) जी हां। वर्षा के चालू मौसम में काली घाट-जतिनदास पार्क स्टेशन के बीच भारी रिसाव के कारण मेट्रो रेलवे में तीन बार रेल यातायात ठप्प हुआ था। यह खण्ड अप्रैल, 1986 में खोला गया था और यह पहला मानसून है। सुरंग के अन्दर कुछ सीमा तक रिसाव अपरिहार्य है और इसलिए रिसाव का प्रबन्ध करने के लिए सुरंग में हौदियों तथा पम्पों सहित जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की गयी है जैसा कि सारे विश्व में किया जाता है। दिखायी पड़े रिसाव बिन्दुओं को दाब द्वारा पतले मसाले से भरने, पानी जमा न होने देने के लिए पटल दीवार तथा बाक्स दीवार के बीच के खाली स्थान को रेत से भरने तथा पम्प द्वारा पानी निकालने की व्यवस्था को मजबूत करने जैसे उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। अक्तूबर, 1984 में खोले गए खण्डों में जो अब सुस्थिर हो चुके हैं, इस मौसम में पानी जमा होने की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। कोई अन्य समस्या पैदा नहीं हुई है।

**गांधी जी विश्वविद्यालय, केरल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता**

917. **श्री के० मोहन दास** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केरल के गांधी जी विश्वविद्यालय को अभी तक आयोग से अनुदान प्राप्त करने के उपयुक्त नहीं घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय सहायता दिए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां। गांधी जी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानों के लिए अभी उपयुक्त घोषित नहीं किया गया है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार केरल सरकार ने नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों की अभी पूर्ति नहीं की है। विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपए लागत की भौतिक सुविधाएं तथा आवश्यक संकाय पद प्रदान नहीं किए गए हैं। केरल सरकार को गांधी जी विश्वविद्यालय के अधिनियम में भी संशोधन करना है जैसाकि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है।

(ग) और (घ) गांधी जी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने पर तभी विचार किया जाएगा जब उसे ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया जाएगा।

**"गीत गोविन्द" की पाण्डुलिपि**

918. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल के कवि जयदेव द्वारा रचित "गीत गोविन्द" की मूल पाण्डुलिपि सरकार के पास है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां और किस हालत में है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

**रणवीर नहर में पानी का दोषपूर्ण प्रवाह**

919. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एन० एस० ने हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर बताया है कि जम्मू और कश्मीर में रणवीर नहर में पानी की प्रवाह प्रणाली दोषपूर्ण है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस नहर की जल प्रबन्ध प्रणाली से कृषि विशेषज्ञ भी सन्तुष्ट नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) रणवीर नहर के सम्बन्ध में 6 मई, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपे समाचार से सरकार अवगत है।

(ख) से (घ) जल राज्य विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, उनकी वित्त-व्यवस्था एवं कार्यान्वयन राज्य सरकारें स्वयं करती हैं। रणबीर नहर प्रणाली, जो अस्सी वर्ष से भी अधिक पुरानी है एवं असन्तोषजनक स्थिति में है, की समस्याएं हल करने के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार ने नहर के पुनर्रूपण हेतु एक स्कीम प्रस्तुत की है जिसकी केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। राज्य सरकार अपने संसाधन सीमित होते हुए भी इस प्रणाली में सुधार करने के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

**वायुदूत का कार्य-निष्पादन**

920. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत सेवा का विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कार्य-निष्पादन कैसा रहा; और

(ख) क्या विगत दो वर्षों के दौरान इस तीसरी स्तरीय विमान सेवा ने कोई लाभ कमाया है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) वर्ष 1985-86 की पहली तिमाही के आंकड़ों की तुलना में वायुदूत की 1986-87 की पहली तिमाही का कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है :

| | 1985-86 अप्रैल, 85 से जून, 1985 | 1986-87 अप्रैल, 86 से जून, 1986 (अनुमानित) | अन्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| कुल राजस्व (लाख रुपये में) | 172.50 | 331.09 | +92% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| कुल व्यय (लाख रुपये में) | 193.08 | 353.26 | +83% |
| निवल लाभ/(हानि) (लाख रुपये में) | (20.58) | (22.23) | — |
| औसत टन (हजार में) (किलोमीटर में) | 2458.63 | 3896.21 | +58% |
| राजस्व टन किलोमीटर (हजार में) | 1665.61 | 2505.48 | +50% |
| भार गुणक (%) | 67% | 64% | (—4%) |
| वाहित यात्री | 58140 | 84356 | +45% |

(ख) जी, हां। वायुदूत ने वर्ष 1984-85 के दौरान 12.57 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया।

[हिन्दी]

**विधि पाठ्यक्रम वाले लॉ कालेज**

921. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बार काउंसिल आफ इंडिया ने विधि पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए कितने लॉ कालेज खोलने हेतु सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) स्वीकृति देने में कितना समय लगने की सम्भावना है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के झबुआ जिले के जन जाति क्षेत्र, अलीराजपुर में सरकारी कालेज में विधि कक्षाएं शुरू करने की मांग करने वाला कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) भारतीय बार परिषद् ने किसी कालेज में विधि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार से कोई मंजूरी नहीं मांगी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय बार परिषद् के अनुसार अलीराजपुर में सरकारी कालेज में विधि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ था। बार परिषद् ने जून, 1985 में कालेज में एक जांच-दल भेजा है। दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है।

[अनुवाद]

**अन्धेपन की रोकथाम के उपाय**

922. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश-भर में अन्धे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) अन्धेपन की अधिक प्रतिशतता के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्धेपन की अधिक घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1971-73 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दृष्टिहीन लोगों की अनुमानित संख्या नब्बे लाख है।

(ख) दृष्टिहीनता की उच्च प्रतिशतता के मुख्य कारण हैं :

(1) नेत्र परिचर्या प्रदान करने के लिए नेत्र कार्मिकों की कमी।

(2) लोगों में पोषण और अपने आपको साफ-सुथरा रखने का निम्न स्तर तथा आंखों की आम देख-रेख सम्बन्धी जानकारी का अभाव।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1976 में चलाया गया था। निम्नलिखित कदम उठाने के बारे में सोचा गया है :

(1) नेत्र शिविर प्रणाली द्वारा आंखों के इलाज के तत्काल उपाय करना।

(2) परिधीय, मध्यवर्ती तथा केन्द्रीय सेक्टर में नेत्र परिचर्या सेवाओं का चरणबद्ध ढंग से विकास करना जिसके साथ स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी उपायों में तेजी लाना।

छठी योजना के अन्त तक 80 केन्द्रीय और 30 जिला मोबाइल यूनिटें लगाने के अतिरिक्त 2000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 404 जिला अस्पतालों तथा 60 मेडिकल कालेजों मे यह कार्यक्रम लागू कर दिया गया है।

**केरल में समुद्र के कटाव से भूमि की हानि**

923. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र द्वारा भूमि के कटाव के कारण केरल और अन्य राज्यों में कितने भू-क्षेत्र की हानि हुई है;

(ख) समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए केरल तथा अन्य राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) समुद्र-कटाव के कारण केरल तथा अन्य राज्यों में भू-क्षेत्र की हानि के परिशुद्ध ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, केरल सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, कुल 560 किलोमीटर समुद्र तट रेखा में से लगभग 320 किलोमीटर क्षेत्र को समुद्री कटाव का खतरा बना रहता है।

(ख) समुद्री कटाव से सुरक्षा के लिए राज्य सरकारें पथरीली टीले की समुद्री दीवारों के निर्माण तथा अन्य समुद्री कटाव रोधी कार्यों को हाथ में लेती रही हैं।

(ग) विभिन्न समुद्री कटाव रोधी कार्यों को शुरू करने के लिए केरल सरकार को 1972-73 मे 37.12 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है। केरल के अतिरिक्त, किसी अन्य राज्य को समुद्री कटाव-रोधी कार्यों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है।

**पौष्टिक तत्वों का कम उपयोग**

924. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक औसत भारतीय व्यस्क व्यक्ति के उपभोग का स्तर पोषाहार की आवश्यकता से बहुत नीचे है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न, दालों, खाद्य तेलों, सब्जियों, फलों, दूध, चीनी, मछली, मांस और अण्डों जैसी मुख्य पौष्टिक तत्वों की प्रति व्यस्क व्यक्ति औसत दैनिक आवश्यकता कितनी है तथा वास्तविक खपत कितनी है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) राष्ट्रीय पोषण मोनीटरिंग ब्यूरो के जरिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों के अनुसार औसत प्रौढ़ भारतीय द्वारा ली जाने वाली कैलोरी सिफारिश की गई कैलोरी की तुलना में कम है। तथापि, लिया जाने वाला प्रोटीन उतना ही है जितने की सिफारिश की गई है।

(ख) विभिन्न खाद्यों की प्रतिदिन की औसत आवश्यकता और खपत को नीचे दिया गया है :—

| खाद्य | सिफारिश की गई अधिकतम मात्रा (भा० चि० अ० संस्थान) (प्रतिदिन की औसत आवश्यकता) ग्राम | औसत उपभोग ग्राम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| गेहूं | 460 | 498 |
| दालें | 40 | 30 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| साग-पात | 40 | 23 |
| अन्य सब्जियां | 60 | 53 |
| कन्द-मूल | 50 | 47 |
| फूल | — | 21 |
| मछली, मास | * | 15 |
| दूध | 150 | 78 |
| बसा और तेल | 40 | 10 |
| चीनी और गुड़ | 30 | 21 |

*सामिष आहार में दालों को 50 प्रतिशत कम किया जा सकता है और इसकी जगह एक अण्डा या 30 ग्राम मांस, मछली तथा 5 ग्राम बसा या तेल और लें।

**विमान दुर्घटनाएं रोकने के उपाय**

925. **श्री राम धन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान दुर्घटनाओं में चालकों की मृत्यु की घटनाओं में वर्ष 1982 से काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनायें रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) मृतकों के निकट सम्बन्धियों को शीघ्र राहत देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विमान दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, विभिन्न जांचों के परिणामस्वरूप की गई सुरक्षा सिफारिशों पर विचार किया जाता है और इसका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाता है। समय-समय पर विमान सुरक्षा परिपत्र/बुलेटिन भी जारी किये जाते हैं।

(ग) सम्बन्धित सेवा शर्तों और नियमों के अनुसार सम्बन्धित प्रचालकों द्वारा मृत व्यक्तियों के निकटस्थ परिजनों को मुआवजे का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

**उड़ीसा में बेहतर रेलवे नेटवर्क**

926. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में शीघ्र ही एक बेहतर रेलवे नेटवर्क स्थापित किया जायेगा, जिसमें सभी जिलों का एक दूसरे से रेल सम्पर्क कायम होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित नयी रेल लाइने संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्रगति पर हैं :

(1) कोरापुट—रायगडा

(2) तालचेर—सम्बलपुर

खोरधा रोड-बोलंगीर नयी बड़ी लाइन की लागत, प्रत्याशित यातायात तथा वित्तीय प्रतिफल निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इस परियोजना के बारे में आगे विनिश्चय किया जायेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता**

927. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 1986 तक कितने विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के अधिनियमों अथवा राज्य विधान मण्डलों के अन्तर्गत की जाती है और उन्हें आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, 17 जून, 1971 के बाद स्थापित विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योग्य घोषित किया जाएगा। इस समय 132 विश्वविद्यालयों में से 13 को अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योग्य घोषित किया जाना है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**मद्रास से पूर्व और पश्चिम की ओर मालवाहक विमान सेवा**

928. **श्री पी० कुलनवईवेलू** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु से हथकरघा उत्पादों को ले जाने के लिए मद्रास से पूर्व और पश्चिम की ओर अधिक मालवाहक विमान सेवा का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए एयर इण्डिया की चार्टर्ड विमान सेवा का भी प्रस्ताव है?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू)** : (क) और (ख) जी, नहीं।

**लेह में नागरिक विमान टर्मिनल का भवन**

929. **श्री पी० नामग्याल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह में नागरिक विमान टर्मिनल की इमारत कब तक तैयार की गई थी और इसे अब तक राज्य के लोक निर्माण विभाग से, जिसने इसका निर्माण कार्य अपने हाथ में लिया है, अपने अधिकार में क्यों नहीं लिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि लेह में पुरानी निसान किस्म की झोंपड़ियां और टर्मिनल की इमारतें जल, बिजली और शौचालय आदि के बिना जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं;

(ग) यदि हां, क्या सरकार का विचार इस इमारत को अपने हाथ में लेने और इस टर्मिनल को शीघ्र नई टर्मिनल की इमारत में स्थानान्तरित करने का है ताकि यात्रियों को कुछ आराम मिले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) नया अन्तस्थ भवन अक्तूबर, 1985 में बनकर पूरा हो गया था। परन्तु इसे राज्य के लोक निर्माण विभाग से नहीं लिया जा सका क्योंकि बिजली सम्बन्धी कार्य जो एम० ई० एस० द्वारा किये जा रहे हैं, अभी पूरे किए जाने हैं।

(ख) जी, हां। पुरानी निसान प्रकार की कुटीर सन्तोषजनक स्थिति में नहीं हैं। तथापि, बिजली और शौचालय उपलब्ध हैं और जल की आपूर्ति मिट्टी के बर्तनों से की जाती है।

(ग) और (घ) एम० ई० एस० द्वारा बिजली की आपूर्ति कर दिए जाने के बाद इस भवन को लेने और टर्मिनल भवन में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी।

**कान्हा सिंचाई परियोजना**

930. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कान्हा सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) इस परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुल कितनी हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई जा सकती है; और

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सरकारों ने अभी तक केन्द्र को परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(ख) और (ग) ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

**जल परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब**

931. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दि० 16 जून, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "सेंटर फ्लेड फौर डिले इन वाटर प्रोजेक्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दक्षिणी राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों के सम्मेलन के दौरान केन्द्र पर परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब करने का आरोप लगाया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन में, कुछ राज्यों ने केन्द्र द्वारा कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब का उल्लेख किया था तथा उन्हें यह बताया गया था कि यह मुख्यतया उनके द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करने में विलम्ब के कारण हुआ ।

**परमाणु विद्युत संयंत्रों के पास ल्यूकीमियां की बढ़ती घटनाएं**

932. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि परमाणु विद्युत संयंत्रों के आस पास ल्यूकीमियां की घटनाएं बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निवारक उपाय करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) सरकार को इस लक्ष्य की जानकारी है कि वायु में विकिरण प्रदूषण होने के परिणामस्वरूप ल्यूकीमियां की घटनाएं हो सकती हैं । यदि परमाणु विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए जाते तो इनके आस-पास ल्यूकीमियां होने की घटनाओं की सम्भावना होती है । वैसे, भारत के परमाणु विद्युत संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्रों में इस रोग की अधिक घटनाएं होने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई में एक विकिरण सुरक्षा प्रभाग कार्य कर रहा है जो विकिरण सुरक्षा से सम्बन्धित सभी पहलुओं का ध्यान रखता है ।

**"एड्स" रोग के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशानिर्देश**

933. **श्री मुरलीधर माने** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में "एड्स" रोग से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु होने के समाचार मिले हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने इस घातक रोग का पता लगाने और तत्पश्चात रोगियों का उपचार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या अस्पतालों के कर्मचारियों को "एड्स" रोग लग जाने के खतरे को रोकने हेतु "एड्स" के रोगियों के उपचार की विधि के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, हां, । एड्स के कारण महाराष्ट्र में केवल एक मृत्यु होने की सूचना मिली है । एक 55 वर्षीय रोगी (पुरुष) जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में केरानरी बाड-पास सर्जरी के दौरान रक्त चढ़वाया था, बम्बई के एक अस्पताल में भर्ती हुआ था । एलिसा तथा वेस्टर्न ब्लाट दोनों द्वारा उसके रक्त में एड्स के लक्षण पाए गए । करपास स्लाइड टेस्ट में भी रोग के लक्षण पाए गए थे ।

(ख) एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस रोग को रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अधीन अब तक जो महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. एड्स क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र के बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

2. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/एस० टी० डी० क्लीनिकों को एड्स का पताल लगाने के लिए सतर्क कर दिया गया हैं ।

3. सभी ब्लड बैंकों को पेशेवर रक्त दाताओं की जांच करने के लिए हिदायतें दे दी गई हैं ।

4. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और क्लिनिकों में विसंक्रमण (स्टेरिलाइजेशन) के तरीकों का कड़ाई से पालन हो रहा है और वे जहां तक सम्भव हो, पूर्व विसंक्रमित (प्री-स्टेरिलाइज्ड) डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं ।

5. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को स्वास्थ्य परिचर्य कार्मिकों के लिए दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं ।

6. एड्स, इसकी प्रकृति, फैलने तथा रोकथाम पर लोगों को शिक्षित करते के कार्य में सभी जन प्रचार के साधनों को लगा गिया गया है ।

(ग) जी, हां ।

[हिन्दी]

**उत्तरी बिहार में विमान सेवा रद्द करना**

934. **श्री राम भगत पासवान** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बिहार के विभिन्न जिला मुख्यालयों में बड़े-बड़े हवाई अड्डे होने के बावजूद वहां विमान सेवा पूर्णतः रद्द कर दी गई है;

(ख) क्या सरकार का दरभंगा कमिश्नरी के लिये सप्ताह में दो बार विमान सेवायें प्रारम्भ करने का विचार है ताकि इस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास हो सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) इंडियन एयरलाइन्स बिहार में पटना और रांची के लिए विमान सेवाओं का परिचालन कर रही है अभी हाल में इंडियन एयरलाइन्स ने बिहार में किसी स्टेशन के लिए सेवा को बन्द नहीं किया है।

वायुदूत वर्ष 1982-83 में उत्तरी बिहार में पटना-मुजफ्फरपुर उड़ान का परिचालन कर रही थी। गंगा नदी पर पुल के चालू हो जाने के कारण सड़क के रास्ते, समय की बचत होने के कारण, यात्री यातायात भार इतना कम हो गया जिससे इस सेवा को वापस लेना आवश्यक हो गया।

(ख) और (ग) विमान क्षमता की कमी और भूमि सुविधाओं और अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त निधियों के उपलब्ध न होने के कारण, वायुदूत की चालू योजना अवधि के दौरान बिहार राज्य में केवल धनबाद, गया और पूर्णिया को ही विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

**खेल सहायता-वक्त से मुकाबला दौड़ के सम्बन्ध में ब्यौरा**

935. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की राजधानियों में आयोजित "वक्त से मुकाबला दौड़" का भाग लेने वाले पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की राज्य-वार संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अभियान पर राज्य-वार कुल कितना व्यय हुआ और इससे चन्दे आदि के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) अभियान के दौरान यदि कोई दुर्घटना, विचित्र बात आदि हुई तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)** : (क) से (ग) सूखे से पीड़ित अफ्रीकी देशों के साथ सहानुभूति प्रकट करने और अफ्रीकी बच्चों की सहायता करने हेतु धन इकट्ठा करने के लिए यूनीसेफ से आह्वान के अनुसरण में भारत सरकार ने अपनी ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण को केन्द्रीय (नोडल) एजेन्सी के रूप में भारत में खेल सहायता कार्यक्रम जिसे "रेस अगेंस्ट टाइम" के रूप में भी माना गया है, के आयोजन में यूनीसेफ को सहायता करने हेतु नामित किया था। अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न शहरों में हुई दौड़ के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल सहायता के संदर्भ में 71,580रुपये का खर्च वहन किया था। इसमें से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक राज्य सरकार को 15,000 रुपए उपलब्ध कराए गए थे। 11,580

रुपए की शेष राशि सीधे तौर पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई थी। किसी भी अन्य राज्य सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण से कोई सहायता नहीं मांगी थी। 17-7-86 के अनुसार यूनीसेफ की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण को 45.56 लाख रुपए का अंशदान प्राप्त हुआ था। भारतीक खेल प्राधिकरण ने सूचित किया है कि खेल सहायता के संदर्भ में कोई भी मुख्य दुर्घटना अथवा अनोखी घटना का मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

विवरण

| क्रम सं० | लोगों की लगभग संख्या जिन्होंने भाग लिया था |
|---|---|
| 1 2 | 3 |
| 1. श्रीनगर (जम्मू और काश्मीर) | 6,000 |
| 2. चण्डीगढ़ (पंजाब) | 8,000 |
| 3. गौहाटी (असम) | 2,000 |
| 4. अमरावती (महाराष्ट्र) | 4,000 |
| 5. बम्बई (महाराष्ट्र) | 4,000 |
| 6. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) | 10,000 |
| 7. बंगलौर (कर्नाटक) | 8,000 |
| 8. मद्रास (तमिलनाडु) | 10,000 |
| 9. दिल्ली | 4,550 |
| 10. रतलाम (मध्य प्रदेश) | 500 |
| 11. ग्वालियर (मध्य प्रदेश) | सूचित नहीं किया है। |
| 12. हिसार (हरियाणा) | 300 |
| 13. हजारीबाग (बिहार) | सूचित नहीं किया है। |
| 14. रांची (बिहार) | 800 |
| 15. लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | 1,000 |
| 16. शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 10,000 |
| 17. कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) | 7,000 |
| 18. कोचीन (केरल) | 2,500 |
| 19. शिलांग (मेघालय) | 400 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20. | निम्नलिखित संगठन/संस्थाओं ने भी आयोजन किया था और अंशदान दिया था : | |
| | (1) 506 आर्मी बेस वर्कशाप आगरा कैंट | सूचित नहीं किया है , |
| | (2) इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्सटाइल टेक्नोलोजी, चौधवार (उड़ीसा) | सूचित नहीं किया है |
| | (3) रोटरैक्ट क्लब, कटनी | सूचित नहीं किया है |
| | (4) रौटरी इण्टरनेशनल, रतलाम | सूचित नहीं किया है |
| | (5) साउथ इस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन, रायपुर (मध्य प्रदेश) | सूचित नहीं किया है |

[हिन्दी]

**नकली दवाओं के लिए उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति**

937. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दवाओं की किस्म घटिया होने के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली हानि के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (ग) जहां तक औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का सम्बन्ध है, उपभोक्ताओं को घटिया किस्म की औषधों की वजह से हुई हानि का मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

[अनुवाद]

**नई किस्म के वैगनों तथा पहियों के सेटों की खरीद**

938. **श्री शरद दिघे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलवे का विचार नए प्रकार के कितने वैगन प्राप्त करने का है; और

(ख) इस कार्यक्रम के लिए पहियों के कितने सेटों की आवश्यकता है और रेलवे का उन्हें किस प्रकार खरीदने का विचार है?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया))** : (क) बी० सी० एन० के 2600 और बी० ओ० बी० आर० के 330 मालडिब्बों (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से) का निर्माण पहली बार किया जा रहा है जिनको 1986-87 के दौरान प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस वर्ष के दौरान बी० सी० एन०, बी० ओ० बी० आर० माल डिब्बों के लिए 22.9 टन के लगभग 30,000 पहिया सेटों की आवश्यकता है और ऐसे पहिया सेट अन्य किस्म के माल डिब्बों के लिए भी अपेक्षित हैं। इसकी थोक मात्रा रेलवे के उत्पादन यूनिट-पहिया और धुरा संयंत्र, बेंगलुरू से प्राप्त की जाएगी और शेष को आयात से पूरा किया जाएगा।

**कम्प्यूटरीकृत रेलवे सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए स्वाय निकायत**

939. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ने कम्प्यूटरीकृत रेलवे सूचना प्रणाली तथा सम्बद्ध दूर-संचार नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत निकाय बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड देश में अत्याधुनिक कम्प्यूटर प्रणाली को चलाने के लिए बाहर से विशेषज्ञों को तुला रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस अत्याधुनिक प्रणाली को चलाने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी हां। रेल विभाग ने रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (सी० आर० आई० एस०) नामक एक संस्था बनाई है, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत करा लिया गया है। इस संस्था को माल गाड़ी परिचालन परियोजना के विकास और कार्यान्वयन का कार्य, सम्बद्ध दूर-संचार तन्त्र सहित सौंपा जाएगा।

(ख) दिसम्बर, 1932 में तैयार की गई परियोजना पर 520 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया था जिसमें 170 करोड़ रुपए कम्प्यूटर खण्ड के लिए और 350 करोड़ रुपए दूर-संचार खण्ड के लिए थे।

(ग) और (घ) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र को विनियोजित परामर्शदाता फर्मों के अलावा समय-समय पर जरूरत पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञों को नियोजित करने की भी स्वतन्त्रता होगी।

इस संस्था के कार्यकारी निदेशक, निदेशकों और सलाहकारों की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने हेतु एक विज्ञापन देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में हाल में छपा है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बम्बई पत्तन में भीड़भाड़**

940. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन में भीड़भाड़ है और जहाजों को तट पाने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो भीड़भाड़ को कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

**मुहाने बांध और पुन-पुन सिंचाई परियोजनाएं**

941. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य की मुहाने बांध और पुन-पुन दरहा सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त परियोजना को शामिल करने की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग ने इन दो परियोजनाओं पर अपनी कुछ टिप्पणियां भेजी हैं तथा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना उनकी शीघ्र अनुपालना पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

**परिवार नियोजन के लिए नई योजना**

942. **श्री लक्ष्मण मलिक :**
**श्री आर० एस० माने :**
**श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के निदेशों के अनुसार, सरकार ने अगले 14 वर्षों के लिए निर्धारित

लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन से अधिकतम फायदा उठाने के लिए और अधिक लोगों द्वारा उसे अपनाने में तेजी लाने के लिए नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम की नई कार्यनीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस नई कार्यनीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1. परिवार कल्याण तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के बीच बहु-क्षेत्रीय संबंध विकसित करना;

2. सूचना, शिक्षा एवं संचार सम्बन्धी कार्यकलापों को व्यावसायिक बनाना;

3. जन समितियां गठित करके लोगों की पूरी सहभागिता सुनिश्चित करना;

4. कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार लाना और क्षेत्र विशेष एवं वर्ग विशेष के अनुसार दृष्टिकोण अपनाना; और

5. सेवाओं की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार करना।

**एयर इण्डिया के जम्बो जेट कनिष्क विमान की दुर्घटना सम्बन्धी कूपाल आयोग की रिपोर्ट**

943. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के जम्बो जेट कनिष्क विमान की दुर्घटना सम्बन्धी कूपाल आयोग की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने का विचार है;

(ख) दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों, निकट सम्बन्धियों ने कुल कितने मुआवजे का दावा किया है; और

(ग) उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) यह सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम परिजनों ने अपने दावों को प्रस्तुत करते समय किसी विशिष्ट राशि का दावा नहीं किया है। विमान वहन अधिनियम, 1972 के अधीन देय मुआवजे की सीमा प्रति यात्री 20,000 अमरीकी डालर निर्धारित की गई है। तथापि, एयर इण्डिया सहित कुछ बड़ी एयरलाइनों ने यह सीमा बढ़ाकर 75,000 अमरीकी डालर तक कर दी है। प्रत्येक मामले में इस सीमा के अन्दर देय वास्तविक मुआवजे की राशि का निर्धारण, दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की आयु, अर्जन क्षमता, हैसियत और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, विमान वहन अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित परिवार के सदस्यों को हुई आर्थिक हानि का सामान्य नियमों और कानूनों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाएगा। कर्मीदल निगम की स्व-बीमा योजना के अधीन निम्नलिखित सीमा तक मुआवजे के पात्र हैं :

(1) कमाण्डर 2,25,000 रुपए

(2) प्रथम अधिकारी 2,00,000 रुपए

(3) फ्लाइट इन्जीनियर 1,75,000 रुपए

(4) केबिन कर्मीदल 1,20,000 रुपए

ड्यूटी पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर कर्मीदल मूल वेतन से 60 गुना अतिरिक्त मुआवजा पाने का पात्र होता है।

**भारतीय नौवहन निगम द्वारा कण्टेनर सेवा को कलकत्ता पत्तन से हल्दिया पत्तन को ले जाया जाना**

944, **श्री नारायण चौबे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने अपनी सम्पूर्ण "कण्टेनर सेवा" को कलकत्ता पत्तन से हल्दिया पत्तन को ले जाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास कलकत्ता पत्तन की नेताजी सुभाष गोदी के "डी" घाट के पीछे पूर्ण विकसित "कण्टेनर टर्मिनल" और "कण्टेनर फ्रेट स्टेट" स्थापित कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो नयी क्षमता पैदा करने का उद्देश्य क्या है जबकि वर्तमान कण्टेनर सेवा को धीरे-धीरे इस पत्तन से हटाया जा रहा है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम अधिकांश आयात-व्यापार और गुवाहटी स्थित अन्तर्देशीय कण्टेनर डिपो से चाय के निर्यात के लिए हल्दिया स्थित कण्टेनर हैंडलिंग सुविधाओं का उपयोग करता है। तथापि आयात का कुछ भाग और गुवाहटी स्थित अन्तर्देशीय कण्टेनर डिपो से चाय के आवागमन को छोड़कर सभी निर्यात कार्गो सिर्फ कलकत्ता पोर्ट पर हैंडल किए जाते हैं। भारतीय नौवहन निगम द्वारा अधिकांश आयात व्यापार को हैंडल करने के लिए हल्दिया पोर्ट का उपयोग करने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) हल्दिया में कण्टेनर टर्मिनल के साथ-साथ कण्टेनर हैंडल करने की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(2) बेहतर उत्पादकता।

(3) हैंडल करने की दर कम है।

(4) बेहतर डुबाव आदि।

(ग) कलकत्ता पोर्ट में (1) 2 कण्टेनर यार्ड क्रेन (2) कण्टेनर पार्क (3) कण्टेनर फ्रेट स्टेशन और (4) सड़क, बिजली, कारखाना, जल सप्लाई आदि जैसी सेवा-सम्बन्धी सुविधाओं के साथ-साथ कण्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं लगाने की एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) जैसाकि उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, कण्टेनर प्रचालन के केवल कुछ अंश कलकत्ता से हल्दिया ले जाए गए हैं और उपर्युक्त के कारण कलकत्ता में लगाई जा रही कण्टेनर हैंडलिंग सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

**विदेशों में एयर इण्डिया के जनरल बिक्री एजेण्ट**

945. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में एयर इण्डिया के जनरल बिक्री एजेन्टों के नाम क्या हैं तथा उनका अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति की तारीख, ठेके की चालू अवधि तथा एजेन्सी की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या एयर इण्डिया ने कुछ देशों में जनरल बिक्री एजेन्ट न रखने तथा उनके स्थान पर टिकेटिंग एजेन्ट रखने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा टिकेटिंग एजेन्टों के लिए क्या शर्तें हैं ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) सामान्य बिक्री एजेन्टों की नियुक्ति की मानक शर्तों में, सामान्य बिक्री एजेन्टों के क्षेत्र, उनके मुख्य कार्य, उनके साथ ठेके को समाप्त करने के नोटिस की अवधि, कमीशन की अदायगी और ऐसी ही अन्य मदें शामिल हैं। एयर इण्डिया द्वारा विभिन्न देशों में नियुक्त सामान्य बिक्री एजेन्टों के नाम और अन्य विवरण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। जहां तक ठेके की अवधि का सम्बन्ध है, ऐसी कोई पूर्व निर्धारित ठेके की अवधि निश्चित नहीं है। किसी भी पक्ष द्वारा ठेके को समाप्त किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी समाप्ति के नोटिस की अवधि, करार में निर्दिष्ट ऐसी समाप्ति की अवधि के अनुरूप हो।

(ख) और (ग) इस आशय का कोई निर्णय नहीं है कि एयर इण्डिया किन्हीं विशेष देशों में सामान्य बिक्री एजेन्ट नियुक्त नहीं करेगी। सामान्य बिक्री एजेन्टों की नियुक्ति का निर्णय उन विभिन्न देशों में मौजूद प्रतिस्पद्धात्मक स्थिति के अनुसार लिया जाता है, जहां एयर इण्डिया के वाणिज्यिक हित निहित हैं। एयर इण्डिया विश्व व्यापी स्तर पर "आयटा" द्वारा अनुमोदित यात्रा एजेन्टों के साथ भी कारोबार चलाती है।

**विवरण**

**विभिन्न देशों में एयर इण्डिया के सामान्य विक्रय एजेन्टों के नाम और अन्य ब्यौरे**

| क्रम संख्या | स्टेशन | सामान्य विक्रय एजेंट का नाम | नियुक्ति की तारीख | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आबू धाबी | आबू धाबी ट्रेवल ब्यूरो | 16-10-67 | आबू धाबी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | अफगानिस्तान | इंडियन एयरलाइन्स | 18-2-57 | अफगानिस्तान |
| 3. | आजमन | गलाडरी ट्रैवल एजेन्सी | 12-9-84 (2 वर्ष के लिए) | आजमन |
| 4. | अल्जीरियन रिपब्लिक | एयर अल्जीरी | 1-4-68 | अल्जीरियन रिपब्लिक |
| 5. | अल फुजैराह एमिरेट | फुजैराह नेशनल एयर ट्रैवल एजेंसी | 1-5-83 | एमिरेट्स आफ फुजैराह |
| 6. | आस्ट्रिया | आस्ट्रियन एयरलाइन्स | 1-8-59 | आस्ट्रिया |
| 7. | बहरीन | कानू ट्रैवल एजेन्सी | 1-2-83 | बहरीन |
| 8. | बोट्सवना | एयर बोट्सवना | 1-6-84 | बोट्सवना |
| 9. | बल्गारिया | बल्गारियन एयरलाइन्स (बालकन) | 1-2-62 | बल्गारिया |
| 10. | बर्मा | बर्मा एयरवेज कारपोरेशन | 29-10-63 | बर्मा |
| 11. | बुरुन्डी | सबेना | 1-10-55 | बुरुन्डी |
| 12. | कैमरून | एयर अफ्रीक | 15-7-65 | कैमरून |
| 13. | कनाडा | चैलैसे होल्डिंग्स (कनाड़ा) लिमिटेड | 1-4-84 | कनाडा |
| 14. | चीन | सी० ए० ए० सी० | 1-2-85 | पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना |
| 15. | सैन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | सैन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक |
| 16. | कांगो | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | कांगो |
| 17. | साइप्रस | लोइजाइड्स ब्रदर्स | 1-7-59 | साइप्रस |
| 18. | चेकोस्लोवाकिया | सी० एस० ए० | 1-1-68 | चेकोस्लोवाकिया |
| 19. | डाहेमी | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | डाहेमी |
| 20. | डेनमार्क | एस० ए० एस० | 31-10-62 | डेनमार्क |
| 21. | दुबई | दुबई नेशनल एयर ट्रैवल एजेंसी | 1-4-67 | दुबई |
| 22. | इथोपिया | इथोपियन एयरलाइन्स | 1-6-85 | इथोपिया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | फिजी आइसलैण्ड | एयर पैसिफिक | 1-9-72 | फिजी |
| 24. | फिनलैण्ड | फिनेअर ओ/वाई | 1-1-58 | फिनलैण्ड |
| 25. | फ्रांस (मैट्रोपोलिटन) | सोसाइटी डी फ्रेट ऐट डी सर्विसेज | 1-6-77 | एस० फ्रांस |
| 26. | फ्रांस (मैट्रोपोलिटन) | एयर फ्रांस | 1-6-62 | मैट्रोपोलिटन फ्रांस एक्सक्लूडिंग माडागास्कर |
| 27. | फ्रैंच टेरीटरीज आफ आफर्स एण्ड आइसस | सोसाइटी मेरीटाइम एल० सैवन एण्ड राइज | 1-9-64 | फ्रैंच सोमालीलैंड एण्ड डिजीबूटी |
| 28. | गावन | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | गावन |
| 29. | जाम्बिया | जाम्बिया एयरवेज | 3-10-78 | जाम्बिया |
| 30. | जर्मनी (डेमो० रेस० एण्ड ईस्ट बर्लिन) | इन्टरफ्लग | 1-9-63 | जी० डी० आर० बर्लिन |
| 31. | ग्रीक | एयरवोर्न कं० लिमि० | 1-7-82 | ग्रीक |
| 32. | गीनिया | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | गीनिया |
| 33. | हंगरी | हंगेरियन एयरलाइन्स | 1-6-56 | हंगरी |
| 34. | इन्डोनेशिया | जी० आई० ए० | 1-1-56 | जकार्ता |
| 35. | ईराक | बेबीलोन टूअर्स कं० | 1-7-76 | ईराक |
| 36. | आयरलैंड | आयर लिंगस यौरान्टा | 1-10-57 | आयरलैंड |
| 37. | ईटली | एस० आई० एम० ए० | 15-8-67 | ईटली<br>पैक्स :—एमीलिया, रोमागना पाइडमोन्ट वाल "डी" आओस्टा, लूम्बार्डी (इन्ड मिलन), फ्रीउली, वेनेजिआ, म्यूलिआ, वेनेजिआ इउगानिया, वेनेटो, ट्रेन्टिनो, अम्बरिआ, मार्च<br>कार्गो :—पाइडमोन्ट, लूबार्डी वेनेटो, फ्रीयूली वेनेजिआ, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | यूगानिया, वाल "डी" आओस्टा, टस्कनी, लीगूरिआ, लाजिओ, मार्चे, अम्बरिया, ट्रेंटीनो, आल्टो एडिज, इमिलिया रोमगने |
| 38. | लिक्विरा | दानी एण्ड कं० | 1-4-80 | लिक्विरा |
| 39. | आइवरी कोस्ट | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | आइवरी कोस्ट |
| 40. | जोर्डन | सेविला टूअर्स | 1-9-84 | जोर्डन |
| 41. | उत्तरी कोरिया | चोसन मिनहैंग | 29-6-76 | उत्तरी कोरिया |
| 42. | कुवैत | अल्घानिम ट्रैवल एजेन्सीज | 1-5-66 | कुवैत |
| 43. | कीनिया | कीनिया एयरवेज | 1-10-78 | कीनिया |
| 44. | लाइबेरिया | एयर लाइबेरिया | 1-2-75 | लाइबेरिया |
| 45. | लिचटेन्सटिन | स्विस एयर | 1-3-55 | स्वीटजरलैंड एण्ड लिचटेन्सटिन |
| 46. | माकाउ | सोसाइटी डी० टूरिजमो डाइवरसो-सिज डी० माकाउ सार्ल | 1-4-76 | माकाउ |
| 47. | माल्टा | आर० वजादा एन्टरप्राइसेस लिमि० | 1-1-80 | माल्टा एण्ड इट्स आइसलैंड |
| 48 | मालवी | एयर मालवी | 1-4-69 | मालवी |
| 49. | मलेशिया | सिल्वरक्रिस फ्रेट्स | 6-8-84 | एन० मलेशिया |
| 50. | मौरिटानिया | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | मौरिटानिया |
| 51. | मोरीशियस | एयर मारीशियस | 1-7-84 | मारीशियस |
| 52. | मैक्सिको | ऐरोनेव्स डी मैक्सिको | 1-3-68 | मैक्सिको |
| 53. | मोरोक्को | रॉयल एयर मोरोक | 1-9-59 | मोरोक्को |
| 54. | नेपाल | इण्डियन एयरलाइन्स | 18-2-57 | नेपाल |
| 55. | न्यूजीलैंड | एयर न्यूजीलैण्ड | 1-7-63 | न्यूजीलैंड (सामुआ) एण्ड कुक आइसलैंड फ्रैंच पोलिनीसिया |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 56. नाइगर | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | नाइगर |
| 57. ओमान सल्तनत आफ ओमान | ओमान यूनाइटेड एजेंसीज | 1-1-73 | मस्कट |
| 58. पाप न्यू गाइना | एयर न्यूगिनी | 15-2-74 | पाप न्यू गाइना |
| 59. फिलीपाइन आइसलैंड | फिलीपाइन एयरलाइन्स | 19-2-52 | रिपब्लिक ऑफ फिलीपाइन्स |
| 60. पोलैंड | पोलिश एयरलाइन्स | 1-1-69 | पोलैंड |
| 61. पुर्तगाल | ओपन एस० ए० आर० एल० | 1-8-84 | पुर्तगाल |
| 62. काटर | दर्विश ट्रैवल ब्यूरो | 1-7-58 | काटर |
| 63. रस-अल-खयाम | रस-अल-खयाम नेशनल एजेन्सी (रनाटा) | 15-10-78 | रस-अल-खयाम |
| 64. रूमानिया | रूमानियन एयरलाइन्स (टारोम) | 1-6-56 | रूमानिया |
| 65. समोया | पोलिनेशियन एयरलाइन्स लि० | 14-4-76 | इन्डिपेंडेंट वेस्टर्न समोया एण्ड स्टेट आफ अमेरिकन समोया |
| 66. शारजाह | कन्नू ट्रेवल एजेंसी | 1-5-71 | शारजाह |
| **साऊदी अरब** | | | |
| 67. बहरान | बहरान ट्रेवल एजेंसी | 28-3-82 | सऊदी अरब के पूर्वी प्रदेश |
| 68. रीयाद | रीयाद टूर्स एण्ड ट्रेवल सर्विसिज | 1-4-77 | रीयाद, सऊदी अरब के केन्द्रीय प्रदेश |
| 69. जद्दा | अरब विंग्स | 1-10-80 | पश्चिम सऊदी अरब |
| 70. सेनेगल | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | सेनेगल |
| 71. सेसलस | ट्रेवल सर्विसिज (सेसलस) लि० | 27-10-81 | सेसलस |
| 72. सीरा लीयोन | सीरा लीयोन एयर-वेज लि० | 1-4-64 | सीरा लीयोन |
| 73. सोमालिया | सोमाली एयरलाइन्स | 1-10-74 | सोमालिया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 74. | स्पेन | आइबेरिया | 1-6-65 | स्पेन |
| 75. | सूडान | इथोपियन एयरलाइन्स | 1-6-85 | सूडान |
| 76. | स्वीडन | एस० ए० एस० | 31-10-62 | स्वीडन |
| 77. | स्वीट्जरलैंड | स्वीस एयर | 1-3-55 | स्वीट्जरलैंड और लेचीस्टेन्स्टन |
| 78. | साऊथ आस्ट्रेलिया | आई० पी० ई० सी० एयर इण्टरनेशनल | 1-10-77 | दक्षिण आस्ट्रेलिया |
| 79. | थाईलैंड | एस० एस० ट्रेवल सर्विस लि० | 1-7-80 | थाईलैंड |
| 80. | ताइवान | चीन एयरलाइन्स | 1-1-70 | ताइवान |
| 81. | टचद | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | टचद |
| 82. | तोगो | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | तोगो |
| 83. | टोंगा | एयर पेसीफिक | 1-9-72 | टोंगा |
| 84. | ट्यूनिसिया | ट्यूनिस एयर | 1-12-61 | ट्यूनिसिया |
| 85. | तुर्की | तुर्क हवा योलारी ए० ओ० | 1-1-70 | तुर्की |
| 86. | उम्म-एल-कीवेन (यू० ए० ई०) | उम्म-एल-कीवेन नेशनल ट्रेवल एजेंसी | 1-4-80 | उम्म-एल-कीवेन |
| 87. | अपर वोल्टा | एयर अफ्रीकी | 15-7-65 | रिपब्लिक आफ अपर वोल्टा |
| 88. | यू० एस० एस० आर० | एरोफ्लोट | 1-4-79 | यू० एस० एस० आर० |
| 89. | वियतनाम | हांयकांग वियतनाम | 1-8-81 | वियतनाम |
| 90. | यमन अरब रिपब्लिक | स्वल ट्रेवल एण्ड टूरिज्म | 1-1-79 | यमन अरब रिपब्लिक |
| 91. | युगोसलेविया | युगोसलाव एयरलाइन्स (जाट) | 15-8-56 | युगोसलेविया |
| 92. | जाम्बिया | जाम्बिया एयरवेज | 15-7-69 | जाम्बिया (लुसाका चिपेट, लीविंग स्टून को छोड़कर) |
| 93. | जैरे | सबिना | 1-10-55 | जैरे |
| 94. | जिम्बाबे | एयर जिम्बाबे | 1-12-80 | जिम्बाबे |

[हिन्दी]

**देश में आधुनिकतम रेलवे वर्कशापों की स्थापना**

946. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में आधुनिकतम रेलवे वर्कशाप स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये वर्कशाप किन-किन स्थानों में स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी एक आधुनिक रेलवे वर्कशाप स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) निम्नलिखित नयी निर्माण इकाइयां/मरम्मत कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं :

1. डीजल रेल इंजनों के लिए कलपुर्जों के निर्माण तथा प्रमुख एसेम्बलियों और पूर्ण रेल इंजनों के पुनर्निर्माण के लिए पटियाला में डीजल कलपुर्जा कारखाना ।

2. सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए कपूरथला में सवारी डिब्बा कारखाना ।

3. लीफ पैराबोलिक स्प्रिंगों और क्वाइल स्प्रिंगों के निर्माण के लिए ग्वालियर में स्प्रिंग निर्माण संयन्त्र ।

4. मचेश्वर (भुवनेश्वर के निकट), तिरुपति तथा भोपाल में तीन (3) सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने ।

ये निर्माण इकाइयां/कारखाने निर्माण तथा मरम्मत कार्यों के लिए आधुनिक मशीनों तथा संयन्त्र से लैस होंगे ।

(ख) जी नहीं ।

(घ) निर्माण इकाइयों और मरम्मत कारखानों की स्थापना करने का विनिश्चय कार्य-भार तथा इस समय उपलब्ध क्षमता के आधार पर किया जाता है । सवारी डिब्बों और स्प्रिंगों के निर्माण तथा सवारी डिब्बों और रेल इंजनों की मरम्मत के लिए इस समय उपलब्ध क्षमता तथा स्थापित किए जा रहे कारखानों के पूरा हो जाने पर उपलब्ध होने वाली क्षमता पर्याप्त समझी जाती है । अतः बाराबंकी में एक कारखाना स्थापित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डाक्टरों के लिए विशेष सुविधाएं**

947. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति द्वारा हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डाक्टरों के लिए इस रिपोर्ट में कौन-सी विशेष सुविधाओं के सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने किस योजना का प्रस्ताव किया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (घ) चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट का आठवां अध्याय ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डाक्टरों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में है। चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट और इस समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णयों का एक विवरण लोक सभा पटल पर 2 मई, 1986 को पहले ही रखा जा चुका है।

[अनुवाद]

**"एड्स" की बीमारी की रोकथाम**

948. **श्री बी० तुलसी राम :**
**श्री गुरुदास कामत :**
**श्री आर० एस० माने :**
**प्रो० पी० जे० कुरियन :**
**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
**श्री नित्यानन्द प्रसाद मिश्र :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में "एड्स" के रोगियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी से पीड़ित रोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी है और यह बीमारी अब किन राज्यों में फैल रही है;

(ग) क्या इस बीमारी के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है; यदि हां तो उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) अब तक वेस्टर्न ब्लाट टेस्ट द्वारा 18 रोगियों में एड्स के संक्रमण होने का पक्के तौर पर पता चला है जो इस प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | — | 15 |
| महाराष्ट्र | — | 2 |
| आन्ध्र प्रदेश | — | 1 |

इन रोगियों में से 2 रोगियों को एड्स रोग हो गया है और एक रोगी में एड्स से सम्बन्धित जटिलता पैदा हुई है और शेष को अभी तक कोई क्लीनिकी रोग नहीं हुआ है।

(ग) महाराष्ट्र में केवल एक रोगी की मृत्यु हुई है।

(घ) (1) देश में एड्स का पता लगाने के लिए 12 निदान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, एड्स के लिए ऐसे 4 रेफरल केन्द्र भी खोले गए हैं जहां निदान की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(2) एड्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र के बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(3) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/एस० टी० डी० क्लीनिकों को एड्स का पता लगाने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

(4) सभी ब्लड बैंकों को पेशेवर रक्त दाताओं की जांच करने के लिए हिदायतें दे दी गई हैं।

(5) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और क्लिनिकों में विसंक्रमण (स्टेरिलाइजेशन) के तरीकों का कड़ाई से पालन हो रहा है और वे जहां तक संभव हो पूर्व-विसंक्रमित (प्री-स्टेरिलाइज्ड) डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

(6) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को स्वास्थ्य परिचार्या कार्मिकों के लिए दिशा निर्देश दिए गये हैं।

(7) एड्स, इसकी प्रकृति, फैलने तथा रोकथाम पर लोगों को शिक्षित करने के कार्य में सभी जनप्रचार के साधनों को लगा दिया गया है।

[हिन्दी]

**सूरत-बुसावल रेलवे लाइन पर व्यारा स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण**

949. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे, सूरत-बुसावल रेलवे लाइन पर व्यारा स्टेशन पर उपरिपुल के निर्माण की मांग की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस उपरिपुल के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है और इसकी अनुमति कब तक प्रदान कर दी जाएगी और निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) से (ग) रेलें वर्तमान व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों के साथ लागत की संयुक्त हिस्सेदारी के आधार पर करती हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा

लागत में अपना हिस्सा वहन करने की वचनबद्धता के साथ प्रयोजित करना अपेक्षित होता है। व्यारा स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने के लिए अभी तक गुजरात सरकार से रेलवे को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

**दिल्ली परिवहन की बसों में संवाहक द्वारा टिकट देना**

950. **श्री मो० महफूज अली खान** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली ही एक ऐसा महानगर है जहां दिल्ली परिवहन निगम की बसों में संवाहक उसके लिए निर्धारित सीट पर बैठकर यात्रियों को टिकट बांटते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रक्रिया को अपनाने के क्या कारण हैं, जिसके कारण यात्रियों को बहुत असुविधा होती है और बस के प्रवेश द्वार पर अत्यधिक भीड़ भाड़ और गड़बड़ी रहती है और महिलाओं से छेड़ छाड़ करने वालों तथा जेबकतरों अवसर मिलता है;

(ग) क्या सरकार का विचार विगत अनुभव को देखते हुए इस सम्पूर्ण व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए इसकी पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) यात्री ट्राफिक के विशेष स्वरूप, खास कर व्यस्त-समय में, और इसके फलस्वरूप बस में चलने-फिरने की जगह की कमी को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में प्रवेश द्वार पर कंडक्टर के बैठने की सीट की व्यवस्था चालू की गई है ताकि प्रत्येक यात्री द्वारा टिकट का खरीदा जाना सुनिश्चित हो सके।

(ग) और (घ) इस प्रणाली में पहले ही कुछ हद तक संशोधन किया जा चुका है। कंडक्टर के पास भीड़ को कम करने की दृष्टि से कंडक्टर के सामने वाली पंक्ति में 3 यात्रियों के बैठने वाली अन्तिम सीट को हटा कर टिकट लेने के लिए खड़े होने के स्थान से टिकट लेकर बस में आगे पहुंचने के स्थान तक जाने के रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है। इस संशोधन से बस में यात्रियों के चलने-फिरने के स्थान में सुधार हुआ है। इसके अलावा इस आशय के स्थायी निर्देश दिए गए हैं कि बसों के प्रारम्भिक स्थान से चलने से पहले एडवांस बुकर्स द्वारा अथवा बस के कंडक्टरों द्वारा पहले ही बुकिंग कर ली जाएगी।

[हिन्दी]

**दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा**

951. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल दुर्घटनाओं में मारे गये अथवा घायल हुए व्यक्तियों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रेल दुर्घटनाओं के मामलों में मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर देय मुआवजे की अधिकतम राशि मार्च, 1983 से 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गयी है। निर्धारित किस्म की चोट लगने से घायल व्यक्तियों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में भी तदनुरूपी वृद्धि की गयी है। पिछली बार इसकी पुनरीक्षा केवल तीन वर्ष पहले ही की गयी थी, अतः इसका पुनः पुनरीक्षा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

**राष्ट्रीय जल नीति**

952. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति प्रलेख का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

**प्राइवेट स्कूलों द्वारा शोषण को रोकना**

953. **श्री थम्पन थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्रों के शोषण को रोकने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रकार की योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को भी सम्बद्ध किया जायेगा ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा उनके अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नियंत्रित की जाती है। अन्य शैक्षित संस्थाओं की तरह प्राइवेट स्कूल भी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के नियंत्रण कानूनों के अन्तर्गत आते है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्रों का शोषण

किए जाने के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत हो तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा उनके नियमों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**प्रोत्साहनों की श्रेणीकृत प्रणाली का सुझाव**

954. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के एक अध्यक्ष दल ने नलबन्दी, नशबन्दी और लूप पहनने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन को श्रेणीकृत प्रणाली का सुझाव दिया है; और

(ख) इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) जी, हां ।

(ख) अनेक प्रोत्साहन योजनाएं विचाराधीन हैं । अध्ययन दल के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा ।

**केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति बिना शुरू की गई सिंचाई परियोजनाएं**

955. **श्री गुरुदास कामत** : क्या क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति लेना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना कोई सिंचाई परियोजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के मामलों में क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि परियोजनाएं जल संरक्षण तथा विनियमन की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हैं ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग) योजना में शामिल करने के लिए बृहद् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों को केन्द्र की स्वीकृति अपेक्षित होती है । तथापि, कभी-कभी राज्य केन्द्र की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्कीमों को हाथ में ले लेते हैं । योजना आयोग ने नियन्त्रण उपाय के रूप में परियोजना-वार निर्धारण आरम्भ किया है ।

**केरल में समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का क्रियान्वयन**

956. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जो समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन में सब से अधिक सफल हुए हैं;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान केरल राज्य में इस योजना के अन्तर्गत इन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के लिए केरल राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया है ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)** : (क) समेकित बाल विकास सेवा योजना के कई घटक हैं तथा इस सम्बन्ध में समग्र तुलना करना व्यवहार्य नहीं है ।

(ख) 61 परियोजनाओं की रिपोर्टों के अनुसार, 2.07 लाख बच्चों ने मार्च, 1987 में स्कूल-पूर्व शिक्षा पाई । 67 परियोजनाओं में 6.06 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं ने पूरक पोषाहार प्राप्त किया ।

(ग) 262.82 लाख रुपए (इसमें 20.41 लाख रुपए की खाद्य सामग्री शामिल है ।)

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 274 लाख रुपए ।

**मणिभद्र में महानदी पर बांध का निर्माण**

957. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मणिभद्र में महानदी पर बांध बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को, इस प्रस्ताव के विरुद्ध पश्चिमी उड़ीसा की जनता के तीव्र आक्रोश की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना में महानदी नदी पर 2370 मीटर लम्बे तथा 59 मीटर ऊंचे मिट्टी के बांध के निर्माण की परिकल्पना है जिससे जलाशय में 8400 क्यूबिक मीटर जल का सकल भंडारन होगा । इस पर 1103 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी तथा इससे 960 मेगावाट की प्रतिष्ठापित जल विद्युत क्षमता का लाभ प्राप्त होगा और 6.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान होगी। स्टेज-II के रूप में प्रस्तावित नहर प्रणाली की परियोजना रिपोर्ट अभी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है ।

(ग) और (घ) केन्द्र को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

**नर्सों के दर्जे की समीक्षा करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति**

958. **श्री के० वी० शंकर गौड़ा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नर्सों के दर्जे उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण सुविधाएं और उनके कार्य करने की परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस समिति के निदेश पद क्या होंगे और समिति कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (ग) देश में नर्सिंग के दर्जे, उनकी प्रशिक्षण सुविधाओं और उनके कार्य करने की परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने के बारे में सरकार ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

**फिल्मों में अश्लील दृश्य बीच में जोड़ देना**

959. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की रिपोर्टों की जानकारी है कि फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्में पास किए जाने के बाद उनमें अश्लील दृश्य बीच में जोड़े दिए जाते हैं;

(ख) क्या यह प्रक्रिया मलयालम फिल्मों में अधिकतर आम बात है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी फिल्मों का ब्यौरा क्या है और अवैध रूप से बीच में जोड़ने की प्रक्रियां को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा उनके प्रमाणन के बाद फिल्मों में आपत्तिजनक सामग्री के तथाकथित अन्तरवेशन से सम्बन्धित रिपोर्टें सरकार की नजर में अवश्य आती हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जो शिकायतें बोर्ड और सरकार को प्राप्त हुई हैं वे इनमें से अधिकांश मामले मलयालम फिल्मों से सम्बन्धित हैं ।

(ग) 1985 और 1986 के दौरान तथाकथित अन्तरवेशन से सम्बन्धित जिन शिकायतों पर अब तक बोर्ड और/अथवा सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है या की जा रही है वह निम्नलिखित फिल्मों से सम्बन्धित है :

(1) ओट्टायन (मलयालम)

(2) स्वर्ण गोपुराम (मलयालम)

(3) नुल्ली नोक्किकाये (मलयालम)

(4) पिडिकिट्टापुल्ली (मलयालम)

(5) उरूक्कू मनिश्यान (मलयालम)

(6) वेनजेन्स (मलयालम)

(7) वेट्टा (मलयालम)

(8) धूमम (मलयालम)

सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 के दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों की है। समय-समय पर केन्द्रीय सरकार और बोर्ड ने सेन्सरशिप उल्लंघनों (फिल्मों में अन्तरवेशनों सहित) से सम्बन्धित समस्या इन प्राधिकारियों की जानकारी में लाई है और उनकी ओर से और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत पर जोर दिया है। बोर्ड ने यह मामला फिल्म उद्योग संघों के साथ भी उठाया है और ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए उनका सहयोग मांगा है।

**दहेज के डर से शिशु बालिकाओं की हत्या**

960. **डा० दत्ता सामन्त :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में उसिलमपट्टी कल्लर समुदाय में दहेज के भार से बचने के लिए शिशु बालिकाओं की हत्या करना आम बात है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इस बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) :** (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा किए अध्ययन के आधार पर ऐसे संकेत मिले हैं कि मदुरै जिले के कल्लर और थोवर जैसे कुछ समुदाय, अपने परिवार में पहले ही एक या दो बच्चे होने पर बालिकाओं का पैदा होना अच्छा नहीं समझते, लिहाजा, नवजात बालिकाओं की हत्या दर काफी ऊंची है। ऐसे मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने तमिलनाडु समेकित पोषाहार कार्यक्रम, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, मुख्य मन्त्री पोषाहार कार्यक्रम, जैसी ऐजेंसियों को, इस बुराई को समाप्त करने के लिए गहन शिक्षात्मक कार्यक्रम चलाने के अनुदेश जारी किए हैं।

**महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों द्वारा परिवार नियोजन का प्रचार**

961. **श्री आर० एस० माने :**
**श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन तरीकों का सुधार के लिए जैसा कि चीन में किया जा रहा है, सरकार ने महिलाओं का स्वैच्छिक बल बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) सरकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछेक चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पहले पहल मार्गदर्शी आधार पर एक महिला स्वैच्छिक कोर बनाने की सम्भावना पर विचार कर रही है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्गदर्शी योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

**लम्बी दूरी वाली रेल गाड़ियों में गद्देदार शायिकायें**

962. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कम से कम लम्बी दूरी वाली रेलगाड़ियों के दूसरी श्रेणी के डिब्बों में वर्तमान लकड़ी की सीटों/शायिकाओं के स्थान पर गद्देदार सीटें/शायिकायें लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस कार्य पर कुल कितसी लागत आयेगी; और

(ग) सीटों/शायिकाओं को बदलने का यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) बिना गद्दी वाले 3 टियर सवारी डिब्बों में गद्दीदार शायिकाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) यह आंका गया है कि उक्त बदलाव कार्य पर लगभग 12.9 करोड़ रुपए की लागत आयेगी और यह आशा की जाती है कि यह कार्य 2-3 वर्षों के भीतर पूरा हो जायेगा ।

**अल्लेप्पी-कायनकुलम रेल लाइन के कार्य का पूरा होना**

963. **श्री के० कुन्हम्बू** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अल्लेप्पी-कायनकुलम रेल लाइन का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है;

(ख) इस पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) एक प्रतिशत ।

(ख) मार्च, 1986 तक का खर्च 78 लाख रुपए है और 1986-87 के लिये परिव्यय एक करोड़ रुपए है ।

(ग) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । यह एर्णाकुलम-अलेप्पी नयी लाइन का विस्तार है, जिसकी वर्तमान प्रगति 46 प्रतिशत है ।

**ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श प्राथमिक विद्यालय**

964. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श प्राथमिक विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या एक आदर्श कक्षा के लिए प्रति अध्यापक को कितने छात्र होने चाहिए तथा श्रव्य-दृश्य उपकरण आदि सम्बन्धी क्या आवश्यकता है; और

(ग) प्राथमिक कक्षाओं में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही :** (क) जी, नहीं।

(ख) अध्यापक-छात्र अनुपात तथा श्रव्य दृश्य उपकरणों के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गये हैं। राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन प्रायः प्रदत्त कक्षा की संख्या के लिए प्रदान किए जाने वाले अध्यापकों की संख्या और इसी प्रकार से अध्यापन सम्बन्धी सहायक साधनों के लिए कार्यकारी हिदायतों द्वारा मानदण्ड निर्धारित करते हैं।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा की देखभाल राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। कक्षाओं में बच्चों की भीड़ से बचने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अतिरिक्त कक्षाएं खोलना एक सतत कार्यक्रम है।

## आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

965. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की मिश्रित दो सिंचाई परियोजना के लिए ऋण सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश को, जिसे विश्व बैंक की सहायता की बहुत जरूरत है, 1985-86 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिये कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी; और

(ग) 1986-87 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश को विश्व बैंक सहायता प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :** (क) आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-दो परियोजना के लिए 140 मिलियन अमरीकी डालर के आई डी ए क्रेडिट तथा 13 मिलियन अमरीकी डालर के आई बी आर डी ऋण की पुष्टि हो गई है।

(ख) और (ग) परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता समयावधि के लिए प्रदान की जाती हैं ना कि वर्षवार। आन्ध्र प्रदेश सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए प्रदान की गई 145 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता 16-1-1986 तक प्रभावी रही तथा आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-दो परियोजना के लिए करार पर चालू वर्ष में हस्ताक्षर किए गए।

## राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें

966. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को कब भेजी गयी थी;

(ख) राज्य सरकारों ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए दिशानिर्देश तथा अनुदेश राज्य सरकारों को सितम्बर, 1981 में भेज दिए गये थे। ये राज्य सरकारों द्वारा जांच/कार्यान्वयन किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। इन सिफारिशों (207) में बाढ़ समस्या का सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल है जिसमें बाढ़ क्षति आंकने का तरीका, भूमि उपयोग तथा नियन्त्रण, भावी दृष्टिकोण, आयोजना, लागत/लाभ, वित्त व्यवस्था, बाढ़ नियन्त्रण उपायों का रख-रखाव इत्यादि सम्मिलित है।

[हिन्दी]

**बिलासपुर के आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्रों में नई रेलवे लाइन**

967. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बिलासपुर डिविजन से रेलवे विभाग को कितनी वार्षिक आय हुई;

(ख) बिलासपुर डिवीजन पर इस आय का कितने प्रतिशत व्यय किया गया; और

(ग) क्या बिलासपुर जिले के आदिवासी और हरिजन जनसंख्या बहुत क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो इन लाइनों से किन-किन स्थानों को जोड़ा जाएगा ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) चूंकि प्रत्येक मण्डल की आमदनी का अलग से संकलन नहीं किया जाता है, इसलिए मण्डल पर खर्च की गयी आमदनी का प्रतिशत नहीं निकाला जा सकता है।

(ग) मुनगेली और मांडला के रास्ते बिलासपुर से जबलपुर तक बड़े आमान की एक नयी लाइन के लिए टोह सर्वेक्षण का अनुमोदन कर दिया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर संसाधनों की, जिनकी फिलहाल अत्यधिक तंगी है, उपलब्धता के अनुसार इस परियोजना के बारे में आगे विनिश्चय किया जाएगा।

[अनुवाद]

**कलकत्ता हवाई अड्डे पर रुकने वाली एयर इंडिया की उड़ानें**

968. **श्री अमल दत्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व तथा पश्चिम के देशों को आने-जाने वाली एयर इंडिया की कितनी उड़ानें प्रति सप्ताह कलकत्ता हवाई अड्डे पर रुकती हैं और प्रत्येक मामले में वे कौन-कौन से मार्ग अपनाती हैं;

(ख) लन्दन से बम्बई होकर कलकत्ता के लिए उड़ानों की वर्तमान समय सारणी क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि लन्दन से बम्बई होकर कलकत्ता आने वाली उड़ान से कलकत्ता के यात्री 6 घण्टे या अधिक विलम्ब से पहुंचते हैं;

(घ) क्या उड़ानों की समय-सारणी में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है और कलकत्ता के यात्रियों को बहुत अधिक समय तक विमान की प्रतीक्षा करना आवश्यक होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अन्य एयरलाइन्स द्वारा अपनी उड़ानें रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप अन्तराल को दूर करने के उद्देश्य से कलकत्ता रुकने वाली एयर इंडिया की उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) अपेक्षित सूचना दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) एआई 132 लन्दन/रोम/दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता ।

(ग) लन्दन से उड़ान संख्या एआई 132 बम्बई में 1650 बजे आती है और कलकत्ता के लिए 1900 बजे प्रस्थान करती है ।

(घ) उड़ान की अनुसूची में परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे लन्दन से बम्बई की यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है ।

(ङ) यदि यातायात की मांग इतनी हो कि कलकत्ता से होकर एयर इंडिया की अतिरिक्त आवृत्तियों को बढ़ाना न्यायोचित है, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

**विवरण**

(क) एयर इंडिया कलकत्ता से होकर निम्नलिखित चार सेवाओं का परिचालन करती है:

1. एआई 103 मंगलवार—कलकत्ता/बम्बई/दुबई/लन्दन/न्यूयार्क ।
2. एआई 132 रविवार—लन्दन/रोम/दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता ।
3. एआई 316 मंगलवार—बम्बई/कलकत्ता/बैंकाक/हांगकांग/टोकियो ।
4. एआई 307 बुधवार—टोकियो/ओसाका/हांगकांग/बैंकाक/कलकत्ता/बम्बई ।

इसके अतिरिक्त, निम्न अनुसार कलकत्ता से होकर दो मालवाहक सेवाएं भी परिचालित की जा रही हैं :

एआई 194 सी मंगलवार—बम्बई/कलकत्ता ।

एआई 199 सी मंगलवार—कलकत्ता/मद्रास/बम्बई ।

**"सिंचाई, स्वास्थ्य और बाढ़ नियन्त्रण को" केन्द्रीय सूची में शामिल करना**

969. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिंचाई, जन स्वास्थ्य और बाढ़ नियन्त्रण को केन्द्रीय सूची में शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच उड़ानों की बारम्बारता में वृद्धि**

970. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**
**श्री लक्ष्मण मलिक :**

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच मौजूदा उड़ानों की बारम्बारता बढ़ाने और नई उड़ानें चालू करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच बढ़ते यातायात को पूरा करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) जी, हां । तथापि, क्षमता की कमी के कारण इस अनुरोध पर सहमति व्यक्त करना सम्भव नहीं पाया गया ।

(ख) त्रिवेन्द्रम और खाड़ी के विभिन्न देशों के बीच यातायात की मांग को पूरा करने के लिए, एयर इंडिया ने 1 जून, 1986 से त्रिवेन्द्रम के लिए अपनी प्रचालनों की आवृत्ति को प्रति सप्ताह आठ से बढ़ाकर नौ कर दिया है ।

**एक्युपंक्चर और तिब्बती औषधि प्रणाली का विकास**

971. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**
**डा० ए० के० पटेल :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक्युपंक्चर और तिब्बती औषधि प्रणाली का विकास करने की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित परियोजनाओं की रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या कुछ देशों में एक्युपंक्चर के चिकित्सा विज्ञान को मान्यता प्राप्त है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) इसे भारत में अब तक मान्यता क्यों नहीं दी गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तिब्बती चिकित्सा प्रणाली, एक्युपंक्चर आदि के विकास के लिए 25.00 (पच्चीस) लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) चीन की पारम्परिक चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल में लाई जाने वाली एक्युपंक्चर तकनीक का इस्तेमाल भारत सहित कुछेक देशों में किया जाता है। एक पद्धति के रूप में इस तकनीक की औपचारिक मान्यता की सूचना उपलब्ध नहीं है।

**उड़ीसा में मचेश्वर में रेल डिब्बा मरम्मत कार्यशाला**

972. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मचेश्वर में रेल डिब्बा मरम्मत कार्यशाला का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन अनुमानत: कुल कितने रेल डिब्बों की मरम्मत किये जाने का लक्ष्य है; और

(ग) इस मरम्मत कार्यशाला पर कुल कितना व्यय किया गया है?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) मचेश्वर में नये सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने की स्थापना के लिए निर्माण-कार्य प्रगति पर है। निर्माण-कार्य की समग्र वास्तविक प्रगति 60 प्रतिशत से अधिक है। कारखाने में अप्रैल, 83 में संक्षारण मरम्मत कार्य शुरू हो गया था और फरवरी, 1984 में पहली बार सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग की गई थी। 1985-86 के दौरान सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग का स्तर 60 यूनिट (चौपहियों के हिसाब से) प्रति माह है। सातवीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त साधन सामग्री से कारखाने की क्षमता 8 यूनिट (चौपहियों के हिसाब से) प्रतिदिन तक उत्तरोत्तर बढ़ा दी जाएगी, जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत लगभग 30.92 करोड़ रुपये हैं। 1985-86 के अन्त तक 22.42 करोड़ रुपये खर्च हो गये है। 1986-87 के दौरान इस परियोजना के लिए 6.03 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई हैं।

**रेलवे विभाग द्वारा कंकरीट और ढलवां लोहे के स्लीपरों का प्रयोग**

973. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ढलवां लोहे के स्लीपरों को कंकरीट के स्लीपरों में बड़ी तेजी से बदल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों तरह के स्लीपरों की मियाद कितनी-कितनी है और उनकी लागत कितनी है;

(ग) क्या इन सभी स्लीपरों की खरीद रेल प्रशासन द्वारा प्रति वर्ष उसकी नवीकरण तथा प्रतिस्थापन की आवश्यकता के अनुसार की जाती है अथवा इनकी खरीद रेलवे बोर्ड द्वारा की जाती है; और

(घ) गुणवत्ता और मानक स्तर की सामग्री का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु रेलवे द्वारा अपना निजी कंकरीट स्लीपर संयंत्र स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं। महत्वपूर्ण मार्गों पर कंक्रीट स्लीपरों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। पहले चरण में, कंक्रीट स्लीपरों के अधिक उपयोग से लकड़ी के स्लीपरों पर निर्भरता को कम किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सभी किस्म के स्लीपरों की खरीद केन्द्रीय रूप से रेलवे बोर्ड द्वारा की जाती है।

(घ) रेलवे क्षेत्र में बड़े आमान के कंक्रीट स्लीपरों के लिए दो और मीटर आमान के कंक्रीट स्लीपरों के लिए दो संयंत्र स्थापित किये गए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में एक और निजी क्षेत्र में 28 संयंत्र हैं। कड़े निरीक्षण द्वारा उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती हैं।

**दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों की पुनर्संज्जा के लिए विदेशी परामर्श**

974. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली के हवाई अड्डों को पुनर्संज्जित करने हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई विदेशी परामर्शदाता नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका नाम क्या है और इस परियोजना के लिए उसे कितना परिश्रमिक/शुल्क दिया जायेगा तथा उसके निष्पादन में कितना समय लगेगा ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सफदरजंग हवाई अड्डे से वायुदूत सेवा**

975. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डा, दिल्ली से वायुदूत शीघ्र ही यात्री उड़ानें शुरू कर रहा है;

(ख) यात्री वायुयानों के उतरने सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या विद्यमान रन-वे का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(घ) हवाई अड्डे पर अधिष्ठापित संकेतक, दूरी-मापक यंत्र और यांत्रिक अवतरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सफदरजंग हवाई अड्डे पर सभी सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है/की जानी हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वायुदूत का सफदरजंग विमान क्षेत्र से अनुसूचित उड़ानों का परिचालन शुरू करने का प्रस्ताव था। तथापि, इस विमान क्षेत्र पर पर्याप्त आधार-भूत सुविधाओं के अभाव में, अभी तक सेवाएं आरम्भ नहीं की जा सकीं।

(ख) अच्छे मौसम की स्थिति में परिचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं इस विमान क्षेत्र पर उपलब्ध हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) धावनपथ के पहुंच तथा उड़ान भरने वाले मार्ग पर व्यवधान के रहते हुए, इस विमान क्षेत्र से खराब मौसम की स्थिति में विमान का परिचालन नहीं किया जा सकता। अत: पूरे परिचालन को अच्छे मौसम की अवधि तक सीमित करना होगा। अत: इस विमान क्षेत्र पर रेडियो, दिक्चालन सुविधाएं तथा उपस्कर अवतरण प्रणाली की आवश्यकता नहीं होगी।

**भिवानी मेल का सांपला रेलवे स्टेशन पर रुकना**

976. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष से सांपला रेलवे स्टेशन पर भिवानी मेल का रुकना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सांपला की जनता की मांग पर इस स्टेशन पर गाड़ी का रुकना पुन: शुरू किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) जी हां। गाड़ी की गति बढ़ाने के उद्देश्य से 1.10.1985 से हाल्ट बन्द कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी नहीं, क्योंकि सांपला की जनता के लिए वैकल्पिक गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं।

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रांची विश्वविद्यालय को अनुदान**

977. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची विश्वविद्यालय को वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान अनुदान की कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास, रांची विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान देने के नए प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को वार्षिक आधार पर अनुदान आबंटित नहीं करता । विश्वविद्यालयों को अनुदान पांच वर्षीय योजना में अनुमोदित विकास योजनाओं और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर हुए खर्च की प्रगति के आधार पर संस्वीकृत किए जाते हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रांची विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैं :

| | |
|---|---|
| 1983-84 | 17.93 लाख रुपए |
| 1984-85 | 37.13 लाख रुपए |
| 1985-86 | 16.78 लाख रुपए |

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार आयोग के पास रांची विश्वविद्यालय का कोई भी प्रस्ताव अनिर्णित नहीं पड़ा हुआ है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

## सातवीं योजना के दौरान नये केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ

978. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान किन्हीं नये केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों की स्थाना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है तथा इन विद्यापीठों के कब तक स्थापित कर दिये जाने सम्भावना है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पांच केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है । वर्ष 1985-86 में लखनऊ में एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है । यह विद्यापीठ शैक्षिक सत्र 1986-87 से कार्य आरम्भ कर देगा । जहां तक दूसरे विद्यापीठों का सम्बन्ध है उनकी स्थापना के सही स्थान और तारीख का निर्णय यथासमय किया जाएगा ।

## भारत में रेलगाड़ियों को डीजल से चलाना

979. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कई रेलगाड़ियों को डीजल से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें डीजल से चलाना प्रारम्भ करने की तारीख सहित ऐसी रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सातवीं योजनावधि के शेष वर्षों के दौरान और अधिक रेलगाड़ियों को डीजल से चलाने की व्यवस्था करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार किया गया विस्तृत चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

980. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान आज तक संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता के लिए राज्यवार जिन संस्थाओं ने आवेदन किया है और जिन संस्थाओं को यह सहायता मंजूर की गई है उनके क्या नाम हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी राशि स्वीकार की गई है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2834/86]

**कन्याकुमारी-बम्बई जयन्ती रेलगाड़ी और हिमसागर एक्सप्रेस में भोजन (पैंट्री) यान**

981. **श्री टी० बशीर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी-बम्बई जयन्ती रेलगाड़ी और हिमसागर एक्सप्रेस में भोजन (पैंट्री) यान लगाए...ने की बहुत समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह व्यवस्था शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) से (ग) हिमसागर एक्सप्रेस गाड़ी में पैंट्री कार सेवा पहले से ही है । कन्याकुमारी-बम्बई जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी में पैंट्री कार लगाए जाने की मांग को, पैंट्री कारों की कमी और गाड़ी में स्थान की अनुपलब्धता के कारण, नहीं माना गया था ।

[हिन्दी]

**डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने हेतु मेडिकल कालेजों में योजना**

982 **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मेडिकल कालेजों में ऐसी योजना शुरू करने का विचार है जिससे प्रत्येक डाक्टर को डिग्री प्राप्त करने से पहले एक निश्चित अवधि तक किसी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (ग) भारतीय आयुविज्ञान परिषद ने फाइनल एम० बी० बी० एस० परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कोई छात्र डिग्री प्राप्त करने का पात्र बने इससे पहले छात्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में छह महीने की अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप करना पहले ही निर्धारित किया हुआ है।

[अनुवाद]

**कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना में लागत वृद्धि**

983. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना में कितनी लागत वृद्धि हुई है, इसका मूल अनुमान कितना था और वर्तमान संशोधित अनुमान क्या है;

(ख) शेष 6 किलोमीटर क्षेत्र में कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) मेट्रो परियोजना के पूरी तरह से तैयार होने के लिए लक्ष्य तिथि क्या निर्धारित की गई है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) दम-दम से टालीगंज तक मेट्रो रेल के निर्माण कार्य को 1972 में 140 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया था। आज के मूल्य स्तर पर इस परियोजना की अद्यतन लागत 833 करोड़ रुपए आंकी गयी है।

(ख) और (ग) यदि धनराशि उपलब्ध होती रही तो समूची परियोजना को दिसम्बर 1990 तक खोल देने का लक्ष्य है।

**भारत महोत्सव में कर्नाटक को प्रतिनिधित्व दिया जाना**

984. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव कार्यक्रम में कर्नाटक को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार के महोत्सवों में कर्नाटक के सांस्कृतिक कार्यक्रम को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

यक्षगान के अभिनय और सुप्रसिद्ध कन्नड़ फिल्में उत्सव कार्यक्रम का एक भाग थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

**सेंसर कार्यालयों द्वारा प्रमाणित फिल्मों की संख्या**

985. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान देश में विभिन्न सेंसर कार्यालयों द्वारा कितनी फिल्मों को प्रमाणित किया गया;

(ख) इनमें से, कितनी फिल्में बंगलौर के सेंसर कार्यालय द्वारा प्रमाणित की गई थी;

(ग) क्या बंगलौर कार्यालय में प्रमाणत्र देने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1-1-86 से 31-5-86 की अवधि के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 355 भारतीय फिल्में प्रमाणित की गई थी।

(ख) उपर्युक्त में से 28 फिल्में बोर्ड द्वारा बंगलौर के कार्यालय में प्रमाणित की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**शिक्षा क्षेत्र को रियायती मूल्य पर कागज की सप्लाई**

986. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़**
**श्री सी० माधव रेड्डी** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग शिक्षा क्षेत्र को रियायती मूल्य पर छपाई के सफेद कागज की निर्धारित मात्रा सप्लाई करने में असफल रहा है;

(ख) क्या छपाई के कागज की कम मात्रा सप्लाई किए जाने के कारण छात्र समुदाय को पाठ्य-पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं की उचित मूल्यों पर सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार को, छात्र समुदाय को पुस्तक विक्रेताओं से पाठ्य-पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाएं रियायती दर पर समय पर उपलब्ध न होने के बारे में शिक्षा संस्थाओं और आम जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रकों और अभ्यास-पुस्तिका निर्माताओ को छपाई के सफेद कागज की निर्धारित मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कागज नियन्त्रण आदेश में कुछ छूट देने अथवा उसके स्थान पर कोई नई योजना लाने तथा छपाई के सफेद कागज के मूल्य में वृद्धि करने का भी है?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) उद्योग मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सफेद मुद्रण कागज मुहैया करने के लिए पेपर मिलों को किया गया कुल आबंटन तथा पिछले तीन वर्षों में पेपर मिलों द्वारा की गई अनुमानित सप्लाई निम्नलिखित है:

| | आबंटन (टनों में) | की गई सप्लाई |
|---|---|---|
| 1983-84 | 1,26,000 | 88,280 (30-4-86 तक) |
| 1984-85 | 1,47,995 | 97,625 (31-5-86 तक) |
| 1985-86 | 1,37,705 | 56,073 (31-5-86 तक) |

आबंटनों के अन्तर्गत सप्लाई अभी भी जारी है।

(ख) और (ग) कुछ राज्य सरकारों ने मिलों द्वारा रियायती सफेद छपाई के कागज की कम सप्लाई के सम्बन्ध में इस विभाग को प्रत्यावेदन भेजे हैं। इससे इस कम सप्लाई का पाठ्यपुस्तकों और अभ्यास पुस्तकों की उपलब्धता पर किसी हद तक प्रभाव पड़ा है।

(घ) और (ङ) उद्योग मंत्रालय के अनुसार, जब कभी भी शिक्षा-क्षेत्र को किए गए आबंटनों के अन्तर्गत सफेद मुद्रण कागज की कम सप्लाई के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इस मामले को सम्बन्धित पेपर मिलों के साथ इस निर्देश के अनुसार उठाया जाता है कि सप्लाई समय पर पूरी की जानी चाहिए। सफेद मुद्रण कागज के उत्पादन की लागत में वृद्धि के सम्बन्ध में पेपर मिलों से प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर उनकी बी० आई० सी० पी० द्वारा मामले की जांच कराई गई थी और सफेद मुद्रण कागज के फैक्टरी के बाहर के मूल्य में 16-1-86 से 800/- रुपये प्रति-टन की वृद्धि की अनुमति दी गई थी। पेपर मिलों के प्रतिनिधियों (सरकारी तथा मन्त्रियों, दोनों स्तरों पर) के साथ समय-समय की बैठकें भी यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं कि आबंटियों को कागज की सप्लाई, आबंटनों से पिछड़ न जाये। हाल ही में, औद्योगिक विकास राज्य मन्त्री के साथ 12 जून, 1986 को हुई एक बैठक में, सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई के सम्बन्ध में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सांविधिक उत्तरदायित्व और सामाजिक प्रतिबद्धता को पूरा करने की आवश्यकता के बारे में पेपर मिलों पर दबाव डाला गया था। उद्योग को भी यह चेतावनी दी गई है कि सप्लाई में लगातार त्रुटि को गम्भीरता से लिया जाएगा।

## इलैक्ट्रानिकी संयंत्रों के माध्यम से शिक्षा

987. श्रीमती जयन्ती पटनायक । क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलैक्ट्रानिकी यंत्रों के माध्यम से जन शिक्षा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले चरण में कितने राज्य शामिल करने का विचार है;

(घ) इस कार्यक्रम पर कितना खर्च होगा;

(ङ) शिक्षकों को इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सीखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु क्या व्यवस्था की गई है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (च) यद्यपि इलैक्ट्रानिकी प्रणालियों के माध्यम से जन शिक्षा प्रदान करने का इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, फिर भी शिक्षा के समर्थन में रेडियो और दूरदर्शन जैसे जन संचार साधन का उपयोग किया जा रहा है । 5-11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सामान्य समृद्धि के शैक्षिक दूरदर्शन (ई० टी० वी०) कार्यक्रमों का आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में उपग्रह के माध्यम से सप्ताह में पांच दिन उनकी अपनी-अपनी सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषाओं में इस समय प्रसारित किए जा रहे हैं । हिन्दी में ई० टी० वी० कार्यक्रमों को भी चार अन्य हिन्दी भाषी राज्यों में प्रसारित किया जा रहा है । विश्वविद्यालय/कालेज छात्रों के लिए कार्यक्रम भी राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से रोजाना प्रसारित किये जा रहे हैं ।

## उड़ीसा में पोषक आहार की कमी

988. श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पोषक आहार की कमी वाले किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(ख) इस कमी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राष्ट्रीय पोषण मानिटरिंग ब्यूरो (भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्) ने उड़ीसा में एक और पोषक सर्वेक्षण किया था । वैसे, इस सर्वेक्षण ने क्षेत्रवार आंकड़ों का वर्गीकरण नहीं किया परन्तु ग्रामीण और शहरी लोगों द्वारा कितना पोषक आहार खाया जाता है, इसके बारे में इस सर्वेक्षण ने ब्यौरा दिया ।

(ख) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(1) एक से पांच वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को हर छह महीने बाद विटामिन "ए" खोल के 200,000 आई० यू० का वितरण करके, विटामिन "ए" की कमी के कारण बच्चों में होने वाली दृष्टिविहीनता को रोकने के लिए रोग निरोधी कार्यक्रम ।

(2) बच्चों और महिलाओं को आयरन और फालिक एसिड गोलियों का वितरण करके पौषणिक आरक्तता की रोकथाम करने का रोग निरोधी कार्यक्रम ।

(3) समेकित बाल विकास सेवा योजना पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, मां बनने वाली महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं, चुनिन्दा खण्डों के ग्रामीण आदिवासीय क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को एक ही स्थान पर सारी सेवाएं प्रदान करती है, जैसे पूरक पोषण रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा ।

(4) विशेष पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी गन्दी बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े ग्रामीणों क्षेत्रों में रहने वाले 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और मां बनने वाली महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है ।

(5) बालबाड़ी पोषण कार्यक्रम 3-5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है । बच्चों को पूरक पौष्टिक आहार दिया जाता है और बालबाड़ियों में बच्चों के समग्र विकास का भी ध्यान रखा जाता है ।

ये कार्यक्रम उड़ीसा राज्य में भी चलाए जा रहे हैं ।

**उड़ीसा में स्वास्थ्य केन्द्र तथा शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो**

989. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "शहरी गन्दी बस्तियों में दी जा रही सुविधाओं का पुनर्गठन—शहरी गन्दी बस्ती पुनर्गठन योजना" के अन्तर्गत कार्य दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उड़ीसा में कितने और किन-किन स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्र और शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो खोले गए हैं; और

(ख) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) शहरी नवीन योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के शहरों में 17 स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है, जो इस प्रकार है :—

भुवनेश्वर—5

कटक —6

रूरकेला —6

(ख) उड़ीसा सरकार से शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । 17 अनुमोदित स्वास्थ्य केन्द्रों में से 9 पुराने शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों को शहरी

स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत किया गया है तथा शहर की गन्दी बस्तियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या, परिवार कल्याण और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं की एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए 8 नये शहरी स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं।

**विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र**

990. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) उन प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं जो विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के उन गांवों में स्थापित होने चाहिए थे जहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बीस प्रतिशत से अधिक है और ऐसे स्थापित/कार्यशील उप-केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ग) विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत ऐसे उप-केन्द्रों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में अपेक्षित 383 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2557 उप-केन्द्रों में से 31-3-86 की स्थिति के अनुसार वहां 188 स्वास्थ्य केन्द्र और 1132 उप-केन्द्र खोले गए हैं। मौजूदा कार्यनीति के अनुसार सातवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा चरण-बद्ध ढंग से 20,000 आबादी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3000 आबादी के लिए उप-केन्द्र खोले जा रहे हैं। साधारणतया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 30,000 आबादी के लिए एक स्वास्थ्य केन्द्र और 5000 आबादी के लिए एक उप-केन्द्र खोला जाता है। राज्य सरकारों को यह दिशा-निर्देश जारी कर दिये गए हैं कि अनुसूचित जातियों की बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं से वंचन को ध्यान में रखते हुए सभी नये स्वास्थ्य केन्द्र/उप-केन्द्र उन ब्लाकों/गांवों में स्थित होने चाहिए जिनमें 20 प्रतिशत या इससे अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है।

(ग) 1985-86 और 1986-87 में उड़ीसा में उप-केन्द्र खोलने हेतु क्रमशः 12.93 लाख रुपये और 13 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसमें विशेष घटक योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले उप-केन्द्र भी शामिल हैं।

**नरेला के निकट फाटक पर बस-रेल में टक्कर**

991. **श्री सुभाष यादव** :

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 जून, 1986 को नरेला के निकट रेल फाटक पर दिल्ली परिवहन निगम की एक

बस के 178 डाउन झेलम एक्सप्रेस से टकरा जाने से इस गाड़ी में यात्रा कर रहे अनेक यात्री मारे गये और अनेक अन्य यात्री घायल हो गये;

(ख) यदि हां, तो इसमें मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस बीच दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी, हां। दिल्ली परिवहन निगम की बस बंद समपार तोड़कर रेलगाड़ी से टकड़ा गयी।

(ख) इस दुर्घटना में तीन व्यक्ति मारे गये, 13 को गम्भीर चोटें आयीं तथा 6 को मामूली चोटें लगीं।

(ग) रेल संरक्षा आयुक्त ने इस दुर्घटना की जांच की है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

**रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण की रिपोर्ट**

992. **श्री सुभाष यादव :**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावी और व्यास जल न्यायाधिकरण ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य पानी के बंटवारे के बारे में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो न्यायाधिकरण ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन यार्ड के निकट "स्लेक" कोयला गिरने से मौतें**

993. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 29 मई, 1986 को दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन यार्ड के लिए "स्लेक" कोयला गिरने से कोयला उठाने वाले कई व्यक्ति मारे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विगत में इस स्टेशन पर इस तरह की दुर्घटनाएं कई बार हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे का सुरक्षोपाय करने का विचार है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी नहीं, दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पर 29-5-86 को रेलवे भूमि पर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई । तथापि, उसी स्टेशन पर रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बाहर एक दुर्घटना हुई, जहां राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क-निर्माण का कार्य चल रहा था ।

(ख) रेल विभाग के पास पूर्ण ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि दुर्घटना रेल परिसर में नहीं हुई थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जोलारपेट-बंगलौर और जोलारपेट-सेलम मैट्टूर डैम-सैक्शन का विद्युतीकरण**

994. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के रेल विद्युतीकरण परियोजना कार्यालय ने कितने कार्य अपने हाथ में लिए हैं;

(ख) क्या उक्त कार्यालय वास्तव में बन्द होने की स्थिति में है क्योंकि उसके पास कोई भी बड़ा कार्य नहीं मिल रहा है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 के दौरान जालोरपेट-बंगलौर और जालोरपेट सेलम मैट्टूर डैम सैक्शन का विद्युतीकरण बारी से पहले हाथ में लेने का है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया)** : (क) दक्षिण रेलवे में रेलवे विद्युतीकरण परियोजना कार्यालय के अधीन निम्नलिखित विद्युतीकरण परियोजनाएं हैं :

1. मद्रास-गुडूर
2. मद्रास-तिरुवल्लूर
3. तिरुवल्लूर-अरकोणम
4. अरकोणम-रेणिगुंटा
5. अरकोणम-जोल्लारपेट्टै

पहले ही पूरी हो गयी हैं ।

6. विल्लिवाक्कम और पेट्टैभिराम के बीच चौहरी लाइनों का विद्युतीकरण ।

(ख) जी हां ।

(ग) जोल्लारपेट्टै-बेंगलूर खण्ड विद्युतीकरण के लिए अनुमोदित है, लेकिन कार्य आरम्भ नहीं किया गया था । 1986-87 से कार्य आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

ओल्लारपट्टै-सेलम-मेंतूर दम खण्ड का विद्युतीकरण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

**जम्मू-तवी मद्रास जनता एक्सप्रेस का डीजलीकरण**

995. **श्री राज कुमार राय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17/18 जम्मू तवी-मद्रास जनता एक्सप्रेस, जो एक लम्बी दूरी की गाड़ी है, पर डीजल इंजन न लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भविष्य में इस गाड़ी पर डीजल इंजन लगाने की कोई व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा।

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया)** : (क) 17/18 मद्रास-जम्मू तवी जनता एक्सप्रेस गाड़ियां मद्रास-विजयवाड़ा तथा आगरा कैंट-दिल्ली खंडों पर बिजली कर्षण द्वारा तथा शेष यात्रा के लिए डीजल कर्षण द्वारा चलायी जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

**लाहौरी गेट, दिल्ली के निकट रेल गोदाम में आग बुझाने के उपाय**

996. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मई, 1986 को नई दिल्ली रेलवे मालयार्ड अजमेरी गेट के एक शेड में लगी आग को बुझाने के लिए दिल्ली फायर ब्रिगेड के दमकलों से पहुंचने में विलंब हुआ था; यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ख) क्या इस भीड़-भाड़ वाले इलाके में इससे पहले भी ऐसी आग लगी थी; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थान पर पुनः आग लगने से रोकने और उस पर तुरन्त काबू पाने के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) इस क्षेत्र में कार्यरत रेल कर्मचारियों को आदेश दिये गये हैं कि वे भविष्य में ऐसी अग्नि दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए अधिक सावधान और सतर्क रहें तथा सभी निवारक उपायों का कड़ाई से अनुपालन करें। निम्नलिखित उपाय करने के लिए विशिष्ट रूप से आदेश दिये गये हैं :

1. शेड में माल के ठीक ढंग से चट्टे लगाना तथा ढका जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

2. शंटिंग प्रयोजन के लिए भाप रेल इंजनों को डीजल इंजनों से बदला जा रहा है।

3. अग्निशमन के प्राथमिक उपचार की तकनीक के बारे में कर्मचारियों के ज्ञान को ताजा करने के लिए गहन प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

4. मालगोदाम को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा उनमें सफाई रखने पर भी बल दिया जा रहा है।

5. इस क्षेत्र में "धूम्रपान न करें" के और अधिक सूचना-पट्ट लगाये जा रहे हैं।

**एयर इंडिया की उड़ान संख्या 112 को विस्फोट द्वारा उड़ाने का षड्यंत्र**

997. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1986 को न्यूयार्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान सं० 112 को विस्फोट द्वारा उड़ाने का षड्यंत्र था;

(ख) क्या इस उड़ान से अनेक अति विशिष्ट व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घिनौने षड्यंत्र का पता लगाने और अपराधी व्यक्तियों को दंड देने हेतु छानबीन की गई है; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान विमानों और उनमें सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 मई, 1986 को न्यूयार्क से जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या ए० आई०-112 को उड़ाने के षड्यंत्र के संबंध में रायल केनेडियन माउंटेड पुलिस ने 30 मई, 1986 को मांट्रियाल से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

(ख) विदेश राज्य मंत्री श्री के० आर० नारायणन भी इस उड़ान से यात्रा करने वाले थे।

(ग) क्यूबेक सेशन कोर्ट में पांच व्यक्तियों के विरुद्ध हानि पहुंचाये जाने के अपराध में विस्फोट की कार्यवाही में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इन पांच में से, सबूत न मिलने के कारण तीन व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। दो अन्य को अभी जेल में रखा गया है।

(घ) विमान पर सवार होने से पूर्व यात्रियों की तलाशी ली जाती है और उनके हाथ के सामान की तलाशी भी ली जाती है। पंजीकृत सामान और माल की भी सुरक्षा की दृष्टि से जांच की जाती है। घेरे वाले क्षेत्र को सुरक्षा के लिए अलग रखा जाता है। माल/साथ न ले जाये गये सामान/डाक इत्यादि की भी जांच की जाती है। खाद्य पदार्थ और पेय जिन्हें विमान पर लादा जाना होता है, की भी जांच की जाती है।

**जगाधरी कार्यशाला में आग**

998. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
**प्रो० राम कृष्ण मोरे :**

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जून, 1986 को अम्बाला जिले की जगाधरी कार्यशाला में लगी आग से 12 रेल डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी क्षति हुई है और आग लगने का क्या कारण था;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने लोग हताहत हुए; और

(घ) सरकार द्वारा यदि इस मामले में कोई जांच की गई हो तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :** (क) जी हां ।

(ख) कुल 10,77,086 रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है । आग लगने के कारण की जांच की जा रही है ।

(ग) कोई हताहत नहीं हुआ ।

(घ) एक जांच समिति ने, जिसमें गृह मंत्रालय का एक अग्नि विशेषज्ञ था, जांच की है । इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

**तीन एयरलाइनों के विमान तथा अर्जित राजस्व**

999. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत के पास, क्रमश: कितने विमान थे और प्रत्येक विमान की यात्री क्षमता क्या थी;

(ख) इन एयरलाइनों द्वारा विदेशों सहित कितने और कौन-कौन से नगरों में उड़ानें भरी जाती हैं;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी उड़ानें भरीं, कितने किलोमीटर दूरी तय की तथा कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की है;

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान कुल लाभ/घाटा हुआ तथा कितना लाभांश घोषित किया गया; और

(ङ) 31 मार्च, 1986 को प्रत्येक एयरलाइन्स में महत्त्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों तथा कुल कर्मचारियों की संख्या क्या थी ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) सूचना निम्न प्रकार है :

| विमान का प्रकार | एयर इंडिया | इंडियन एयरलाइन्स | वायुदूत | सीट क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| बोइंग 747-200 | 9 | — | — | 377 |
| एयरबस ए 300-बी 4 | 3 | — | — | 238 |
| एयरबस ए 300-बी 4 | — | 2 | — | 271 |
| एयरबस ए 300-बी 2 | — | 8 | — | 273 |
| बोइंग 737 | — | 25 | — | 126 |
| बोइंग 707 | 5 | — | — | 144 |
| एच० एस०-748 | — | 11 | 2* | 48 |
| एफ०-27 | — | 8 | 2* | 44 |
| डोर्नियर | — | — | 5 | 19 |

*इंडियन एयरलाइन्स से पट्टे पर

(ख) फिलहाल एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत क्रमश: विवरण I, II और III पर दिये गये ब्यौरे के अनुसार, क्रमश: 37, 73 और 52 शहरों को परिचालन कर रही हैं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जबकि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने क्रमश: 65 करोड़ रुपए और 62 करोड़ रुपए के निवल लाभ होने का अनुमान लगाया है, वायुदूत को 78.46 लाख रुपए की हानि हुई है। अभी तक तीनों एयरलाइनों में से किसी ने भी कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

(ङ) 31 मार्च, 1986 को, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत में महत्त्वपूर्ण पदों को धारण करने वाले अधिकारियों की संख्या क्रमश: 34, 35 और 11 थी और कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमश: (लगभग) 17,458, 19,588 और 400 थी।

**विवरण I**

**एयर इंडिया द्वारा हवाई सेवा से जोड़े गए स्टेशनों का विवरण**

1. सिडनी
2. पर्थ
3. क्वालालम्पुर
4. सिंगापुर
5. बैंकाक
6. दुबई
7. जद्दाह
8. कुवैत
9. मस्कट
10. रस-अल-खामेह

11. हांगकांग
12. ओसाका
13. टोक्यो
14. फ्रैंकफर्ट
15. जनेवा
16. पैरिस
17. रोम
18. लन्दन
19. न्यूयार्क
20. बगदाद
21. आबूधाबी
22. बहरीन
23. दहरान
24. दोहा
25. शारजाह
26. दार-ए-सलाम
27. हरारे
28. लागोस
29. नैरोबी
30. मास्को
31. बम्बई
32. गोवा
33. दिल्ली
34. कलकत्ता
35. मद्रास
36. हैदराबाद
37. त्रिवेन्द्रम्

**विवरण II**

**इंडियन एयरलाइन्स द्वारा हवाई सेवा से जोड़े गए स्टेशनों का विवरण**
**(क्षेत्र-वार)**

| पश्चिमी क्षेत्र (बम्बई) | उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली) | दक्षिणी क्षेत्र (मद्रास) | पूर्वी क्षेत्र (कलकत्ता) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. औरंगाबाद | 1. आगरा | 1. बंगलौर | 1. अगरतल्ला |
| 2. अहमदाबाद | 2. इलाहाबाद | 2. कोचीन | 2. बागडोगरा |
| 3. बेलगांव | 3. अमृतसर | 3. कोयम्बतूर | 3. भुवनेश्वर |
| 4. भावनगर | 4. भोपाल | 4. हैदराबाद | 4. कलकत्ता |
| 5. भुज | 5. चंडीगढ़ | 5. मदुरै | 5. डिब्रूगढ़ |
| 6. बम्बई | 6. दिल्ली | 6. मद्रास | 6. दीमापुर |
| 7. गोवा | 7. गोरखपुर | 7. त्रिची | 7. गोहाटी |
| 8. इंदौर | 8. ग्वालियर | 8. तिरुपति | 8. इम्फाल |
| 9. जामनगर | 9. जबलपुर | 9. त्रिवेन्द्रम | 9. जोरहाट |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. कैसोद | 10. जोधपुर | 10. विशाखापत्तनम | 10. लीलाबाड़ी |
| 11. मंगलौर | 11. कानपुर | 11. विजयवाड़ा | 11. पटना |
| 12. नागपुर | 12. खजुराहो | 12. माले | 12. पोर्टब्लेयर |
| 13. नासिक | 13. लेह | 13. कोलम्बो | 13. रांची |
| 14. पोरबन्दर | 14. लखनऊ | | 14. सिलचर |
| 15. पुणे | 15. रायपुर | | 15. तेजपुर |
| 16. राजकोट | 16. श्रीनगर | | 16. तेजू |
| 17. बडोदरा | 17. उदयपुर | | 17. चिट्टागाव |
| 18. कराची | 18. वाराणसी | | 18. ढाका |
| | 19. जम्मू | | 19. काठमान्डू |
| | 20. जयपुर | | 20. बैंकाक |
| | 21. लाहौर | | |
| | 22. काबुल | | |

**विवरण III**

**वायुयान द्वारा हवाई सेवा से जोड़े गए स्टेशनों का विवरण**

1. दिल्ली
2. लुधियाना
3. चंडीगढ़
4. देहरादून
5. पंतनगर
6. कानपुर
7. रायबरेली
8. आगरा
9. कुल्लू
10. कोटा
11. जयपुर
12. बीकानेर
13. जयसेलमेर
14. कलकत्ता
15. कूचबिहार
16. जमशेदपुर
17. रांची
18. रूरकेला
19. भुवनेश्वर
20. शिलांग
21. गुवाहाटी
22. सिल्चर
23. पटना
24. लीलाबाड़ी
25. डिब्रूगढ़
26. जैरो

27. हिसार
28. जोधपुर
29. गुना
30. ग्वालियर
31. इंदौर
32. बम्बई
33. पुणे
34. रत्नागिरी
35. औरंगाबाद
36. नांदेड़
37. कांडला
38. सूरत
39. भावनगर
40. पासीघाट
41. एजवल
42. हैदराबाद
43. राजामुन्दरी
44. कुडप्पा
45. तिरुपति
46. वारांगल
47. मैसूर
48. बंगलौर
49. बेलारी
50. विशाखापत्तनम
51. इलाहाबाद
52. गोवा

**नदी विकास कार्यक्रम**

1000. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तापी के दक्षिण और बम्बई के उत्तर में पश्चिम की ओर बहने वाली नौ नदियों को प्रायद्वीपीय नदी विकास कार्यक्रमों के भाग के रूप में परस्पर जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव में दो सम्पर्क नहरों, एक तापी और नर्मदा को जोड़ती हुई उत्तर की ओर दमनगंगा से, जिसमें पड़ने वाली नदियों पर मार्ग में यथासम्भव जलाशय बनाने के लिए और सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तापी नदी के जल की मात्रा के अनुरूप जल जारी करने के लिए परिकल्पना की गई है;

(ग) क्या पन-बिजली के विकास के लिए वैकल्पिक जलाशयों और जरूरतमंद क्षेत्रों को फालतु पानी देने के लिए चार स्थानों, जिनमें से दो स्थान दमनगंगा और दो स्थान पोर नदी पर होंगे, का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस राष्ट्रीय परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है अथवा की जा रही है और इस रिपोर्ट के कब तक तैयार होने की संभावना है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (घ) जल संसाधन विकास हेतु

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अन्य बातों के साथ-साथ बम्बई के उत्तर तथा तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली 9 नदियों को अन्तःसम्बद्ध करने की संभावनाओं की परिकल्पना की गई है। इसमें दो लिंक नहरों की भी परिकल्पना है—एक दमन गंगा से तापी तथा नर्मदा नदियों तक तथा दूसरी दमनगंगा से बम्बई तक। इन प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं के विस्तृत अध्ययन आरम्भ किए गए हैं और उनके सातवीं योजना के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

**रात्रि-वाहक सेवा**

1001. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० एन० टी० स्काइपेक द्वारा वायुदूत के साथ संयुक्त रूप से रात्रि-वाहक सेवा शुरू की जा रही है;

(ख) क्या प्रस्तावित नई रात्रि-वाहक सेवा का लाभ देश के लगभग 70 शहरों को पहुंचाये जाने का प्रस्ताव है जिससे वायुदूत चार डोर्नियर विमानों के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या बड़ौदा को रात्रि-वाहक सेवा से जोड़ा जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) वायुदूत ने चार केन्द्रों—दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से डाक ले जाने के लिए चार डोर्नियर विमानों द्वारा रात्रि में प्रचालनों के लिए मैसर्ज स्काइपेक के साथ समझौता किया है।

(ख) मैसर्ज स्काइपेक के साथ किए गए वर्तमान प्रबन्धों के अनुसार दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विभिन्न केन्द्रों से आने वाली डाक को नागपुर ले जाया जाता है जहां इसकी अदला बदली की जाती है और इस प्रकार अदला-बदली की गई डाक को इन चार शहरों में लाया जाता है।

(ग) और (घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैसर्ज स्काइपेक के साथ हुए वर्तमान समझौते में बड़ौदा के लिए इस सेवा की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**दिल्ली में समस्याग्रस्त कालेज**

1002. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

**श्री मानिक रेड्डी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन कालेजों के नाम क्या हैं जो समस्याग्रस्त हैं और वे कब से समस्याग्रस्त हैं;

(ख) उनसे प्रभावित छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कालेजों को अपने नियन्त्रण में लेने का है; और

(घ) यदि नहीं तो तत्संबंधी क्या कारण हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार दिल्ली में कोई समस्याग्रस्त कॉलेज नहीं है। तथापि, राव तुला राम कालेज ने 1980-81 से प्रवेश बंद कर दिया था और यह कालेज बंद हो गया है। इस कालेज के छात्र तथा स्टाफ विश्वविद्यालय के अन्य कालेजों में ले लिए गए थे।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**राष्ट्रीय पुस्तक नीति के लिए प्रारूप**

1003. **डा० ए० पटेल :**
**श्री सी० जंगा रेड्डी :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् द्वारा स्थापित कार्यकारी ग्रुप ने राष्ट्रीय पुस्तक नीति के संबंध में एक प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्यों को इस संबंध में यदि कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो वे क्या हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें, श्रेण्य तथा अन्य उत्कृष्ट भारतीय कृतियों के अनुवाद का प्रकाशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मूल एजेन्सी द्वारा बाल साहित्य का प्रकाशन, स्कूल पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में प्राइवेट प्रकाशकों को सम्बद्ध करना, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पुस्तकों का प्रकाशन, सहकारिता के आधार पर लेखकों के राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र में पुस्तकों के कापीराइट का अधिग्रहण, पुस्तक वित्त निगम की स्थापना, उचित मूल्यों पर कागज मुहैय्या करना, पुस्तक प्रेषण के लिए डाक दरों में कमी, पुस्तकालयों का विकास, प्रकाशकों का पंजीकरण इत्यादि से संबंधित है।

सरकार इन सिफारिशों की अन्य एजेन्सियों के परामर्श से जांच कर रही है।

(ग) राज्य सरकार को कोई मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी नहीं की गई हैं।

**बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में आरक्षण काउंटर खोलने हेतु अनुरोध**

1004. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ से विश्वविद्यालय परिसर में रेल आरक्षण काउंटर खोलने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी हां।

(ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कैम्पस में एक आरक्षण खिड़की की व्यवस्था करने के लिए विनिश्चय किया गया है। जैसे ही विश्वविद्यालय द्वारा स्थान और डाक-तार टेलिफोन उपलब्ध कराया जायेगा, आरक्षण खिड़की पर कार्य शुरू हो जायेगा।

**जालना-खांम गांव रेल लाइन का निर्माण**

1005. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिलेहेडराजा होकर जालना-खांम गांव रेल लाइन के निर्माण के लिए पिछले अनेक वर्षों से बराबर मांग की जा रही है ?

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से इस लाइन को "तीसरी और चौथी" दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस लाइन का कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण कब करने का विचार है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) इस रेल लाइन के निर्माण के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस सर्वेक्षण के लिए फिलहाल, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में रेलवे आरक्षण काउंटर खोलना**

1006. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में एक रेलवे आरक्षण काउंटर खोला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार देश के सभी विश्वविद्यालयों के परिसरों में रेलवे आरक्षण काउंटर खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) विश्वविद्यालय कैम्पसों में रेलवे आरक्षण खिड़कियां, मुख्य आरक्षण कार्यालय से दूरी, कर्मचारियों की उपलब्धता, आरक्षण की भारी मांग, स्थान और डाक-तार टेलीफोन, आदि जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर खोली जाती हैं। जब भी विश्वविद्यालय प्राधिकारी उपयुक्त स्थान तथा डाक-तार टेलीफोन देने का प्रस्ताव करते हैं और वहां पूरे वर्ष आरक्षण के लिए पर्याप्त मांग भी होती है तो अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

**सुवर्ण रेखा परियोजना**

1007. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्ण रेखा बहुद्देश्यीय परियोजना की मूल अनुमानित लागत क्या थी;

(ख) क्या कीमतों में वृद्धि के कारण लागत में संशोधन किया गया है, यदि हां, तो संशोधित लागत क्या है;

(ग) उस परियोजना के निष्पादन के लिए अब तक दी गयी विश्व बैंक ऋण तथा केन्द्रीय सहायता की राशि कितनी है;

(घ) भूमि अधिग्रहण कार्य आदि में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) वर्ष 1982 में योजना आयोग की स्वीकृति के अनुसार 480.90 करोड़ रुपए।

(ख) अद्यतन अनुमानित लागत 665.20 करोड़ रुपए बताई गई है।

(ग) परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता 127 मिलियन डालर स्वीकार की गई है जिसमें से मार्च, 1986 तक 32.9 मिलियन डालर की प्रतिपूर्ति की गई है। केन्द्रीय सहायता समग्र रूप से राज्य योजना को प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) परियोजना कार्यों के लिए अधिग्रहण की जाने वाली कुल 33594 हेक्टेयर भूमि में से मार्च, 1986 तक 1345 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था।

**भुवनेश्वर रेल स्टेशन का विकास**

1008. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की राजधानियों के रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दो वर्षों में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के विकास के संबंध में कोई कदम उठाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए कोई कदम उठाने का है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) सरकार ने रेल प्रशासनों को इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि सजावट वाले पेड़, सदाबहार पौधे तथा फूल लगाकर रेलवे स्टेशनों को सुन्दर बनाया जाये। 1986-87 के दौरान लगभग 1000 स्टेशनों पर ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय रेलों को प्रत्येक मंडल पर आदर्श स्टेशन के रूप में एक ऐसा स्टेशन चुनने के सभी अनुदेश दिये गये हैं जो राज्य की राजधानी/मंडल

मुख्यालय/क्षेत्रीय मुख्यालय होना चाहिए और जहां सभी यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती हो ।

(ख) और (ग) इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए पिछले दो वर्षों के दौरान भुवनेश्वर में निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है—

1. पहुंच मार्गों में सुधार ।

2. प्लेटफार्म संख्या 4 की सतह में सुधार ।

3. प्लेटफार्म और प्रतीक्षा हाल में फाइबर ग्लास का सुन्दर फर्नीचर ।

4. प्लेटफार्म पर पूर्व प्रचलित कंक्रीट सीमेंट के 20 बैंच ।

5. माल शेड में व्यापारियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष ।

6. स्टेशन के नाम के लिए निआन साइनबोर्ड तथा प्लेटफार्म पर नारे ।

उपर्युक्त के अलावा, इस स्टेशन पर निम्नलिखित सुविधाओं की भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है—

(क) परिचालन क्षेत्र अपर्याप्त होने के कारण राज्य सरकार से 3.5 एकड़ भूमि ले ली गयी है ताकि बेहतर पार्किंग सुविधाओं आदि की व्यवस्था की जा सके ।

(ख) प्लेटफार्म संख्या 1 के प्लेटफार्म की छत 50 फुट तक बढ़ायी जा रही है ।

(ग) प्लेटफार्म संख्या 1 पर घुलनीय एप्रेन तथा पानी भरने की सुविधाओं की व्यवस्था ।

(घ) 2 वातानुकूल कक्षों सहित 4 विश्राम कक्षों की व्यवस्था ।

**कोणार्क एक्सप्रेस में टू-टीयर वातानुकूलित डिब्बे लगाना**

1009. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोणार्क एक्सप्रेस में टू-टीयर वातानुकूलित डिब्बे लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में दक्षिण-पूर्व रेलवे को आवश्यक निर्देश भेज दिये हैं; और

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) चालू वर्ष 1986-87 के दौरान एक वातानुकूल 2-टियर सवारी डिब्बा लगाने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) नये निर्मित सवारी डिब्बों के उपलब्ध होने पर अनुदेश जारी किये जायेंगे ।

**कालीकट रेलवे स्टेशन के पास गुड्स यार्ड का निर्माण**

1010. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से कालीकट रेलवे स्टेशन के पास नया गुड्स यार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो गुड्स यार्ड का निर्माण किस स्थान पर करने का प्रस्ताव है और वह कब तक तैयार/पूरा हो जायेगा ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) और (ख) (1) नये गुड्स यार्ड का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(2) ब्लाक रैकों को सम्हालने के लिए निम्नलिखित निर्माण-कार्य शुरू किये गये हैं—

(क) कल्लायी गुड्स यार्ड (कालीकट से 2 कि० मी०) में मामूली परिवर्धन और परिवर्तन ।

(ख) निक्षेप शर्तों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की लागत पर तिकोटिट में खाद्यान्न के यातायात के लिए सुविधाएं ।

(3) निक्षेप शर्तों के आधार पर उपयोगकर्ता कम्पनियों की लागत पर बेस्ट हिल और इलाथूर में पेट्रोलियम उत्पाद के यातायात के लिए सुविधाएं ।

**एड्स की रोकथाम के उपाय और तत्संबंधी लिंग वार मामले**

1011. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जानलेवा बीमारी "एड्स" के प्रकोप की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और देश में किन-किन स्थानों पर खून में सिरोपाजिटिव एंटीबाडीज का पता लगाने के लिए "ऐलीसा" परीक्षण संभव है; और

(ख) देश में "एड्स" के लिंग वार कुल कितने मामलों की घोषणा की गई है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस रोग की रोकथाम के लिए अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं—

1. एड्स का पता लगाने के लिए 12 नैदानिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं और 4 रेफरल केन्द्र भी देश में स्थापित किए गए हैं जहां एड्स का पता लगाने के लिए उच्चतर स्तर की नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

2. एड्स क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र के बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

3. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/एस० टी० डी० क्लीनिकों को एड्स का पता लगाने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

4. सभी ब्लड बैंकों को पेशेवर रक्त दाताओं की जांच करने के लिए हिदायतें दे दी गई हैं।

5. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और क्लीनिकों में विसंक्रमण के तरीकों का कड़ाई से पालन हो रहा है और वे जहां तक सम्भव हो पूर्व विसंक्रमित (फ्री-स्टेरेलाइज्ड) डिस्फेजेबल सिरिंजों और सुइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

6. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं।

7. एड्स इसकी प्रकृति इसके फैलने तथा इसके रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षित करने के कार्य में जन-प्रचार के सभी साधनों को लगा दिया गया है।

(ख) 18 व्यक्तियों में पक्के तौर से एड्स संक्रमण होने का पता चला है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है—

| | |
|---|---|
| तमिलनाडु | 15 |
| महाराष्ट्र | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 1 |

इनमें से 15 महिलायें और 3 पुरुष हैं।

**विवरण**

**एड्स रोग के नैदानिक केन्द्रों की सूची**

1. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास।
2. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैलोर।
3. नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कोलरा एण्ड एण्टीक डिज़ीज़ कलकत्ता।
4. स्कूल आफ ट्रापीकल मेडिसिन, कलकत्ता।
5. राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पटना।
6. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़।

7. आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर ।

8. राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे ।

9. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली ।

10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

11. रीजनल मेडिकल रिसर्च सेन्टर भुवनेश्वर ।

12. अपोलो अस्पताल, मद्रास ।

**एड्स के रेफरल केन्द्र**

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

2. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली ।

3. राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे ।

4. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैलोर ।

**ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम**

1012. **डा० के० जो० आदियोडी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना अवधि में केन्द्रीय सरकार का ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले सरकार ने देश में सभी मेडिकल कालेजों से ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में डिप्लोमा, पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने के क्या ठोस कारण है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**हिन्दी भाषी क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का निष्पादन**

1013. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का निष्पादन बहुत ही धीमी गति से हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और उनका कार्य कितना कम हुआ है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों और अखिल भारत के स्तर पर परिवार नियोजन के तरीकों द्वारा सुरक्षित किये जाने वाले अनुमानित पात्र दम्पत्तियों की प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I मे दिया गया है । यद्यपि कुछ राज्यों में दम्पत्ति सुरक्षा दर कम रही है किन्तु उन्होंने पिछले वर्ष अर्थात् 1985-86 में परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में अच्छा कार्य किया जैसाकि संलग्न विवरण-II में दिया गया है ।

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता रही है तथा ऐसे राज्यों में कम कार्य होने के कारणों का पता लगाने के लिए समुचित अध्ययन किये गये हैं । वैसे, सभी राज्यों से यह आग्रह किया गया है कि वे कार्यनिष्पादन में सुधार लाएं जिसका कि नियमित रूप से मानीटरिंग और मूल्यांकन किया जाता है और सहायता उपलब्ध की जाती है ।

**विवरण-I**

**31-3-1986 तक परिवार नियोजन के तरीकों द्वारा सुरक्षित किये गये पात्र दम्पत्तियों की प्रतिशतता**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सुरक्षित किये गये दम्पत्तियों का प्रतिशत |
|---|---|
| 1. बिहार | 18.9 |
| 2. हरियाणा | 52.1 |
| 3. हिमाचल प्रदेश | 39.6 |
| 4. मध्य प्रदेश | 31.9 |
| 5. राजस्थान | 23.1 |
| 6. उत्तर प्रदेश | 20.5 |
| 7. दिल्ली | 36.8 |
| अखिल भारत | 35.0 |

## विवरण-II

### 1985-86 के दौरान हिन्दी भाषी क्षेत्रों द्वारा परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में किया गया कार्य

| क्रम सं० | राज्य | 1985-86 के लक्ष्यों की उपलब्धि की प्रतिशतता | | | | 1984-85 के कार्य के मुकाबले 1985-86 में हुई वृद्धि (+) अथवा कमी (—) की प्रतिशतता | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नसबंदी | आई० यू० डी० निवेशन | प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता | खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता | नसबंदी | आई० यू० डी० निवेशन | प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता | खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | बिहार | 63.3 | 76.6 | 60.1 | 22.7 | (+)24.2 | (+)74.2 | (+)31.7 | (+)17.4 |
| 2. | हरियाणा | 115.2 | 120.9 | 139.7 | 94.0 | (+)28.6 | (+)10.1 | (+)19.9 | (+)32.7 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 84.6 | 121.8 | 153.7 | 63.5 | (+)15.2 | (+)28.9 | (+)47.3 | (+)97.2 |
| 4. | मध्य प्रदेश | 84.5 | 96.8 | 115.3 | 84.0 | (+)41.7 | (+)25.1 | (+) 5.8 | (+)35.1 |
| 5. | राजस्थान | 94.3 | 115.0 | 114.8 | 36.7 | (+)94.2 | (+)58.2 | (+)16.8 | (+)35.0 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 90.1 | 129.0 | 115.1 | 113.0 | (+)68.6 | (+)76.7 | (—) 4.4 | (+)15.3 |
| 7. | दिल्ली | 92.8 | 90.2 | 82.8 | 46.5 | (+) 0.5 | (+)14.6 | (+)19.0 | (+)67.2 |
| | अखिल भारत | 87.9 | 100.7 | 180.9* | 76.7* | (+)19.7 | (+)27.5 | (+) 8.3* | (+)25.4* |

नोट—अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित है।

* तुलनात्मक उद्देश्यों के लिये केवल निःशुल्क वितरण से संबंधित स्थिति दर्शाई गई है।

**आगामी 20 वर्षों के दौरान नई रेल लाइनें**

1014. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परिवहन समन्वय समिति (1980) ने अगले 20 वर्षों के दौरान वर्तमान रेल लाइनों में 5,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने किलोमीटर नई रेल लाइन जोड़ी गई है तथा भावी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितने किलोमीटर रेल लाइनें जोड़े जाने का विचार है; और

(ग) यदि इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो यह कब लिए जाने की सम्भावना है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी हां, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने ऐसी एक सिफारिश की है।

(ख) और (ग) सिफारिश पर विचार करते समय सरकार ने विनिश्चय किया कि निर्माण की जाने वाली नयी लाइनों के लिए किलोमीटरों में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं है और नयी लाइनों का निर्माण आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल तन्त्र में 917 कि०मी की शुद्ध वृद्धि हुई थी। 1985-2000 की अवधि के दौरान भारतीय रेलों की समवत योजना में 3000 कि० मी० नयी लाइनों के निर्माण की व्यवस्था है।

**नकली औषधियों का उत्पादन**

1015. **श्री पी० ए० सईद :**
**डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**
**श्री अमर राय प्रधान :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि दिल्ली में कुछ औषधि निर्माता नकली जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण कर रहे हैं और उसकी सप्लाई कर रहे हैं; और

(ख) लखनऊ में मारे गए छापे के परिणामस्वरूप पकड़े गए गिरोह का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) ऐसी कोई शिकायत औषध नियन्त्रण विभाग, दिल्ली प्रशासन के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है और यह लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

**राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का कार्यकरण**

1016. **श्री पी० एम० सईद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने वे लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, जो एक दशक पूर्व निर्धारित किए गए थे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या लगभग सभी विषयों में इसके प्रकाशनों की औसत वार्षिक संख्या घट रही है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को भारी घाटा हुआ है और यदि हां तो घाटे की वास्तविक राशि क्या है और घाटा होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां। न्यास आदान-प्रदान शृंखला और नेहरू बाल पुस्तकालय शृंखला के अंतर्गत प्रकाशनों के लिए निर्धारित लक्ष्य को मुख्य रूप से विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और मुद्रण सुविधाओं की कमी के कारण प्राप्त नहीं कर पाया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1984-85 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि 1980-85 की अवधि में प्रकाशित पुस्तकों का 45.00 लाख रुपये तक कम मूल्य निर्धारित किया गया था और 53 93 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें 1983-84 में बाढ़ द्वारा बर्बाद हो गईं। न्यास का लक्ष्य जनता को उचित मूल्य पर पुस्तकें प्रदान करना है। इसलिए नीति के तौर पर इसकी पुस्तकों का मूल्य, लागत मूल्य से कम रखा जाता है। 22 अगस्त, 1984 की रात्रि को अभूतपूर्व वर्षा से पूरे ग्रीन पार्क (नई दिल्ली) क्षेत्र के नाले की व्यवस्था ठप्प हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप न्यास के भवन के निचले हिस्से में पानी घुस गया, जहां लगभग 53.93 लाख रुपये (कुल मूल्य) की पुस्तकें रखी हुई थीं। न्यास ने क्षति के लिए इन पुस्तकों का बीमा करवाया था और इसका दावा बीमा कम्पनी के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है।

**लद्दाखी भाषा के विकास की परियोजनाएं**

1017. **श्री पी० नामग्याल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी संस्थान लद्दाखी भाषा के विकास के लिए कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पूरी हुई परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी सस्थान के अधिकारी इन परियोजनाओं के प्रति उदासीन हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण**

**लद्दाखी में भाषा भिन्नता के सामाजिक भाषायी अध्ययन पर किए गए कार्य के ब्यौरे तथा अभी पूरा किया जाने वाला कार्य**

विभिन्न सामाजिक स्तरों से भाषा भिन्नता के अध्ययन के लिए, आंकड़े, विभिन्न सामाजिक वर्गों अर्थात् (i) दीमांक (लामा), (ii) रॉयल क्लास (iii) मध्य वर्गीय और (iv) बेदा, गारा और मोन के रूप में निम्न श्रेणी से एकत्र किए जा रहे हैं। अनेक जटिल परिवर्तनों और सह-सम्बन्धों की पारस्परिक क्रिया को दृष्टिगत रखते हुए, सह-सम्बन्धों के प्रत्येक संगठन से कम-से-कम 3 प्रतिनिधियों को उपयोग में लाते हुए लद्दाखी समाज के प्रतिनिधि समूह से आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। इससे लगभग 400 प्रतिवादियों से आंकड़े एकत्र करना अनिवार्य हो गया है। आंकड़े क्योंकि प्राकृतिक रूप से बातचीत की परिस्थिति के अंतर्गत एकत्र करने होंगे, इसलिए दो भिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण कार्यविधियां अपनाई गई हैं—

(i) प्रत्येक प्रतिवादी द्वारा भाषा के प्रयोग के बारे में अपनी धारणा अथवा स्व-मूल्यांकन पर उनकी प्रतिक्रियाओं को एकत्र करने के लिए व्यापक प्रश्नमाला; और

(ii) भाषा के पारस्परिक प्रभाव का कम से कम अनुकरण करने की प्राकृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत लद्दाख में वास्तविक वार्तालाप करना।

इस तरह लगभग 4 घंटे की बातचीत के आंकड़े (प्राकृतिक रूप से बातचीत के सार के रूप में उद्धृत) प्रत्येक प्रतिवादी से एकत्र किये जा रहे हैं। यह क्योंकि सुनिश्चित किया जाना है कि प्रतिवादी सही और प्राकृतिक रूप से उत्तर दे, इसके लिए आवश्यक है कि आंकड़े 5 से 6 बैठकों तक की लम्बी अवधि के दौरान एकत्र किए जाएं। इससे एकत्र किए जा रहे आंकड़ों के खंड से कम-से-कम 4 घंटों की प्राकृतिक बातचीत की परिस्थितियों के उद्धरण सार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस समय तक लद्दाख के तीन क्षेत्रीय दौरों में पहले ही 260 ज्ञापकों से आंकड़े एकत्र किये जा चुके हैं। और आंकड़े एकत्र करने के लिए लगभग 5 से 6 महीने के एक और क्षेत्रीय दौरे की आवश्यकता है।

इस परियोजना के लिए संचलनात्मक समय सारणी और वित्तीय जिम्मेदारी इस प्रकार है—

(i) दो वर्ष की अवधि के लिए तीन लद्दाखी सहायक (यह क्षेत्रीय कार्य में सहायता के लिए होंगे)।

(ii) आंकड़ों के प्रतिलेखन और विश्लेषण में सहायता करने के लिए दो से तीन लद्दाखी सहायक।

(iii) आंकड़ों का संगणक विश्लेषण ।

(iv) टेपरिकार्डरों, टेपों, बैटरी सेलों और लेखन-सामग्री के रूप में आंकड़े एकत्र करने के लिए उपस्कर ।

(v) आंकड़े एकत्र करने के लिए ज्ञापक शुल्क ।

(vi) कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए तथा आंकड़े और उपस्करों के भंडारण के लिए एक कमरे में एक छोटा सा क्षेत्रीय कार्यालय ।

**केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा चलाई गई लद्दाखी भाषा परियोजना के समक्ष वित्तीय समस्यायें**

1018. **श्री पी० नामग्याल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने "लद्दाखी भाषाओं के सामाजिक-भाषागत रूपांतरण" नामक परियोजना शुरू की है;

(ख) क्या यह सच है कि संस्थान द्वारा धनराशि अदा करने में विलंब के कारण इस परियोजना में कार्यशील लामाओं और अन्य विद्वानों के समक्ष वित्तीय समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इस समस्या से निबटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । इस परियोजना पर कार्य कर रहे लामा और अन्य अध्येता जम्मू कश्मीर सरकार के ही कर्मचारी हैं और अतः उनके वेतन और भत्तों का भुगतान उसी सरकार द्वारा ही किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**कलिंग एक्सप्रेस के समय**

1019. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजामुद्दीन (दिल्ली) और पुरी के बीच कलिंग एक्सप्रेस को, बरास्ता आगरा, बीना और बिलासपुर, पुनः चालू करने का है;

(ख) क्या सरकार को कलिंग एक्सप्रेस को उत्कल एक्सप्रेस के पुराने समय पर चलाए जाने से यात्रियों को हो रही कठिनाई की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो कलिंग एक्सप्रेस को अपनी पुरानी समय सारणी के अनुसार ही पुनः चलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भूतपूर्व कलिंग और उत्कल एक्सप्रेस गाड़ियों के समय का यौक्तिकरण किया गया है। 77/78 कलिंग/उत्कल एक्सप्रेस गाड़ियां अब सप्ताह के सभी दिन एक ही समय पर चलती हैं, जो यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में केन्द्रीय विद्यालय

1020. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान बिहार राज्य में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भूमि दी है; और

(ग) इस मामले में कब तक कोई अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। विशेष स्थानों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों का वर्षानुवर्ष के आधार पर विचार किया जाता है। फिलहाल, बिहार में निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन है—

(i) बोकारो

(ii) नामकुन (रांची) और

(iii) कटीहार

बिहार राज्य सरकार ने इन स्थानों में कहीं भी अभी तक भूमि की व्यवस्था नहीं की है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रस्तावित स्थान में अपेक्षित भौतिक सुविधाओं और पात्र वर्ग के बच्चों की संख्या की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अतः यह बताना संभव नहीं है कि इस मामले में अंतिम निर्णय कब लिया जायेगा।

"पब्लिशिंग इन्डस्ट्री इन क्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1021. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 1986 के इंडियन एक्सप्रेस में "पब्लिशिंग इन्डस्ट्री इन क्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रकाशन उद्योग विभिन्न आदानों की बढ़ती हुई कीमतों, सरकारी सहायता के अभाव तथा कई प्रकाशकों द्वारा अकाल्पनिक प्रकाशन कार्यक्रम आरम्भ किये जाने के कारण संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या प्रकाशन उद्योग की इस संकट से निबटने में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाये जा रहे हैं या उठाये जाने का विचार है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद ने "टूवर्डस ए नेशनल बुक पालिसी" के नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में भारतीय प्रकाशन उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। सरकार, अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श कर इन सिफारिशों की जांच कर रही है।

**बिहार में यकृत रोग (हैपाटाइटिस) रोग**

1022. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि बिहार राज्य में यकृत रोग (हैपाटाइटिस) के कारण हर महीने बहुत से लोग मर रहे हैं;

(ख) क्या यह रोग बिहार तथा उसके साथ लगने वाले अन्य राज्यों में भी तेजी से फैल रहा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस रोग को फैलने से रोकने हेतु पर्याप्त चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध् कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) सरकार को मिली सूचना के अनुसार मई और जून (26-6-1986 तक) के महीने में बिहार राज्य के रांची, पटना, सिवान, मुजफरपुर और गोपालगंज जिलों में हैपाटाइटिस से 3876 व्यक्ति पीड़ित थे और इससे 28 मौते हुई।

(ख) समीपवर्ती राज्यों से मिली रिपोर्टों में इस रोग के बढ़ने की सूचना नहीं है।

(ग) इस रोग के फैलने की स्थिति में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस रोग को फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करें जैसे रोगियों को अलग-अलग रखना, डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों का प्रयोग करना, उपकरणों ग्लोव्ज, गाज एवं ऐसी अन्य आइटमों को उचित ढंग से विसंक्रमित करना और हेपाटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रयोग करना। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे लोगों को अच्छी सफाई रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाये रखने के बारे में शिक्षा दें जिसमें मल सफाई पर विशेष बल दिया जाए।

**नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन संबंधी संगोष्ठी**

1023. **श्री अमर राय प्रधान :**
**डा० बी० एल० शैलेश :**
**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु कार्यसंचालन संबंधी नीतियां तैयार करने के लिए हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) सिफारिशें नोट कर ली गई हैं ।

**विवरण**

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन संबंधी नीतियों के बारे में 26-29 जून, 1986 को हुई संगोष्ठी की मुख्य सिफारिशें**

**शैक्षिक योजना** :

योजना के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण एक आलोचना के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर मुख्य शैक्षिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक एकीकृत व्यवस्था की स्थापना अनिवार्य होगी । दोनों जिला और खण्ड स्तरों पर उपयुक्त योजना तंत्र का सृजन किया जाना चाहिए । जिला शिक्षा बोर्डों को एक सांविधिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें जिले में शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना और प्रबन्ध की जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए । 8 से 10 गांव के स्कूल समूहों का एक संस्थागत नेट कार्यक्रम बनाया जाए जिसके द्वारा विभिन्न संस्थाएं गुणात्मक सुधार करके संसाधनों को विनिमय द्वारा एक-दूसरे को सशक्त कर सकती है ।

सेमिनार में योजना प्रक्रिया में दो प्रकार के एकीकरण अर्थात् सूक्ष्म स्तरीय योजना विशेष रूप से स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के एकीकरण और विभिन्न समानान्तर विषयों के एकीकरण तथा शैक्षिक योजना के पहलुओं पर बल दिया गया है । योजना की एक सहभागिता की प्रक्रिया के माध्यम से सामुदायिक समर्थन के आयोजना की सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में सुझाव दिया गया है । योजना का अन्य महत्त्वपूर्ण अंग निरीक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली है । केवल संस्थापित राजकीय एजेंसियों के माध्यम से निरीक्षण शैक्षिक विकास की उभरती हुई आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होगा । निम्न स्तरीय ग्राम समितियां निरीक्षण संबंधी जांच करने के लिए बनाई जानी चाहिए ।

सेमिनार में उपलब्ध संसाधनों के दक्ष उपयोग तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । सेमिनार में सूक्ष्म स्तरीय शैक्षिक योजना एक पूर्व शर्त के रूप में जिला बजट (योजनागत तथा योजनेत्तर) तथा इस उद्देश्य के लिए जिले को चरणबद्ध रूप में संयुक्त अनुदानों के प्रावधान का सुझाव दिया गया है ।

**गैर-औपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा** :

शिक्षा की गैर-औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतियों पर अधिक बल दिए जाने की

आवश्यकता है क्योंकि औपचारिक शिक्षा संतृप्ति की ओर बढ़ रही है। गैर-औपचारिक शिक्षा में अभी तक अपनाया जा रहा आयोजना संबंधी बृहत-दृष्टिकोण निचले स्तर से सूक्ष्म-आयोजना पर प्रकाश डालते हुए उसे बहुस्तरीय योजना से बदला जाना चाहिए। विसंकलित लक्ष्य निर्धारण दृष्टिकोण अपनाया जाए जो अन्य बातों के साथ-साथ लक्ष्यों का उपयुक्त अनुश्रवण करने तथा समय पर उपयुक्त कार्यवाही करने को सुकर बनाएगा। स्कूलों में बहुप्रविष्टियों को सुनिश्चित करने और स्कूली कार्यक्रमों से बाहर के छात्रों के लिए संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने चाहिए।

कार्य-समय में कार्य के स्थान पर, कार्यरत बच्चों तथा प्रौढ़ों दोनों के लिए, शिक्षा के लिए प्रदान किए जाने हेतु व्यवस्थित क्षेत्र में नियोक्ताओं की आवश्यकता के उपयुक्त विधान बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। बाल-श्रम उनके कार्य की परिस्थितियों में सुधार करने तथा उनके शारीरिक स्वास्थ्य की सतत रूप से जांच करने और चिकित्सा सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने को शामिल करते हुए जोखिम वाले व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कदम उठाए जाएं।

गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों में सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से कार्य कर रहे बच्चों के कार्यक्रमों तथा विशेष रूप से निरक्षर और अर्ध-साक्षर प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यकलापों के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।

लड़कियों के मामले में स्कूलों में दिवसीय-सुविधा केन्द्र उपलब्ध कराने तथा छोटे भाई या बहनों की देखभाल करने वाले बड़े बच्चों को मुक्त करने के अन्य उपायों में अतिरिक्त, सामाजिक प्रवृत्तियों जो उन्हें इस समय शैक्षिक पद्धति से दूर रखती है, पर काबू पाने के लिए प्रयास करने होंगे। इनमें से एक यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंचायतों पर डालनी होगी।

प्रौढ़ साक्षरता की मांग उत्पन्न करने के उद्देश्य से, नीतियों में पूर्व-साक्षरता कार्यकलापों तथा जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रमों, प्राथमिकता वाले उन दलों जिनका कार्य तथा मौजूद परिस्थितियां साक्षरता कौशलों की वास्तविक आवश्यकता को सृजित करें, को मान्यता देना; चल रहे उत्तर-साक्षरता कार्यकलापों तथा प्रौढ़ अध्ययन के लिए अन्य सुविधाओं के जरिए साक्षरता को बनाए रखना।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विषय-वस्तु को इस प्रकार से पुनः तैयार किया जाना चाहिए ताकि उससे विभिन्न दलों, विशेष रूप से, आर्थिक आवश्यकताओं की अध्ययन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह तभी संभव हो सकता है जब उन्हें विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध किया जाए। इस प्रयोजनार्थ, पंचायतों तथा ब्लाक स्तरीय समितियों के जरिए समेकित क्षेत्र आयोजना के लिए प्रयास किये जाएं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन-आंदोलन के रूप में आरंभ किया जाना चाहिए जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, युवाओं, शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षकों छात्रों आदि को शामिल किया जाएगा। जन-साधन, विशेष रूप से, रेडियो तथा दूरदर्शन को व्यापक प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा दोनों के प्रसार में निर्णायक भूमिका निभानी होगी। इस प्रकार इस कार्य में शामिल सक्रिय कर्मियों के लिए बड़े पैमाने पर अनुस्थापन कार्यक्रमों को अनिवार्य बना देगी।

**ग्रामीण विश्वविद्यालय :**

ग्रामीण रूपान्तरण के राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक मध्यस्थता की संकल्पना को तैयार करने के दो किनारे होंगे—पहला विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों तथा कालेजों में ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रमों को सम्मिलित करना तथा ग्रामीण शिक्षा के लिए विशिष्ट संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों का विकास करना। ऐसे संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल तथा कालेज, गान्धी विचारधारा के संस्थान, ग्रामीण विकास और शिक्षा में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन तथा सामाजिक क्रियात्मक वर्ग होंगे, जिनका पता लगा लिया गया है और उन्हें ग्रामीण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के रूप में सहायता तथा मान्यता प्रदान की गई है। ग्रामीण संस्थानों के कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए सेमिनार ने राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् के गठन की सिफारिश की है।

**संस्थागत प्रबन्ध (उच्च शिक्षा) :**

विश्वविद्यालय तथा कालेजों को कार्रवाई के लिए दूरगामी विकास कार्यक्रम को विकसित करना चाहिए जिसमें शिक्षण अध्ययन प्रक्रियाओं तथा विकासशील विषयों के संदर्भ में उभरते अध्ययन की आवश्यकताओं से संबंधित होगा। इससे शिक्षा समाज के अनुरूप बन जाएगी।

नई शिक्षा नीति में यथापरिकल्पित उच्च शिक्षा की राज्य स्तरीय परिषदों को एक ओर तो विश्वविद्यालयों तथा कालेजों तथा दूसरी ओर वि० अ० आयोग तथा विकासशील एजेंसियों के बीच एक सम्पर्क बिन्दु के रूप में कार्य करके इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

स्वायत्त कालेजों तथा विभागों की संकल्पना से विधान, नियमों तथा विनियमों में उपयुक्त संशोधन करना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन के लिए संसूचक उद्देश्यों से सम्बन्धित होंगे तथा बच्चों को स्कूल में रोके रखने की दरें, छात्रों के परीक्षा परिणाम, अध्ययन तथा उच्च अध्ययन संस्थानों में दाखिले के लिए स्नातकों की सफलता की दर, संस्थानों के निष्पादन में सामुदायिक जानकारी को शामिल किया जाएगा। सतत् स्वतः मूल्यांकन की संस्थागत प्रबन्ध के लिए एक अनिवार्य घटक के रूप में होना चाहिए। अपनी शैक्षिक जिम्मेदारियों के संबंध में शिक्षक की स्वायतत्ता तथा शिक्षकों का मूल्यांकन नवीन तथा सृजनात्मकता की संस्कृति को विकसित करने के लिए पूर्व-अपेक्षित है। यह स्वैच्छिक आधार पर प्राधिकृत विकास की ओर अग्रसर करेगा। छात्रों के सशक्त व्यक्तित्व के विकास को बनाये रखने वाले विभिन्न आयामों सहित छात्रों के मूल्यांकन की विस्तृत प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए।

**शिक्षक शिक्षा :**

जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षकों के पूर्व-सेवा तथा सेवारत प्रशिक्षण, प्रौढ़ सेवा गैर-औपचारिक संस्थाओं तथा जिले में संस्थानों तथा प्रशासनिक एजेंसियों के आयोजकों तथा प्रबन्धकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सहित इन्हें जिला स्तर पर विस्तृत संस्थानों के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा, संस्थान को कार्रवाई अनुसंधान, आंकड़े एकत्र करना, प्रभावी अध्ययन का कार्य करना चाहिए तथा जिला स्कूल शिक्षा बोर्ड, स्कूल कम्प्लैक्स एजेंसियों, संस्थानों के प्रमुख, प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों आदि को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा

प्रशिक्षण परिषदों/राज्य शिक्षा संस्थानों, राज्य संसाधन केन्द्रों, बोर्डों, शिक्षा राज्य शिक्षक शिक्षा कालेजों तथा स्नातकोत्तर विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए। जि० शि० प्र० स० की स्थापना तक देश में हाल ही में शुरू किए गए शिक्षकों के व्यापक सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले बकाया कार्य को निपटाने के लिए जारी रहेगा।

[हिन्दी]

**सरकारी पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता**

1024. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत सोसाइटियों या न्यासों के रूप में स्थापित सरकारी पुस्तकालयों की सरकार द्वारा कितनी मात्रा में आर्थिक सहायता दी गई;

(ख) इस प्रकार की सोसाइटियों के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक सोसाइटी को कितनी आर्थिक सहायता दी गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कौन से मानदंड अपनाये गये हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) वित्तीय सहायता भागीदारी के आधार पर दी जाती है। पुस्तकों, फर्नीचर तथा उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार का हिस्सा अनावर्ती खर्च का 60% है और पुस्तकालयों के लिए भवनों के निर्माण पर खर्च का 40% है। किसी संगठन के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है।

(ख) जैसा कि सभा पटल पर रखे गए विवरण-1 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2835/86]

(ग) जैसा कि सभा पटल पर रखे गए विवरण-II में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2835/86]

[अनुवाद]

**कुष्ठरोग निरोधी स्वदेशी टीका**

1025. **डा० चिंता मोहन :**
**श्री अमर सिंह राठवा :**
**श्री एन० डेनिस :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्ततोगत्वा कुष्ठरोग निरोधी टीका विकसित किया जा चुका है, उसका क्षेत्रीय परीक्षण हो गया है और उसे बाजार में बिक्री के लिए रख दिया गया है जैसा कि दिनांक 30 जून, 1986 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) इसके वर्तमान वार्षिक उत्पादन से कितने व्यक्तियों को टीके लगाए जा सकते हैं और इसकी वास्तविक कुल आवश्यकता कितनी है; और

(ग) क्या इस टीके का निर्यात भी किया जाएगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) कुष्ठ-रोधी वैक्सीन का विकास करने के लिए अनुसंधान चल रहा है। इस समय वैज्ञानिकों के तीन समूह इस काम में लगे हुए हैं। भारतीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई ने कुष्ठ रोगियों के ऊतकों में पाई जाने वाली बैसिली से एक वैक्सीन तैयार की है जो संवर्धनीय (कल्टीवेबल) हैं और उसी कुष्ठ बैसिली की तरह की है जिससे यह रोग होता है। इस वैक्सीन के तृतीय चरण के क्लीनिकी परीक्षणों के लिए भारत के औषध नियंत्रण ने अनुमति दे दी है। इस परीक्षण के संबंध में प्रोटोकोल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन एक अतिरिक्त हथियार के रूप में इस वैक्सीन का उपयोग करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू० वैक्सीन का निदान-पूर्व विषवैज्ञानिक अध्ययन तैयार करके उसे पूरा कर लिया है। इसके द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण के क्लीनिकी परीक्षणों के लिए भारत के औषध नियंत्रक की अनुमति की प्रतीक्षा है। आरमेडिलों से प्राप्त किए गए एम० लेप्रे को मारकर उनसे विकसित की गई तीसरी वैक्सीन के भी निदान-पूर्व विषवैज्ञानिक अध्ययन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की विषविज्ञान मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं। कुष्ठ-रोधी वैक्सीन को अभी बाजार में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

**प्रथम श्रेणी के डिब्बे हटाना**

1026. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में रेल गाड़ियों में प्रथम श्रेणी समाप्त कर दी है;

(ख) क्या समस्तीपुर सब डिवीजन को अधिकांश रेलगाड़ियों से प्रथम श्रेणी के डिब्बे हटा दिए गए हैं; जिसके परिणामस्वरूप प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों को असुविधा हो रही है जबकि प्रथम श्रेणी के टिकट हमेशा उपलब्ध होते हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) नीति के तौर पर, ब्रांच लाइन की गाड़ियों से पहले दर्जे के सवारी डिब्बे हटा लिए गए हैं। लेकिन, कुछ गाड़ियों में अब भी पहले और दूसरे दर्जे के संयुक्त सवारी डिब्बे चलाए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में पहले दर्जे के सवारी डिब्बे उपलब्ध हैं और पहले दर्जे के यात्री उनसे यात्रा कर सकते हैं।

[अनुवाद]

**राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन**

1027. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका संगठनात्मक ढांचा, इसके कार्यकलाप, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार क्या हैं;

(ग) इसकी स्थापना, उत्तरदायित्वों और कृत्यों आदि के कार्य-निष्पादन पर कुल कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या प्राधिकरण को सौंपे गये कृत्य, कार्यकलाप, उत्तरदायित्व आदि अब तक किसी अन्य द्वारा देखे जाते थे; और

(ङ) यदि हां, तो किसके द्वारा और किन कारणों/परिस्थितियों की वजह से उक्त प्राधिकरण की स्थापना करना आवश्यक हो गया था ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 21 मई, 1986 को किया गया था और 1 जून, 1986 से यह परिचालन में आ गया।

प्राधिकरण में निम्नलिखित हैं—

(1) एक पूर्ण-कालिक अध्यक्ष

(2) नागर विमानन महानिदेशक-पदेन; और

(3) आठ अंश-कालिक सदस्य

प्राधिकरण अपने संगठनात्मक ढांचे को अभी अंतिम रूप देगा। इस समय यह प्राधिकरण नागर विमानन महानिदेशालय से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से कार्य कर रहा है।

प्राधिकरण के मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां निम्नलिखित से संबंधित हैं—

(1) सिविल विमान-क्षेत्र, सिविल एन्कलेव, और वैमानिकी संचार स्टेशनों का प्रबन्ध;

(2) सिविल विमान-क्षेत्रों पर धावन-पथों और संबद्ध विमान आवागमन क्षेत्रों का नियोजन, विकास, निर्माण और अनुरक्षण;

(3) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों सहित सभी सिविल हवाई अड्डों पर रेडियो दिक्कचालन उपकरण, संचार उपस्कर, विजुअल ग्राउंड उपकरण आदि की प्राप्ति, संस्थापन और उनका अनुरक्षण; और

(4) संपूर्ण भारतीय वायु मंडल में वायुयान परिचालन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य विमान यातायात नियंत्रण सेवाओं और विमान विध्वंचालन सेवा की व्यवस्था करना ।

(ग) 1 जून, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के लिए अनुमानित व्यय इस प्रकार है—

(1) राजस्व और परिचालन व्यय : रु० 73.19 करोड़

(2) पूंजीगत व्यय : रु० 35.50 करोड़

(घ) और (ङ) जी, हां । प्राधिकरण को अब जो कार्य गतिविधियां, जिम्मेदारियां आदि सौंपी गई हैं, उनका निष्पादन इससे पूर्व नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा किया जा रहा था ।

यह पाया गया था कि निर्माण कार्य के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर निर्भर रहने, उपस्करों की प्राप्ति के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय पर निर्भर रहने और कार्मिकों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग पर निर्भर रहने के कारण विकासात्मक कार्यों और गतिविधियों से संबंधित नागर विमानन महानिदेशालय की कार्य-कुशलता में बाधाएं आ गई थीं । तदनुसार, सरकार ने एक ऐसे सांविधिक प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय किया जिसके पास नागर विमानन के क्षेत्र में विकासात्मक और परिचालनात्मक कार्यकलापों के लिए आवश्यक गुंजाइश और स्वायत्तता उपलब्ध रह सके ।

**गुड़गांव में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत औषधालय में कमियां**

1028. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़गांव में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत औषधालय में उपचार के लिए पंजीकृत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गुड़गांव में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत केवल एक औषधालय है और उसमें (एक) विशेषज्ञ परामर्श (दो) रोगियों के आपातकालीन परामर्श/उपचार की कोई व्यवस्था नहीं (तीन) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों के लिए आपातकालीन/केजुअल्टी अथवा अन्यथा के लिए कोई अस्पताल सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है; और

(ङ) दवाइयों, टीकों, मरहम पट्टी करने की सामग्री आदि के पर्याप्त भंडार को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** :

(क) गुड़गांव स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या 15382 है ।

(ख) से (घ) विशिष्ट/आपातकालीन परामर्श और अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सिविल अस्पताल, गुड़गांव में भेजा जाता है ।

(ङ) गुड़गांव स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में दवाइयों, टीकों और मरहम पट्टी की सामग्री का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है ।

**कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान**

1029. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश से कुष्ठ रोग उन्मूलन करने के लिए दृढ़ संकल्प है, यदि हां, तो इस संबंध में बनाये गये या क्रियान्वित किये गये नए प्रस्तावों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1985-86 के अन्त तक देश में राज्यवार कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी थी, उसके बाद अब तक ऐसे कितने रोगियों का पता लगा है और वर्ष 1986-87 के दौरान अब तक कुल कितने रोगियों का उपचार किया गया है तथा कितने रोगियों को रोगमुक्त किया गया;

(ग) क्या देश से कुष्ठ रोग का अविलम्ब उन्मूलन करने के लिए कोई नये कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्पताल आदि खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शरोज खापर्डे) :** (क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम इस शताब्दी के अंत तक सभी ज्ञात कुष्ठ रोगियों के रोग पर सक्रियता से काबू पाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है । इस उन्मूलन कार्यक्रम की कार्य-नीति में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं—

1. रोगी का शीघ्र पता लगाना और घर पर ही उसका इलाज करना;
2. चरणबद्ध ढंग से सभी कुष्ठ रोगियों का बहु-औषध उपचार करना;
3. समाज में कुष्ठ रोगियों के प्रति हीन-भावना को दूर करने के लिए लोगों को व्यापक और गहन स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पता लगा लिया जाए और उनका नियमित रूप से उपचार किया जाए;
4. कुष्ठ उन्मूलन कार्यों में स्वैच्छिक संगठनों को सक्रियता से लगाना; और
5. इस कार्यक्रम पर कारगर निगरानी रखना और इसका आवधिक मूल्यांकन करना ।

(ख) देश में लगभग 39.5 लाख कुष्ठ रोगी होने का अनुमान है । कुष्ठ रोगियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है ।

(ग) और (घ) जी नहीं ।

विवरण-I

कुष्ठ रोगियों की राज्यवार अनुमानित संख्या

| क्र० सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र | रोगियों की अनुमानित संख्या (लाखों में) |
|---|---|
| 1. आंध्र प्रदेश | 6.28 |
| 2. असम | 0.15 |
| 3. बिहार | 3.80 |
| 4. गुजरात | 1.00 |
| 5. हरियाणा | 0.01 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 0.07 |
| 7. जम्मू व कश्मीर | 0.05 |
| 8. कर्नाटक | 2.22 |
| 9. केरल | 0.75 |
| 10. मध्य प्रदेश | 1.20 |
| 11. महाराष्ट्र | 4.00 |
| 12. मणिपुर | 0.06 |
| 13. मेघालय | 0.06 |
| 14. नागालैंड | 0.05 |
| 15. उड़ीसा | 3.20 |
| 16. पंजाब | 0.20 |
| 17. राजस्थान | 0.10 |
| 18. सिक्किम | 0.016 |
| 19. तमिलनाडु | 7.33 |
| 20. त्रिपुरा | 0.10 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 4.20 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 4.30 |
| 23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 0.01 |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | 0 01 |
| 25. चण्डीगढ़ | — |
| 26. दादर और नगर हवेली | 0.001 |
| 27. दिल्ली | 0.01 |
| 28. गोवा दमन व दीव | 0.05 |
| 29. लक्षद्वीप | 0.01 |
| 30. मिजोरम | 0.01 |
| 31. पांडिचेरी | 0.19 |
| अखिल भारत | 39,537 |

## विवरण-II

### राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन जून, 1986 तक का वास्तविक कार्यनिष्पादन

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | रिकार्ड के अनुसार 31-3-86 को रोगियों की संख्या | 31-3-86 को इलाज किए जा रहे रोगियों की संख्या | 1986-87 में रोगियों का पता लगाने का लक्ष्य | मई, 1986 तक पता लगाए गए नए रोगी | मई, 1986 तक जितने और रोगियों का इलाज शुरू किया गया | रोग से मुक्त करके/रोग की रोकथाम करके अथवा अन्यथा पता लगाकर छुट्टी दिए गए रोगियों के संबंध में 1986-87 का लक्ष्य | मई, 1986 तक छुट्टी दिए गए रोगी | मई, 1986 के अंत में रिकार्ड के अनुसार रोगी | मई, 1986 के अंत में इलाज किए जा रहे रोगी | जिस महीने तक की यह सूचना है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 475101 | 475101 | 64000 | 11150 | 11150 | 84000 | 10920 | 475331 | 475331 | 5/86 |
| 2. असम | 18269 | 17908 | 2200 | 156 | 156 | 800 | 51 | 18374 | 18013 | 4/86 |
| 3. बिहार | 295783 | 262803 | 44000 | 4625 | 4351 | 32000 | 3201 | 297212 | 263953 | 5/86 |
| 4. गुजरात | 87033 | 79226 | 12000 | 1465 | 1679 | 8000 | 418 | 88080 | 80487 | 4/86 |
| 5. हरियाणा | 962 | 931 | 150 | 13 | 113 | 165 | 113 | 862 | 831 | 4/86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. हिमाचल प्रदेश | 4796 | 4786 | 300 | 22 | 22 | 300 | 52 | 4766 | 4756 | 4/86 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 5773 | 4873 | 400 | अप्राप्त | अप्राप्त | 200 | अप्राप्त | 5773 | 4873 | अप्राप्त |
| 8. कर्नाटक | 164960 | 160350 | 20000 | अप्राप्त | अप्राप्त | 16000 | अप्राप्त | 164960 | 160350 | अप्राप्त |
| 9. केरल | 87627 | 73943 | 10000 | अप्राप्त | अप्राप्त | 6000 | अप्राप्त | 87627 | 73943 | अप्राप्त |
| 10. मध्य प्रदेश | 152495 | 152458 | 30000 | 2172 | 2172 | 20000 | 1122 | 153546 | 153508 | 5/86 |
| 11. महाराष्ट्र | 396552 | 396552 | 56000 | 12913 | 12913 | 70000 | 13444 | 396021 | 396021 | 5/86 |
| 12. मणिपुर | 6515 | 4333 | 100 | 15 | 15 | 50 | 20 | 6510 | 4328 | 5/86 |
| 13. मेघालय | 5650 | 3472 | 150 | अप्राप्त | अप्राप्त | 100 | अप्राप्त | 5650 | 3472 | अप्राप्त |
| 14. नागालैंड | 2210 | 2210 | 100 | अप्राप्त | अप्राप्त | 50 | अप्राप्त | 2210 | 2210 | अप्राप्त |
| 15. उड़ीसा | 233762 | 232041 | 30000 | 1637 | 1642 | 30000 | 673 | 234736 | 233010 | 4/86 |
| 16. पंजाब | 3186 | 3186 | 400 | 81 | 71 | 150 | 83 | 3184 | 3174 | 5/86 |
| 17. राजस्थान | 16223 | 14907 | 2000 | 386 | 371 | 1000 | 45 | 16564 | 15239 | 5/86 |
| 18. सिक्किम | 357 | 297 | 50 | 8 | 8 | 10 | 1 | 364 | 304 | 4/86 |
| 19. तमिलनाडु | 548522 | 485827 | 64000 | 6065 | 4385 | 88000 | 5485 | 549102 | 484727 | 4/86 |
| 20. त्रिपुरा | 3199 | 2990 | 400 | 81 | 71 | 100 | 28 | 3225 | 3016 | 5/86 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 644436 | 415347 | 45000 | 4613 | 4608 | 45000 | 1801 | 467248 | 418154 | 4/86 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 306206 | 229710 | 35000 | अप्राप्त | अप्राप्त | 25000 | अप्राप्त | 306206 | 229710 | अप्राप्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 888 | 858 | 100 | 23 | 23 | 50 | शून्य | 911 | 881 | 5/86 |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | 1391 | 1391 | 125 | 5 | 5 | 75 | 1 | 1395 | 1395 | 4/86 |
| 25. चण्डीगढ़ | 64 | 64 | 50 | शून्य | शून्य | 25 | शून्य | 64 | 64 | 5/86 |
| 26. दादर और नगर हवेली | 409 | 315 | 100 | 13 | 7 | 50 | शून्य | 422 | 322 | 5/86 |
| 27. दिल्ली | 8752 | 8752 | 1000 | अप्राप्त | अप्राप्त | 300 | अप्राप्त | 8752 | 8752 | अप्राप्त |
| 28. गोवा दमन और द्वीप | 4763 | 2156 | 800 | 120 | 64 | 500 | 73 | 4810 | 2147 | 5/86 |
| 29. लक्षद्वीप | 406 | 406 | 25 | शून्य | शून्य | 25 | शून्य | 406 | 406 | 4/86 |
| 30. मिजोरम | 578 | 545 | 50 | 6 | 6 | 50 | 11 | 573 | 540 | 5/86 |
| 31. पांडिचेरी | 7598 | 7559 | 1500 | 98 | 86 | 20000 | 247 | 7449 | 5596 | 5/86 |
| योग | 3304472 | 3043497 | 420000 | 45650 | 43805 | 430000 | 37789 | 3312333 | 3049513 | |

**कलकत्ता में परिक्रमा रेल परियोजना**

1030. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में परिक्रमा रेल परियोजना कब तक पूरी हो जाने की आशा है; और

(ख) इससे कितने दैनिक यात्रियों को फायदा होगा ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) योजना आयोग ने मार्च, 1986 में परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें दमदम से प्रिंसेप घाट तक, डीजल इंजनों से गाड़ियां चलाने के लिए 35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक इकहरी लाइन खंड का निर्माण शामिल है। मार्च, 1986 तक 14.4 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है और चालू वर्ष के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। परियोजना के पूरा होने की तारीख आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ख) जनवरी, 1985 में खोले गये प्रिंसेप घाट-उल्टाडांगा खंड की गाड़ी सेवाओं का लगभग 7000 दैनिक यात्री प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं। परियोजना के पूरा हो जाने पर इससे लाभान्वित होने वाले दैनिक यात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि होने की आशा है।

**आबादा में माल यार्ड का निर्माण कार्य पूरा होना**

1031. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आबादा में माल यार्ड के निर्माण कार्य का पहला, दूसरा, तीसरा चरण पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है और उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ख) इस यार्ड की माल और भंडारण क्षमता क्या होगी ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : आबादा स्टेशन के निकट सांकराईल गुड्स टर्मिनल यार्ड का भूमि अधिग्रहण और चरण-I का निर्माण-कार्य अनुमोदित हो गया है। 2 लाइनों की व्यवस्था कर दी गयी है और शेष कार्य को 1987 में चालू करने का लक्ष्य है। भूमि अधिग्रहण और चरण-I की अनुमानित लागत क्रमश: 1.85 करोड़ रुपये और 3.20 करोड़ रुपये है। मूल योजना के अगले चरण, जिसमें चरण-II और III शामिल हैं, की लागत का अनुमान 56.77 करोड़ रुपये है। यह अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) सर्वेक्षण के दौरान यह मूल्यांकन किया गया था कि यह यार्ड अन्तत: 784 माल डिब्बे प्रतिदिन प्राप्त करने में समर्थ होगा।

**पश्चिमी बंगाल की सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्यय**

1032. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल की लघु, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये छठी योजना में वास्तविक परिव्यय कितना था और उसमें से कितनी धनराशि व्यय की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : पश्चिमी बंगाल में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों के लिए अनुमोदित परिव्यय 390.50 करोड़ रुपए था तथा व्यय करीब 249 करोड़ रुपए था ।

[हिन्दी]

**जैसलमेर और जोधपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में और अधिक डिब्बे जोड़ना**

1033. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय और विदेशी पर्यटकों, सेना के अधिकारियों और जवानों की भीड़, केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों की संख्या में वृद्धि तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जैसलमेर तथा जोधपुर के बीच चलने वाली रात्रि रेल गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ ठसा-ठस भरी होती है और यहां तक कि यात्री छत पर बैठकर भी यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों में और डिब्बे जोड़ने तथा इन गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त आवश्यकता कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रात्रि में चलने वाली 3 जे०पी०जे०/4 जे०पी०जे० गाड़ियों में केवल जोधपुर में मामूली-सी भीड़भाड़ होती है । फलोदी और जैसलमेर में भीड़भाड़ नहीं होती है ।

(ख) और (ग) इस गाड़ी में एक और सवारी डिब्बा लगाने के लिए रेलवे को अनुदेश दे दिये गये हैं । डीजल रेल इंजनों का आबंटन फिलहाल माल यातायात के संचलन के लिए किया जाता है, जो निरन्तर बढ़ रहा है ।

[अनुवाद]

**मानखुर्द बेलापुर रेल लाइन के लिए संसाधन**

1034. श्री शरद दिघे : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है; जिन पर महाराष्ट्र सरकार को मानखुर्द बेलापुर रेलवे लाइन के लिए संसाधन जुटाने की अनुमति दी गयी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस रेल लाइन के लिए डिबेंचरों के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि जुटाई जानी है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस परियोजना की लागत का अपना भाग वहन करने के लिए, नगर एवं औद्योगिक विकास निगम एजेंसी के माध्यम से, ऋण-पत्रों को जारी करके धन प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने सिद्धांत रूप में मान लिया है । ऋण-पत्र जारी करने के संबंध में केन्द्रीय

सरकार (वित्त मंत्रालय) की औपचारिक स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) 110 करोड़ रुपये।

**रामगुण्डम में रेल ऊपरी पुल का निर्माण**

1035 श्री जी० मूपति : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रामगुण्डम में रेल ऊपरी पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**अध्यापकों के लिये समान वेतनमान**

1036. श्री जी० मूपति :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों तथा शैक्षिक अधिकारियों के लिए पूरे देश में समान वेतनमानों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश कार्यान्वित कर ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शिक्षकों के लिए समान वेतनमान संबंधी सिफारिशों सहित राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I और II की सिफारिशों की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जा रही है।

**सिकन्दराबाद-सिरपुर, कागज नगर के बीच पैसेंजर रेलगाड़ी चलाना**

1037. श्री जी० मूपति : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष सिकन्दराबाद और सिरपुर-कागज नगर के बीच एक पैसेंजर रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**आंध्र प्रदेश में पाटनचेरु पड्डापाठी रेल लाइन बिछाना**

1038. **श्री जी० मूपति :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पाटनचेरु-पड्डापाठी रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :** (क) जी हां। आंध्र प्रदेश में पातनचेरु-पेड्डापल्ली (न कि पातनचेरु-पड्डापत्ती) नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) परियोजना आर्थिक रूप से अलाभकारी पाई गयी थी, जिसके लिए अत्यधिक भारी निवेश अपेक्षित थे। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले की भारी वचनबद्धताएं हाथ में होने के कारण निर्माण कार्य को अनुमोदित नहीं किया जा सका।

**मनखुर्द-बेलापुर-पनवेल रेलवे लाइन पर ठाणे क्रीक के ऊपर रेल पुल का निर्माण**

1039. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वृहत बम्बई को नई बम्बई से जोड़ने के लिए मनखुर्द-बेलापुर-पनवेल रेलवे लाइन पर ठाणे क्रीक के ऊपर रेल पुल का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) उक्त योजना पर कितनी लागत आने की संभावना है और यह कब तक पूरी हो जायेगी;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त क्रीक पर रेल तथा सड़क पुल का निर्माण के लिए सहायता देने की पेशकश की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या रेलवे विभाग ने इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और योजना विभाग ने सिद्धान्त रूप में इस योजना को अनुमति प्रदान कर दी है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) जी हां।

(ख) ठाणे क्रीक पर रेल पुल बनाने की अनुमानित लागत 40 करोड़ रुपये है। मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन पूरी हो जाने के समय तक इस पर कुल 150 करोड़ रुपये लागत आने की संभावना है। परियोजना के पूरा होने की तारीख आने वाले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर निर्भर करेगी।

(ग) केवल एक रेल पुल का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र सरकार इसकी लागत वहन करने के लिए सहमत हो गयी है।

(घ) जी हां।

"डिसकवरी आफ इण्डिया" परियोजना

1040. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू तारामंडल द्वारा बम्बई में आरम्भ की गई "डिस्कवरी आफ इण्डिया" परियोजना का कार्य किस चरण में है;

(ख) इस परियोजना पर कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ग) इस परियोजना का प्रयोजन क्या है; और

(घ) क्या नेहरू तारामंडल की तरह यह जनता के लिए खुला रहेगा ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) "डिस्कवरी आफ इण्डिया" परियोजना नेहरू केन्द्र द्वारा चलाई जा रही है न कि नेहरू तारामण्डल द्वारा जोकि नेहरू केन्द्र का ही एक अन्य कार्यकलाप है। परियोजना की विचारधारा के संबंध में सलाह देने के लिए प्रख्यात विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने प्रदर्शन के लिए चरणों में शुरू किये जाने वाले कई विषयों का सुझाव दिया है। दो विषयों पर कार्य आरम्भ हो चुका है। संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समितियां अलग-अलग रूप से गठित की गई हैं जिनमें एक डिजाइन सलाह के लिए है।

(ख) परियोजना पर होने वाला अनुमानित खर्च 6 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) परियोजना का प्रेरणा स्रोत पंडित जवाहर लाल नेहरू की "डिस्कवरी आफ इण्डिया" है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को विश्व सभ्यता के संदर्भ में प्रस्तुत करना है तथा एक भारतीय के रूप में अपने आपको पहचानने के लिए लोगों की सहायता करना है। यद्यपि, इस परियोजना को नवम्बर, 1989 तक पूरा करने की योजना है, परन्तु चुने हुए विषयों का प्रतिपादन तभी शुरू होने की सम्भावना है जब ही वे तैयार हो जाएंगे।

देश के लिए कीर्तिमान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार

1041. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या मानव विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे देश के लिए कीर्ति प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार देने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका देश भर में प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से विस्तार से प्रचार किया गया है; और

(ग) इस योजना का मुख्य ब्यौरा क्या है और इसके अन्तर्गत कौन से खेलों को शामिल किया गया है ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पहले ही प्रेस में कथित योजना में, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को निम्नलिखित विशेष पुरस्कार तथा प्रोत्साहन देने की परिकल्पना है :—

ओलम्पिक खेलों अथवा ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित किसी भी विषय में विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीतने पर :

| | |
|---|---|
| (i) स्वर्ण पदक | —5 लाख रुपये |
| (ii) रजत पदक | —3 लाख रुपये |
| (iii) कांस्य पदक | —2 लाख रुपये |

राष्ट्रमण्डल खेलों में सम्मिलित किसी भी खेल विषय में राष्ट्रमण्डल खेल/राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप में अथवा एशियाई खेलों में सम्मिलित खेल विषयों में एशियाई खेल/एशियाई चैम्पियनशिप में पदक जीतने पर :

| | |
|---|---|
| (i) स्वर्ण पदक (परिमेय विषय में राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ना) | 1.50 लाख रुपये |
| (ii) स्वर्ण पदक (राष्ट्रीय रिकार्ड बिना तोड़े) | 1 लाख रुपये |
| (iii) रजत पदक | 75,000 रुपये |
| (iv) कांस्य पदक | 50,000 रुपये |

टिप्पणी : टीम प्रतियोगिताओं के लिए विशेष पुरस्कार प्रत्येक के सामने निर्धारित राशि का चार गुणा होगा और टीम के सभी सदस्यों में बराबर बांटी जाएगी।

पुरस्कार बचत प्रमाण पत्रों, बीमा पालिसी, नकद में या अन्यथा सरकार द्वारा निश्चित किए गए दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

**बिहार में के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं**

1042. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में, विशेषकर बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और किसानों को केवल वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में नलकूप लगाने, कुएं खोदने और उठाऊ सिंचाई की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य, विशेषकर बिहार में आरम्भ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और सातवीं योजना में योजनाओं के लिए कितना प्रावधान किया गया है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) से (घ) आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई तथा पीने के पानी की सुविधाएं सामान्यत: कम हैं। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूप, खुदाई कुएं तथा लिफ्ट सिंचाई स्कीमें आरम्भ की गई हैं तथा सिंचाई के विकास के लिए आबंटन आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत किए जाते हैं। छठी योजना के दौरान बिहार में लगभग 1 लाख हेक्टेयर सहित आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में 6.66 लाख हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी। सिंचाई के विकास के लिए आबंटन आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत किए जाते हैं। सातवीं योजना के दौरान आदिवासी उप-योजना के लिए धनराशि प्रवाह के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**सातवीं योजनावधि के दौरान लघु सिंचाई आदिवासी उप-योजना के लिए वित्तीय परिव्यय बिछाने वाला विवरण**

| राज्य का नाम | आदिवासी उप-योजना का प्रवाह (लाख रुपये में) |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 1055 |
| 2. असम | 3060 |
| 3. बिहार | 7175 |
| 4. गुजरात | 2849.09 |
| 5. हिमाचल प्रदेश | 343.50 |
| 6. कर्नाटक. | 750 |
| 7. केरल | 80 |
| 8. मध्य प्रदेश | 19115 |
| 9. महाराष्ट्र | 3748.85 |
| 10. मणिपुर | 310 |
| 11. उड़ीसा | 2811 |
| 12. तमिलनाडु | 66 |
| 13. त्रिपुरा | 460 |
| 14. उत्तर प्रदेश | 71.6 |

**रेलवे आरक्षण संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाना**

1043. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे आरक्षण कार्यालयों में आरक्षण-संबंधी कार्य को सरल बनाने तथा इस संबंध में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या रेलवे स्टेशनों पर प्रशासन और आरक्षण सुविधाओं के संबंध में रेल भवन के प्राधिकारियों द्वारा कोई सीधी व्यवस्था की जा रही है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :** (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

**विवरण**

रेलवे आरक्षण कार्यालयों में आरक्षण संबंधी कार्य को सरल बनाने तथा इस संबंध में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए रेलों द्वारा किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(i) सभी गाड़ियों के ऊंचे दर्जों तथा नयी दिल्ली और निजामुद्दीन से चलने वाली 43 गाड़ियों में दूसरे दर्जे के संबंध में दिल्ली क्षेत्र में गाड़ी आरक्षण कार्य कम्प्यूटर से किया जाने लगा है। शेष गाड़ियों के लिए कम्प्यूटर से आरक्षण करने की योजना भी बनायी गयी है जिसे जल्द ही कार्यान्वित कर दिया जायेगा। बम्बई और कलकत्ता जैसे अन्य महानगरों में कम्प्यूटर के जरिए आरक्षण करने की योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(ii) दिल्ली के नागरिकों के लिए उनके निवास स्थान/कार्य स्थलों के निकट आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर में उपग्रह आरक्षण कार्यालय खोले गये हैं। इन आरक्षण कार्यालयों को अलग से कोटा आबंटित किया गया है ताकि यात्रियों को सदैव नयी दिल्ली/दिल्ली आरक्षण कार्यालयों में न आना पड़े। ये प्रबन्ध दक्षिण दिल्ली में सरोजनी नगर में, पश्चिमी दिल्ली में कीर्ति नगर में तथा उत्तरी दिल्ली में नया आजादपुर में किये गये हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में भी एक आरक्षण एवं बुकिंग काउंटर खोला गया है।

(iii) विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन (बोलपुर) पश्चिम बंगाल में भी स्वतंत्र आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है।

(iv) मद्रास और सिकन्दराबाद में व्यापक व्यवस्थाओं सहित नये आरक्षण कार्यालय खोले गये हैं।

(v) एक ओर ऐसे थ्रू स्थलों के, जहां हस्तान्तरण अंतर्निहित है, जरिये पक्के आरक्षण देने के लिए गुवाहाटी और बंबई, जगदलपुर और दिल्ली/बम्बई और जम्मू तवी के बीच तथा दूसरी ओर जयपुर, सिकन्दराबाद, अहमदाबाद, बेंगलूर और मद्रास के बीच भी सीधी आरक्षण सुविधाएं सुलभ करायी गयी हैं।

(vi) विभिन्न मार्गवर्ती स्टेशनों के आरक्षण कोटे में समुचित वृद्धि भी की गयी है। सिक्किम में गंगटोक जैसे दूरस्थ स्थानों के लिए वहां से यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए भी कुछ कोटा निर्धारित किया गया है।

(vii) रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नामक एक और योजना लागू की गयी है। इस व्यवस्था से, यात्रा करने वाले इच्छुक यात्रियों को कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर टिकट तथा आरक्षित स्थान प्राप्त करने के लिए उचित प्रभार का भुगतान करके व्यावसायिक सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे मौजूदा बुकिंग एवं आरक्षण खिड़कियों पर भीड़-भाड़ कम हो जायेगी और आरक्षित स्थान हथियाने तथा इसे अधिक पैसे लेकर बेचने वाले दलालों और असामाजिक तत्त्वों की गतिविधि पर काबू पा लिया जायेगा।

[अनुवाद]

**माधोपुर में लोको शैड की पुनर्स्थापना**

1044. **श्री सलाउद्दीन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्व रेलवे में माधोपुर में लोको शैड की पुनर्स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) मितव्ययिता, कार्यकुशलता तथा परिचालनिक आवश्यकताओं की वजह से रेलों ने एक नीति के रूप में भाप कर्षण को अधिक आधुनिक डीजल और बिजली कर्षण से उत्तरोत्तर बदलने का निर्णय किया है। मधुपुर भाप शेड का बंद किया जाना इस प्रक्रिया का एक भाग है।

**नौवहन क्षेत्र में सुधार संबंधी समितियां**

1045. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौवहन क्षेत्र में सुधार और पत्तनों के विकास पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा नई समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान गठित की गई इस प्रकार की समितियों के नाम क्या हैं;

(ग) देश में विशेष रूप से गुजरात में पत्तनों के विकास के संबंध में गठित की गई उन समितियों द्वारा मोटे तौर पर क्या सिफारिश की गई हैं; और

(घ) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) नौवहन क्षेत्र में

सुधार और महापत्तनों के विकास पर विचार करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान छह समितियां गठित की गई हैं।

(ख) 1. नाविकों के लिए उपदान निधि प्रारूप विधेयक/प्रारूप योजना संबंधी समिति।

2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन के लिए समिति।

3. सातवीं योजना अवधि के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह की नौवहन आवश्यकता संबंधी समिति।

4. लक्षद्वीप में पत्तन, बंदरगाह, नौवहन एवं लाइटरेज सुविधाओं के लिए दीर्घकालिक एकीकृत उपायों का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति।

5. महापत्तन सुधार समिति।

6. विभिन्न प्रकार के नौवहन के लिए टनेज आबंटन का अध्ययन करने हेतु समिति।

(ग) और (घ) महापत्तनों के विकास के लिए गठित समितियों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

| क्रम सं० | समिति का नाम | गठन की तारीख | इन समितियों द्वारा पहले ही की जा चुकी व्यापक सिफारिशें | उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| 1. | महापत्तन सुधार समिति | जनवरी, 1984 | समिति ने अक्तूबर, 1985 में मन्त्रालय को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की वर्तमान अवधि 15-8-86 तक है। | अंतरिम रिपोर्ट की विभाग में जांच की जा रही है। |

**हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा फ्रांस की एक फर्म को प्लेटफार्मों की ढुलाई और अधिष्ठापन के लिए दिया गया शुल्क**

1046. **श्री भट्टम श्री राममूर्ति** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तट-दूर प्लेटफार्मों के लिए ब्रिटेन की फर्म की सेवाएं प्राप्त की हैं जिसके लिए पहले लगभग 50 कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया था;

(ख) क्या फ्रांस की एक अन्य विदेशी कम्पनी ई० टी० पी० एम० को इन प्लेटफार्मों की ढुलाई और बम्बई हाई में उन्हें अधिष्ठापित करने के कार्य को सौंपा गया था; और

(ग) क्या इस कम्पनी को 9 करोड़ रुपये के शुल्क का भुगतान किया गया था जबकि अंतर्राष्ट्रीय दरें 4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं ?

**जल यू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी हां। तट दूर के प्लेटफार्म के निर्माण कार्य के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मैसर्स हार्वर्ड डोरिस लिमिटेड, यू० के० के साथ तकनीकी सहयोग करार किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में तकनीकी जानकारी हासिल करने और तकनीकों का परस्पर आदान-प्रदान करने के लिए एक तकनीकी जरूरत महसूस की गई जिसके विषय में शिपयार्ड के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है। इस करार से पूर्व शिपयार्ड का कोई भी कर्मचारी प्रशिक्षण हेतु विदेश नहीं भेजा गया है। यद्यपि सम्पन्न हुए प्रशिक्षण करार में 11 कर्मचारियों को थोड़े-थोड़े अंतराल के लिए भेजा गया, इन अंतरालों की कुल अवधि 27 महीने (27 मैन-मंथ्स) है।

(ख) जी, हां।

(ग) कार्य के कुल विस्तार के लिए मैसर्स ई० टी० पी० एम०, फ्रांस के साथ की जाने वाली सेवा-संविदा का मूल्य 8.85 करोड़ रुपये था जो कि दो चरणों में विभाजित है, यथा—1986 के मानसून से पूर्व और 1986 के मानसून के बाद शिपयार्ड की प्रतियोगी निविदा की तुलना में मैसर्स ई० टी० पी० एम० द्वारा निर्धारित दरें प्राप्त और तकनीकी रूप से स्वीकार्य पांच बिडों में निम्नतम थी। इस कार्य के लिए प्रचलित दर संविदा सम्पन्न होने के समय भी उतनी ही रेंज में थी। अब तक हिंदुस्तान शिपयार्ड ने पार्टी को कोई भी भुगतान रिलीज नहीं किया है, जबकि कार्य का एक भाग 1986 के मानसून से पूर्व पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

**लोक स्वास्थ्य देखभाल योजना**

1047. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्वास्थ्य देखभाल योजना समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही तो इसके क्या कारण हैं ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) ऐसी कोई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

### स्कूल बीच में छोड़ देने वाले बच्चे

1048. डा० चिंता मोहन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार देने और उपयोगी नागरिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के संबंध में आंकड़े पूरे देश में अंतिम चार वर्ष 1981-82 में इस मंत्रालय के आयोजना और मानिटरिंग प्रभाग द्वारा एकत्र किये गये थे जिनमें यह पाया गया था कि पढ़ाई छोड़ने वालों की दर कक्षा I-V में 50.5% और कक्षा VIII तक 72% थी। पढ़ाई छोड़ने वालों के संबंध में आंकड़े पिछले तीन वर्षों से एकत्र नहीं किये गये हैं।

(ख) जबकि 12 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं बहुत से राज्यों में उपलब्ध हैं, लेकिन इस समय इस मंत्रालय में प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। शिक्षा प्रणाली छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार तथा कार्यान्वित किये जाते हैं कि वे छात्रों का उपयोगी नागरिक के रूप में विकास करने में सहायक हों।

### "ढाका वायलेट्स जे० आर० सी० एकार्ड" शीर्षक से समाचार

1049. श्री बी० तुलसी राम :
श्री चिंतामणि जेना :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1986 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "ढाका वायलेट्स जाइंट रिवर कमीशन अकार्ड" शीर्षक के अंतर्गत तथा फेनी नदी पर मजबूत पर्वत-स्कंध (स्पर्श) का निर्माण किए जाने संबंधी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को बंगलादेश सरकार के साथ उठाया है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप वर्षा ऋतु में त्रिपुरा में कितना भारतीय क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित होगा; और

(घ) इस संबंध में भारत द्वारा यदि कोई विरोध प्रकट किया गया है तो उस पर बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय क्षेत्र में मानसून ऋतु के प्रभाव के बारे में सुस्पष्ट रूप से अभी नहीं बताया जा सकता ।

(घ) अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

**"बैन्ड ड्रग्स ऑन सेल इन पटना" शीर्षक से समाचार**

1050. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 14 जून, 1986 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "बैन्ड ड्रग्स आन सेल इन पटना" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो बेची जा रही औषधियों का ब्यौरा क्या है और प्रतिबन्धित औषधियों के इस्तेमाल से कुप्रभावित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी कुछ औषधियां जो 1938 ईसवी की हैं और समूचे विश्व में प्रतिबन्धित हैं, अभी भी भारत में बेची जाती हैं; और

(घ) क्या अन्य राज्यों विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी औषधियों की बिक्री रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :** (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना को बिहार सरकार से भेजने के लिए कहा गया है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) यह सच नहीं है कि ऐसी औषधियां जो 1938 ईसवी की हैं और समूचे विश्व में प्रतिबन्धित हैं, अभी भी भारत में बेची जाती हैं ।

(घ) औषधि नियंत्रक (भारत) को अन्य राज्यों, विशेष तौर आन्ध्र प्रदेश से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

**नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए नये मानदंड और परियोजनाएं**

1051. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने नई रेल लाइनें मंजूर करने के लिए नये मानदण्डों का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई रेल लाइनें बिछाने, मंजूर की गई, पूरी की गई परियोजनाओं तथा उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य शुरू किया जा चुका है और उनके पूरा होने में कितना समय लगेगा;

(घ) चल रही इन परियोजनाओं पर कितना पूंजी परिव्यय होने का अनुमान है; और

(ङ) क्या भविष्य में कोई नई रेल लाइन मंजूर और बिछाई नहीं जायेगी ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की स्वीकृति सिफारिशों के अनुसार नयी रेल लाइनों के चयन का मानदण्ड इस प्रकार है :

(1) नये उद्योगों की सेवा अथवा खनिज एवं अन्य संसाधनों के दोहन के लिए परियोजना-उन्मुख लाइनें,

(2) ऐसे लुप्त सम्पर्कों के रूप में काम करने के लिए जो मौजूदा व्यस्त रेल मार्गों पर संकुलन हटाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बन सकते हैं,

(3) सामरिक दृष्टिकोणों पर, तथा

(4) नये विकास केन्द्र स्थापित करने अथवा दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच की व्यवस्था करने के लिए विकास लाइनों के रूप में ।

(ग) और (घ) अनुमोदित नयी लाइनों के ब्यौरे जिनमें 1985-86 तक का खर्च 1986-87 के लिए परिव्यय, पूरा करने के लिए शेष धन तथा खोलने की तारीख (वास्तविक अथवा सम्भावित) शामिल हैं, 1986-87 के रेल बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिये गये हैं । चालू लाइनों को पूरा करने में लगने वाला समय आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ङ) नयी लाइन के प्रत्येक प्रस्ताव पर गुण-दोष, तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

**शाहगंज और मऊनाथ भंजन के मध्य छोटी रेल लाइन का सर्वेक्षण**

1052. **श्री राम धन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहगंज और मऊनाथ भंजन (उ० प्र०) के मध्य छोटी रेल लाइन के बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया जायेगा और कब पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो लाइन को बदलने संबंधी कार्य को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मऊ-शाहगंज लाइन का आमान परिवर्तन वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं पाया गया है । रेलें संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना कर रही हैं और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए भारी वचनबद्धताएं हाथ में ले रखी हैं । तथापि, इस आमान परिवर्तन कार्य को शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**उत्तर प्रदेश में नसबन्दी का लक्ष्य/उपलब्धि**

1053. **श्री रामधन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के लिए उत्तर प्रदेश में नसबंदी का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 1986 के पहले तीन महीनों के दौरान नसबन्दी के कितने आपरेशन किए गए हैं;

(ग) क्या वर्ष 1986 के लिए लक्ष्य प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को अवगत कराया है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) नसबंदी सहित परिवार नियोजन के तरीकों के लक्ष्य वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1986-87 (अप्रैल, 1986 से मार्च, 1987 तक) के लिए उत्तर प्रदेश के नसबंदी के लक्ष्य 6.5 लाख रखे गये हैं।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1986-87 के पहले तीन महीनों (अर्थात् अप्रैल से जून, 1986 तक) के दौरान 28,914 (अनन्तिम) नसबंदी आपरेशन किए गये थे। पूरे वर्ष में कितने लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे इस बात का इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वैसे, इसके कार्य की पूरी तरह से निगरानी की जाती है, राज्य सरकार के साथ संवीक्षा बैठक की जाती हैं तथा राज्य अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके इसके लिए सभी संभव उपाय बरते जाते हैं।

**स्वतंत्रता सेनानियों को रेल पास**

1054. **श्री रामधन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों को अब तक कितने रेल पास जारी किये गये हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नैदानिक प्रतिरक्षण विज्ञान और शरीर के अंगों के जोड़ों के रोगों के लिए एक विभाग खोलना**

1055. **श्री रामधन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद सदस्यों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में नैदानिक प्रतिरक्षण विज्ञान और शरीर के अंगों के जोड़ों के रोगों के लिए एक पूर्णत: सुसज्जित विभाग खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इस ज्ञापन-पत्र पर विचार किया था जिसने इम्यूनोलॉजी क्लिनिक के अतिरिक्त कार्यभार से निपटने के लिए चिकित्सा विज्ञान प्रोफेसर का एक पद सृजित कर लिया है। इम्युनोलॉजी का एक परिपूर्ण विभाग बनाने के प्रस्ताव की उक्त संस्थान द्वारा जांच की जा रही है।

**"एग्रानुलोकी टौसिस" और "एप्लास्टिक एनीमिक" रोगों के बारे में किए गए अध्ययन के परिणाम**

1056. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "एग्रानुलोकी टौसिस" बोन मैरो मालफंक्शन और "एप्लास्टिक एनीमिया" की दो जान लेवा रोगों के संबंध में बॉस्टन विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा किए गए सात वर्ष के अध्ययन की जानकारी है और क्या इसके परिणाम जुलाई के मध्य में घोषित किए जाने थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्ययन का लाभ उठाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, हां।

(ख) एग्रानुलोसाई टौसिस और ल्युकामिया से जुड़े हुए एप्लास्टिक एनीमिया का इलाज रोगी के बोन मैरो को निकालकर तथा शरीर के बाहर प्रयोग की जाने वाली कैंसर रोधी दवाइयों से किया गया है। बाद में बोन मैरो को रोगी के शरीर में फिर से लगा दिया जाता है। इस विधि की जांच बाल्टीमोर में जास होपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के डा० अण्ड्र यीगर द्वारा की गई थी। इस विधि से उन्होंने 11 रोगियों का सफल उपचार किया है। वे रोगी लगभग एक वर्ष से इस रोग से मुक्त बताये गये हैं।

(ग) उपर्युक्त अध्ययन प्रयोग की अवस्था में है। इस अध्ययन की प्रभावकारिता के अध्ययन के अभी पांच वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। इस अवस्था में कोई कार्रवाई करना असामयिक होगा।

[हिन्दी]

**सूरत और नवापुर के बीच शटल सेवा आरम्भ करना**

1057. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत और नवापुर के बीच एक शटल गाड़ी चलाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई शटल गाड़ी चलाने के संबंध में रेलवे विभाग की प्रतिक्रिया क्या है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस शटल गाड़ी के किस तारीख तक चलाये जाने की सम्भावना है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) रेल इंजनों और सवारी डिब्बों के रूप में संसाधनों की कमी के कारण सूरत और नवापुर के बीच एक नयी शटल गाड़ी चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा, इन स्थानों के बीच एक एक्सप्रेस और चार सवारी गाड़ियां पहले ही उपलब्ध हैं।

**[अनुवाद]**

**पारादीप पत्तन को घाटा**

1058. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाराद्वीप पत्तन को 55 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) समुद्र में डूबे दो निकर्षण पोतों का मलवा निकालने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारादीप पत्तन लंगरगाहों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) 31 मार्च, 1986 को पारादीप पोर्ट की संचित हानि 53.93 करोड़ रुपए थी।

(ख) मलबे का पता लगाने के लिए नौ फर्मों से प्राप्त प्रि-क्वालिफिकेशन बिड की जांच पत्तन प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसके बाद ड्रेजरों के मलबे हटाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

(ग) अनुमोदित सातवीं योजना परिव्यय में किसी अतिरिक्त बर्थ के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि दक्षिण कोरिया की एक फर्म से अयस्क हैंडलिंग बर्थ के निर्माण का वित्त पोषण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

**अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए सेरिमोनियल किट के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत**

1059. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ (आई० ओ० ए०) ने अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग

लेने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सेरिमोनियल किट के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा)** : (क) और (ख) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने भाग लेने वाले दोनों पुरुषों व महिलाओं के लिए समारोह से संबंधित किट के बारे में निम्नलिखित मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की हैं—

**पुरुष भाग लेने वालों के लिए (प्रतियोगी/अधिकारीगण)**
(उद्घाटन समारोह के लिए)

(i) बन्द गले का कोट और उसी रंग की पैंट। गाढ़ा नीला, हल्का नीला और डार्क क्रीम/फॉन से अंतिम रूप से रंग का चुनाव किया जाना।

(ii) एक क्रीम रंग की कमीज।

(iii) चार आइलेट सहित टो-कैप के साथ काले रंग के जूते (मीडियम टो)।

(iv) उपर्युक्त (i) के लिए अंतिम रूप से चुने हुए रंग के साथ मेल खाने वाला एक जुराब का जोड़ा।

**केवल सिखों के लिए**

(v) पगड़ी का रंग नारंगी होगा और पगड़ी के अन्दर की पट्टी का रंग सफेद या हल्का नारंगी होगा।

अन्यों के लिए पगड़ी नहीं है।

**महिला भाग लेने वालों के लिए (प्रतियोगी तथा अधिकारीगण)**
(उद्घाटन समारोह के लिए)

(i) पूरी बाजू वाला हल्का नीले रंग का कुर्ता या तो आर्टसिल्क सामग्री या सामान्य मोटी सिल्क सामग्री का हल्के नीले रंग की सलवार।

(ii) कुर्ते और सलवार के रंग पर मेल खाने वाला एक दुपट्टा।

(iii) आवश्यकता पड़ने पर कुर्ते के अन्दर पहनने के लिए एक बिना बाजू वाला स्वेटर।

(iv) हल्के नीले रंग के जुराब का जोड़ा।

(v) छोटी हील के साथ काले रंग के जूते का जोड़ा।

**पुरुष भाग लेने वालों के लिए (समापन समारोह)**

(i) काले जूतों के साथ क्रीम रंग का कुर्ता और पायजामा।

(ii) कुर्ते के अन्दर पहनने के लिए बिना बाजू वाला स्वेटर।

केवल सिखों के लिए

(iii) हैडगियर वैसा ही होगा जैसाकि उद्घाटन समारोह के लिए है।

महिला भाग लेने वालों के लिए (समापन समारोह)

काले जूतों के साथ क्रीम रंग की साड़ी और ब्लाऊज। साड़ी सिल्क की नहीं होनी चाहिए परन्तु पोलियस्टर सामग्री की होनी चाहिए।

मानव चूक के कारण रेल दुर्घटनाएं

1060. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और इनमें से कितनी रेल दुर्घटनाएं मानव चूक के कारण हुई ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : 1984-85 और 1985-86 के दौरान भारतीय रेलों पर क्रमशः 812 और 717 परिणामी दुर्घटनाएं हुई। इनमें से क्रमशः 611 और 540 दुर्घटनाएं मानवीय चूकों, जिनमें रेल कर्मचारी और रेल कर्मचारियों से अन्य लोग शामिल हैं, के कारण हुई।

गोपालपुर बन्दरगाह के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

1061. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गोपालपुर बन्दरगाह के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयोडीन युक्त नमक के निर्माताओं को माल डिब्बों का आबंटन बन्द करना

1062. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :**
**प्रो० राम कृष्ण मोरे :**

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने जून, 1986 से खारगोडा में गैर-सरकारी क्षेत्र के आयोडीन युक्त नमक के निर्माताओं को माल डिब्बों का आबंटन करना बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस निर्णय का गलगण्ड रोग प्रवण क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

*रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव रावसिन्धिया)* : (क) जी नहीं।

*(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।*

## *भारतीय नौवहन उद्योग को माल वहन सम्बन्धी सहायता देने के लिए वाउचर योजना*

1063. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय नौवहन उद्योग को माल वहन संबंधी सहायता देने के लिए वाउचर योजना लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) : जहाजी संगठन के लिए आचार संहिता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1974 को जिसकी भारत ने 1978 में पुष्टि की थी, क्रियान्वित करने के लिए विधेयक पेश करने के लिए प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी जहाजी व्यापार का कम से कम 40% भाग भारतीय जहाजों पर ढोए जाने का प्रावधान होगा। उपर्युक्त अंश प्राप्त करने की बात को सुनिश्चित करने की स्कीम के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

## कोचीन शिपयार्ड द्वारा तेल टैंकर इंजनों का आयात

1064. **श्री थम्पन थामस** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड पोलैण्ड की एक फर्म मैसर्स एच० सेजी योजना से तेल टैंकर इंजनों का आयात कर रहा है;

(ख) क्या भारत में ऐसे तेल टैंकर इंजनों का निर्माण करने वाला कोई फर्म अथवा निर्माता है; और

(ग) यदि हां, तो पोलैण्ड से इन तेल टैंकरों के आयात करने के क्या कारण हैं ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी, हां।

(ख) कोई भी भारतीय फर्म 15,110 एच० पी० क्षमता के मैरिन इंजनों का निर्माण नहीं कर रही है जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए टैंकरों के लिए अपेक्षित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## कोचीन में कुम्बालंगी-पेरुम्पादप्पु पुल

1065. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन में कुंबालंगी, पेरुम्पादप्पु पुल के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि—(आबंटन) लेखा से कितनी सहायता दी जा रही है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट)** : सरकार ने इस पुल के निर्माण के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है और इसके लिए केन्द्रीय सड़क कोष (आबंटन) लेखों से 120 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

**कोचीन पत्तन में कंटेनर टर्मिनल न्यु ड्रेजर ग्रेन्ट्री क्रेन्स और फोर्क लिटस**

1066. **प्रो० के० पी० थामस** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में बल्लारपदम में प्रस्तावित कंटेनर टर्मिनल का निर्माण शीघ्र किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या कोचीन पत्तन के लिए स्वीकृत नया ड्रेजर विदेश से खरीदा जाएगा अथवा हमारे यार्डों में बनाया जाएगा;

(ग) क्या गत वर्ष लगाए गए जापानी ग्रेन्ट्री क्रेन ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) भारत में निर्मित गेन्ट्री क्रेन कब तक चालू कर दिया जाएगा;

(च) क्या कोचीन पत्तन में बीस फोर्क लिफ्टों में से केवल कुछ ही काम कर रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) कोचीन पोर्ट में बल्लारपदम स्थित कंटेनर टर्मिनल पत्तन के अनुमोदित सातवीं योजना के प्रस्तावों का अंग नहीं है।

(ख) कोचीन पोर्ट के लिए एक नया ग्रैब ड्रेजर विदेश से खरीदे जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) पत्तन में खड़ा किया गया जापानी ट्रांसफर क्रेन चालू किए जाने के लिए तैयार है।

(ङ) स्वदेशी ट्रांसफर क्रेन भी चालू किए जाने के लिए तैयार है।

(च) और (छ) कोचीन पोर्ट में अड़तालीस फोर्कलिफ्ट ट्रक हैं। इनमें से औसतन बत्तीस काम के लिए उपलब्ध होंगे और सोलह का मरम्मत और अनुरक्षण हो रहा होगा।

**रक्त की जांच करने और "एड्स" का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला**

1067. **प्रो० के० पी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में खून की जांच करने और एड्स का पता लगाने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोगशाला कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) और (ख) इस समय कोचीन में एड्स की निगरानी रखने वाला केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केरल राज्य में एड्स के लिए निगरानी केन्द्र मैडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम के सूक्ष्म जीवविज्ञान विभाग में स्थित है।

## माल डिब्बों का निर्माण

1068. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने माल डिब्बे प्रयोग में लाए जाते हैं;

(ख) वर्कशापों में मरम्मत के लिए कितने माल डिब्बे रुके पड़े हुए हैं;

(ग) क्या प्रति वर्ष बड़ी संख्या में माल डिब्बे नष्ट किये जाते हैं, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने माल डिब्बे नष्ट किये गये;

(घ) वर्ष-वार कितने माल डिब्बे और शामिल किए गये,

(ङ) क्या रेलों में माल डिब्बों की संख्या वर्ष-दर वर्ष घटती जा रही है; और

(च) यदि हां, तो माल डिब्बों की मांग पूरी करने हेतु इनका निर्माण बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया)** : (क) 31-3-1986 को भारतीय रेलों पर *5,26,589 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) थे।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान कारखानों में प्रतिदिन मरम्मत के लिए माल डिब्बों की औसत संख्या 7,589 (चौपहियों के हिसाब से) थी।

(ग) सामान्यत: माल डिब्बों को नष्ट नहीं किया जाता है, अपितु आयु एवं हालत के आधार पर उन्हें नाकारा घोषित किया जाता है और नीलाम कर दिया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान नाकारा घोषित किये गये माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है—

| | | |
|---|---|---|
| 1983-84 | 19,265.0 | (चौपहियों के हिसाब से) |
| 1984-85 | 13,620.5 | |
| 1985-86 | 13,424.0* | |

(घ) रेलों पर बढ़ाये गये माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है—

| | | |
|---|---|---|
| 1983-84 | 16,208.0 | (चौपहियों के हिसाब से) |
| 1984-85 | 10,459.5 | |
| 1985-86 | 9,336.0* | |

*अनन्तिम।

(ङ) जी हां।

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान लगभग 96,000 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) खरीदने का प्रस्ताव है।

**परखनली-शिशु**

1069. **श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी स्थान में भारतीय डाक्टरों द्वारा कोई परखनली में शिशु सफलतापूर्वक पैदा किया गया है और यदि हां, तो उस स्थान/केन्द्र का ब्यौरा क्या है, जहां उसका विकास किया गया था; और

(ख) कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में भारतीय डाक्टरों को किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

**परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार)** : (क) और (ख) प्रजनन संबंधी अनुसंधान संस्थान और के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई ने अन्त: पात्र-निवेचन और भ्रूण अन्तरण में किये गये सामूहिक अनुसंधान में गर्भाधान पर सफल परिणाम प्राप्त किये हैं। जुलाई के अंत में अथवा अगस्त, 1986 के आरम्भ में शिशु पैदा होने की आशा है। एक अन्य केन्द्र, जिसने हाल ही में यह सफलता सूचित की है, कलकत्ता में है किन्तु इस केन्द्र का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। भारत में भ्रूण अंतरण की तकनीक अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

**त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर अपना विमान उतारने के लिए खाड़ी की विमान कंपनी का अनुरोध**

1070. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी की विमान कंपनी से सरकार को त्रिवेन्द्रम में अपना विमान उतारने के लिए स्वीकृति देने का अनुरोध करते हुए पहले कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खाड़ी की विमान कंपनी त्रिवेन्द्रम में अपना विमान उतारने की फिर कोशिश कर रही है;

(घ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खाड़ी के देशों में जाने वाले और वहां से आने वाले यात्रियों की दृष्टि से त्रिवेन्द्रम में यथार्थ में अधिक यात्री आते हैं, सरकार विमानों को त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से होकर अपनी उड़ानें चलाने की अनुमति देने पर विचार करेगी ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी जा सकती।

(ग) मई, 1986 में हुई अन्त:सरकारी वार्ताओं में, खाड़ी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने गल्फ एयर के लिए त्रिवेन्द्रम के लिए/से होकर परिचालन के लिए दोबारा यातायात अधिकारों की मांग की है।

(घ) त्रिवेन्द्रम को विदेशी एयरलाइनों के लिए परिचालन के लिए नहीं खोला जा सकता है।

**"ड्राइविंग फंटिग लीड्स टू मिसहेप आफ प्राइवेट बसेज"**
**शीर्षक समाचार**

1021. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ड्राइविंग फंटिग लीड्स टु मिसहैप आफ प्राइवेट बसेज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि गैर-सरकारी बसों के चालकों के काम करने के अधिक लम्बे घंटे होने के कारण दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत गैर-सरकारी बसों की दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने इस संबंध में ठोस उपचारात्मक उपाय ढूंढ निकालने के लिए दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली प्रशासन के परिवहन व्यय निदेशालय के साथ मामला उठाया है; और

(ग) क्या ऐसा कोई सांविधिक उपबंध है जिसमें चालकों के लिए आठ घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध हो और यदि हां, तो उस उपबंध को लागू न करने के लिए क्या कारण हैं ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 65 में यह शर्त है कि किसी भी परिवहन वाहन के चालक को एक दिन में आठ घंटे से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है। दिल्ली परिवहन निगम और प्राइवेट बस प्रचालकों के साथ करार की शर्तों के अनुसार प्राइवेट बस प्रचालकों को सभी कानूनी उपबंधों का पालन करना होता है। प्राइवेट बस के साथ करार करते समय प्रचालक को उनके द्वारा नियुक्त चालकों के ब्यौरे और उनके फोटो की प्रतियां देनी पड़ती हैं।

**एयर इंडिया के केबिन क्रू एसोसिएशन द्वारा नियमानुसार ही कार्य करने संबंधी आन्दोलन**

1072. **डा० वत्ता सामन्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1986 के प्रथम सप्ताह के दौरान एयर इंडिया की केबिन क्रू एसोसिएशन ने नियमानुसार ही कार्य करने संबंधी आन्दोलन चलाया था;

(ख) इस कारण कितनी उड़ानें रद्द की गई तथा कितनी उड़ानों में विलम्ब हुआ और इस आन्दोलन के कारण एयर इंडिया को कुल कितने राजस्व की हानि हुई; और

(ग) एसोसिएशन की विभिन्न मांगें क्या थीं और उनके साथ क्या समझौता किया गया ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) एअर इंडिया केबिन कर्मीदल एसोसिएशन ने 28 मई से 5 जून, 1986 तक "नियमानुसार कार्य करो" आन्दोलन किया।

(ख) इस आन्दोलन के कारण तीन उड़ानों को रद्द करना पड़ा, दो को पार उतारना पड़ा तथा छः का देरी से परिचालन करना पड़ा था। निगम को राजस्व की कुल हानि लगभग 61.82 लाख रुपए होने का अनुमान है, इसके अतिरिक्त होटल आवास तथा यातायात जैसी यात्री सुविधाओं पर लगभग 5.2 लाख रुपए खर्च किए गए थे। तथापि, राजस्व में हानि को, उड़ानों को रद्द करके/पुनः अनुसूचित करके प्रतिसंतुलित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 49.30 लाख रुपए की बचत हुई थी।

(ग) आन्दोलन का आरंभ भारत-अमरीकी-भारत क्षेत्रक पर "स्लिप" प्रणाली को आरंभ किये जाने के .. रोधस्वरूप किया गया था। तथापि, विचार-विमर्श के दौरान, संघ ने प्रचालन के स्लिप ढांचे के पूरे स्वरूप के बारे में अपना मत परिवर्तित कर दिया और एक प्रकार के संशोधन का प्रावधान रखा जिसमें लंदन में दोनों ओर दो दिन रुकने और यू० एस० ए० में एक दिन रुकने की बजाय लंदन में दो दिन और न्यूयार्क में भी दो दिन रुकने की व्यवस्था थी। वापसी यात्रा में, यह ठहराव पहले प्रस्तावित दो दिनों के स्थान पर एक दिन का होगा। इस प्रक्रिया को तीन महीनों की अवधि तक अर्थात् 31 अगस्त, 1986 तक अपनाया जाएगा। अगस्त, 1986 के पश्चात्, प्रबन्धकवर्ग लन्दन में दो दिनों तक रुकने, न्यूयार्क में एक दिन तक रुकने और लन्दन में दो दिनों तक रुकने अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्रक्रिया को आरंभ कर देगा।

कुछ केबिन कर्मीदलों के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, एअर इंडिया कर्मचारी सेवा विनियमों के अधीन विनियमित की गई है। प्रबन्धकवर्ग ने एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया है कि अब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगा।

**"एड्स" बीमारी का पता लगाने और उसके उपचार के उपाय**

1073. **डा० वत्सा सामन्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में मद्रास, बम्बई पुणे और भारत के विभिन्न शहरों में "एड्स" बीमारी के कुछ रोगियों का पता लगाया है;

(ख) "एड्स" बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लक्षण और चिह्न क्या हैं; और

(ग) सरकार ने देश में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :** (क) अब तक 18 व्यक्तियों में एड्स संक्रमण होने का पता चला है जिनमें से 2 को यह रोग हो चुका है और 1 में एड्स से सम्बन्धित जटिलता उत्पन्न हुई है ।

(ख) एड्स रोग के लक्षणों में थकावट होना, बुखार आना, भूख न लगना, वजन घटना, रात को पसीना आना, ग्रंथियों में सूजन हो जाना आदि शामिल हैं । ऐसा रोग रोधक शक्ति के कम हो जाने के कारण हो जाता है । इसके अतिरिक्त रोगी को न्युमोनिया मूत्राशय सैरिनाई (फैफड़ों का परजीवी संक्रमण), हर्पीज, साइटोनिगोलो वायरस आदि जैसे अनेक किस्म के अवसरवादी घातक रोग लगने का खतरा हो जाता है

(ग) एक राष्ट्र व्यापी नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. एड्स अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना रक्त और उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध उगा दिए गए हैं ।

2. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/यौन संचारित रोग क्लिनिकों को एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए चौकस कर दिया गया है ।

3. सभी रक्त बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे पेशेवर रक्त-दाताओं में एड्स का पता लगाने के लिए जांच करें ।

4. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और क्लिनिकों में विसंक्रमण प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन हो रहा है और वे यथासम्भव पहले से विसंक्रमित डिस्पोजेबल सिरिजों और सुइयों का प्रयोग करें ।

5. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए मार्ग निर्देश भेजे गए हैं ।

6. एड्स उसकी प्रकृति, उसके फैलने और रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन प्रचार के सभी माध्यमों को इस काम पर लगाया गया है ।

**यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक दशक समारोह का आयोजन**

1074. **श्री आर० एस० माने** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन 1988-98 के दशक को एक सांस्कृतिक दशक के रूप में मनायेगा;

(ख) क्या भारत इन समारोहों में भाग लेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) संयुक्त राष्ट्रों तथा यूनेस्को के तत्वावधान में विश्व सांस्कृतिक विकास दशाब्दी की संयुक्त-राष्ट्र आम सभा द्वारा घोषणा से सम्बन्धित एक प्रस्ताव 1983 में आयोजित यूनेस्को के आम सम्मेलन के बाईसवें सत्र में पारित किया गया था। दशाब्दी 1988-98) की घोषणा के लिए आवश्यक कदम उठाने के वास्ते 1985 में आयोजित यूनेस्को के आम सम्मेलन के तेईसवें सत्र में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस वर्ष आयोजित किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र आम सभा के आगामी सत्र में अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

(ख) सिद्धान्त रूप में भारत को समारोहों में अपना सहयोग देने में कोई आपत्ति नहीं है।

(ग) सदस्य-राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करके यूनेस्को द्वारा कार्रवाई की योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

**सभी डी० टी० सी० मार्गों पर बैटरी चालित बसें चलाना**

1075. **श्री आर० एस० माने** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी डी० टी० सी० मार्गों पर बैटरी चालित बसें चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सेवा को आरम्भ करने से पहले सरकार ने पेट्रोल चालित बसों की तुलना में ऐसी बसों पर होने वाले प्रतिकिलोमीटर खर्च का पता लगा लिया है; और

(घ) क्या इन बसों को चलाने से दिल्ली में बस किराये में और वृद्धि होगी और यदि हां, तो कितनी ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**"एड्स" के बारे में अत्यधिक प्रचार किए जाने से रक्तदान में कमी होना**

1076. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एड्स" का अत्यधिक प्रचार किए जाने के कारण, जिससे रक्त रक्तदाताओं में भय पैदा हो गया है, रक्त-दान के मामलों में बहुत कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि चालू वर्ष के दौरान रक्तदान में अत्यधिक कमी आई हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**किराये में वृद्धि और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना**

1077. **श्री वी० एस विजय राघवन** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान दूसरे दर्जे के रेल किराये में कितनी बार वृद्धि की गई है और प्रत्येक बार कितने प्रतिशत वृद्धि की गई;

(ख) क्या यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं में तदनुरूपी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण**

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात 1982-83 से 1986-87 के बीच पांच बार दूसरे दर्जे के किराये बढ़ाये गये थे जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है :

1-4-82 से दूसरे दर्जे के किराये इस प्रकार बढ़ाये गये थे :

**(1) दूसरा दर्जा (साधारण)**

(क) 15-7-1980 से (100 कि० मी० तक 10 प्रतिशत अधिप्रभार) तथा 1-4-1981 से (200 कि० मी० तक 5 प्रतिशत अधिप्रभार) दी गयी छूटों को वापस ले लिया गया था और किरायों को 10 पैसे के अगले उच्चतर गुणक तक पूर्णांकित किया गया था।

(ख) किरायों में निम्नलिखित संशोधन किये गये थे :

(1) 5 कि० मी० के प्रत्येक ब्लाक के लिए 4 पैसे की वृद्धि करके 400 कि० मी० तक के किरायों में वृद्धि की गयी थी।

(2) 5 कि० मी० के प्रत्येक ब्लाक के लिए 3 पैसे की वृद्धि करके 40 से 800 कि० मी० तक के किरायों में वृद्धि की गयी थी; और

(3) 800 कि० मी० से अधिक की दूरी के किरायों में प्रति 5 कि० मी० के लिए 2.5 पैसे की वृद्धि की गयी थी।

(2) **दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस** : इस किस्म की यात्रा के किराये उसी आधार पर बढ़ाये गये थे जिस पर दूसरा दर्जा (साधारण) के किराये बढ़ाये गये थे। 21-4-1983 से दूसरे दर्जे के किराये इस प्रकार बढ़ाये गये थे :

(1) **दूसरा दर्जा (साधारण)** : दूसरा दर्जा (साधारण) के किरायों में निम्नलिखित संशोधन किये गये थे :

| | |
|---|---|
| 0 कि० मी० | 50 पैसे |
| *1—150 कि० मी० | 6 पैसे प्रति कि० मी० |
| 151—400 कि० मी० | 5 पैसे प्रति कि० मी० |
| 401—750 कि० मी० | 4 पैसे प्रति कि० मी० |
| 751—1200 कि० मी० | 3.5 पैसे प्रति कि० मी० |
| 1200 कि० मी० से अधिक | 3 पैसे प्रति कि० मी० |

*दूसरा दर्जा साधारण तथा मेल/एक्सप्रेस में 150 कि० मी० तक की दूरी के लिए 1—150 कि० मी० की दूरी स्लैब के किराये 6 पैसे प्रति कि० मी० के बजाय 5.7 पैसे प्रति कि० मी० के आधार पर परिकलित किये गए थे।

(2) 1-4-1983 को दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) के किरायों का स्केल दूसरे दर्जे (साधारण) के किरायों का 140 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

3. 1-4-1984 से दूसरे दर्जे के किराये इस प्रकार बढ़ाये गए थे :

(1) दूसरा दर्जा (साधारण)—कोई वृद्धि नहीं।

(2) दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस)—10 रु० से अधिक कीमत के टिकट के लिए 2 रु० प्रति यात्री का अधिप्रभार लगाया गया था।

4. 15-4-1985 से दूसरे दर्जे के किराये इस प्रकार बढ़ाए गए थे :

| | |
|---|---|
| (1) दूसरा दर्जा (साधारण)— | 50 कि० मी० तक—कोई वृद्धि नहीं |
| (2) दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) | 50 कि० मी० से अधिक —10 प्रतिशत |
| (2) दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) | 50 कि० मी०—कोई वृद्धि नहीं |
| | 50 कि० मी० से अधिक—10 प्रतिशत |

5. 1-4-1986 से दूसरे दर्जे के किराए इस प्रकार बढ़ाए गए थे :

(1) दूसरा दर्जा (साधारण)—कोई वृद्धि नहीं

(2) दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस)

(क) 1—250 कि० मी० 7.5 प्रतिशत तक

(ख) 251 कि० मी० और इससे अधिक 5 प्रतिशत तक

(ग) लेकिन प्रति टिकट एक रुपया की न्यूनतम वृद्धि

(ग) मुहैया की गयी अतिरिक्त सुविधाओं तथा यात्रियों की सेवा की किस्म में किए गए सुधारों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(1) दिल्ली क्षेत्र मे सभी गाड़ियों में उच्च दर्जे के आरक्षण कार्य को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा नयी दिल्ली और निजामुद्दीन से चलने वाली 42 गाड़ियों में दूसरे दर्जे का आरक्षण कार्य कम्प्यूटरीकृत किया गया है। शेष गाड़ियों के कम्प्यूटरीकरण की योजना भी बनायी गयी है और जल्दी ही लागू कर दी जायेगी। बम्बई तथा कलकत्ता जैसे अन्य महानगरो के लिए भी आरक्षण की कम्प्यूटरीकरण योजनाओं की मंजूरी दे दी गयी है।

(2) किराया वापस करने से सम्बद्ध शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से रेल यात्रा टिकटों को रद्द करने तथा किराया वापस करने के लिए नये नियम बनाये गये थे, जो 1-1-86 से लागू किये गए थे, ताकि अधिकांश मामलों में यात्री उसी टिकट खिड़की से किराया वापस ले सकें जहां से उन्होंने टिकट शुरू में खरीदा था।

(3) भारतीय पर्यटन विकास नियम के परामर्श से व्यंजन सूचियों में संशोधन किया गया है और अब महत्वपूर्ण गाड़ियों में कैसरोलों में पौष्टिक तथा साफ-सुथरा भोजन मुहैया किया जाता है।

(4) यात्रियों को उचित मूल्य पर अच्छा आवास मुहैया कराने के लिए नयी दिल्ली में एक पायलट परियोजना के रूप में एक यात्री निवास की स्थापना भी की जा रही है।

(5) जल शीतकों आदि सहित पेय जल की व्यवस्था की गयी है और उनकी संख्या गर्मी के मौसम में बढ़ा दी जाती है।

(6) जल शीतकों आदि सहित पीने के पानी की व्यवस्था प्रतीक्षालय, भोजनालयों एवं वेंडर स्टालों, शौचालयों, प्लेटफार्मों पर बेंचों तथा पेड़ों की व्यवस्था, पहुंच मार्गों परिचलन क्षेत्रों, रोशनी के प्रबन्ध एवं पंखों की व्यवस्था, पूछताछ कार्यालयों, सूचना केन्द्रों आदि की व्यवस्था के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन के लिए पिछले पांच वर्षों की तुलना में अधिक धनराशि का आबंटन किया गया हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

| को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि | (करोड़ रुपयों में) आबंटन (शुद्ध) |
|---|---|
| 1981-82 | 23.00 |
| 1986-87 | 30.01 |

**विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग वाली नौवहन कम्पनियां/यार्ड**

1078. **श्री के० एस० राव** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन कम्पनियों के कई विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग करार है;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी कम्पनियों और देशों के नाम क्या हैं जो भारतीय शिपयार्डों/कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग करार कर रही हैं और प्रत्येक करार का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में ऐसी कोई परियोजना है जिसमें भारतीय नौवहन कम्पयिां सहायता प्रदान कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जबकि भारतीय नौवहन कम्पनियों का किसी विदेशी कम्पनी के साथ किसी प्रकार का तकनीकी सहयोग करार नहीं है, भारतीय शिपयार्डों के विदेशी यार्डों के साथ तकनीकी सहयोग करार हैं।

(ख) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

**सातवीं योजना में सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए आबंटन**

1079. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में सांतस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) इन केन्द्रों द्वारा क्या क्या क्रियाकलाप आयोजित किए जायेंगे ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं योजना में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिए 35 करोड़ रुपए का आबंटन किया है।

(ख) केन्द्रों से यह परिकल्पना की गई है कि वे सृजनात्मक विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे और विभिन्न कला स्वरूपों को, विभिन्न क्षेत्रों के बीच सम्पर्कों पर विशेष बल देते हुए, प्रोन्नत करेंगे। उनका उद्देश्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति लोगों की चेतना को समृद्ध करना है। संस्थागत रूप से, एक ऐसे परिसर की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रदर्शनियों के लिए

वीथियां, मूर्तिकला सम्बन्धी उद्यान, संगीत अभिलेखागार/पुस्तकालय के लिए सुविधाएं, दृश्य-श्रव्य तथा वीडियो-टेप कार्यक्रमों का निर्माण और कला स्वरूपों का प्रलेखन शामिल होगा।

**खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों को निधि आवंटन**

1080. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान खेल सम्बन्धी कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार तथा अन्य राज्यों के लिए कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) इन निधियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

**युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) :** (क) खेलों के विकास के लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा सचालित राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान देने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राशि राज्यवार आवंटित नहीं की जाती। प्रस्ताव जो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथा सिफारिश किए हुए उपयुक्त ढंग में प्राप्त होते हैं तो उन पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) योजना के अन्तर्गत राशि खेल मैदानों के विकास, स्टेडियमों के निर्माण तरणतालों तथा खेल समूहों, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना/अनुरक्षण और गैर खर्चीले प्रकार के खेल उपस्करों की खरीद के लिए प्रयोग की जाती है।

**विवरण**

| क्रम सं० | राज्य का नाम | अनुदान की राशि रुपए | |
|---|---|---|---|
| | | 1984-85 | 1985-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 7,37,500 | 41,000 |
| 2. | असम | — | 2,12,000 |
| 3. | बिहार | — | 1,39,650 |
| 4. | गुजरात | 2,35,500 | 8,38,200 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 5. हरियाणा | 3,50,465 | 5,68,500 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 10,24,065 | 7,30,400 |
| 7. जम्मू और काश्मीर | 38,815 | 77,000 |
| 8. कर्नाटक | 5,42,000 | 1,31,7000 |
| 9. केरल | 2,22,348 | — |
| 10. मध्य प्रदेश | 60,000 | 10,55,000 |
| 11. महाराष्ट्र | 7,17,000 | 13,76,235 |
| 12. मणिपुर | 23,39,115 | 2,75,500 |
| 13. मेघालय | 5,75,000 | 17,22,800 |
| 14. नागालैण्ड | 5,00,000 | 7,50,000 |
| 15. उड़ीसा | 6,60,525 | 15,43,500 |
| 16. पंजाब | 6,90,000 | 46,00,150 |
| 17. राजस्थान | 16,16,270 | 20,03,765 |
| 18. सिक्किम | 1,25,000 | 14,40,000 |
| 19. तमिलनाडु | 8,67,210 | 5,34,850 |
| 20. त्रिपुरा | 3,45,000 | 1,25,000 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 5,07,800 | 20,45,500 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 1,61,212 | 2,91,250 |
| 23. अरुणाचल प्रदेश | 2,63,000 | 18,000 |
| 24. चण्डीगढ़ | 4,80,800 | 1,80,000 |
| 25. दादर और नागर हवेली | 1,09,575 | — |
| 26. गोआ, दमन और द्वीव | 10,12,600 | — |
| 27. मिजोरम | 5,00,000 | 15,00,000 |
| 28. पाण्डिचेरी | 10,000 | — |
| कुल : | 1,46,90,800 | 2,22,00,000 |

[अनुवाद]

**जल निःसारण समस्याओं के लिए भारत-हालैण्ड सहयोग**

1081. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दक्षिणी भाग में काली मिट्टी में जल निःसारण समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भारत-हालैण्ड सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो जल निःसारण समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध भारत-हालैण्ड सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल किए गए विभिन्न उपाय क्या हैं ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां । तुंगभद्रा सिंचाई परियोजना क्षेत्र में काली कपास मिट्टी में जल-निकास समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भारत-हालैण्ड सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है ।

(ख) और (ग) हालैण्ड सरकार लगभग 1.5 मिलियन डच गिल्डर देगी (0.308 मिलियन डच गिल्डर विदेशी मुद्रा में तथा 1.19 मिलियन गिल्डर 40 लाख रुपए के बराबर) और जल-निकास स्कीमों के अभिकल्प एवं निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञता भी उपलब्ध कराएगी ।

इस परियोजना में हवाई सर्वेक्षण, मापन साधनों का निर्माण, नालों की सफाई, चुनिन्दा लाइनिंग, हालैण्ड के विशेषज्ञों का परामर्श शामिल है और इसका उद्देश्य बेहतर जल प्रबन्ध द्वारा जल जमाव तथा लवणता को दूर करने के उपाय करना है ।

**इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता**

1082. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स के 910-1700 रुपए के वेतनमान वाले कुछ कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान 523.75 रुपए की मासिक दर से किया जा रहा है जबकि समान वेतनमान वाले कुछ कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 739.00 रुपए की दर से दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) जी, हां । चूंकि इण्डियन एयरलाइन्स में 1150-1600 रुपए का कोई वेतनमान नहीं है, अतः प्रश्न में संकेत संभवतः 1150-1960 रुपए के वेतनमान से है ।

(ख) परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में अन्तर होने का कारण यह है कि 1 अक्तूबर, 1981 से प्रभावी मंजूरी समझौते के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रति-

निश्चित्व करने वाले संघों/संगठनों ने मंजूरी में वृद्धि के कुछ हिस्से को "परिवर्तनीय महंगाई भत्ते" शीर्ष के अधीन लेने की इच्छा जाहिर की जबकि कुछ अन्य संघों/संगठनों ने "मंजूरी वृद्धि 1981, वाहन भत्ता, आदि" शीर्ष के अधीन बढ़ोत्तरी की इच्छा जाहिर की। तथापि, सभी श्रेणियो के कर्मचारियों के लिए निराकरण की दर एक समान है।

**सतही और भूतल जल सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

1083. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतल और सतही जल क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां इस प्रकार की योजना चल रही है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य में भी ऐसा कोई कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में उपर्युक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित छोटी सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) भूजल के विकास के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु अनिवार्य रूप से बराबरी की सहायता उपलब्ध कराने वाली स्कीम 1976 से चल रही है और वह स्कीम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है।

(ग) और (घ) जी, हां। जल के प्रवाह को मापने वाले उपकरणों की खरीद के लिए राज्य को पिछले तीन वर्षों में वर्ष 1983-84 में इस स्कीम के अन्तर्गत केवल 1 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मिली है।

[हिन्दी]

**नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत गूंगे और बहरे बच्चों की शिक्षा**

1084. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिक्षा प्राप्त कर रहे गूंगों और बहरे बच्चों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत उनके लिए विशेष प्रावधान किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में उनको क्या सुविधाएं दिए जाने की सम्भावना है ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 15,000 वधिर, मूक और आंशिक रूप से सुनने वाले बच्चे देश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में यह परिकल्पना की गई है कि जहां भी संभव हो विकलांगता अगर हाथ पैर की या मामूली सी है, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा आम बच्चों के साथ होगी और गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए जिला मुख्यालयों में छात्रावास वाले खास स्कूलों की व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में दी जाने वाली सुविधाएं नई शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में कार्रवाई कार्यक्रम और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

[अनुवाद]

**"डाक्टर्स कैयरलैसनैस किल्स चाइल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

1085. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1986 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "डाक्टर्स कैयर-लैसनैस किल्स चाइल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बच्चों की मृत्यु गलत ग्रुप का रक्त चढ़ाए जाने के कारण हुई और यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सफदरजंग अस्पताल में गलत लेबल लगाना आम बात हो गई है और मौत के मामले दबा दिए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

**स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी, हां।

(ख) पूतिजीवरक्तता के कारण कोई मौत नहीं हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसी स्थितियों पर काबू पाने के लिए आवश्यक दवाइयां आमतौर पर उपलब्ध होती हैं।

**गोआ में मांडोवी नदी पर नेहरू पुल का गिरना**

1086. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में मांडोवी नदी पर नेहरू पुल गिर गया है; और

(ख) यदि हां तो उसके परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गए हैं और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी, हां। पणजी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 पर माण्डवी नदी पर बने नेहरू पुल के दो स्पैन 5 जुलाई, 1986 को ढह गए; और

(ख) गोआ, दमन और दीव सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इस दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट है।

**उन बस स्टापों पर बसों का न रोका जाना जहां लाइन न लगी हो**

1087. **श्री शान्ताराम नायक :**
**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने उन बस स्टापों पर बसें न रोकने का निर्णय लिया है, जहां लोग लाइन में खड़े न हों; और

(ख) यदि हां तो इस व्यवस्था में चालक/संवाहक का निर्णय अथवा किसी स्टाप पर लाइन का निर्णय मनमानीपूर्ण हो, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती हो तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम विज्ञापन-अभियानों, समाचार-पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के प्रयास करता रहा है कि यात्री बसों में चढ़ने अथवा उतरते समय पर्याप्त अनुशासन रखें। इसमें सहायता करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण बस स्टापों पर एक माह की अवधि के लिए होम-गार्डों को भी तैनात किया था। दिल्ली परिवहन निगम बस स्टापों पर लाइन लगाने की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत् प्रयास करता है और पब्लिक का सहयोग लेता है। इन अभियानों में ये भी सुझाव प्राप्त हुए थे कि जिन बस स्टापों पर लोग लाइन न बनाते हों वहां बसें नहीं रुकनी चाहिए। इस सुझाव पर भी विचार किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ड्राइवर बसों को स्टापों पर बिना रोके चलाने का प्रयास न करें, मोबाइल स्क्वाड निरन्तर बसों की चेकिंग करते हैं, कमियों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया जाता है और इस सम्बन्ध में नियमों के उल्लंघन की सूचना मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

**एयर इण्डिया के वायुयानों की संख्या में वृद्धि करना**

1088. **श्री अमल दत्त** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने और वायुयान प्राप्त करने के लिए अभी तक कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) एयर इण्डिया के वायुयानों की संख्या में अब कितनी वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) एयर इण्डिया का यात्रियों, यात्री किलोमीटर और भाड़े (मनों और टन कि० मी० दोनों में) की वृद्धि से वर्ष 1985-86 की तुलना में इस वर्ष और अगले 3 वर्षों में कितना यातायात होगा ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) और (ख) एयर इंडिया ने पहले ही 1986-87 के दौरान छः ए 310-300 एयरबस विमानों को प्राप्त करने की पहले ही कार्रवाई कर दी है। उपरोक्त में से, तीन विमान पहुंच भी चुके हैं और इनका प्रयोग वाणिज्यिक सेवा में किया जा रहा है। शेष तीन विमानों के 1986 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा की जाती है।

"सम्राट कनिष्क" विमान जो 23 जून, 1986 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, के स्थान पर एक और विमान प्राप्त करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एयर इण्डिया ने 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर की योजना बताई है। सातवीं योजना के दौरान वर्षानुवर्ष वृद्धि दर अतिरिक्त विमानों के अन्तिम चयन और उन्हें बेड़े में शामिल किए जाने पर निर्भर करेगा जिसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

**कलकत्ता के घाटों का उपयोग**

1089. **श्री अमल दत्त** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भूमि और शैडों सहित कलकत्ता के घाटों के उपयोग करने के सम्बन्ध में किसी पार्टी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के प्रस्तावों की जांच की है और उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के उपयोग के लिए कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) जी हां। पूर्व रेलवे से सर्कुलर रेल चलाने के लिए कलकत्ता जेटी क्षेत्र में एक भूखण्ड का उपयोग करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार से उत्तर दक्षिण कारिडोर निर्मित करने के लिए कलकत्ता जेटी क्षेत्र में एक भूखण्ड को अन्तरित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) पूर्व रेलवे ने दोहरी ट्रैक वाली रेल लाइन बिछाने के मार्ग को अन्तिम रूप दिया है जिससे कलकत्ता जेटी क्षेत्र में लगभग 9.5 एकड़ भूमि रेलवे को अन्तरित की जानी है। अधिकांश भू-भाग रेलवे को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार को उत्तर दक्षिण कारिडोर के लिए अपेक्षित भूमि के बारे में सरकार ने अपेक्षित भूमि को अन्तरित करने की बात सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दी है और कारिडोर के एलाइनमेंट के लिए अनन्तिम रूप से सहमति के अनुसार इसके लिए कलकत्ता जेटी के भीतर लगभग 7.5 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। एलाइनमेंट को अन्तिम रूप

देने और भूमि का मूल्यांकन करने तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर कलकत्ता पोर्ट और राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

**हल्दिया और कलकत्ता पत्तनों में डुबाव**

1090. **श्री अमल दत्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवें दशक के आरम्भ से हल्दिया और कलकत्ता पत्तनों में डुबाव में यदि कोई कमी हुई है, तो कितनी; और

(ख) डुबाव में इस कमी का इन दोनों पत्तनों पर आने वाले जहाजों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) वर्ष 1964 और 1986 के बीच कलकत्ता में 0.7 मीटर डुबाव कम हो गया। हल्दिया के मामले में 1968 से डुबाव में 0.9 मीटर कमी आई है।

(ख) कलकत्ता में डुबाव कम होने के फलस्वरूप जहाजों द्वारा ढोए जा रहे औसत भार में गिरावट आई है। जब 1977 में हल्दिया में गोदी प्रणाली चालू की गई थी, तब हल्दिया में प्रतिवर्ष लगभग 200 जहाज आते थे जबकि अभी वहां आने वाले जहाजों की संख्या लगभग 550 है। तथापि डुबाव में कमी आने के कारण डेड वेट टनेज की क्षति होने से हल्दिया में बड़े आकार के जहाज आने में हिचकते हैं।

**मद्रास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में विलम्ब**

1091. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में मद्रास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या यह विलम्ब धन की कमी के कारण है अथवा किन्हीं अन्य कारणों से?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) और (ख) 30 जून, 198 तक इस परियोजना की वास्तविक प्रगति 9 प्रतिशत है। 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में से मार्च, 1986 तक इस परियोजना पर 8.30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चालू वर्ष 1986-87 में इस परियोजना के लिए 4 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। धन की तंगी के कारण इस परियोजना की प्रगति धीमी है।

**केन्द्रीय सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों में स्थानों का आबंटन**

1092. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने निदेशों के अन्तर्गत विभिन्न मेडिकल कालेजों में स्थानों के आबंटन के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : बिना मेडिकल कालेजों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, रक्षा कार्मिकों के बच्चों, अन्य अर्ध-सैनिक संगठनों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान शिक्षावृत्तियों प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों, अपने खर्च पर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों, बर्मा और श्रीलंका आदि से स्वदेश प्रत्यावर्तियों के लिए जो कुछेक सीटें मेडिकल कालेजों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय पूल को सौंप दी जाती हैं, भारत सरकार उनका आबंटन करती है। इन सीटों का आबंटन हर वर्ष भिन्न-भिन्न होता है जो केन्द्रीय पूल में उपलब्ध कुल एम० बी० बी० एस० सीटों पर निर्भर करता है। छात्रों का चयन और नामांकन उन सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एजेंसियों द्वारा किया जाता है जिन्हें ये सीटें आबंटित की जाती हैं। जब तक कोई छात्र/छात्रा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/सम्बन्धित कालेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रता सम्बन्धी शर्तें पूरी नहीं करता तब तक उसे किसी भी मेडिकल कालेज में प्रवेश नहीं दिया जाता।

## पूर्वी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम

1093. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पूर्वी क्षेत्र का समयबद्ध विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विकास कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) पूरा किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है और ये कब तक पूरे किए जाएंगे;

(घ) उन पर कितना अनुमानित खर्च किया जाएगा; और

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश के विकास के लिए भी इसी प्रकार का समयबद्ध कार्यक्रम सरकार के सक्रिय विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) से (घ) पूर्वी क्षेत्र में रेलों के विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। किन्तु, राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से तथा उस क्षेत्र के दूरस्थ पहाड़ी राज्यों के विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई रेल लाइनों का निर्माण आरम्भ किया गया है। सेवित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों सहित इन रेल लाइनों का ब्यौरा और उन पर अनुमानित लागत संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इन परियोजनाओं का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश अथवा किसी अन्य क्षेत्र में रेलों के विकास का कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। आन्ध्र प्रदेश राज्य में जिन नई रेल लाइनों का निर्माण आरम्भ किया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन परियोजनाओं का पूरा होना भी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन नई रेल लाइनों का ब्यौरा

| क्रम | रेल लाइन का नाम | सेवित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | अनुमानित लागत (करोड़ रु० में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नालीपाड़ा-भलकपोंग | असम/अरुणाचल प्रदेश | 9.97 | — |
| 2. | धर्मनगर-कुमारघाट | त्रिपुरा | 29.59 | धर्मनगर से पेचार-ताल तक का खण्ड मार्च, 1986 में खोल दिया गया है। |
| 3. | सिलचर-जीरीनाम | असम/मणिपुर | 25.31 | — |
| 4. | लालबाजार-भैरवी | असम/मिजोरम | 27.18 | — |
| 5. | आमगुडी-तुली | असम/नागालैण्ड | 5.83 | भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य स्थगित कर दिया गया है। |
| 6. | जोगीघोंपा में ब्रह्मपुत्र पर रेल-एवं-सड़क पुल और जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी रेल लाइन | असम | 190.00 | — |

विवरण-II

आन्ध्र प्रदेश में निर्माणाधीन नई रेल लाइनों का ब्यौरा

| क्र० सं० | रेल लाइन का नाम | प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपयों में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बीबीनगर-नडिकुडे | 45.58 | बीबीनगर-मरियलगुडा खण्ड यातायात के लिए खोल दिया गया। |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 2. भद्राचलम-मानुगुरु | 19.95 | यातायात के लिए खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य चल रहे हैं। |
| 3. मोटूमारी-जग्गैपेट्ट | 19.38 | — |
| 4. अदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी | 15.65 | अंशतः महाराष्ट्र में। |
| 5. तेलापुर-पाटनचेरु | 7.00 | — |
| 6. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग | 20.20 | अंशतः कर्नाटक में |

**राज्य सड़क परिवहन निगम का घाटा**

1094. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है; और

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि वित्तीय बाधाओं के कारण राष्ट्रीयकृत बसों का प्रतिशत जो मार्च, 1981 में 45.2 था, से घटकर मार्च, 1985 में 38.7 रह गया है;

(ग) क्या छठी योजना के दौरान सभी राज्य सड़क परिवहन निगमों को 1434 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ; और

(घ) यदि हां तो पूंजी पर अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए परिचालन लागत कम करने तथा सड़क परिवहन के गैर-सरकारीकरण को रोकने के लिए किन प्रभावी उपायों का सुझाव दिया गया है ?

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार इन पर कुल 919 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(घ) अध्ययन में सुझाए गए उपायों में लागत पर आधारित भाड़ा ढांचा, अनुरक्षण सुविधाओं में सुधार जैसे उत्पादकता बढ़ाने के उपाय और काफी पुरानी बसों को बदलना, राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले करों को युक्तिसंगत बनाना, दुर्गम क्षेत्रों के रूटों पर प्रचालन के लिए सबसिडी की पद्धति और रियायती पास आदि सम्मिलित हैं।

**रेल विभाग में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना**

1095. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**
**डा० ए० के० पटेल :**

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984, 1 जनवरी, 1985 और 1 जनवरी, 1986 को प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे विभाग में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी थी तथा उनमें से कितनों की सेवाएं नियमित रोजगार सम्बन्धी नियमों से बचने के लिए सेवा में अन्तराल देने के बाद जारी रखी जा रही हैं;

(ख) दो या उससे अधिक अन्तराल के बाद कितने श्रमिकों को, क्षेत्र-वार कार्य पर रखा गया है; और

(ग) नियमित रोजगार में उन्हें खपाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**रेलवे के कार्यचालन व्यय की प्रतिशतता उसकी आय से अधिक होना**

1096. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना अवधि 1980-85 के दौरान रेलवे के परिचालन व्यय के अनुपात (आय की अपेक्षा कार्यचालन व्यय की प्रतिशतता) में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान व्यय और आय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यय पर नियन्त्रण रखने के लिए उठाए गए कदमों तथा उससे प्राप्त परिणामों के ब्यौरे सहित व्यय में बढ़ोतरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान यातायात और शुल्क की दरों में कितनी बार वृद्धि की गई है ?

**रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी नहीं, छठी योजना के दौरान परिचालन अनुपात में ह्रास नहीं आया जैसा कि इस तथ्य से पता चलेगा कि छठी योजना के पहले वर्ष अर्थात् 80-81 में यह 96.1 प्रतिशत था और सातवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 85-86 (स० अ०) में परिचालन अनुपात 91.3 प्रतिशत है ।

वास्तव में भारतीय रेलों ने परिचालन अनुपात में यह वृद्धि निम्नलिखित तथ्यों के बावजूद प्राप्त की है :

(1) रेलों की निवेश लागतों के भारित सूचकांक में हुई वृद्धि की तुलना में रेलवे टैरिफ में वृद्धि काफी कम रखके टैरिफ में संयम बरतने की विवेकपूर्ण नीति जारी रखी गई।

(2) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में अंशदान में भारी वृद्धि की गई जो 80-81 के 220 करोड़ रुपए की तुलना में 85-86 में 920 करोड़ रुपए कर दिया गया।

(ख) 1980-81 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान खर्च और आमदनी का ब्यौरा, वर्ष-वार नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | खर्च | आमदनी |
|---|---|---|
| 1980-81 | 2538.83 | 2642.78 |
| 1981-82 | 3189.36 | 3567.43 |
| 1982-83 | 3888.77 | 4401.96 |
| 1983-84 | 4669.13 | 4992.47 |
| 1984-85 | 5164.30 | 5365.64 |
| 1985-86 (स० अ०) | 5809.35 | 6364.00 |

(ग) खर्च में वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई :

(1) महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों की तथा अन्तरिम सहायता की स्वीकृति के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन विलों में वृद्धि ।

(2) सामग्री की लागत तथा ईंधन की दर में वृद्धि ।

(3) बदलाव की लागत में हुई वृद्धि की पूर्ति करने के लिए तथा पुरानी परिसम्पत्तियों के बदलाव के बकाया काम को निपटाने के लिए मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में विनियोग की राशि में भारी वृद्धि ।

(4) पेंशन के लिए विकल्प देने वालों की संख्या में और पेंशनीय लाभों की राशि में वृद्धि के कारण पेंशन भुगतानों में बढ़ोतरी को देखते हुए पेंशन निधि में विनियोग में वृद्धि ।

जहां तक खर्च पर नियन्त्रण रखने के लिए किए गए उपायों का सम्बन्ध है अनावश्यक खर्च को रोकने तथा जहां सम्भव हो किफायत बरतने की दृष्टि से भी, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर, एक अतिरिक्त महाप्रबन्धक खर्च पर निगरानी रखता है । यह उल्लेखनीय है कि खर्च में वृद्धि के लिए जिम्मेवार अधिकांश पहलू रेल विभाग के नियन्त्रण से बाहर हैं ।

(घ) 1980-85 की अवधि में प्रस्तुत किए गए बजटों में टैरिफ में पांच बार वृद्धि की गई थी । लेकिन टैरिफ में वृद्धि की दर को रेलों में निवेश लागतों के सूचकांक में हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम रखा गया है ।

**"वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन वार्निंग एगेंस्ट टोबेको पेण्डेमिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

1097. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1986 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित "वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन वार्निंग एगेंस्ट टोबको पेण्डेमिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सांविधिक चेतावनी जारी की है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ग) यह चेतावनी कब जारी की गई थी और उसके बाद धूम्रपान और तम्बाकू के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के लिए और आगे क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान धूम्रपान के विरुद्ध जन जागरूकता पैदा करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता की जानकारी है ।

(ख) से (घ) सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 एक अप्रैल, 1976 से लागू हुआ । इस अधिनियम के अन्तर्गत इस सांविधिक चेतावनी की कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" सिगरेट के प्रत्येक पैकेट/डिब्बे/विज्ञापन/तख्तों पर सिगरेट के निर्माताओं अथवा इसके व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक होता है ।

इसके अतिरिक्त, लोगों को धूम्रपान से निरुत्साहित करने के लिए सरकार ने आम तौर पर निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तम्बाकू पीने के आदी लोगों को उनकी तम्बाकू पीने की आदत छुड़वाने के लिए राजी करने से सम्बन्धित परियोजनाओं का संचालन/मॉनीटरिंग कर रही है ।

(2) यह फैसला किया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन धूम्रपान को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेंगे ।

(3) खेल विभाग ने एशियाई खेलों के स्टेडियमों में शराब और सिगरेटों से सम्बन्धित विज्ञापन-तख्तों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए हिदायतें जारी की हैं ।

**तेलुगु-गंगा परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुख्य मन्त्रियों की बैठक**

1098. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलुगु-गंगा परियोजना पर चर्चा करने के लिए केन्द्र द्वारा हाल ही में आयोजित चार मुख्य मन्त्रियों की बैठक इस बीच स्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक स्थगित करने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या प्रधान मन्त्री इस मामले में प्रत्येक मुख्य मन्त्री से अलग-अलग चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं और यदि हां, तो कब ?

**जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री बैठक में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने अपनी सरकार के पक्ष को दोहराते हुए 29-5-1986 को प्रधान मन्त्री को लिखा कि इस परियोजना में कोई अन्तर्राज्यीय मामले शामिल नहीं हैं और यदि केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री यह बैठक करने के लिए आग्रह करते हैं तो वह अपने बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मन्त्री को इस बैठक में भाग लेने के लिए भेजेंगे।

(ग) प्रधान मन्त्री ने आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मुख्य मन्त्रियों को 6 मई, 1985 को पत्र लिखा था जिसमें उनसे आग्रह किया गया था कि इस परियोजना पर शीघ्र ही विचार किया जाए ताकि समस्याओं का इस प्रकार से समाधान किया जा सके जोकि सभी सम्बद्ध राज्यों के लिए लाभकारी हो।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को 30 अक्तूबर, 1985 तथा 2 मार्च, 1986 को दो ज्ञापन प्रस्तुत किए थे तथा प्रधान मन्त्री ने 11-4-1986 को हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था। प्रधान मन्त्री इस बात के लिए इच्छुक हैं कि समस्याएं हल हो जाएं तथा पानी का ईष्टतम उपयोग किया जा सके।

**आकाशवाणी और दूरदर्शन से अनौपचारिक शिक्षा**

1099. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालय न जाने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के साधन का प्रभावी रूप से उपयोग करने का है क्योंकि नयी शिक्षा नीति में अनौपचारिक शिक्षा पर जोर दिया गया है;

(ख) क्या अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए संचार के इन आधुनिक साधनों में आवश्यक प्रबन्ध किए गए हैं;

(ग) क्या देश में उस दिशा में कोई परीक्षण किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य उन्नत देशों द्वारा प्राप्त इस प्रकार के अनुभव पर निर्भर रहेगी ?

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) से (ग) उन शैक्षिक कार्यक्रमों का, जो सामान्यतः प्राथमिक स्कूली बच्चों पर लक्षित उमदा किस्म के हैं, अब प्रसारण करने के लिए काफी समय से रेडियो और दूरदर्शन का प्रयोग किया जा रहा है। ये कार्यक्रम गैर-औपचारिक प्रणाली के छात्रों द्वारा प्रयोग करने के लिए भी उपलब्ध हैं, यद्यपि, गैर-औपचारिक क्षेत्र में शिक्षा के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रयोग करने के लिए कोई विशिष्ट परियोजना कार्यान्वित नहीं की रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह उल्लेख किया गया है कि दोनों औपचारिक और गैर-औपचारिक क्षेत्रों में उपयोगी सूचना के प्रसार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा।

कार्यक्रमों में नीति के विभिन्न प्रावधानों को कार्यक्रमों में बदलने के लिए एक कार्रवाई योजना मंत्रालय में अलग से तैयार की जा रही है, जिसमें दोनों औपचारिक और गैर-औपचारिक क्षेत्रों में शिक्षा के लिए रेडियो और टेलीविजन का प्रयोग शामिल होगा।

(घ) सरकार समस्त उपलब्ध प्रासंगिक अनुभव पर निर्भर करेगी। इसमें उन्नत देशों के इसी प्रकार के अनुभव भी शामिल हैं।

**कम्प्यूटरों से न किये जाने वाले आरक्षण में कदाचार**

1100. **श्री के० वी० शंकरगौड़ा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कम्प्यूटरों से किये जाने वाले आरक्षण तथा टिकटों की बुकिंग करने वाले अनुभागों में गम्भीर अनियमितताएं पकड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर रेलवे के अनेक कर्मचारियों के विरुद्ध अवचार के मामले दर्ज किए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच से बुकिंग क्लर्कों द्वारा रद्द आरक्षणों के स्थान पर आरक्षण में यात्रियों के नाम डालकर गम्भीर अवचार किए जाने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर रेलवे ने क्या कार्यवाही की है और भविष्य में ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

**रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) रेलों पर आरक्षण में कदाचारों की रोकथाम के लिए सतर्कता और वाणिज्यिक विभागों द्वारा की जाने वाली जांच एक नियमित प्रक्रिया है। नयी दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में की गयी जांच के दौरान कम्प्यूटर से न किए गए आरक्षण में कतिपय अनियमितताएं पकड़ी गयी हैं।

(ख) उत्तर रेलवे के चार कर्मचारियो के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के मामले दर्ज किए गये हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामलो की अभी जांच की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आगे की कार्रवाई निर्धारित की जायेगी।

**नौवहन विकास निधि समिति को बन्द करना**

1101. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** :
**श्री मुरलीधर माने** :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवहन विकास निधि समिति, जो कि देश में नौवहन कम्पनियों को मत्स्य पोत खरीदने के लिए रियायती शर्तों पर ऋण देने की अनुमति हेतु गठित की गई थी, बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पोतों के निर्माण के लिए विभिन्न पोतों/यार्डों को काफी मात्रा में धनराशि पहले ही दी जा चुकी है, नौवहन विकास निधि समिति को समाप्त करने का नौवहन-कम्पनियों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

**जल भ-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) और (ख) सरकार ने जहाजों के वित्त पोषण का काम नौवहन विकास निधि समिति से वित्त मन्त्रालय के अधीन नए पदनामित संस्थान को अन्तरित करने का निर्णय लिया है। अब तक नौवहन विकास निधि समिति फिशिंग वैसलों और जहाजों की खरीद के लिए रियायती दरों पर ऋण दिया करती थी। नौवहन उद्योग के महत्व और इसमें निहित विशेष प्रकार के मुद्दे तथा नौवहन उद्योग को ऐसी व्यवस्था की ओर अभिमुख करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है, जहां से वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अपेक्षित ऋण उपलब्ध होगा। ऐसी व्यवस्था से ऋण की मंजूरी, भुगतान और वसूली में अधिक व्यावसायिक कुशलता आएगी। इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था से सातवीं योजना में नौवहन विकास निधि समिति को बजटीय सहायता के रूप में जो धनराशि उपलब्ध होती उसकी तुलना में नौवहन उद्योग को दिए जाने वाले कुल ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी।

(ग) उपर्युक्त निर्णय से उन नौवहन कम्पनियों पर किसी प्रकार का असर पड़ने की संभावना नहीं है जिन्हें ऋणों की मंजूरी दी गई है, जिसका भुगतान विभिन्न शिपयार्डों को जहाजों के निर्माण के लिए किया जा चुका है। आवश्यक विधायी अधिनियमों सहित उपर्युक्त निर्णय को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है।

**नशीले पदार्थों के सेवन की आदत छुड़ाने वाले केन्द्रों की स्थापना**

1102. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशीली औषधों के सेवन और उनकी आदत पड़ जाने की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन की आदत छुड़ाने वाले कुछ केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो नशीले पदार्थों के सेवन को आदत छुड़ाने वाले इन केन्द्रों की स्थापना के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं;

(ग) इन केन्द्रों के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) से (घ) जी हां। सरकार अब देश-भर में नशीले पदार्थों के सेवन की आदत छुड़ाने वाले केन्द्रों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय योजना पर विचार कर रही है।

## वायुदूत सेवा से न जुड़े हुए राज्य

1103. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो वायुदूत सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं; और

(ख) क्या सरकार का उन राज्यों में वायुदूत सेवा का विस्तार करने का कार्यक्रम है ?

**नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) इस समय वायुदूत निम्नलिखित राज्यों में प्रचालन नहीं कर रही है :—जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और तमिलनाडु ।

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान वायुदूत का विचार, जम्मू और कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में विमान सेवाएं प्रचालित करने का है ।

## सफदरजंग अस्पताल में कैंसर के रोगियों के लिए सुविधाएं

1104. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में कैंसर के रोगियों के लिए बिस्तर सहित उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की तरह का एक पृथक राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : (क) जी हां । वैसे, एक सीमा से आगे सुविधाओं का विस्तार करने में कुछ भौतिक सीमाएं हैं क्योंकि सफदरजंग अस्पताल एकमात्र कैंसर के रोगियों के इलाज का एक विशिष्ट अस्पताल नहीं है । दिल्ली में कैंसर के उपचार की सुविधाएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में भी उपलब्ध हैं ।

(ख) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

**12.00 मध्याह्न**

[अनुवाद]

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : मैंने नेशनल हेराल्ड में चल रहे बन्द के सम्बन्ध में नोटिस दिया है । इसके कर्मचारी और पत्रकार वोट क्लब आ रहे हैं ।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आप दे दीजिए, मैं देख लूंगा । ऐसे नहीं ।

[अनुवाद]

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने कहा है—यह गैर कानूनी है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : यह बन्द तीन महीनों से चल रहा है । क्या इस देश में कोई कानून है ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप कोई प्रस्ताव रख सकते हैं ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : मैंने प्रस्ताव रखा है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं । यह प्रश्न स्थगन प्रस्ताव का नहीं है ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : ऐसी बातें लम्बे समय तक नहीं चलतीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर कोई अन्य प्रस्ताव रखिए ।

(व्यवधान)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : लेकिन प्रबन्धक उनसे बात करने से इन्कार कर रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैंने अनुमति नहीं दी है । आप कोई दूसरा प्रस्ताव रख सकते हैं ।

(व्यवधान)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार कर सकता हूं ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देने जा रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेरे पास आ सकते हैं । मैं हर वक्त तैयार हूं ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : यह प्रस्ताव उठाना होगा । सरकार को आगे आकर इसमें हस्तक्षेप करना होगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप यह पुस्तक पढ़ें·····

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : मैंने पढ़ी है ।

**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर आपने यह प्रश्न इस तरह कैसे उठाया है ? आप मेरे पास आ सकते हैं ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : मैं आपको पहले ही नोटिस दे चुका हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता। यदि यह ठीक है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

**(व्यवधान)**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : ऐसा तीन महीने से चल रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेरे पास आ सकते हैं।

**डा० दत्ता सामन्त** (बम्बई दक्षिण मध्य) : दिल्ली प्रशासन ने इस बन्द को अवैध घोषित किया है। **(व्यवधान)**

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : हमने दार्जिलिंग के मामले के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा है।

**श्री अमल दत्त** (डायमंड हार्बर) : नशीली दवाइयों और हशीश का एक अवैध व्यापारी··· ···**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस तरह नहीं पूछ सकते। इसकी अनुमति नहीं है।

**(व्यवधान)****

**श्री अमल दत्त** : चूंकि समाचार पत्रों में कहा गया है कि वह···के मित्र हैं। **(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : किसी पर आरोप लगाने की अनुमति नहीं है।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : आप वकील हैं। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

**(व्यवधान)****

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : गृह मन्त्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य क्यों नहीं देते? **(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी अनुमति नहीं है।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। सभा के कुछ नियम-विनियम हैं। समाचार पत्रों में कई बातें प्रकाशित होती हैं। जब तक मैं उनकी जांच न कर लूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरे, जब तक कोई व्यक्ति दोषी न ठहराया जाए अथवा पकड़ा न जाए, हम कैसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति कैसा है।

---

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री अमल दत्त** : वह बदनाम व्यक्ति है।

**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है। लेकिन मुझे इसका पता लगाना होगा। आप सभा में इस तरह किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमान अमल दत्त, यदि आप इस तरह चिल्लाएं तो मुझे भी चिल्लाना पड़ेगा।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : पुनः आप वही कर रहे हैं। आप इस बारे में मुझे नोटिस दे सकते हैं। मैं उसे आगे पहुंचा दूंगा।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप अनावश्यक रूप से सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : मैं एक बहुत ही गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

**श्री बसुदेव आचार्य** : परसों आपने कहा था कि आप तथ्य एकत्रित कर रहे हैं। आज 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में यह आया है कि·····**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : किसी का नाम नहीं लिया जाएगा।

**(व्यवधान)****

**श्री मानिक सान्याल** (जलपैगुड़ी) : क्या किया जा सकता है ?

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिख सकते हैं। मैं इसे इस तरह स्वीकार नहीं कर सकता।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : पुनः कुछ कहा जा रहा है। श्री सान्याल जी, आपकी यह बड़ी खराब आदत है। यदि आपको गुस्सा आता है तो मैं भी गुस्सा कर सकता हूं। यदि आप चिल्लाते हैं तो मैं आपसे तेज चिल्ला सकता हूं। फिर आप क्यों चिल्ला रहे हैं।

**(व्यवधान)**

---

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमान अमल दत्त, इधर देखिए। सुनिए, कुछ ऐसी बातें हैं.....

**श्री अमल दत्त** : आप हमारी बात सुने बिना अपना विनिर्णय दे रहे हैं। हमारी बात सुने बिना अपना विनिर्णय देने की क्या तुक है ? आप पहले हमारी बात सुनिए फिर अपना विनिर्णय दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं पर आप कितनी देर से चिल्ला रहे हैं।

**श्री अमल दत्त** : क्या आपने इसे पढ़ा है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सब कुछ पढ़ा है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है, उनकी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपसे यह कहा है कि देश में 1000 समाचार पत्र प्रकाशित हों या 10000। समाचार पत्रों मे कई बातें प्रकाशित हो सकती है। समाचार पत्रों के सम्पादक और लेखक भी हमारे ही भाई हैं, वे कोई आसमान से नहीं टपके हैं, वे भी हमारी ही तरह हैं।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात ठीक नहीं है। वे लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जांच करनी होगी।

इधर देखिए। आपके फिर इस तरह चिल्लाने से यह बात अधिक संगत नहीं हो जाएगी।

(व्यवधान)**

**श्री अमल दत्त** : तो फिर आप मुझे अनुमति दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : जब तक मैं इसकी जांच न कर लूं, मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप यह मुझे दीजिए और मैं उन्हें लिख दूंगा।

(व्यवधान)**

**श्री सुरेश कुरूप** (कोट्टायम) : आप गृह मन्त्री जी को वक्तव्य देने के लिए कह सकते है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मौखिक रूप से मैं इसे नहीं ले सकता। आप लिखकर दीजिए। यदि कोई बात होगी तो मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको चिल्लाने से क्या मिलता है ? यदि आप चिल्लाएंगे तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसमें गड़बड़ कर रहे हैं । मैं अपना समय ले रहा हूं । आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा । किसी को अनुमति नहीं दी गई है ।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपसे कई बार कहा है कि चिल्लाने की बजाय कोई ठोस काम कीजिए ।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमान सान्याल आपको कोई बात सुनने नहीं देंगे । आप सबकी बहुत बुरी आदत है ।

**श्री अमल दत्त** : हम सब लोग खराब हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं आपकी आदतें खराब हैं ।

**श्री अमल दत्त** : क्योंकि हम बता रहे हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है.....

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कल समाचार पत्रों में तुम्हारे विरुद्ध भी कोई बात कही जा सकती है ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : भगवान के लिए चिल्लाइए मत । हमें प्रक्रिया का पालन करना होगा ।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : सभा में शान्ति रखिए । माननीय सदस्य मैं नहीं जानता, आपको इससे क्या मिलता है । आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा । मैं प्रक्रिया को अनदेखा नहीं कह सकता । यह बिलकुल साधारण सी बात है ।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या है ? आपको मुझे नोटिस देना होगा ।

**(व्यवधान)****

---

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**अध्यक्ष महोदय** : कल आपके विरुद्ध भी कोई बात कही जा सकती है।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : आपको मुझे लिखित में देना होगा।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आपकी जो मर्जी हो कीजिए।

**(व्यवधान)****

**(इस समय श्री अमल दत्त सभा-भवन से बाहर चले गए)**

---

**12.07 म० प०**

## सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

### ब्रह्मपुत्र बोर्ड (बोर्ड की सहायता करने अथवा उसे सलाह देने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन या उसके प्रतिनिधि का सहयोजन) विनियम, 1986

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : मैं ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 की धारा 30 के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड की सहायता करने अथवा उसे सलाह देने के लिए किसी व्यक्ति अथवा संगठन अथवा उसके प्रतिनिधि का सहयोजन विनियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 278 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी-2777/86]**

### भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (लेखाओं का वार्षिक विवरण) संशोधन नियम, 1985

**नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : मैं अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (लेखाओं का वार्षिक विवरण) संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 27 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 942 (अ), में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, सभा-पटल पर रखता हूं।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2778/86]**

---

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिवेदन**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : मैं रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2779/86]**

**पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 की धारा 41 के अधीन अधिसूचना पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखे; हैदराबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा**

**शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं—

(1) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 41 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के परिनियम 1 (4) में किए गए परिवर्धन और प्रतिस्थापन के बारे में अधिसूचना संख्या पी० सी० यू०/ए० एस्ट०/25/85 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 7 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2780/86]**

(2) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2781/86]**

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2781/86]**

(4) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2782/86]

(6) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2783/86]

(8) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2784/86]

(10) (एक) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2785/86]

**दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा**

**जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एस० टी०-2786/86]

**केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एस० टी०-2787/86]

(3) (एक) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2788/86]

**मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित)** : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) विवरण संख्या 15—चौदहवां सत्र, 1984—सातवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2789/86]

(2) विवरण संख्या 12—पन्द्रहवां सत्र, 1984—सातवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2790/86]

(3) विवरण संख्या 9—पहला सत्र, 1985—आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2791/86]

(4) विवरण संख्या 9—दूसरा सत्र, 1985—आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2792/86]

(5) विवरण संख्या 6—तीसरा सत्र, 1985 आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2793/86]

(6) विवरण संख्या 5 —चौथा सत्र, 1985—आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2794/86]

(7) विवरण संख्या 2—पांचवां सत्र, 1986—आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2795/86]

---

12.08½ म० प०

## राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

**महा-सचिव** : मुझे राज्य सभा के महा-सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपलब्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 23 जुलाई, 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित *वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1986 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश* हुआ है।"

---

12.09 म० प०

## वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1986

[अनुवाद]

**महा-सचिव** : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1986 सभा-पटल पर रखता हूं।

---

[अनुवाद]

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : मैं एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपके मित्र आपको किसी भी चीज की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : किसी का नाम लेने की अनुमति नहीं है। कोई भी बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न की जाये।

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्यों ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि आप व्यवस्थित नहीं हैं। आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, अतः आपको अनुमति नहीं दी जा रही है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्यों, जी ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि आपको अनुमति नहीं दी जा रही है। आपके लिए कोई प्रामाणिक आधार नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सैफुद्दीन, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। किन्तु जिस प्रकार आप ऐसा करते हैं, यह अत्यन्त अनुचित ढंग है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : मैं भी आपका बहुत आदर करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर आप इस पर बातचीत क्यों नहीं करते हैं? आप व्यर्थ क्यों सदन का समय नष्ट कर रहे है? मैं प्रक्रिया के अनुसार कुछ भी स्वीकार कर सकता हूं। मैंने किसी चीज पर रोक नहीं लगाई है। किन्तु, यदि आप इस प्रकार चिल्लाएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा।

---

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : हमने सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने मुझे सूचना दी है। वह मैंने अस्वीकार की है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। आप दूसरे प्रस्तावों के अन्तर्गत आ सकते हैं। समझौते के अन्य रास्ते भी हैं। आप आकर चर्चा कर सकते हैं। साधारण सी बात है। आपको इतना कुछ करना है! कोई समस्या नहीं है। सरकार को भी अनुमति दी जा सकती है, आपको भी अनुमति दी जा सकती है। आपने किसी आधार के बिना दस मिनट नष्ट किए हैं·····

**(व्यवधान)**

**श्री वसुदेव आचार्य** : गोरखालैंड के सम्बन्ध में·····(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी ऐसी बात की अनुमति नहीं दूंगा जो नियम के बाहर हो। यदि वह नियम के अन्तर्गत है, तो मैं अनुमति दे सकता हूं·····

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : शान्त रहिए। मत चिल्लाइए।

[**हिन्दी**]

आप लोगों को क्या शर्म नहीं आती। मि० सान्याल, आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है।

**(व्यवधान)**

[**अनुवाद**]

**श्री वसुदेव आचार्य** : केन्द्रीय सरकार चुप है। गृह मन्त्री को उनकी गतिविधियों की निन्दा के लिए वक्तव्य देना होगा।·····(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपने होम मिनिस्टर से कहिए कि उसको पकड़कर बन्द कर दें।

**(व्यवधान)****

[**अनुवाद**]

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा व्यवहार मत कीजिए। कृपया बैठ जाइए। श्री जैन·····

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : महोदया, कृपया बैठ जाइए। सदन में उपद्रव मत उठाइए।

[**हिन्दी**]

क्या कोई फायदा है इसका आप लोगों को। न आप उनकी बात सुनते हैं और न वे आपकी बात सुनते हैं। न आपकी बात कोई रिकार्ड पर जाती है और न उनकी कोई बात रिकार्ड पर जाती है। आप लोग एक दूसरे की बात ही सुनते नहीं हैं। इससे न कोई फायदा आपको है और न ही कोई फायदा उनको है।

---

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

यह व्यर्थ हो रहा है । हमें यह काम उचित ढंग से करना चाहिए ।

[हिन्दी]

जो होगा, ठीक ढंग से होगा ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए और बात मत कीजिए । आपको कहीं ब्लड प्रेशर हो गया तो मुझे यहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी ।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आपको बता रहा हूं, एक बात आपको थोड़ी-सी समझ में नहीं आती । आप लोग क्यों आपस में बात कर रहे हैं । मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसका कोई अर्थ नहीं है । आप जितनी बात कर रहे हो, वह कोई रिकार्ड पर नहीं है । आपकी बात वह नहीं समझ पा रहे हैं और न ही हमें समझ में आ रही है और न हमारी बात आपकी समझ में आती है । इसका कोई फायदा नहीं है । मैं इसको देखूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो अलाऊ करूंगा । जब तक आपने मुझे बिठाया है तब तक फैसला करूंगा और अलाऊ करूंगा । झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : रावत जी, आप चुप क्यों नहीं बैठ सकते । आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाती है । आपको शर्म नहीं आती है ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है, फायदा क्या हुआ । मेरा ख्याल है, मैं इनको एक कमरे में बन्द कर देता हूं, जहां ये लोग चिल्लाकर आ जाएंगे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : पहले आप झगड़ा कर लीजिए, फिर मैं बात करूंगा ।

[अनुवाद]

आप भी बराबर की टक्कर ले रहे हैं ।

[हिन्दी]

उनको तो रज लेने दो, फिर बात करूंगा । सेटल हो गया क्या ।

(व्यवधान)**

---

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : क्या अब आप सन्तुष्ठ हैं ? अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं ।

[हिन्दी]

**श्री पी० नामग्याल** (लद्दाख) : अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि चीन और हमारे देश के दरमियान बीजींग में जो बात सीमा विवाद पर चल रही है, वह बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई, लेकिन कल के ट्रिब्यून में जो छपा है वह इस प्रकार है कि लद्दाख क्षेत्र में चीन ने नोमेन लैंड में आकर घुसपैठ की है और चौकियां बना ली हैं, इस बारे में·····

**अध्यक्ष महोदय** : आप पार्लियामेंट में नहीं आते तो मेरा क्या कसूर है ।

**श्री पी० नामग्याल** : वहां पर जो वार्ता हुई हम उसके बारे में पूछना चाहते हैं···

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने पहले डिसीजन ले रखा है कि इस पर डिसकशन होगा ।

**श्री पी० नामग्याल** : सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे, क्योंकि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है उन्होंने लद्दाख में अपनी चौकियां बना ली हैं·····

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप शोर करते रहेंगे तो इसका मेरे पास क्या इलाज है । आप अगर पार्लियामेंट में हाजिर न हों तो मेरा कसूर नहीं है । आप अगर पार्लियामेंट में रहते तो आपको पता चलता कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि इस पर डिसकशन होगा, इसमें कोई झगड़ा नहीं है और आपको यह करने की जरूरत नहीं पड़ती । मैं यही तो कह रहा हूं कि होगा, कोठे पर चढ़कर या कुतुब मीनार पर चढ़कर कहूं, आप नहीं सुनते हैं तो मेरा कसूर नहीं है ।

अनुवाद]

आप अपने संसदीय कर्तव्यों को निभाएं । जब एक बहुत अच्छी चर्चा होती है तो यहां सिर्फ 15 सदस्य होते हैं ।

[हिन्दी]

**श्री हरीश रावत** (अल्मोड़ा) : हम आपके इरादे को और पक्का करना चाहते थे ।

**अध्यक्ष महोदय** : शोर करने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं ।

**श्री प्रभात कुमार मिश्र** (जंजगीर) : मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके की ओर दिलाना चाहता हूं···

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिखकर दीजिए ऐसे मालम नहीं होगा ।

———

12.16 म० प०

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

### देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

**श्री बृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में वह एक वक्तव्य दें।

"देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति तथा इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[अनुवाद]

**कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों)** : महोदय, मुझे सदन के अन्य सदस्यों की तरह इस बात की चिन्ता है कि देश के कई भागों में सूखे की लम्बी अवधि के कारण लोग पीड़ित हो रहे हैं। 1985-86 के दौरान 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 260 जिलों की 1490 लाख आबादी, 436 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र और 1129 लाख पशु सूखे से प्रभावित हुए थे। चालू वित्तीय वर्ष में मानसून से पहले के मौसम के दौरान 7 राज्यों के 106 जिले, 740 लाख आबादी, 190 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र और 645 लाख पशु सूखे से प्रभावित हुए थे। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के राज्य 1986-87 के मानसून पूर्व की अवधि के दौरान भी सूखे से प्रभावित हुए हैं। वर्ष 1986 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के कुछ भाग ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण फसलों तथा आवासों को क्षति पहुंची है। असम और त्रिपुरा के लोगों को इस वर्ष अग्नि से हानि हुई है। इस वर्ष जम्मू व कश्मीर को भी भारी हिमपात तथा बाढ़ से क्षति पहुंची है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चम्बा तथा मण्डी जिलों के लोग भूकम्प से पीड़ित हुए।

भरतपुर जिले के नदबाई तहसील में लगभग 136 कि० मी०/घण्टे की रफ्तार से तीव्र व तूफानी झंझा आया तथा उसके बाद ओलावृष्टि हुई और धौलपुर जिले तथा अलवर जिले के भोवाडी औद्योगिक क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान आया, जिससे लगभग 100 गांवों में भारी क्षति हुई।

चालू वर्ष के दौरान, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्य भारी वर्षा/अत्यधिक बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं। तथापि, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि देश के कुछ भागों को छोड़कर अधिकांश भागों में चालू मानसून के दौरान काफी अच्छी वर्षा होने के कारण सूखे का दबाव कम हो गया है।

हालांकि राहत तथा पुनर्वास सम्बन्धी कार्यकलाप को करने की जिम्मेदारी मूल रूप से राज्य सरकारों की ही है, भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न हो रही स्थिति के प्रति पूरी तरह से सजग है और राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके प्रभावित लोगों की विपदाओं को कम करने की दृष्टि से केन्द्रीय सहायता के माध्यम से सभी सम्भव सहायता दे रही है।

12.25 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जैसा कि सदस्यों को मालूम है, राहत सम्बन्धी व्यय की वित्तीय पद्धति 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों और उस पर लिए गए सरकार के निर्णयों पर आधारित होती है। राज्यों के पास सीमान्त धनराशि वर्ष 1985-86 से आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 100.55 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 240.75 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे राज्य तत्काल कार्यवाही करने में सक्षम होंगे। आयोग ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि साधारण तरीके से सीमान्त धनराशि बढ़ाने से राज्यों के लिए और अधिक सहायता मांगे बिना प्राकृतिक विपदा से निपटना सम्भव हो जाएगा। सम्बन्धित राज्य सरकारों के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सहायता की मंजूरी जारी होने तक साधनोपाय अग्रिम राशि मंजूर की जाती है। इस प्रकार सीमान्त धनराशि और साधनोपाय अग्रिम राशि के रूप में केन्द्रीय सहायता यह सुनिश्चित करती है कि धनराशि की कमी के कारण राहत कार्यों में देर न हो।

विपदा का प्रथम संकेत मिलते ही, कृषि मन्त्रालय सम्बन्धित राज्य सरकारों से वहां की वास्तविक स्थिति तथा उससे निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क करता है। आपदा आने की रिपोर्ट प्राप्त होने के समय सर्वेक्षण दल भी भेजे जाते हैं। प्रधान मन्त्री ने मौजूदा स्थिति तथा लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले ही कुछ प्रभावित राज्यों का दौरा किया है।

प्रत्येक वर्ष, अग्रिम में की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही के मार्गदर्शन बताते हुए, मानसून शुरू होने से पहले ही सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे जाते हैं, ताकि बाढ़ों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां की जाए। इस वर्ष 29 मई, 1986 को सभी राज्यों को एक पत्र भेजा गया था। राज्य सरकारों के राजस्व मन्त्रियों का एक सम्मेलन इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया और प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राहत आयुक्तों का एक सम्मेलन प्रत्येक वर्ष तैयारी के स्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ऐसा एक सम्मेलन 30 जून, 1986 को आयोजित किया गया था।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूखा राहत के लिए वर्ष 1985-86 में उपयोग के लिए 467.81 करोड़ रुपए की अधिकतम व्यय राशि और 1986-87 में उपयोग के लिए 298.32 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बाढ़, चक्रवात आदि के लिए 1985-86 में उपयोग के लिए 558.31 करोड़ रुपए और राजस्थान राज्य के मुख्य कार्य के लिए 32.37 करोड़ रु० की मंजूरी हुई है। 1986-87 में उपयोग के लिए अब तक 66.93 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, आग से होने वाली क्षति से राहत के लिए 1985-86 में 2.38 करोड़ रुपए की राशि और 1986-87 में 0.096 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भूकम्प से राहत के लिए वर्ष 1985-86 में असम के लिए 1.43 करोड़ रुपए की व्यय की अधिकतम राशि स्वीकृत की गई थी।

भारत सरकार ने पिछले वर्ष यह निर्णय किया था कि राज्य सरकारों को राहत कार्यों में काम पर लगे कामगारों को राजसहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई किए गए गेहूं और चावल पर राज-सहायता और इसकी सम्भाल की लागत की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र को 55,000 मीटरी टन गेहूं आबंटित किया गया। भारत सरकार ने सूखे के दौरान चारे की रेल और सड़क दोनों द्वारा ढुलाई की लागत वहन करने का भी निर्णय किया है। आधिक्य वाले राज्यों से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को चारा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। रेल विभाग ने भी चारे की ढुलाई प्राथमिकता पर किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

केन्द्रीय सहायता के मानदण्ड और अधिक यथार्थपूर्ण बनाने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि केन्द्रीय सहायता का सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है, हाल ही में कुछ अन्य कदम भी उठाए गए हैं। केन्द्रीय सहायता के संशोधित मानदण्ड और राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जानकारी के लिए परिचालित कर दिए गए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय सहायता का उपयोग उत्पादक परि-सम्पत्तियों के सृजन करने की आवश्यकता पर समुचित बल दें। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा बहुत से दीर्घावधि उपाय जैसे मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, बारानी खेती, वनरोपण योजना आदि भी शुरू किए गए हैं, ताकि सूखे की परिस्थितियों की घटनाएं और प्रचण्डता कम हो सके।

भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्ध सम्बन्धी संचार के लिए एक कार्यकारी दल का गठन भी किया गया है, जो विद्यमान प्रणाली की संवीक्षा करेगा और इसमें सुधार के बारे में सुझाव देगा। आपदा के लिए तैयार रहने के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना तैयार करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिसमें चक्रवात आश्रयस्थलों का विनिर्माण, विद्यमान पूर्वघोषणा, चेतावनी और संचार प्रणाली को तेज करना, बचाव और राहत कार्यों के लिए उपस्करों की खरीद जैसी मदें शामिल हैं। इस योजना के लिए चालू पचवर्षीय योजना के दौरान 12.00 करोड़ रुपए का कुल आबंटन किया गया है, जिसके लिए प्लान में 6.00 करोड़ रुपए केन्द्र के हिस्सों के रूप में और शेष 6.00 करोड़ रुपए राज्यों के हिस्से के रूप में प्रावधान किया गया है।

आइए, सर्वशक्तिमान भागवान से हम यह प्रार्थना करें कि चालू मानसून हमारे देश के सभी लोगों को बहुत समय से प्रतीक्षित राहत प्रदान करे। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार, जहां कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उनसे निपटने के राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए हर सम्भव कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

**श्री बुद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1985-86 में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सूखे से प्रभावित थे। मैं राजस्थान प्रदेश के बारे में ही विस्तार से अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

राजस्थान प्रान्त में 4 वर्ष से लगातार अकाल है और 1985-86 में यहां 2.19 करोड़ जनता और 3 करोड़ पशु अकाल से प्रभावित थे।

इस वर्ष जून से लेकर 22 जुलाई तक जो मुझे सूचना मिली है कि उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में सामान्य वर्षा 82.4 मिलिमीटर होनी चाहिए थी लेकिन वह उतनी न होकर केवल 4.3 मिलिमीटर ही वर्षा हुआ। उसी प्रकार जैसलमेर जिले में 48.4 मिलिमीटर वर्षा न होकर 9.1 मिलिमीटर, जोधपुर जिले में 107.6 मिलिमीटर वर्षा न होकर 9.5 मिलिमीटर और भीलवाड़ा में 238.2 मिलिमीटर वर्षा न होकर 88.3 मिलिमीटर ही वर्षा हुई।

इस वर्ष वर्षा न होने से बहुत से हिस्सों में तो बुआई तक नहीं हुई। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर यह तीन क्षेत्र मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में आते हैं। यहां के अधिकांश क्षेत्रों में बुआई तक नहीं हुई है। दूसरे क्षेत्र, जहां कि बहुत कम बरसात हुई है और एक बरसात के बाद दूसरी बरसात के अन्तराल में ज्यादा अन्तर होने से बची फसल भी नष्ट हो गई है।

जब इस प्रकार की भयंकर स्थिति हो और जून से क्षेत्र में वर्षा न हो तो ऐसे समय में केन्द्र सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जानी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र सरकार की तरफ से मदद समय पर न मिल पाने के कारण राजस्थान में स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक हो गई है। इसके साथ-साथ 10 लाख मजदूरों के स्थान पर केवल मात्र दो लाख मजदूरों को ही काम पर लगाया गया है। मेरे बाड़मेर जिले में एक लाख के स्थान पर केवल मात्र 14 हजार मजदूरों को ही रोजगार मिल पाया है। पशुओं की स्थिति यह है कि वह मरने लग गये हैं। मरने वाले पशुओं की संख्या भी हजारों की तादाद में है। मरने का एक कारण यह भी है कि चारा बहुत ही महंगा है और वह समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है। पीने के पानी की यह स्थिति है कि लोगों को 10-15 किलोमीटर दूर तक पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है। बरसात न होने की वजह से पीने के पानी की सतह भी नीचे हो गई है। टैंकरों द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता था, वह भी गन्तव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि आंधियों के आने से सारे रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। इस प्रकार वहां पीने के पानी की स्थिति बड़ी विकट है।

इसके साथ-साथ जो अकाल राहत केन्द्र खोले गए हैं वह भी कम कर दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र सरकार की तरफ से पांच लाख मीट्रिक-टन गेहूं देने का जो आश्वासन दिया गया था, वह उतनी मात्रा में मिल नहीं पाया है, जबकि वित्त मन्त्री और कृषि मन्त्री ने यह विश्वास दिलाया था कि इतनी मात्रा में गेहूं अवश्य दिया जाएगा। आज मैं जब प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेट्री श्रीमती ग्रेवाल से मिला तो उन्होंने भी कहा कि पांच लाख मीट्रिक-टन गेहूं अवश्य दिया जाना चाहिए। तो यह गेहूं न देने से सारे अकाल राहत कार्य रुक गये। हमारी सरकार ने 21 मई 1986 को एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया, ज्ञापन दिया और उसमें यह निवेदन किया कि एम्पलायमेंट के लिए 87.97 करोड़ रुपये, पीने के पानी के लिए 59.51 करोड़ रुपये, फाडर यानी चारे के लिए 4.20 करोड़ रुपये दिए जाएं। 20 मई, 1986 को यह ज्ञापन प्रस्तुत हुआ। यहां से स्टडी टीम भी जून के पहले सप्ताह में आ गई। उसके आने के बाद भी अभी तक भी कोई फैसला नहीं हुआ। कल फैसला हुआ है, यह हिन्दुस्तान टाइम्स की न्यूज में मैंने देखा कि इस प्रकार आप को देने जा रहे हैं। तो स्टडी टीम ने जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी उसके बाद एक एक, डेढ़ डेढ़ महीने देर करने से यह स्थिति पैदा हो गई कि समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद नहीं मिली और अभी

भी जो मदद देने जा रहे हैं वह भी बहुत ही अपर्याप्त है। जो सूचना मिली है वह इस प्रकार है कि केन्द्र सरकार जो दे रही है वह 87.89 करोड़ रुपये एम्पलायमेंट के लिए जो डिमांड थी उसके लिए 60.75 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उसी प्रकार पीने के पानी के लिए हमारी डिमांड 60 करोड़ की थी जिसके लिए 16.39 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यह भी सूचना आज हिन्दुस्तान टाइम्स की न्यूज से हमें मिली।

दूसरे यह जितनी भी मदद दी जाती है वह मद् ऐडवांस प्लान के अन्तर्गत दी जाती है या लोन के अन्तर्गत दी जाती है। ऐडवांस प्लान के अन्दर दी जाती है तो वह तो हमारे प्लान का एक भाग है और लोन दिया जाता है तो स्टेट के ऊपर कर्जा बढ़ता है जबकि इस प्रकार की स्थिति है जिसमें लगातार चार पांच साल से अकाल वहां पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि एट्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के पेज 70 पर यह दिया हुआ है :

[अनुवाद]

"विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने का जो वर्तमान मानदण्ड उसके अनुसार उन राज्यों के मामले को छोड़कर जिनमें 4 या 5 साल से लगातार सूखा पड़ा है, सम्पूर्ण सहायता अनुदान के रूप में समझी जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

तो यह जितनी भी राशि है वह हमें ग्रान्ट के रूप में देनी चाहिए। ग्रान्ट के रूप में नहीं देने से या तो ऐडवांस प्लान के रूप में दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि जहां अकाल की स्थिति है वहां वह खर्च कर लिया जाता है। लेकिन जहां अकाल नहीं होता है वहां का कार्यक्रम रुक जाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह सेंट्रल असिस्टेंस ग्रान्ट के रूप में दी जाय।

दूसरा मेरा कहना यह है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जो मदद दें वह फ्लड के समय जिस प्रकार मदद दी जाती है, नान-प्लान का 75 प्रतिशत दिया जाता है ऐसे ही डेजर्ट एरिया के लिए भी होना चाहिए। वहां तो हालत इससे भी खराब होती है। हजारों पशु मर जाते हैं, मनुष्य भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें एम्पलायमेंट नहीं मिलता। एक फसल होती है। तो यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि 75 प्रतिशत ग्रान्ट दें जिस प्रकार कि ग्रान्ट फ्लड के अन्तर्गत दी जाती है। दूसरी बात मार्जिन मनी भी हमारी बढ़नी चाहिए। 16 करोड़ मार्जिन मनी मुकर्रर किया हुआ है राज्य का और विपदा हर साल आती रहती है। आज अगर मार्जिन मनी 50 करोड़ कर दी जाये तो फिर बाद में राज्य पर बोझ न पड़े। इस प्रसंग में मुझे यही कहना है कि यह एक राष्ट्रीय विपदा है और इसमें केन्द्रीय सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। अभी मजदूरों की संख्या घट कर 2 लाख हो गई है इसलिए और अधिक कार्य आरम्भ किए जाने चाहिए और मजदूरों की संख्या 10 लाख तक बढ़नी चाहिए क्योंकि अब स्थिति पहले से बहुत ज्यादा खराब है। पशुओं के लिए चारे का प्रबन्ध होना चाहिए। पीने के पानी का माकूल इन्तजाम किया जाना चाहिए। अकाल की इस स्थिति में हर तरह से मदद करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए केन्द्र सरकार से पूरी मदद की अपेक्षा करता हूं। राज्य की स्थिति उस प्रकार की है कि वहां भयंकर अकाल है, इस शताब्दी का सबसे बड़ा अकाल है। ऐसी स्थिति में आप हमारी मदद करके राजस्थान की जनता और पशुओं की जान बचायें और राजस्थान को एकोनामी में योगदान करें।

[अनुवाद]

**श्री एम० रघुमा रेड्डी** (नलगोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक बड़ा देश है जिसमें अलग-अलग कृषि अनुकूल जलवायु के क्षेत्र हैं। देश के विभिन्न भागों में हम बाढ़ और सूखा देख रहे हैं। लोग ओले पड़ने, बर्फ गिरने और इन सब बातों से पीड़ित हैं। वास्तव में यह स्थिति कोई नई नहीं है। काफी समय से हम इसे अनुभव कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से इसके लिए योजना में कोई निर्धारित राशि नहीं रही है। स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कोई आवर्ती राशि आरक्षित नहीं की है। दुर्भाग्य से जब कभी सूखा पड़ता है या ऐसी कोई घटना होती है तो तीन-चार महीने पश्चात् वे केन्द्रीय दल भेजते हैं और सहायता प्राप्त करने में अगले दो या तीन महीने लगा दिए जाते हैं। उस समय तक सूखा समाप्त हो जाता है और बरसात आ जाती है। यही बात आन्ध्र प्रदेश में हुई है। केन्द्रीय टीम ने मई 3 से 7 तक दौरा किया और सभी सिफारिशों व अनुनय के बाद वे हाल में इसी महीने की 18 तारीख को केवल 40 करोड़ रुपए दे पाए। उसी दिन वर्षा हो गई। इसी महीने की 18 तारीख को खरीफ की वर्षा शुरू हो गई। मैं एक और उदाहरण दूंगा। मेरे चुनाव-क्षेत्र नलगोंडा को सूखा-ग्रस्त जिला कहा जाता है। वहां साधारणतः जून के अन्त तक 191 मिलीमीटर वर्षा होती है। पिछले वर्ष यह 141 मिलीमोटर थी। इस वर्ष प्रथम जुलाई तक यह केवल 46 मिलीमीटर है। मेरे पास आंकड़े हैं। रायलसीमा में विशेषकर अनन्तपुर क्षेत्र में यह 20 मिलीलीटर से भी कम है। यह स्थिति है। यह कोई नई बात नहीं है। मेरे पास 1979-80 से 1986-87 तक ली गई केन्द्रीय सहायता के आंकड़े हैं। हम केन्द्रीय सहायता मांगते रहे हैं और केन्द्रीय सहायता दी जा रही हैं। यह एक आम बात हो गई है स्थिति से तुरन्त निपटने के लिए एक आवर्ती निधि होनी चाहिए। केन्द्र सरकार केवल 20 या 30 करोड़ रुपए दे रही हैं। राज्य सरकार जो कुछ मांग रही है वे उतना नहीं दे रहे हैं। वे एक छोटी-सी राशि दे रहे हैं। दी जाने वाली राशि चाहे कितनी भी हो वे इसे समय पर क्यों नहीं दे रहे हैं? यह देरी क्यों है?

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय टीम जो कुछ कर रही है वह केवल छल कपट है। वे सड़क के साथ वाले गांवों का दौरा करते हैं। मैं नलगोंडा से आता हूं जो हैदराबाद के निकट है। जब भी केन्द्रीय टीम मेरे चुनाव क्षेत्र में आती है तो वे स्थानीय संसद सदस्यों को सूचित करने की न्यूनतम शिष्टता भी नहीं बरतते। वे स्थानीय संसद सदस्यों को इसकी सूचना नहीं देते कि वे कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। वे मुख्य सचिव, कलैक्टर व अन्य अफसरों के पास जाते। वे डाक बंगला व अन्य सुविधाओं का आनन्द लेते हैं और फिर वे वापिस आकर केन्द्रीय सरकार को कुछ रिपोर्ट देते हैं। किस प्रकार की रिपोर्ट वे देंगे? वे सायंकाल 7 बजे के बाद क्षेत्र का दौरा करते हैं। वे रात के समय ग्रामीण क्षेत्रों मे क्या देख पाएंगे। यह आपकी केन्द्रीय दलों की स्थिति है। मुझे इने आपके ध्यान में लाते हुए खेद है।

पिछली बार आन्ध्र प्रदेश ने 934 करोड़ रुपए के लिए अनुरोध किया था। आपने केवल 40.05 करोड़ रुपए दिए। अगले दिन हैदराबाद में सभी राजनैतिक दलों द्वारा प्रवर्तित रैयत महासभा ने, स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार से कम से कम 300 करोड़ रुपया देने की मांग की। यह एक बिगड़ती हुई स्थिति है और इस राशि से कोई व्यक्ति इसका सामना नहीं कर सकता।

अब खरीफ की फसल का पूरा मौसम हाथ से निकल चुका है। मैं एक वैज्ञानिक और किसान होने के नाते स्थिति को अच्छी तरह जानता हूं। यदि आप इस महीने में बुआई करते हैं तो

आपको क्या मिलेगा ? खरीफ की फसल का पूरा मौसम जा चुका है । कोई पशु चारा उपलब्ध नहीं है । इस वर्ष भी चारा प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं है । हैदराबाद में और अन्य जगहों पर पशु कसाई खाने में आ रहे हैं । सभी किसान दयनीय स्थिति में हैं । उनकी सहायता के लिए कोई नहीं है । वास्तव में राज्य सरकार अपने अल्प साधनों से उनकी सहायता कर रही है ।

दुर्भाग्य से आन्ध्र प्रदेश में बिलकुल वर्षा नहीं हुई । परन्तु देश के अन्य भागों में वर्षा हुई थी । वास्तव में उन्होंने गोदावरी नदी पर धवलेश्वरम परियोजना को आघात पहुंचाया है । हम केन्द्र सरकार से पोलावरम पर एक परियोजना बनाने का अनुरोध कर रहे हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियम 193 के अन्तर्गत हम आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं । उस समय आप यह मुद्दा उठा सकते हैं । कृपया अब समाप्त कीजिए ।

**श्री एम० रघुमा रेड्डी** : गोदावरी में पानी है । राज्य सरकार इस परियोजना को लेने के लिए तैयार है । परन्तु केन्द्रीय सरकार स्वीकृति नहीं दे रही है । इस परियोजना को चालू करने के लिए आपको तुरन्त स्वीकृति देनी चाहिए ।

मैं मन्त्री महोदय को एक या दो ठोस सुझाव देना चाहता हूं । अब हम फसल बीमा योजना शुरू कर रहे हैं । किसानों के साथ यह केवल एक मजाक है । किसानों के लिए यह किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है । आप तालुक को एक इकाई के रूप में ले रहे हैं । तालुक के एक भाग में वर्षा हो सकती है परन्तु हो सकता है उसी तालुक के अन्य भागों में बिलकुल भी वर्षा न हो । इस प्रकार इसे औसत के आधार पर लिया जाना चाहिए । मैं अब अनुरोध कर रहा हूं और इसी सदन में यह मांग करता रहा हूं कि आपको गांव एक इकाई के रूप में लेना चाहिए । वनरोपण योजना, मृदा-संरक्षण या रिसने वाले टैंकों की योजना को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए । यदि आप एक परियोजना बनाना चाहते हैं तो आपको 30 हजार से 40 हजार रुपया प्रति एकड़ खर्च करना पड़ेगा । आप शुष्क-कृषि करने वाले किसानों को कुछ नहीं दे रहे हैं । आपको शुष्क-कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए और शुष्क-कृषि करने वाले किसानों की सहायता करनी चाहिए ।

राज्य सरकार बार-बार केन्द्रीय सरकार से हैदराबाद में विपत्ति प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने का अनुरोध कर रही है । आन्ध्र प्रदेश सूखा और बाढ़ के लिए सुविदित है । इस प्रकार यदि इसे हैदराबाद में स्थापित किया जाता है तो आपको सभी तथ्य और आंकड़े मिलेंगे । मैं केन्द्रीय सरकार से इस सुविधा को जुटाने का अनुरोध कर रहा हूं ।

राज्य भयंकर सूखे से ग्रस्त है । जैसा रैयत महासभा ने मांग की है मैं केन्द्र सरकार से कम से कम 260 करोड़ रुपया और स्वीकृत करने का आग्रह कर रहा हूं—आपने 40 करोड़ रुपया पहले ही स्वीकृत कर दिया है । रैयत महासभा महत्वपूर्ण संस्थाओं से मिलकर बनी है चाहे उनका राजनैतिक लगाव कुछ भी हो । यह एक किसानों का मंच है । किसानों ने इसकी मांग की है । इस प्रकार आप कृपया कह दीजिए कि आन्ध्र प्रदेश को 300 करोड़ रुपया दे दिया जाए ।

**श्री पराग चालिहा (जोरहाट)** : मन्त्री जी के वक्तव्य में यह देखकर मुझे दुःख हुआ कि मुझसे सम्बन्धित देश के भू भाग में बाढ़ और क्षरण की विनाश लीला के बारे में कोई विशेष बात नहीं कही गई है । प्रकृति की कार्यशैली रहस्यजनक है, जब इस विशाल देश के एक भाग मे सूखा पड़ता है तो दूसरी ओर बाढ़ । स्थिति को और बहतर बनाते हुए, मेरे अपने एक छोटे से राज्य असम के एक

हिस्से में जहां सूखा पडता है तो दूसरी ओर बाढ़ के कारण गम्भीर क्षति होती है। मुझे दुःखी होकर यह कहना पड़ रहा है कि असम संकटों से गुजर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय समाचारों में इसे उचित स्थान नहीं मिल रहा है तथा सत्ता द्वारा भी हमारे दुःखों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित रूप से, हमेशा की तरह, समुचित संचार साधनों की कमी ही इसके लिए उत्तरदायी है। जैसा कि 1985 के प्रतिवेदन से पता चलता है, सौभाग्य से यह वर्ष बाढ़ की दृष्टि से बुरा वर्ष नहीं था। इससे सम्पूर्ण क्षति लगभग 10.81 करोड़ रुपए थी जो केरल और महाराष्ट्र के बाद थी जिनकी क्षतियां क्रमशः 520 करोड़ तथा 70 करोड़ रुपए थी।

यह लोगों को बहुत कम ज्ञात है कि असम के 80 प्रतिशत लोग काश्तकार हैं लेकिन यहां भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हैं तथा वनों की कटाई की गम्भीर समस्या है। माननीय सदस्य-गण यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि पर्वत शृखलाएं पूरी तरह वृक्ष काट दिए गए हैं और इसीलिए अभी हाल में हमारी राज्य सरकार ने वृक्षों के काटने या गिराने पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों जैसे बिरला, टाटा की तिजोरियों को भरने के लिए यह सब किया जा रहा है। भूमि के टुकड़ों में बंटने और अन्य तकलीफों से भी बढ़कर वह भूक्षरण है जो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र के कारण हुआ है। असम नदियों का राज्य है। सामान्यतः लोगों को यह नहीं ज्ञात है कि शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की संख्या पूरे भारत की सहायक नदियों से अधिक है। हम एक ऐसे ही राज्य में रहते हैं। 1950 के भीषण भूकम्प ने इस क्षेत्र को इस सीमा तक विनष्ट कर दिया कि इसके पश्चात् ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर तट बन्ध बनाए गए, इस प्रकार इस चौड़ी नदी को संकरा कर दिया गया, संकरा करने का तात्पर्य है गाद भरना और गाद भरने से ब्रह्मपुत्र नदी का तल ऊंचा हो गया और इससे नदी के दोनों तटों का अधिक क्षरण होने लगा तथा वहां अधिक बाढ़ आने लगीं। सैंकड़ों लोग और हजारों पशु प्रति वर्ष मरते हैं। असम की यह बारहमासी समस्या बन गई है। क्षरण इतना अधिक हो चुका है कि डिब्रूगढ़ के महत्वपूर्ण औद्योगिक कस्बे का पूरा अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। इसकी आबादी एक लाख से ऊपर है। यहां ब्रह्मपुत्र का पानी छह फुट तक भरा था। डिब्रूगढ़ के लोगों के युद्ध स्तर पर किए गए प्रयत्नों से इसे बचाया गया था। केवल यही नहीं, अनेक हरे भरे चाय बागान खतम हो गए हैं। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों का एक तिहाई मजूली नष्ट हो चुका है परिणामस्वरूप अनेक मठों को पूरी तरह से हटाना पड़ा है। अभी हाल में बाढ़ आई थी तथा मेरे जिले की एक पुरानी मस्जिद अजान पीर दरगाह का अस्तित्व ही खतरे में है ? उसी से लगा हुआ एक हिन्दू मठ राम का पीठ है, वह भी खतरे में है क्योंकि सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।

असम में नदी के सम्बन्ध में पर्याप्त आंकड़ों की कमी रही है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना एक दशक पूर्व की गई थी। उसे अभी भारतीय सर्वेक्षण संस्था से योजना-मान चित्र प्राप्त होना है। इसकी कमी की वजह से वे समुचित सुरक्षात्मक उपायों की योजना बनाने में समर्थ नहीं हो पाया है जैसे कि उसने पहले उठाए थे। वास्तव में, सभी मामलों की वास्तविक मजबूरी धन रहा है।

मुझे यह कहते दुःख होता है कि सातवीं योजना के दौरान असम सरकार ने 150 करोड़ रुपयों की मांग की थी, लेकिन उसमें से केवल 50 प्रतिशत से भी कम अर्थात केवल 70 करोड़ रुपए ही दिए गए।

**1.00 म०प०**

इसका मतलब है कि असम सरकार सामान्य बाढ़ सुरक्षा कार्यों को भी करने में समर्थ नहीं

होगी। इसका आशय है कि 25 से 30 करोड़ रुपयों के बजाय उसे केवल 13.5 करोड़ रुपए ही दिए गए जो छोटी बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी अपर्याप्त है। इसलिए मैं केन्द्र से अनुरोध करूंगा कि वह केन्द्रीय सहायता को बढ़ाए। मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि ब्रह्मपुत्र को नियन्त्रित करने के लिए देहांग तथा सुबाणश्री परियोजनाओं पर कार्य शुरू करके स्थायी कदम उठाए, यदि आवश्यक हो तो अरुणाचल प्रदेश के साथ कुछ समझौता करे जिसके बारे मे कहा जाता है कि वह कुछ बाधाएं खड़ा कर रहा है। इसी प्रकार अन्य परियोजनाओं यथा—नोडिहिन्ग, लोहित, तथा डिबांग पर कार्य शुरू किया जाए। मृदा संरक्षण तथा जल की बचत सम्बन्धी राष्ट्रीय संगोष्ठी की अनुशंसाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें व्यवस्थित सर्वेक्षणों की योजना बनाई गई है। लोगों को शामिल करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। चीन में ग्रेट पेलो रिवर को लाखों लोगों की सेवाओं का उपयोग करके पूरी तरह से नियन्त्रित किया गया था। इस प्रकार से राष्ट्रीय चुनौती का उस देश के लोगों द्वारा सफलतापूर्वक सामना किया गया था। हम इसी तरह कार्य करने के बारे में क्यों नहीं सोचते। यदि आवश्यक हो, विदेशी सहयोग भी लिया जाना चाहिए। भूतपूर्व कृषि मन्त्री ने इस सम्बन्ध में विदेशी सहयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदाओं के सम्बन्ध में विशेषकर गंगा के मैदानों में भारत तथा नेपाल के बीच अत्यधिक निकट सहयोग आवश्यक है तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर नदी प्रणाली के लिए भारत तथा भूटान के बीच सहयोग आवश्यक है। नदी प्रणालियों में समेकित जल संभर प्रबन्ध उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम के भागों में न केवल बाढ़ को कम करेगा बल्कि मृदा क्षरण को भी रोकेगा तथा नेपाल व भूटान के आवाह क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएगी।

अन्त में, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह सभी आवश्यक कदम उठाए जिससे ब्रह्मपुत्र एक अनुताप नदी बन कर न रह जाए बल्कि यह आनन्द और शक्ति प्रदान करने वाली नदी बन जाए और वह भी न केवल असम के लिए बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : धर्मपाल मलिक, कृपया आप अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करें।

**(व्यवधान)**

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** (सोनीपत) : महोदय, अन्य लोगों ने तो केवल अपने राज्य विशेष के सम्बन्ध में बात कही है। मुझे बोलना है···**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं बता ही चुका हूं कि हम आर्थिक स्थिति पर विचार करेंगे जिसमें आप भाग ले सकते हैं। आप जो भी बात कहना चाहते हैं 5 मिनट में कहें।

**[हिन्दी]**

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, परन्तु हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हर साल किसी न किसी भाग पर सूखा या ओले या बाढ़ आती है। इस देश की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है और आप यह समझ सकते हैं कि अगर किसी देश का किसान खुशहाल है, तो सारा देश खुशहाल है। अगर किसान की आंखों में पानी है, तो सारा देश रोता है। इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारत के दो हिस्सों में हमेशा प्रकोप रहता है। एक पश्चिमी भारत जिसमें विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक आते हैं। यह प्रदेश हमेशा सूखे से ग्रस्त

रहते हैं और मैं तो मन्त्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि यदि मन्त्री समझें, तो इस बात की जांच कराएं कि सूखे को इस पश्चिमी भारत से प्यार क्यों है। यह हमेशा इसी तरफ क्यों आता है। इसी प्रकार भारत के दूसरे भाग, यानी पूर्वी भारत के हिस्से हमेशा बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित रहते हैं। अगर बाढ़ और सूखे को मिला दिया जाए और दोनों प्रश्नों को अगर एक तरह से हल किया जाए, तो मेरा विश्वास है कि ये बाढ़ और सूखे के दोनों प्रश्न हल हो सकते हैं। लेकिन हमारी कदकिस्मती है कि हमारी आजादी के 40 वर्ष के पश्चात् भी इन दोनों प्रश्नों का अस्थाई तौर से हल किया जाता है, स्थाई तौर पर हल करने के कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। बाढ़ आने के बाद बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए धनराशि मंजूर की जाती है या बरसात का जब मौसम शुरू होता है, तो बरसात आने के बाद पैसा मंजूर किया जाता है। किसी ड्रेन या नाले की खुदाई के लिए उसका मिसयूज होता है।

मैं हरियाणा स्टेट के बारे में बताना चाहता हूं। आप वहां के फिगर निकलवाकर देखें, बाढ़ और सूखे के कन्ट्रोल के लिए पैसा उस समय मंजूर होता है, दिया जाता है जब बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मकान नष्ट हो जाते हैं और मवेशी मर जाते हैं।

जहां तक सूखे का सम्बन्ध है, हर साल सूखे के कारण 5 से 15 मीटर तक पानी की सतह नीचे चली जाती है, पानी का लेवल घट जाता है। दूसरी तरफ आप देखें तो पानी का लेवल बढ़ता जाता है। इन दोनों समस्याओं को एक तरह से अगर हल करेंगे तो मैं समझता हूं कि ठीक ढंग से कन्ट्रोल कर सकेंगे।

ओला-वृष्टि, भू-चाल, आगजनी या इसी किस्म के साइक्लोन वगैरह पर पहले कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता है लेकिन एक चीज अवश्य होनी चाहिए, कि ऐसे इलाकों को जो रिलीफ दिया जाए वह इमीडिएट दिया जाए, उसमें डिले न किया जाए। बहुत सारी टीम जाती हैं, जब लोग मर जाते हैं तब रिलीफ दिया जाता है।

हिन्दुस्तान में 15 से लेकर 20 करोड़ तक की आबादी हर वक्त किसी न किसी आपदा की शिकार रहती है चाहे ओला-वृष्टि की हो या बाढ़ की हो या सूखा हो। इन कारणों से इलाके की बुरी हालत होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के तीसरे-चौथे भाग की आबादी हमेशा इन आपदाओं से शिकार बनी रहती है। उनके इलाज के लिए कोई न कोई स्थायी हल निकालना चाहिए।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि यह स्टेट सबजैक्ट है, लेकिन खाली स्टेट सबजैक्ट कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकते। इस तरह की समस्याएं तमाम राष्ट्र की समस्याएं हैं और तमाम राष्ट्र का नुकसान करती हैं और इनको हमें सेन्ट्रल लेवल पर कन्ट्रोल करना चाहिए।

मन्त्री जी ने अपने बयान में सूखाग्रस्त इलाकों के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हैं। उन्होंने 7 स्टेट्स के नाम इसमें लिखे हैं। 7 स्टेट्स की गिनती तो लिखी है, लेकिन उसमें किसी एक स्टेट का नाम छोड़ दिया गया है। मेरे ख्याल में वह हरियाणा का नाम होगा। गिनती में 7 स्टेट लिखी हैं, लेकिन नाम 6 स्टेट के लिखे हैं।

अब तक डेढ़ महीना बरसात का बीत चुका है, लेकिन हरियाणा में एक बूंद भी पानी का नहीं पड़ा है। तमाम मवेशी चारे के बगैर भूखे मर रहे हैं, कुओं का पानी नीचे चला गया है, तालाबों में पानी नहीं रहा है, तमाम इलाके मे हाहाकार मची हुई है। मेरा निवेदन है कि हरियाणा का नाम उस लिस्ट में जोड़ लिया जाए।

मन्त्री जी ने 8 स्टेट्स ऐसी दी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बाढ़ आई हुई है। इनके नाम हैं असम, बिहार, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में तो यह हालत है कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री हरीश रावत ने बताया कि यू० पी० के हिली एरिया में 25 के करीब आदमी मर चुके हैं। मुझे पता नहीं कि सरकार के पास इसकी रिपोर्ट है या नहीं। वहां सैकड़ों मवेशी मर चुके हैं, मकान नष्ट हो चुके हैं लेकिन किसी भी तरह की रिलीफ का काम वहां नहीं हुआ है। वहां इतनी बाढ़ आ चुकी है कि सड़कें नष्ट हो चुकी हैं, रेलवे लाइन इफैक्टेड है और दूसरे रास्ते इफैक्टेड हैं और तमाम गांव की रिहाइश का बुरा हाल है। इसलिए गुजारिश है कि उसके लिए रिलीफ इमीडिएटली देनी चाहिए।

हमारे माननीय सदस्य चालिहा साहब ने दरख्तों के बारे में सुझाव दिया है, मैं उसकी ताईद करता हूं। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वह अपने जवाब में बताएं कि 1947 में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय हिन्दुस्तान की कितने प्रतिशत भूमि पर दरख्त थे और उनकी संख्या कितनी थी और आज 1986 में किसने प्रतिशत भूमि पर दरख्त हैं और उनकी संख्या क्या है?

मुझे पता लगा है कि 1947 में करीब 26 परसेंट भूमि में ही वृक्ष लगे थे। हम रोजाना पढ़ते हैं कि इतने वृक्ष लगा दिए हैं। लेकिन असली बात यह है कि 9 परसेंट जमीन पर ही वृक्ष लगे हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल सुनाना चाहता हूं। जब मैं एक स्कूल में पढ़ता था, उसमें हमारे प्राइमरी स्कूल का जो मुख्य अध्यापक था उसने कहा कि हिन्दुस्तान में इस वर्ष 20 करोड़ वृक्ष लगाए गए और उसी स्कूल के अध्यापक ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज रखी थी जिसमें उसने कहा था कि मैंने अपने स्कूल में एक हजार वृक्ष लगाए हैं। असल में कोई वृक्ष लगा नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यह वृक्ष कागजों पर ही दिखाए जाते रहे तो काम बनने वाला नहीं है। ऐसे वृक्ष अगर नहीं लगाए गए तो हमारा आधा देश सूखे से और आधा बाढ़ से नष्ट हो जाएगा जिससे देश की तरक्की में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस कारण वृक्षों की कटाई खत्म की जाए।

नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यमुना आदि जो नदियां हैं, उनके पानी का उपयोग सूखाग्रस्त इलाकों में किया जा सकता है। इन नदियों का पानी वैस्ट खाड़ी में जाता है और वह वहां जाकर नष्ट हो जाता है। अगर इस पानी का सदुपयोग करके बीच में डैम आदि बना दिए जाएं तो भी समस्या हल हो सकती है। ऐसी व्यवस्था हो जाने से एक साथ दो समस्याएं हल हो जाएंगी। एक तो इसका पानी जिस इलाके से होकर जाता है जो कि उस इलाके को बाढ़ से तंग करता है, उस इलाके में बाढ़ नहीं आएगी और जो इलाका सूखाग्रस्त रहता है, उस इलाके के अन्दर वह पानी दिया जा सकता है।

बरसात का पानी इकट्ठा करने से जो लाभ होता है, उससे हम सब परिचित हैं। उससे बिजली भी बन सकती है और खेतों में भी इस पानी को उपयोग में लाया जा सकता है। समुद्र के

साथ कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो कि सूखे से पीड़ित रहते हैं और जहां पर पानी साफ नहीं होता है। वह पानी समुद्र के किनारे पर होता है। उस पानी को साफ करके, उसका कई तरीकों से सदुपयोग किया जा सकता है। एक तो उस पानी को रिफाइण्ड करके मिनरल निकाले जा सकते हैं और उस साफ पानी का इस्तेमाल आगे सूखे इलाके में किया जा सकता है।

आज जापान आर्टिफिशल बादल तक पहुंच गया है। वह जहां चाहे बरसात करवा सकता है। हिन्दुस्तान की सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए।

हम देखते हैं कि जितनी पैसा रिलीफ कार्यों के लिए मांगा जाता है उससे बहुत कम पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितना भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मांगा जाए, उतना अवश्य ही केन्द्र सरकार को देना चाहिए। नहीं तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट झूठ बोलना शुरू कर देगी। अगर उसको 10 करोड़ की जरूरत है तो 100 करोड़ मांगना शुरू कर देगी क्योंकि उनको पता है कि जितना पैसा मांगेंगे उससे कम पैसा हमें मिलेगा। एक आदमी ने डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर दरख्वास्त दी कि मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तोप का लाइसेंस तो किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दे सकते। यहां तो पिस्तोल का लाइसेंस मिल सकता है। तो उसने कहा कि पिछले साल मैंने पांच कट्टों के लिए दरख्वास्त दी थी तो सीमेंट का एक कट्टा मुझे दिया। तो मैंने समझा कि तोप का लाइसेंस म गूंगा तो पिस्तौल का लाइसेंस तो जरूर मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को जितने पैसे की जरूरत हो उतना पैसा केन्द्रीय सरकार से जरूर दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अन्त में एक बात और कह दूं कि पर कैपिटा रिलीफ कितनी दी जाती है इसका जवाब माननीय मन्त्री जी दे दें।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** इतना ही पर्याप्त है। कृपया बैठ जाइये। यदि कुछ और कहना है तो आप लिख कर दे सकते हैं। अब मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। मैं और अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** किसी बात को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मन्त्री महोदय।

**डा० जी० एस० ढिल्लों :** उपाध्यक्ष महोदय, आधे सदस्य हिन्दी में तथा आधे अंग्रेजी में बोले, अतः मैं अंग्रेजी में उत्तर दूंगा।

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को ध्यान से सुना है, परन्तु मेरा आशय उनकी बातें नोट करके उनका विरोध करने की नहीं है। परन्तु मैं उनकी समस्याओं तथा कठिनाइयों को भली प्रकार समझता हूं। मंत्रालय में हमें कुछ नियमों विनियमों के अधीन कार्य करना होता है। श्री मलिक ने "तोप" के बारे में कहा है। यदि वह कि तोप के लिए आवेदन करते तो मैं उन्हें लाइसेंस दे देता। परन्तु मेरे पास बन्दूक और पिस्तौल नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यदि मेरे पास ये होती भी तो कुछ लोग उसे छीन लेते।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री जैन ने कुछ बातें बतायी हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ जिलों में वर्षा

कम हुई है। उनका कहना है कि पूरे राजस्थान में तो नहीं परन्तु कम से कम पश्चिमी राजस्थान में वर्षा या तो बिलकुल नहीं हुई अथवा अपर्याप्त हुई। परन्तु ऐसे क्षेत्रों के लिए कुछ कार्यक्रम हैं। निश्चय ही जिन क्षेत्रों को मजदूर छोड़कर जा रहे हैं उनके बारे में हमें चिन्ता है। परन्तु इस बारे में निश्चय ही हम कुछ करेंगे जिसका कि हमने पूंजी की आवश्यकता के संदर्भ में उल्लेख किया है। हमने मानदण्ड संशोधित कर दिए हैं। पहले मानदण्ड पर्याप्त नहीं थे। हमने उनमें संशोधन कर दिया है तथा मैं आपको उसकी एक प्रति भेज दूंगा। उन्हें हमने सभी राज्यों को भेजा है तथा प्रेस को भी उनकी प्रतियां भेजी हैं। अन्य पशुओं, गायों तथा बछड़ों के लिए राहत देने के बारे में हम उदार रहे हैं। अकाल के बारे में हमें अत्यन्त चिन्ता है।

श्री जैन ने 5 लाख टन गेहूं की मांग का उल्लेख किया है। आपने अग्रिम योजना का भी उल्लेख किया है। जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें न केवल आपदा का प्रकोप घटने पर अपितु उसके बाद भी हमें सूचना देंगे। यह कार्य अन्तर-मंत्रालय दल द्वारा अध्ययन किए जाने का है। अन्तर-मंत्रालय दल राज्यों में जाता है, वहां पर सरकारों से तथा जन प्रतिनिधियों से परामर्श करता है। जब वे अपनी रिपोर्टों के साथ पहुंचते है तो राज्य सरकारों के तथा सचिवालय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया जाता है। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उच्च स्तरीय राहत समिति वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ उस पर चर्चा करती है।

पांच लाख टन गेहूं की मांग के मामले में, मैं समझता हूं कि आपको गलत जानकारी मिली है। हमने राजस्थान को पूर्व अदायगी के आधार पर 5 लाख टन गेहूं आबंटित किया है परन्तु वह वहीं पर पड़ा हुआ है, उठाया नहीं गया।

जहां तक मजूरी के बदले गेहूं दिए जाने के कार्यक्रम का प्रश्न है, यह ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम है। परन्तु यह राहत के तौर पर दी गई थी। सरकार द्वारा सभी तरह के अर्थोपायों की मंजूरी दी गयी थी।

जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया राजस्थान के लिए उपलब्ध अर्थोपायों का लाभ उन्होंने अभी तक नहीं उठाया है। ऐसे अर्थोपायों के लिए अग्रिमों की मंजूरी के बाद उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

अन्तिम बात के बारे में जो आपके द्वारा उल्लिखित की गई थी, पहले ही उच्च-स्तरीय समिति को बताया गया था तथा उसके बारे में स्वीकृति मिल गई थी। परन्तु जैसा कि आपने मानसून से पूर्व स्थिति का उल्लेख किया है हमें रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उस पर कार्यवाही की गई है।

अन्य सभी बातों को मैंने नोट कर लिया है परन्तु मुख्य बातों का मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री रघुमा रेड्डी ने सुझाव दिया कि एक आवर्ती निधि होनी चाहिए। यह किस तरह की निधि है ? हमारी निधि तो पहले ही पूरे देश में सारे राज्यों में लगी है। यह केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं है। पहले से ही यह आवर्ती निधि चल रही है। परन्तु यदि आपकी संकल्पना किसी और तरह की निधि से है तो आप हमें अधिक विवरण दे सकते हैं, जिसपर हम विचार कर सकते हैं। यही अच्छा रहेगा।

आपने चारे के बारे में भी उल्लेख किया। जहां तक आन्ध्र प्रदेश के लिए आबंटन का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि उस राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। यदि कुछ भी भेद-भाव है तो यह आपके प्रति नहीं है, न ही किसी अन्य क्षेत्र के प्रति है।

**श्री एम० रघुमा रेड्डी** : प्रधान मंत्री ने आन्ध्र, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की यात्रा की थी उसी दिन उन्होंने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के लिए सहायता घोषित की। परन्तु आन्ध्र के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं यह बात आपके ध्यान में ला रहा हूं।

**कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : आप अपनी राज्य सरकार से पूछ सकते हैं। वे अपनी निधि का उपयोग नहीं कर रहे।

**श्री जी० एस० ढिल्लों** : चारे के बारे में मैंने आपको बताया कि चारे के पूरे व्यय को हम बर्दाश्त करेंगे। हमने रेलों को चारे के परिवहन को प्राथमिकता देने के लिए कह दिया है। अपने भाषण में मैंने बताया है कि हमने चारा पैदा करने वाले राज्यों, पंजाब, हरियाणा, उ० प्र० तथा अन्य राज्यों से आग्रह किया है कि वे चारा बचा कर कमी वाले राज्यों को भेजें। सभी राज्य सरकारों को सहयोग देना चाहिए।

श्री पराग चानिहा यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें उठाई थीं जिनका सम्बन्ध सिंचाई तथा जल संसाधन मंत्रालय से है। फिर भी उन बातों पर उन्होंने मुझसे भी उत्तर मांगा था। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं इन सभी बातों को जल संसाधन तथा सिंचाई मंत्री को भेज दूंगा। परन्तु हम भी, अपने ढंग से, बहुत चिन्तित हैं और कृषि विकास के लिए पानी की सप्लाई हमारी मूलभूत आवश्यकता है।

उन्होंने बाढ़ों का जिक्र किया। उन्होंने वनों की कटाई का जिक्र किया। उन्होंने पशुओं का जिक्र किया। हम अपनी ओर से प्राथमिकता देंगे। परन्तु अभी तक हमें उनके राज्य से ज्ञापन नहीं मिला है। केवल तीन दिन पूर्व ही सिंचाई मन्त्री मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था कि वे इसे भेजने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने एक संक्षिप्त ज्ञापन दिया और आज ही मैंने उन्हें दूसरा पत्र भेजा है कि इस ज्ञापन में वे सभी विवरण नहीं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमने उन्हें यह सूचित कर दिया है कि वे अपना ज्ञापन शीघ्र भेजें और उन मुद्दों पर हमारी तरफ से कोई कमी रह जाए तब आप हमारे पास आ सकते हैं परन्तु ज्ञापन देने से पहले नहीं। आसाम में उनके प्रतिनिधियों ने कहा है और मुझे आश्चर्य हुआ कि वे किस दस्तावेज का उल्लेख कर रहे हैं जबकि उन्होंने हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं भेजा है। पशु और वृक्षारोपण हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम का भाग है। हमने इसे प्राथमिकता दी है—शुष्क भूमि का विकास करना, वनों का विकास करना और वनों की दशा सुधारना। यह हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम का भाग है जिसे हम बाढ़ राहत से अलग ले रहे हैं और जैसा कि कुछ समय पूर्व मेरे साथी सरदार बूटा सिंह द्वारा बताया जा चुका है कि हम इस कार्यक्रम के प्रति अधिक वचनबद्ध हैं।

आसाम ने 150 करोड़ रुपए मांगे थे और वे कहते हैं कि उन्हें केवल 70 करोड़ रुपए ही मिले हैं। मैं उन कुछ सदस्यों की जो यहां है, सहनशक्ति खोना नहीं चाहता। यह दोपहर के भोजन का समय है। पहले ही कई लोग उतावले हैं और बिना मुझे सुने बाहर चले गए हैं। परन्तु जो यहां हैं—मुझे उनकी सहनशक्ति नहीं खोनी चाहिए। राज्यों को राहत देने के मामले में हम केन्द्रीय

मूल्यांकन दल की रिपोर्ट के अनुसार चलेंगे। कोई भेदभाव नहीं है। मलिक महोदय बता रहे थे कि यदि वे बढ़ा-चढ़ा कर मांग को रखें तो शायद उनको अधिक राहत राशि मिल सकती है। यह केवल हवाई किले बनाने वाली बात है। कुछ मार्ग निर्देश हैं, मारदण्ड हैं और केन्द्रीय दल सहायता राशि निर्धारित करते समय उन निर्देशों और मानदण्डों को ध्यान में रखता है और तब वे अपनी रिपोर्ट देते हैं। यदि आप बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े पेश करते हैं, हम उनके अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के अनुसार चलेंगे। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने भूमि क्षार को दूर करने की बात कही। उन्होंने कृत्रिम वर्षा पैदा करने की बात उठाई, ये सब महंगे कार्य हैं और नां ही ये हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है। मैंने क्षार दूर करने की प्रक्रिया कुवैत और बहुत अन्य देशों में देखी है। यह बहुत महंगी प्रक्रिया है। परन्तु यदि सम्बन्धित मन्त्रालय इसे शुरू करते हैं तो हम आपत्ति नहीं उठाएंगे। परन्तु हरियाणा में रहते हुए वे समुद्र तट की कल्पना कर रहे हैं। जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है, उन्होंने वर्षा की कमी, शुष्क भूमि इत्यादि का जिक्र किया। ज्यों ही हमें वर्षा की कमी के कारण हुई क्षति की और शुष्क क्षेत्रों की रिपोर्ट मिलेगी, हम अवश्य ही राहत राशि देंगे। जहां तक मलिक महोदय द्वारा सुझाए गए जलाशयों···(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक सदस्य कह रहा है। हमें सभी नदियों को जोड़ना पड़ेगा।

**कुछ माननीय सदस्य** : इस विषय पर चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत होनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम नियम 193 के अन्तर्गत आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए आप इस विषय पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। इसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब आप आर्थिक स्थिति पर बोल रहे हैं, तो आप इस विषय पर भी अच्छी तरह बोल सकते हैं।

**डा० जी० एस० ढिल्लों** : मैं मुख्य बातों का जवाब दे चुका हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें कीमत वृद्धि शामिल है और प्रत्येक वस्तु इसके अन्तर्गत आ जाएगी।

**डा० जी० एस० ढिल्लों** : मेरे माननीय मित्रों में से एक जो वहां बैठे हैं, मुझे अच्छे सुझाव दे रहे हैं। इस पर इस सभा में चर्चा करके हमें बहुत खुशी होगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर अच्छी तरह से चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

———

1.31 म०प०

## समितियों के लिए निर्वाचन

### सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

**श्री के० राममूर्ति** (कृष्णागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा कुमारी सरोज खापर्डे की राज्य मन्त्री के रूप में नियुक्ति के कारण उनके इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य न रहने के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा का एक सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा कुमारी सरोज खापर्डे की राज्य मन्त्री के रूप में नियुक्ति के कारण उनके इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य न रहने के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा का एक सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 14.30 बजे पुनः समवेत होगी।

---

1.31 म० प०

**(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।)**

---

2.34 म०प०

**(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.34 म० प० पर पुनः समवेत हुई।)**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

## नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

**(एक) जामिया मिलिया इस्लामिया को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता**

**श्री अजीज कुरेशी** (सतना) : महोदय, आज जब दक्षिणपंथी अनिष्टकर ताकतें हमारे धर्म-

निरपेक्ष, प्रजातान्त्रिक और समाजवादी उद्देश्य को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी संस्थाओं को हर प्रकार का संरक्षण एवं भौतिक सहायता दी जानी चाहिए। यह वह महान संस्था थी जिसने मुस्लिम साम्प्रदायिकता के आक्रमण का सामना किया और धर्म निरपेक्षता के झण्डे को ऊंचा रखा। भूतपूर्व संसद सदस्य और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति कर्नल बी० एच० जैदी जैसे लोग गवाहों के रूप में अभी तक जीवित हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को अपने बेटे देवदास गांधी को इस संस्था में एक साधारण अध्यापक की नौकरी करने के लिए निर्देश देते हुए देखा है और वे कई वर्षों तक वहां पढ़ाते रहे थे। जब देवदास गांधी का छोटा बेटा मरा तो उसे महात्मा गांधी की व्यक्त इच्छा पर जामिया मिलिया के कब्रगाह में दफना दिया गया।

जामिया मिलिया को एक पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात सरकार के पास विचाराधीन है। इसके परिसर से लगती हुई उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली प्रशासन की पर्याप्त भूमि पड़ी है जो इसके सम्पूर्ण विकास के लिए इस संस्था को अविलम्ब सौंपी जानी चाहिए। चिकित्सा महाविद्यालय और उच्च शिक्षा की तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने के प्रयत्न भी किए जाने चाहिए। उनकी स्थापना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए।

साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय में विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाने के लिए यह उचित होगा कि जामिया मिलिया को उसकी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के अलावा एक उर्दू विश्वविद्यालय बना दिया जाए। भारत के उर्दू जानने वाले लोगों के लिए इसे एक खुला विश्वविद्यालय घोषित किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार, इसे पूर्ण विश्वविद्यालय बनाने की शीघ्र घोषणा करेगी और इस महान संस्था को उल्लेखित सभी सुविधाएं प्रदान करेगी।

## (दो) चीनी उद्योग को लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता

**श्री बालासाहिब विखे पाटिल** (कोपरगांव) : सरकार ने समय-समय पर ये आश्वासन दिए हैं कि वे शीघ्र ही चीनी की दीर्घावधि नीति की घोषणा करेंगे। सरकार ने अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। चीनी की अत्यन्त कमी के कारण भारी मात्रा में उसका आयात किया जा रहा है जबकि कुछ वर्ष पूर्व चीनी के उत्पादन के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर था।

हमारे देश से कई टन चीनी निर्यात की जाती थी। अब हमारे देश में इसका उपयोग इतनी अधिक मात्रा में होने लगा है कि 7 वीं पंचवर्षीय योजना में हमें 11 मिलियन टन अर्थात 1 करोड़ 10 लाख टन चीनी की जरूरत पड़ेगी।

चीनी उद्योग को लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है। गैर-सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें अपने कारखानो को आधुनिक बनाने तथा घरेलू खपत को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाने तथा निर्यात करने में असफल रही है। गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।

आवश्यकता इस बात की है कि चीनी उद्योग का आधुनिकीकरण किया जाए और उसमें अद्यतन प्रौद्योगिकी काम में लायी जाए।

### (तीन) बाइसिकिल और साइकिल रिक्शा के पुर्जों पर कर कम करने की आवश्यकता

**श्री चिन्तामणि जेना** (बालासोर) : महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाई-साइकिल तथा साइकिल रिक्शा का प्रयोग अधिकतर निर्धन तथा निम्न मध्य वर्ग के लोग करते हैं, भारत सरकार ने बाई साइकिल तथा साइकिल रिक्शा पर लगने वाला कर को 8% से 6% तक कम कर दिया है जोकि एक स्वागत योग्य कदम हैं और समाज के सभी वर्गों के लोगों, विशेषकर इसका उपयोग करने वाले समाज के निर्धनतम वर्ग ने इस निर्णय की प्रशंसा की है। सरकार के इस निर्णय से गरीबी रेखा से नीचे जीवन ज्ञापन करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि बाई-साइकिल तथा साइकिल रिक्शा पर लगने वाले कर को कम किया गया है लेकिन इनके पुर्जों पर लगने वाला कर घटाया नहीं गया है और यह कर पहले ही की भांति 8% ही है। जैसा कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि साइकिल तथा साइकिल रिक्शा का निर्माण एक ही निर्माता नहीं करता है। इनका निर्माण इनके लिए आवश्यक विभिन्न पुर्जों को जोड़ कर किया जाता है। जब साइकिल के पुर्जों पर 8% कर है और साइकिल रिक्शा के पुर्जों पर 6% कर लगाया जाता जाता है तो वास्तव में समाज के पददलित लोगों को ही जो इनका प्रयोग करते है, हानि होगी। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में इस मामले के बारे में कई तरह के विवाद तर्क-वितर्क किए जा रहे हैं, साइकिल तथा साइकिल रिक्शा के पुर्जों पर लगने वाले 8% कर के कारण व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच परस्पर-विरोध पैदा हो गया था।

अत: वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह साइकिल तथा साइकिल रिक्शा की तरह इनके पुर्जों पर लगने वाले कर को 8% से घटाकर 6% करें।

### (चार) कलाक्कम, नेवेली और रामगुंडम विद्युत केन्द्रों से और केन्द्रीय कोटे से बिजली की आपूर्ति करके केरल में विद्युत संकट का निवारण करने की आवश्यकता

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** (कन्नानौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केरल राज्य मूसलाधार वर्षा तथा तूफानों के लिए प्रसिद्ध है जिनके कारण अधिक वर्षा होती है। अब तक भी केरल अपने कई तापीय बिजली केन्द्रों से काफी बिजली का उत्पादन कर रहा था। दुर्भाग्य से केरल में भयंकर सूखा पड़ा है और वहां बिजली की भारी कमी हो गई है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण लोगों के साथ धोखा होता है और बिजली के संकट से समूचे राज्य के विकास के लिए संकट पैदा हो गया है। राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली अधिक शक्ति की और अत्याधिक शक्ति की बिजली की सप्लाई पर उद्योगों में शत-प्रतिशत कटौती लगाने से केरल की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। अनुमानत: राज्य को उत्पादन में 100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और श्रमिकों को वेतन के रूप में 10 करोड़ रुपए की हानि हुई।

मौसम वैज्ञानिकों का मत है कि पिछले 86 वर्षों में केरल का मौसम ऐसा कभी नहीं रहा जैसा कि इस वर्ष था। पन-बिजली केन्द्र औद्योगिक तथा घरेलू काम के लिए आवश्यक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते। केरल में, जो पूरी तरह पन-बिजली पर निर्भर है, बिजली का कोई वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इसका तात्कालिक हल तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से बिजली लेकर किया जा सकता है। यहां बिजली के वर्तमान संकट को दूर करने के लिए कलपक्कम, नेवेली तथा रामागुंडम बिजली घरों से बिजली प्राप्त करने में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप करना तो आवश्यक है ही साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जब कभी केरल में बारिश की असफलता के कारण इस प्रकार का संकट पैदा हो तब केन्द्रीय कोटे से केरल को इस तरह की बिजली की सप्लाई उस समय तक की जाए जब तक कि वहां तापीय बिजली घर लगाकर इस समस्या का स्थायी हल नहीं निकाल लिया जाता।

[हिन्दी]

## (पांच) मध्य प्रदेश में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

**श्री प्रताप भानु शर्मा** (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आजकल टेलीफोन्स की जो दुर्दशा हो गई है, ऐसी अव्यवस्था इसके पूर्व कभी देखने में नहीं आई थी। पिछले महीने से राजधानी में कई सैकड़ों टेलीफोन्स खराब पड़े हुए हैं, ट्रक पर बात करना तो दूर है परन्तु स्थानीय नम्बर भी नहीं मिलते हैं और यदि मिल भी जाएं तो क्रास कनैक्शन होता है या टेलीफोन हैल्ड अप हो जाते हैं।

पिछले तीन माह में उपभोक्ताओं द्वारा हजारों शिकायतें की गयी हैं, परन्तु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टेलीफोन व्यवस्था सुधारने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे नागरिकों में असन्तोष व्याप्त है। दूर संचार विभाग भोपाल में अकर्मण्यता एवं गम्भीर भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा सरकार को लाखों रुपए प्रतिदिन का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

इसी प्रकार भोपाल के आसपास के टेलीफोन एक्सचेंजों की कार्य-प्रणाली दोषपूर्ण है। विशेषकर विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद एवं राजगढ़ आदि जिलों के 90 प्रतिशत एक्सचेंज एवं ग्रामीण पी० सी० ओ० हमेशा खराब पड़े रहते हैं, जिसके कारण भी शहरी व ग्रामीण उपभोक्ता परेशान हैं। अतः माननीय संचार मन्त्री से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश की संचार व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

## (छः) राजस्थान के बीकानेर नगर में रानी बाजार रेलवे क्रासिंग पर एक उपरिपुल बनाने की आवश्यकता

**श्री मनफूल सिंह चौधरी** (बीकानेर) : उपाध्यक्ष जी, बीकानेर शहर के मध्य में से रेलवे लाईन गुजरती है। इस पर शहर के अन्दर से पांच रेलवे क्रासिंग हैं। दिन में इन रेलवे क्रासिंग के फाटक बन्द रहने का एवरेज अड़तालीस बार आता है। इस अड़तालीस बार बन्द करने और फाटक खोलने में कितना समय लगता है, यह रेलवे विभाग स्वयं अन्दाजा लगा सकता है।

बीकानेर शहर पांच लाख आबादी का शहर है। यह रेलवे लाईन के दोनों तरफ ठीक आधा-आधा बसा हुआ है। आज ये पांच रेलवे क्रासिंग शहर के मध्य में एक ज्वलन्त समस्या का रूप धारण किए हुए है और शहर की जनता बहुत परेशान है।

इस समस्या को दूर करने के लिए फिलहाल केवल एक रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बन जावे तो इस समस्या का हल अच्छा हो सकता है जो रानी बाजार के रेलवे क्रासिंग पर ही बन सकता है। यह पुल होस्पिटल के पास है और शहर आधा इस क्रासिंग से ही होस्पिटल जाता है। इस रेलवे क्रासिंग पर कई मरीजों ने दम तोड़े हैं। इसलिए मानवता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस ओवर ब्रिज का बनना अति आवश्यक हो गया है। इस समस्या से बीकानेर शहर की जनता में बहुत क्रोध की भावना भड़काई जा रही है। अतः इस समस्या का हल होना शीघ्र व आवश्यक हो जाता है।

[अनुवाद]

## (सात) पंजाब के, विशेष रूप से फरीदकोट जिले के, बाढ़ प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** (संगरूर) : महोदय, देश का बहुत बड़ा भाग सूखे, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के सम्बन्ध में असम से कुछ विधायकों का एक दल दिल्ली आया था। और उन्होंने वहां की गम्भीर स्थिति के बारे में केन्द्रीय नेताओं से चर्चा की। केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए पूरा सहयोग दिया। मेरे राज्य पंजाब में भी बाढ़ के कारण लाखों लोग परेशान हैं। केवल फरीदकोट जिले में ही 200 गांवों के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 80 हजार एकड़ भूमि में 28 करोड़ रुपए मूल्य की फसलें पूरी तरह बरबाद हो गई हैं। और भारी वर्षा के कारण 5,747 मकान ढह गए। मुक्तसर सब-डिवीजन में 20 करोड़ रुपए मूल्य की कपास की फसल नष्ट हो गई। इस क्षेत्र के किसान यह भारी हानि उठाने की स्थिति में नहीं हैं। आजकल कृषि लाभकारी व्यवसाय नहीं रहा। इतनी खराब परिस्थितियों में इस भारी हानि से गरीब किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह प्रभावित किसानों को 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता तुरन्त दे ताकि वह राहत की सांस ले सकें।

## (आठ) आन्ध्र प्रदेश में, विशेष रूप से तिरुपति में, बीड़ी कर्मकारों की रहन-सहन की दशा सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

**डा० चिन्ता मोहन** (तिरुपति) : आन्ध्र प्रदेश, विशेषकर तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कावेतीनगरम, सल्यवेदु, श्री वालाहाटी, सुलनपेट, वेंगटागीरनगरम् आते हैं, के बीड़ी श्रमिकों की स्थिति आज तक खराब और दुखद बनी हुई है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। उनके काम करने के घण्टे अधिक हैं, व्यावसायिक जोखिम और स्कूलों की कमी है, उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, उनके पास मकान नहीं हैं, जिसके कारण बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों का जीवन नारकीय बन गया है। सरकार की उदार नीतियों और कार्यक्रमों को देखते हुए सरकार को हमारे समाज के इन भाग्यहीन व्यक्तियों के जीवन में ठोस सुधार लाने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

———

2 48 म० प०

## अनुसंधान और विकास उपकर विधेयक

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम कार्य सूची की मद संख्या 12 पर चर्चा करेंगे।

**व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी)** : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि देश में विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी का देश में विस्तृत रूप से प्रयोग करने के लिए अनुकूलन के लिए आयात की गई प्रौद्योगिकी के लिए किए जाने वाले सभी संदायों पर उपकर उद्ग्रहीत और संगृहीत करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित और उसके अनुषंगी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि यह विधेयक छोटा किन्तु महत्वपूर्ण है और यह सही दिशा में एक कदम है। विदेशी निवेश तथा सहयोग सम्बन्धी हमारी नीति बड़ी चुनिन्दा है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने पर बल दिया गया है, इस नीति में यह भी स्वीकार किया गया है कि तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकियों की शताब्दी में, भारतीय उद्योग को विश्व में अन्यत्र हो रहे विकास का लाभ उठाना चाहिए। इस तरह राष्ट्रीय हित में प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी गई है और वह भी सामान्यत: उन क्षेत्रों में जिनमें देशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध न हो अथवा पर्याप्त रूप से विकसित न की गई हो। ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त और आयाम बनाए गए हैं जिनके अनुसार ऐसी प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी गई है। इस तरह प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के प्रबन्ध तकनीकी सहयोग का रूप धारण कर सकते हैं अथवा यह तकनीकी सहयोग के अलावा वित्तीय सहयोग के रूप में भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी का आयात डिजाइनों और चित्रकारी के आयात तथा कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के रूप में भी हो सकता है। उपरोक्त किसी भी रूप में प्रौद्योगिकी के आयात के लिए सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। पिछले 3 वर्षों में प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण सम्बन्धी समझौतों की अनुमति दी गई है उनकी संख्या इस प्रकार है। 1983—673, 1984—752 और 1985—1,024। जहां तक प्रौद्योगिकी के आयात पर विभिन्न रूपों में किए गए भुगतान पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है यह 300 करोड़ रुपए के लगभग है।

यद्यपि प्रौद्योगिकी के आयात की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता लेकिन देशी प्रौद्योगिकी विकसित करने तथा वाणिज्यिक रूप से उसका इस्तेमाल करने की भी बहुत आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए दिसम्बर, 1985 में घोषित दीर्घकालीन वित्तीय नीति में यह प्रस्ताव रखा गया था कि देश में विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक इस्तेमाल को और प्रोत्साहन देने के लिए बड़े संयंत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए वेंचर कैपिटल फण्ड की स्थापना की जाएगी जिसका प्रयास होगा कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल किया जाए और घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं का निर्माण बढ़ाने के लिए पहले से आयातित प्रौद्योगिकी का अनुकूलन किया जाए। आगे यह भी विचार किया गया था कि वेंचर पूंजी निधि में पांच प्रतिशत उपकर द्वारा आंशिक योगदान किया

जाएगा जो कि विदेशों से खरीदी जाने वाली प्रौद्योगिकी के लिए देय सभी राशियों पर लगाया जाएगा। इसमें रायल्टी अदायगी, तकनीकी जानकारी के लिए की जाने वाली अदायगी डिजाइन तथा ड्राईंग के लिए दी जाने वाली अदायगियां भी शामिल हैं। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य इसी घोषणा को कानूनी रूप देना है।

उपर्युक्त उपकर से होने वाली पांच प्रतिशत से अनाधिक आय पहले भारत के समेकित निधि में जोड़ी जाएगी और उचित विनियोग के बाद वेंचर पूंजी निधि दे दी जाएगी। जिसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विकास सहायता निधि एक भाग के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस निधि का प्रबन्ध भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके उपकर एकत्र करने की सरल प्रक्रिया का विकास किया जा रहा है। उपकर द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए एकत्र होने की आशा है। (व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं सदन के विचारार्थ विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि देश में विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी का देश में विस्तृत रूप से प्रयोग करने के लिए अनुकूलन के लिए आयात की गई प्रौद्योगिकी के लिए किए जाने वाले सभी संदायों पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित और उसके अनुषंगी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री माधव रेड्डी जी आप कृपया चर्चा की शुरूआत कर सकते हैं।

**श्री सी० माधव रेड्डी** (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस रूप में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं, यद्यपि इसके पीछे विचार बहुत अच्छा है। दिसम्बर, 1985 में, वित्त मन्त्री द्वारा जब नई वित्तीय नीति की शुरुआत की जा रही थी उन्होंने सभी आयतित प्रौद्योगिकी पर उपकर लगाने का वचन दिया था और हमने सोचा था कि देश में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बहुत अधिक संसाधनों को एकत्र करने हेतु यह बहुत ठोस कदम होगा।

महोदय, आज यह 5 प्रतिशत उपकर बहुत ही कम है। यह 5 प्रतिशत भी अधिकतम है। यद्यपि कि मन्त्री जी ने कहा है कि विधेयक में ऐसी बात नहीं कही गई है। परन्तु विधेयक में यह कहा गया है कि यह 5 प्रतिशत तक है जिसका अर्थ है यह एक प्रतिशत, दो प्रतिशत या तीन प्रतिशत भी हो सकता है। अगर यह 5 प्रतिशत है तो मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन मैं विश्वास से नहीं कह सकता कि विधेयक के पीछे यही इरादा है यह केवल 5 प्रतिशत तक है और उस पर छूट भी है। सरकार को किसी भी वर्ग के उद्योग और उद्यमियों को छूट देने का अधिकार प्राप्त है।

अब, श्रीमन्, इस विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो भी धन इकट्ठा होगा वह भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया जाएगा। यह उपकर एक विशेष उद्देश्य के इरादे से लगाया गया है। यह सरकार के राजस्व का दूसरा स्रोत नहीं है। अब 15 करोड़ या 20 करोड़ या कुछ भी यह राशि हो भारत के समेकित निधि में डाल कर आप क्या करने जा रहे हैं। ऐसी राशि जो सरकार उचित समझती हो, औद्योगिक विकास बैंक के विकास सहायता कोष में जमा हेतु

स्थानान्तर की जाएगी । आप इस खण्ड को पढ़िए और हमें बताइए कि आप उपकर से प्राप्त बाकी राशि का क्या करेंगे । इस समय यह उपकर जानबूझ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास तथा देश में आयातित प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाने और उसमें समाहित करने के लिए लगाया जा रहा है । अगर उद्देश्य यह है तो आप इस धन को किस प्रकार अपने पास रख सकते हैं और उद्देश्य के लिए खर्च करने से रोक सकते हैं जिसके लिए एकत्र किया गया है। अब मुद्दा यह है कि 15 करोड़ रुपए की राशि बहुत ही अल्प है । हमारी आशा यह थी कि यह राशि कम से कम 500 करोड़ रुपया होगी । अगर उपकर उससे अधिक होता तो यह राशि हमें उपलब्ध हो जाती । केवल प्रौद्योगिकी पर नहीं बल्कि आयतित उपकरण पर भी आप 15 प्रतिशत उपकर क्यों नहीं लगाते ? लेकिन हमें बताया गया था कि यह उपकर केवल प्रौद्योगिकी डिजाइनों तथा ड्राईंग आदि पर लगाया जाएगा । लेकिन जैसा आप जानते हैं जब हम प्रौद्योगिकी को आयात करते हैं तो कई बार यह 'टरन की' की परियोजना होती है और जब यह आती है तो हमें मालूम नहीं होता कि विदेशी सहयोगी कितनी राशि जानकारी के लिए, कितनी राशि यन्त्र के लिए, कितनी राशि स्थापना के लिए कितनी राशि ड्राईंग और डिजाइन के लिए ले रहा है । जब तक आप समस्त आयतित प्रौद्योगिकी डिजाइनों, ड्राईंग जिग्स और फिक्सर और यन्त्र आदि पर उपकर नहीं लगाते । मुझे विश्वास है आपको बहुत अधिक राशि प्राप्त नहीं होगी । स्वदेशी वस्तुओं के उपलब्ध होने पर भी जो लोग उपकरणों को आयात करना चाहते हैं उनके साथ हमारी क्या सहानुभूति है । हमें हर रोज सैकड़ों आवेदन प्राप्त करते हैं कि हम इस उपकरण को आयात करना चाहते हैं । तब इसकी जांच की जाती है कि क्या यह विशेष उपकरण देश में निर्मित हैं या नहीं और अधिकतर यह सिद्ध होता है कि यह देश निर्मित किया जा रहा है । औद्योगिक विकास मन्त्रालय का तकनीकी कोष्ठ डी० जी० टी० डी० कहता है कि यह तो देश में उपलब्ध है । उद्योग-पति फिर सरकार के पास आता है और कहता है श्रीमन् मशीनरी उपलब्ध है लेकिन इसकी कार्य-कुशलता कम है । अतः हमें आयात की आज्ञा दी जानी चाहिए और अन्ततः राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं और सरकार उपकरण के आयात के लिए सहमत हो जाती है जबकि स्वदेशी मशीन उप-लब्ध है ।

महोदय छूट की एक सीमा होनी चाहिए । पिछले कुछ वर्षों से मशीनों, प्रौद्योगिकी के आयात की नीतियों पर बहुत अधिक छूट दी जा रही है । हमारी विदेशी मुद्रा कोष समाप्त हो गया है और अब 10,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा घाटा है । अगर ऐसा है तो जो लोग जान-बूझकर आयात करना चाहते हैं उनके साथ आपकी क्या सहानुभूति है । आप उन पर यह 5% या 15% क्यों नहीं लगाते अगर ऐसा कर दिया जाए तो मुझे विश्वास है कि आप 1500 करोड़ प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे और इस राशि से आप देश में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान विकास की कई योज-नाएं आरम्भ कर सकेंगे । महोदय, इस विधेयक के दो पहलू हैं एक निधियों का संचय है अर्थात् आप संसाधनों को एकत्र कर रहे हैं । खण्ड 3, 4 और 5 संसाधनों को उपकर के माध्यम से एकत्र करने और बढ़ाने हेतु है, खण्ड 6 निधियों के प्रयोग करने हेतु है, अतः सर्वप्रथम, मैं प्रथम भाग के विषय में कहूंगा, जो संसाधनों को जुटाने के विषय में है । मैं यहां बताना चाहूंगा, सरकार ने यह बहुत देर से महसूस किया है कि विकास प्रयासों के लिए धन जुटाने की आवश्यकता है । श्रीमन् विकास के लिए कई क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है । लेकिन जैसा कि एक बार प्रधान मन्त्री जी ने कहा था हम मुख्यतः महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं । उन्होंने जो कहा वह यही है । हम अभी भी प्राथमिक या आधारिक अनुसन्धान में लगे हुए हैं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से सम्बन्धित देश में 35 से 40 अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। उनका अधिकांश कार्य ऐसा है जिसका कोई बाजार नहीं है ।

सैकड़ों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो प्रयोगशाला स्तर तक ही सीमित रही हैं, अनुसन्धान को प्रायोगिक स्तर तक ले जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इस तरह वे प्रौद्योगिकी को व्यवहार क्षमता सिद्ध नहीं कर सकते जिससे उद्योग उस परियोजना को अपनाने के लिए आगे आए।

महोदय, मैं ऐसी बहुत सी अनुसन्धान प्रयोगशालाओं को जानता हूं। जोरहट जो अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, में एक अनुसन्धान प्रयोगशाला है जहां मैं अभी हाल में गया—वह है जोरहट असम में क्षेत्रीय अनुसन्धान-प्रयोगशाला। लगभग 100 छोटी-छोटी योजनाओं के लिए उसने प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसकी अधिकांश योजनाएं छोटे स्तर पर चलाई जा सकने वाली योजनाएं हैं। मैं एक योजना के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था जो इमली की पत्तियों से टारटरिक अम्ल निकालने के सम्बन्ध में थी। जैसा कि आप जानते हैं कि टारटरिक अम्ल आजकल इमली के गूदे से निकाला जाता है। लेकिन एक वैज्ञानिक के दिमाग में एक उत्तम विचार आया कि क्यों न मैं पत्तियों से इस रसायन के निष्कासन की प्रक्रिया विकसित करूं क्योंकि देश में इमली की पत्तियां बहुतायत में है।

3.00 म० प०

लेकिन उसने इन पत्तियों—अति छोटी-छोटी पत्तियों को जंगल से एकल करके प्रयोगशाला तक ले जाने तथा बड़ी मितव्ययता से टारटरिक अम्ल बनाने के आर्थिक पहलू पर कभी विचार नहीं किया। ऐसी बहुत-सी योजनाएं प्रयोगशाला में पड़ी हुई हैं।

ग्लास तथा सिरेमिक अनुसन्धान संस्थान ने ऐसी अनेक प्रक्रियाएं विकसित की हैं। उसमें से बहुत कम का ही व्यापारिक रूप से दोहन किया गया है। बहुत सी प्रयोगशाला स्तर तक है। इन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए सरकार या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद ने कोई धन नहीं उपलब्ध कराया है। इसी प्रकार, जामनगर में केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसन्धान संस्थान है। विभिन्न समुद्री रसायनों को व्यापक स्तर पर बनाने के लिए इसके पास अनेकों प्रक्रियाएं हैं। उद्योगों ने एक भी प्रक्रिया को ग्रहण नहीं किया है। हैदराबाद तथा भुवनेश्वर में क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, पुणे में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तथा कराइकुडी में इलेक्ट्रो-रसायन अनुसन्धान संस्थान है। इसी प्रकार जमशेदपुर में धातु अनुसन्धान संस्थान, दुर्गापुर में इन्जीनियरिंग अनुसन्धान संस्थान तथा देहराइन के उत्तर में पेट्रोलियम अनुसन्धान संस्थान है। ऐसी बहुत सी प्रयोगशालाएं, जिनके पास यद्यपि प्रचुर वैज्ञानिक प्रतिभा है तथा जिसमें हजारों वैज्ञानिक कार्यरत हैं, 'ब्लू स्काई' अनुसन्धान में लगे हुए हैं। उनके पास धन नहीं है। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परिषद तो केवल इन संस्थाओं के समाशोधन गृह के रूप में कार्य करती है। इसके पास कोई धन नहीं है। वह इन प्रक्रियाओं को ग्रहण करता है, पुस्तिकाएं छपवाता है तथा उन्हें नव-उद्यमियों को दे देता है यद्यपि वे इसके आधार पर कुछ उत्पादन करने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। राष्ट्रीय अनुसन्धान एवं विकास परिषद इनकी मदद करने का प्रयास करती है लेकिन नव-उद्यमी को अन्ततः घाटा उठाना पड़ता है तथा इन संस्थाओं के पास दुबारा न आने की वे कसम उठा लेते हैं। यह इस कारण होता है कि अनुसन्धान संस्थाओं के पास संसाधनों की कमी होती है, तथा मांग के आधार पर बाजार में उपलब्ध प्रक्रियाओं को हाथ में नहीं ले सकते। अधिकांश आधारभूत अनुसन्धान में ही लगी रहती हैं क्योंकि किसी भी तरह उनको कार्यरत रहना है। इन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

जब प्रात: मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो पाया कि धन का प्रयोग क्षेत्र सीमित है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मन्त्रालय को इस क्षेत्र की चिन्ता क्यों करनी चाहिए? वित्त मन्त्रालय का कार्य उपकर लगाने पर विचार करना और संसाधन जुटाना है। जहां तक धन के प्रयोग का सम्बन्ध है, प्रशासन मन्त्रालय को चिन्ता करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्रालय ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय जोकि प्रशासनिक मन्त्रालय है या उद्योग मन्त्रालय से राय ली है। मुझे विश्वास है कि उसने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भी राय नहीं ली है। अन्यथा वह धन के प्रयोग करने का उचित तरीका जानती, कि इस धन को कहां प्रयोग करना है, इस देश में विज्ञान तथा तकनीक को कैसे विकसित करना है तथा वे कौन-से क्षेत्र हैं जहां हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना है। आज यही स्थिति है।

खण्ड 6 में कहा गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उन उद्योगपतियों को धन देगी जो देशी प्रौद्योगिकी को विकसित करना चाहते हैं तथा जो उसका व्यापारिक रूप से दोहन करना चाहते हैं। यही कहा गया है। अनुसंधान इकाइयों को धन नहीं दिया जाएगा। उन्हें उद्यम पूंजी कोष से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस विधेयक में कहा गया है कि यह पूंजी विकास सहायता कोष का एक हिस्सा होगी जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की धारा 14 के तहत स्थापित किया गया था। धारा 16 कहती है कि जब एक बार यह धन बैंक में जमा हो गया तो इसे केवल इसी धारा के अनुसार खर्च किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि आपको आई० डी० वी० आई० की धारा 16 का संशोधन करना पड़ेगा।

मैं नहीं जानता कि आपने इस सम्बन्ध में कानून का अध्ययन किया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस धन को तब तक खर्च नहीं कर सकेगा जब तक धारा 16 का संशोधन नहीं किया जाता। कृपया आप इसे पढ़ें। मेरे कहने का आशय है कि ये 15 या 20 करोड़ रुपए जो अनुसंधान तथा विकास के लिए उपलब्ध कराए गए हैं चाहे यह धनराशि अल्प ही क्यों न हो यह धन देश की उन अनुसंधान संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो अनुसंधान तथा विकास में लगी हुई हैं। अधुना देश में अनेकों अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में ऐसी लगभग 900 अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं जो अनुसंधान तथा विकास कार्यों में संलग्न हैं। इन अनेक अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने कुछ प्रक्रियाएं विकसित की हैं विशेष निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं ने तथा उद्योग द्वारा संचालित अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने। लेकिन ये प्रयोगशालाएं आज धनाभाव से ग्रस्त हैं, उन्हें इस कोष से तब तक कुछ भी नहीं प्राप्त होगा जब तक इस धारा को संशोधित नहीं किया जाता, या समाप्त नहीं किया जाता। इसे पूरी तरह से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विवेक पर छोड़ दिया गया है क्योंकि आई० डी० बी० आई० अनुसंधान प्रयोगशालाओं या सरकार से परामर्श करके एक योजना तैयार कर सकती है और उन्होंने देश में अनुसंधान के विकास के लिए एक योजना तैयार की, तो व्यवस्थानुसार इस योजना को धन दिया जाना चाहिए। अब इस विधेयक में इस बात के लिए मना किया गया है तथा उस पर आप सीमा लगा रहे हैं। आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से कह रहे हैं कि आप केवल इसी प्रकार धन खर्च कर सकते हैं, यह गलत है। मुझे आश्चर्य है कि जब इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस चल रही है तब विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्री जी अनुपस्थित हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि माननीय मन्त्री जी, जिन्होंने इस विधेयक का संचालन किया, को ये सारी बातें मालूम नहीं हैं लेकिन मैं मन्त्री जी के प्रशासनिक मन्त्रालय के प्रभारी होने के नाते उनसे चाहता था कि यहां पर जो कुछ कहा जा रहा है उस पर गौर फरमाते जिससे वे इन बातों का उत्तर देने की स्थिति में होते।

देश में अनुसंधान तथा विकास प्रयत्नों का जहां तक प्रश्न है यह जानना मनोरंजनपूर्ण है कि अपने देश में हम इस पर कितना खर्च करते रहे हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का वह कितना प्रतिशत था जिसे हम अपने देश में खर्च कर रहे थे? भारत में सार्वजनिक निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाने वाला खर्च कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.83 प्रतिशत है: 1983-84 में हमने इतना ही खर्च किया। सोवियत संघ में यह खर्च 4.9 प्रतिशत है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2.5 प्रतिशत है तथा जापान में यह कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 2.4 प्रतिशत है, और जबकि उनका कुल राष्ट्रीय उत्पादन बहुत अधिक है। हमारे द्वारा खर्च की जा रही 0.83 प्रतिशत धनराशि बहुत ही कम है इसी प्रकार यदि हम बिक्री के हिसाब से विचार करें तो देखेंगे कि हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल बिक्री का लगभग .58 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास पर खर्चा कुल बिक्री का 0.68 प्रतिशत है। यह स्थिति है। अनुसंधान तथा विकास पर व्यय बहुत कम है, और मुझे भय है कि इतने कम व्यय के साथ देश को 21वीं सदी में ले जाना हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि, जैसा कि हम सभी जानते हैं जापान ने अनेक नये अग्रिम क्षेत्रों में जो विकास किया है वह केवल अनुसंधान तथा विकास पर अत्यधिक खर्च करके ही संभव हुआ है। हमारे देश में ऐसा नहीं किया जा रहा है और इसलिए अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर और अधिक खर्च करने का प्रबल तर्क है, इस दृष्टिकोण से मैं सोचता हूं कि उपकर बहुत कम है; और यदि आय 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत उपकर बढ़ा भी दें तो कोई भी आपत्ति नहीं करेगा।

समाप्त करने के पहले मैं कहूंगा कि महत्वपूर्ण समस्याओं के अधपके के समाधान ढूंढ़ने का प्रयत्न करने का कोई अर्थ नहीं है और समस्या के साथ जूझने का भी कोई अर्थ नहीं है। कभी-कभी एक अच्छा विचार या अच्छी योजना सरकार के हाथों औपचारिकता मात्र बनकर रह जाती है।

उस समय जब योजना की उद्घोषणा की गई हमने सोचा कि राजस्व की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। मुझे कहते हुए दुःख है कि हम सब निराश हुए हैं। यह केवल एक औपचारिकता मात्र विधेयक है यह आपको कोई राजस्व नहीं प्रदान करेगा तथा अनुसंधान तथा विकास प्रयत्नों पर कोई व्यय नहीं बढ़ाया जाएगा।

महोदय, उद्देश्य उन्मुखी अनुसंधान के सम्बन्ध में जिस पर देश में बहुत अधिक वार्ता हो रही है, मैं कहना चाहूंगा कि इस पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। अतीत में, हम कुछ विशेष क्षेत्रों में उद्देश्य उन्मुखी अनुसंधान के विषय में वार्ता करते रहे थे, यद्यपि हमारी उपलब्धियां बहुत अधिक नहीं हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में या फास्ट ब्रीडर रियेक्टर के विकास के क्षेत्र में हम अपने इस उद्देश्य उन्मुखी अनुसंधान के दृष्टिकोण पर गर्व होना चाहिए। आज इस प्रकार का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन जिसकी वास्तव में आवश्यकता है वह है उपलब्धि उन्मुख अनुसंधान। यह हमारे लिए और आवश्यक है।

देशीकरण के सम्बन्ध में मैं एक मिनट और चाहूंगा। महोदय मैं कहना चाहूंगा कि हमारी देशीकरण की प्रक्रिया बहुत दयनीय रही है। यह अत्यधिक निराशाजनक है। मारुति उद्योग लि० के ही उदाहरण को लें जिसका अभी देशीकरण किया जाना है।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : केनल टायरों की हवा ही भारतीय है।

**श्री सी० माधव रेड्डी** : 1988 से शुरू होने वाला उत्पादन मुझे बताया गया है कि 90

प्रतिशत भारतीय होगा, 90 प्रतिशत कलपुर्जे भारतीय होंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति इसके ठीक विपरीत है। आगामी बहुत दिनों तक कलपुर्जों का आयात करते रहना पड़ेगा। इसी प्रकार ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां आयातित प्रौद्योगिकी का प्रतिस्थापन नहीं किया गया है यहां तक कि इसका समुचित रूप से उपयोग भी नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार ने इसके प्रयोग करने सम्बन्धी शर्तें नहीं लगायीं। आज हमने एक नियम बनाया है कि जिस समय लाइसेंस दिया जाता है उस समय यह शर्त लगाई जाएगी कि वह आयातित प्रौद्योगिकी को देशीकृत करने का प्रयास करेगा। लेकिन इसे प्रवर्तित नहीं किया जा रहा है, हमें बताया गया है कि सहयोग कर्ता इस फिराक में रहता है कि प्रौद्योगिकी का आयात जारी रहे। विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय रजिस्टर की खानापूर्ति करने की कल्पना की गई है। यह रजिस्टर बनाया गया है लेकिन आयातित प्रौद्योगिकी का उपयोग अभी भी जारी है। यह केवल निर्देश पुस्तिका के अनुसार कार्य कर रहा है। विचार यह था कि राष्ट्रीय रजिस्टर को सुसज्जित करके रखा जायेगा तथा हम यह देखें कि पुनरावृत्ति वाली कोई प्रौद्योगिकी न हो और वह प्रौद्योगिकी जिसका आयात किया गया है उसकी समुचित रूप से जोड़-तोड़ की जाए तथा इसके समुचित प्रवर्तन के लिए सही निर्देश दिए जाएं। यह नहीं हो रहा है। हमने सोचा था कि यह विधेयक इसके प्रवर्तन के लिए पर्याप्त धन प्रदान करेगा लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह विधेयक अपने वर्तमान रूप में इन आशाओं को पूरा नहीं करता। मैं इसका विरोध करता हूं यद्यपि सिद्धान्ततः मैं इस विधेयक से सहमत हूं।

**श्री के० एस० राव** (मछली पटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और न केवल समर्थन करता हूं बल्कि मैं अनुसंधान तथा विकास की महत्ता को स्वीकार करने के लिए सरकार की प्रशंसा भी करता हूं। वास्तव में यह अनेक प्रकरणों से जाहिर हो गया है कि विदेशी भारतीय चाहे वे विश्व के किसी भी कोने में हों, अपने ज्ञान, प्रतिभा तथा बुद्धि कौशल में कम नहीं है और बहुत से भारतीयों ने जो विदेश चले गए थे अपने असाधारण कार्य से अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय बुद्धिमान हैं, वे ऐसी वस्तुएं पैदा कर रहे हैं जो पाश्चात्य देशों में खरीदी जा रही है और इस प्रकार वे ऊंची कीमत पर उन्हें अपनी प्रौद्योगिकी बेच रहे हैं। यद्यपि ये भारतीय मस्तिष्क की उपज है, तो भी हमें उच्च परिणामों के लिए लक्ष्य बनाने हैं और देखना है कि उनका देश में समुचित उपयोग हो।

जैसा कि सरकार स्वयं अनुसंधान तथा विकास तथा उसके प्रयोग की महत्ता को स्वीकार कर चुकी है, और जैसा कि हमारे सहयोगी माननीय रेड्डी ने कहा है, पांच प्रतिशत बहुत कम है। और जैसा कि माननीय मन्त्री जी स्वयं कह चुके हैं कि यदि यह 15 करोड़ है तो भी इस अन्य राशि से कोई ठोस उपलब्धि नहीं प्राप्त की जा सकती। मैं बेहद प्रसन्न हूं ...

**3.14 म० प०**

**(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं।)**

**डा० चिन्ता मोहन** (तिरूपति) : किस कारण आप प्रसन्न हैं?

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** (हावडा) : वह इसलिए प्रसन्न हैं कि आप मुस्करा रहे हैं।

**सभापति महोदया** : कृपा अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

**श्री के० एस० राव :** मैं खुश हूं क्योंकि सरकार ने यह महसूस कर लिया है कि प्रौद्योगिकी का आयात करना है न कि मशीनरी का। यह बहुत आवश्यक भी है क्योंकि प्रौद्योगिकी का आयात करके हम विदेशी मुद्रा की समस्या को कम कर सकते हैं और हम यहां पर अपने निपुण लोगों का उपयोग इसी प्रौद्योगिकी को तैयार करने में कर सकते हैं जो हम बहुत ऊंची कीमत देकर खरीद रहे हैं।

सबसे पहले, विधेयक के खण्डों पर आते हुए, यह कहा गया है कि उपकर की राशि का उपयोग आयातित तकनीक को घरेलू स्तर पर व्यापक रूप से लागू करने के लिए किया जाएगा। यह कभी-कभी उन्हीं लोगों को अवसर प्रदान करता है जिन्होंने उपकर अदा किया है। वे इस आयातित प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से लागू करने के लिए इस उपकर के उपयोग के लिए कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री यह पता लगाएं कि क्या वह उपकर देने वाले लोगों को इसका एक या दूसरे बहाने से फायदा उठाने से रोकने के लिए एक खण्ड अन्तःस्थापित कर सकते हैं।

जहां तक प्रतिशत का सम्बन्ध है मेरे विचार में इसे बढ़ाना होगा।

खण्ड 7 यह कहा गया है कि इस अधिनियम में कुछ होने के बावजूद भी सरकार को छूट देने का अधिकार है। और अगर आपको यह खण्ड समाविष्ट करना भी पड़े तो मैं चाहता हूं कि किसी को छूट देते समय इस खण्ड के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ रोक होनी चाहिए।

जुर्माने के सम्बन्ध में भी यह कहा गया है कि यह बकाया राशि के पांच गुणा से अधिक नहीं थोपा जाएगा। यह जुर्माना बहुत कम प्रतीत होता है क्योंकि जो लोग प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं वे इसकी कीमत घटा सकते हैं। इसलिए, उनके विभाग में एक भय पैदा कर देना चाहिए कि अगर उन्होंने कम कीमत करने या ऐसा ही कोई कार्य करने की कोशिस की तो उन पर भारी जुर्माना किया जाएगा।

इस विधेयक में निर्धारित किए गए उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु साधनों का पता लगाने के लिए मेरा विचार तो यह है कि देश में विश्वविद्यालयों तथा दूसरे शोध संस्थानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को छोड़कर, मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह पता करें कि क्या वह विदेशों में कुछ अप्रवासी भारतीयों को तथा ऐसे वैज्ञानिकों के समूह को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इनमें से कुछ संस्थाओं द्वारा उनको वित्तीय सहायता दी जा सकती है। फिर हम उनके द्वारा ग्रहण किए गए कौशल का उपयोग कर सकते हैं और देश में उद्योग को सस्ती लागत पर तकनीक संस्थापित करने में तथा विदेशी मुद्रा की समस्या को दूर करने में भी मदद मिल सकती है।

देश में प्रारम्भिक अवस्था में उद्योगों और प्रौद्योगिकी को बचाने के बहाने हम हाल के वर्षों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को आयात करने के लिए हमारे अवरोधों से बाहर नहीं आ सके। ऐसा करते हुए हम सिर्फ अपने उद्योग को ही आधुनिक नहीं बनायेंगे बल्कि हमारे अनुसंधान तथा विकास को भी अच्छी शुरूआत होगी। और इसका उपयोग अधिकतम धन जुटाते हुए फिलहाल अधिक तेजी से किया जाना चाहिए।

मुझे याद है कि प्रौद्योगिकी के आयात तथा विदेशी सहयोग से प्राप्त धनराशि पर 25 प्रतिशत को समान दर पर कर लगाने के लिए आयकर अधिनियम में एक उपबन्ध बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री यह पता लगायें कि क्या इस 25 प्रतिशत कर का उपयोग इसके लिए

किया जा सकता है और इसे इस उद्यम कोष में समाविष्ट किया जा सकता है ताकि जिस उद्देश्य के लिए इस विधेयक को लाया गया है उसके लिए यह और अच्छा कार्य कर सके।

जैसा कि आप जानते हैं, आजकल शिक्षा प्रणाली अनुसंधान तथा विकास से जुड़ी हुई नहीं है। अधिकतर लोग सिर्फ लिपिक या अधिकारी की नौकरियों के पीछे जाते हैं संभवतया इसलिए कि जो पैसा, प्रोत्साहन और सामाजिक प्रतिष्ठा वैज्ञानिकों को विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं वह जिस स्तर तक होने चाहिए उस तक नहीं हैं। विकसित देशों में जो लोग अनुसंधान तथा विकास में लगे हुए हैं उनको भरपूर वेतन दिया जाता है क्योंकि उन्हें पैसे के साथ-साथ नौकरी सम्बन्धी कुछ संतुष्टि भी होनी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक वे जिस नौकरी में कार्यरत हैं उसमें दिल लगाकर कार्य करने के सक्षम नहीं होंगे।

जहां तक विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं द्वारा अनुसंधान और विकास किए जाने का सम्बन्ध है अब तक उद्योग में इसे लागू करने के लिए उसके कोई भी ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। इसलिए उस अनुसंधान को प्रोत्साहन देना चाहिए जिसको अल्पावधि में उद्योग द्वारा सीधे रूप से क्रियान्वित किया जा सके। मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस वैधानिक उपबन्ध के साथ आगे आयें कि बड़े उद्योगों द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्य को सिर्फ नाममात्र के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य कुछ परिणाम दिखाने चाहिए। मात्र इस कथन को कि उन्होंने कुछ अनुसंधान किया है बिना किसी सख्त निगरानी के स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह सिर्फ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा नहीं किया जा सकता जोकि उपकर इकट्ठा करता है। मैं चाहता हूं कि तकनीक का आयात करने के लिए सभी आवेदनों को तैयार करने, उपकर को एकत्र करने और उस धन का उपयोग करने तथा उपकर का फायदा उठाने वाले उद्योगों द्वारा इस धन का उपयोग कैसे किया गया इस पर निगरानी रखने के लिए एक अलग विभाग या संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। जब तक इनको एक बहुत सुव्यवस्थित ढंग से तथा तीव्रता से नहीं किया गया तो अनुसंधान तथा विकास का कार्य कागजों तक ही सीमित रह जायेगा और इसे कार्यरूप नहीं दिया जायेगा और देशवासियों द्वारा इसके फायदों का उपयोग नहीं उठाया जा सकेगा।

एक प्रौद्योगिकी आंकड़ा बैंक का विचार तकनीकी विकास महानिदेशालय के दिमाग में पहले से ही है। ऐसे बैंक को चालू करना बहुत फायदेमन्द है। सूचना सिर्फ सभी राज्यों के औद्योगिक निदेशालयों को ही नहीं भेजी जानी चाहिए बल्कि बड़े उद्योगों को भी उस सूचना का उपयोग बिना किसी उत्पादन तथा देरी के करने की अनुमति होनी चाहिए।

जैसा कि माननीय प्रधानमन्त्री ने कहा है कि कार्यप्रणाली को सरल बनाना चाहिए और यह काफी परेशानी और देरी का कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम तीव्रता से परिवर्तनशील युग में रह रहे हैं इसलिए जटिल प्रक्रियाएं और इनके परिणामस्वरूप तकनीकी का तुरन्त उपयोग करने की अनुमति में देरी यह साबित करती है कि इसके उपयोग की अनुमति दिए जाने तक यह अप्रचलित हो जाती है। इस प्रकार इस विधेयक को लाते हुए, नेक इरादों के अतिरिक्त सरकार को समय की कीमत का भी अहसास होना चाहिए।

हम आविष्कारों तथा नवीनताओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। विद्यार्थी समुदाय की नई पीढ़ी इस बारे में विचारशील नहीं है क्योंकि आविष्कार और नवीनता के परिणाम लाभकारी नहीं हैं। इसलिए प्रशासन को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए और आविष्कार तथा नवीनता को प्रोत्साहन

देना चाहिए । जब तक सरकार की तरफ से इन पहलुओं पर दृढ़ता पूर्वक गौर नहीं किया जाता तब तक जवान पीढ़ी में दोष ढूंढ़ने का कोई फायदा नहीं है ।

मैं चाहता हूं कि बाबूगिरी से जुड़ी नौकरी वाली शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए और बाबूगिरी तथा अनुसन्धान और विकास से जुड़ी नौकरियों के बीच एक अन्तर होना चाहिए ।

जैसा कि माननीय श्री रेड्डी ने कहा है कि क्या मशीनरी के आयात पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क तथा उत्पादक शुल्कों का सीधे अनुसन्धान तथा विकास कार्यों के लिए उपयोग किए जाने पर विचार किया जा सकता है । अनुसन्धान तथा विकास पर केन्द्रीकरण को बढ़ाने के लिए इस पर अलग से एक चर्चा की जा सकती है ।

सम्भवतया, हमने अनुसन्धान और विकास की उपयोगिता को भली-भांति नहीं पहचाना है । विदेश से तकनीक के आयात के लिए हम इसकी सौ गुणा कीमत भी देने के लिए तैयार हैं जबकि हम इसका विकास अपने देश में करने के लिए इस कीमत का दस प्रतिशत भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं । इसलिए मैं माननीय मन्त्री से इन सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए तथा यह देखने के लिए अनुरोध करता हूं कि उनके अनुसार उस छोटे और प्रशंसनीय विधेयक को ही सिर्फ पारित न किया जाए बल्कि जिस उद्देश्य से इस पर विचार किया गया है उसे तीव्रता तथा विस्तृत रूप से प्राप्त किया जाए ।

**डा० गौरी शंकर राजहंस** (झंझारपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । निस्सन्देह, सरकार को मुबारकबाद देने के सिवाय इस विधेयक पर बोलने के लिए बहुत कम मामला है ।

जब यहां पर दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा की गई तो यह एक प्रशंसनीय प्रयास था । दिसम्बर, 1985 में सरकार ने वायदा किया था कि यह एक विधेयक लाएगी जिसके तहत आयातित प्रौद्योगिकी पर उपकर लगाया जाएगा । सरकार सिर्फ अपने वाददे को पूरा कर रही है । किन्तु मैं यह देखकर वास्तव में निराश हू कि सरकार के अनुसार इस उपकर से सिर्फ 15 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए ।

मैंने अभी यही कहा है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कहने के लिए बहुत कम है । मैं तो माननीय मन्त्री से सिर्फ कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

कृपया, पृष्ठ 2 पर, खण्ड 3(1) देखिए—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए की गई सभी अदायगियों पर 5% से अनधिक ऐसी दर से एक उपकर लगाया तथा वसूल किया जाएगा, जैसा कि केन्द्र सरकार समय-समय पर निर्धारित करे । मेरा यह कहना है कि यह 5 प्रतिशत क्यों है, 10 और 15 प्रतिशत क्यों नहीं ?

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : 15 प्रतिशत क्यों नहीं ?

**डा० गौरी शंकर राजहंस** : यहां पर कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जो अपने उत्पादों का निर्माण आयातित तकनीक के कारण नाममात्र लागत से करते हैं और जनता तथा सरकारी उपक्रमों को अत्यधिक कीमत पर बेचते हैं । इस सम्बन्ध में मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं । कुछ वर्ष पहले मैं एशिया

की एक बहुत बड़ी औद्योगिक इकाई में कार्यकारी पद पर था। उस उद्योग का मालिक आयातित तकनीक के कारण उच्च तापसह ईंटें बनाता था। उच्चतापसह ईंटें एक प्रकार से सिलिका तथा सिलीमानाईट से बनाई गई ईंटें होती हैं। इस्पात भट्टी में प्रयोग की जाने वाली यह एक बहुत मूल्यवान प्रकार की ईंट होती है। आयातित तकनीक के कारण इस ईंट की लागत 40 रुपए थी जबकि उद्योगपति 800 रुपए प्रति ईंट के हिसाब से बेच रहा था। मैंने पहले भी इस बारे में आपको बताया था।

**श्री मूल चन्द डागा** : और अब आप खुलेआम बता रहे हैं। (**व्यवधान**)

**श्री गौरी शंकर राजहंस** : उद्योगपति इस्पात संयंत्र उपभोक्ताओं को लूट रहा था। और आजकल अधिकतर इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

इस प्रक्रिया में निर्माता सार्वजनिक धन को शर्मनाक ढंग से लूट रहा था और मुझे भय है कि आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि 5 प्रतिशत की बजाय उपकर 10 या 15 प्रतिशत होना चाहिए।

कृपया पृष्ठ 3 पर खण्ड 7 को देखिए, जिसके तहत विधेयक किसी भी औद्योगिक इकाई को उपकर के भुगतान से छूट का अधिकार देता है। और मुझे आशका है कि इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं कि निश्चित मामलों में उपकर की छूट देने का क्या आधार होगा।

इसके बाद कृपया पृष्ठ 3 पर खण्ड 8 को देखिए जिसका सम्बन्ध सूचना पाने के अधिकार से है। एक बार फिर मैं अपने वास्तविक अनुभव से कहता हूं कि सरकार चाहे कुछ भी कहे किन्तु उद्योगपति सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी नहीं देते और अगर वे जानकारी नहीं देते हैं तो इसके लिए क्या सजा है? यहां इसके लिए कोई भी सजा नहीं है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से यह स्पष्ट करने के लिए अनुरोध करता हूं कि अगर उद्योगपति द्वारा सही समय पर जानकारी न दी जाए तो वह किस तरह का दण्ड देंगे।

फिर से कृपया पृष्ठ 3 पर खण्ड 9(2) को देखिए। खण्ड 9(2) के अनुसार: "विकास बैंक ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे किसी औद्योगिक इकाई जिसपर धारा (1) के तहत बकाया है, इस बकाया राशि के पांच गुणा तक जुर्माना कर सकता है।"

मैं कहता हूं कि यह सिर्फ पांच गुणा क्यों है? इसे दस गुणा क्यों नहीं कर दिया जाता ताकि उस औद्योगिक इकाई के लिए यह एक सबक बन सके।

इस विषय मे मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि सरकार का 15 करोड़ रुपए उपकर उगाहने का अनुमान है। जब यह बताया जाता है कि इस उपकर को उगाहने में 15 लाख रुपए खर्च होंगे, तो यह निस्सन्देह बड़ी हैरानी की बात है, और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। अगर 15 करोड़ रुपए की उगाही पर आप 15 लाख रुपए खर्च करते हैं तो यह कुछ अधिक है, यह काफी ज्यादा है। (**व्यवधान**)

**एक माननीय सदस्य** : यह सिर्फ एक प्रतिशत है।

**डा० गौरी शंकर राजहंस** : मुझे पता है कि यह सिर्फ एक प्रतिशत है, परन्तु इसे तथा अतिरिक्त खर्चों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या पर गौर करें। माननीय महोदया, मुझे यही सब कुछ कहना था।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया) : महोदया, हालांकि बहुत देर हो गई है, परन्तु कम से कम सरकार ने महसूस किया है और समझ गई है कि हमारी प्रौद्योगिकी के अनुसन्धान तथा विकास के लिए गैर-सरकारी पूंजीपतियों पर कर लगाना आवश्यक है। वर्तमान अधिनियम अर्थात् औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम अनुसन्धान तथा विकास की प्रगति के लिए उद्योग पर केवल 1.12 प्रतिशत कर लगाने के लिए सरकार को शक्ति दी गई है। परन्तु यह नया संशोधन सरकार को कुछ अधिक धनराशि एकत्र करने के लिए समर्थ कराएगा। मैं अन्य सदस्यों के साथ सहमत हूं कि यह पूरी तरह से निराशाजनक है। जब इस विधेयक को बनाने की तैयारी की जा रही थी उस समय औद्योगिक विकास विभाग के सचिव श्री एम० डी० श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि एक प्रतिशत कर लगाने से 250 करोड़ रुपए एकत्र होगा। यह अचानक किस प्रकार से केवल 15 करोड़ रुपए हो गया जब कि इस पर अन्तिम विचार किया गया है ? मैं नहीं जानता हूं। अतः देश की विशालता और हमारी प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता को देखते हुए यह धनराशि बहुत ही कम है जो कि बहुत कम होगी। इसलिए हम सरकार के इस रवैया की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूंजी निवेशक, पूंजीपति केवल मुनाफाखोर है और वे देश को लूट रहे हैं तथा सरकार से सभी सुविधाएं ले रहे हैं। परन्तु वे अनुसन्धान और विकास के लिए खर्च करने को तैयार नहीं हैं। आप जानते हैं यह मेरे विचार नहीं हैं। कई विशेषज्ञों ने भी—इस विषय पर बताया है। सम्भाव्य रूप से विशेष रूप से निजी क्षेत्र में भारत में आयत प्रौद्योगिकी को सुधारने के लिए भी कोई अनुसन्धान और विकास नहीं है। यह स्थिति है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग को ले लीजिए। 2½ दशक पहले हिन्दुस्तान मोटार्स जैसे उद्योग ने कुछ प्रौद्योगिकी का आयात किया। अब यह पुरानी हो गई है। वे नए किस्म के लिए जा रहे हैं। 30 से 35 वर्षों की गतिविधि के बाद भी कोई विकास नहीं है। जब कि ऑटोमोबाइल उद्योग को सैकड़ों लाइसेंस दिए गए हैं फिर भी देशी प्रौद्योगिकी के विकास का प्रयास नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है ? इसके बाद आप टेलिवीजन या रंगीन टेलिवीजन का प्रश्न लें। हमें प्रौद्योगिकी, आयातित प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा। लेकिन हम इसके आयात के लिए जा रहे हैं और इसे यह यहां जोड़ा जा रहा है। देश में एच० एम० टी० सबसे अच्छी घड़ी निर्माता है। शुरू में हमारे अपने 90% पुर्जे थे। परन्तु अब लगभग 30 से 35% पुर्जों को हम आयात कर रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं ? जैसा कि मैंने कहा कि एस० एम० ए० आर० के निदेशक श्री कुरूप ने एक गोष्टि में कहा :

> "व्यावहारिक रूप से भारत में आयातित प्रौद्योगिकी में कोई सुधार नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अप्रचलित सेटों के आने से उद्योग को फिर से आयात के लिए जाना पड़ता है।"

यह स्थिति है। वह आगे कहते हैं :

> "जबकि अधिकतर उद्योग को आयाति प्रौद्योगिकी के लिए सामान्य लाइसेंस के लिए खुला समर्थन दिया जाता है शिल्प विज्ञानी विकास में लगा रहता है और आयात पर पूरा रोक लगाना चाहता है।"

यह दृष्टिकोण है ।

आप जानते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में हमारा पटसन उद्योग सबसे पुराना उद्योग है परन्तु इसके विकसित या आधुनिकीकृत नहीं किया गया है । केवल 5 या 6 पटसन परिवार उद्योग का शोषण करते हैं तथा उसका विकास नहीं करते हैं । पश्चिम बंगाल में, पटसन उद्योग जो आर्थिक व्यवस्था का आधार स्तम्भ है अब उजाड़ने की स्थिति में है । मुनाफाखोर किस प्रकार से काम कर रहे हैं । परन्तु हम उन पर कुछ कर, कम कर लगा रहे हैं और हम केवल 15 करोड़ रुपए एकत्र कर रहे हैं । इस विधेयक का यह प्रयोजन है ।

सरकार की प्रौद्योगिकी और विकास नीति में जबकि नए प्रौद्योगिकी का आयात किया जा रहा है, ऐसी कई चीजें हैं जो वास्तव में अनुसन्धान और विकास को सहायता नहीं दे रही हैं । मैं लोक लेखा समिति के एक प्रतिवेदन का सन्दर्भ दे सकता हूं । सी० एस० आई० आर० को 1942 में इस उद्देश्य के साथ स्थापना की गई थी कि वह वैज्ञानिक और औद्योगिक राष्ट्रीय महत्व के एपलाइड अनुसन्धान के कार्य को शुरू करेगी । दूसरी बात यह है कि इसे उद्योग के विकास की ओर अनुसन्धान के परिणामों को उपयोग करने के लिए स्थापित किया गया था । यह घोषित उद्देश्य है। परन्तु 1984 में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन बताता है कि हम उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हुए हैं :

> "समिति को यह नोट करते हुए निराशा हुई है कि सी० एस० आई० आर० भारत में उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में असमर्थ रही है.....
>
> इस प्रकार सी० एस० आई० आर० द्वारा विकसित प्रगति का 50% से कम को वास्तविक रूप से वाणिज्यक लाभ के लिए उपयोग किया गया था और मूल रूप से प्रक्रिया की 15% से कम के सम्बन्ध में उत्पादन शुरू किया गया है ।"

किस प्रकार से हमने पैसा बर्बाद किया है । यह स्थिति है जो इस क्षेत्र में हो रही है । इस प्रतिवेदन में भी उन्होंने टेलीविजन प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में उल्लेख किया है । टी० वी० टेक्नालाजी के बारे में भी सरकार प्रौद्योगिकी के आयात के लिए जा रही है । यह हमारी पूरी प्रौद्योगिकी नीति है और यह केवल इस सरकार की नीति नहीं है । यह आवश्यक से नहीं आया है । उनके इस नीति को स्वीकृत करने से पहले यह गैर-सरकारी पूंजीपतियों की मांग थी । फिक्की के चेयरमेन की यह बार-बार मांग थी कि सरकार को एक सक्रिय औद्योगिक नीति बनानी चाहिए जो प्रौद्योगिकी के आयात में नम्यता को अनुमति दे । "उन्होंने अधिक उद्योगों को लाइसेंस न देने की और एम० आर० टी० पी० सीमा की छूट की व्यवस्था के लिए भी कहा है ।" गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ये मांगें बार-बार की जा रही हैं । उसके आधार पर सरकार ने इसे स्वीकार किया है और इस नई नीति की घोषणा की है तथा वे प्रौद्योगिकी के आयात के लिए दरवाजे खोल रही है क्योंकि गैर-सरकारी पूंजीपति हमेशा प्रौद्योगिकी के आयात पसन्द करती है । उनका कभी विकास नहीं होता है । वे कभी पैसा खर्च नहीं करते हैं ।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि लाइसेंस अधिनियम में भी संशोधन किय जाना चाहिए । जब आप एक उद्योग के लिए लाइसेंस देते हैं तब आप यह शर्त क्यों नहीं रखते कि

उन्हें अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापित करना होगा ? सरकार समय-समय पर परिणामों की पुनरीक्षा करेगी ताकि यदि वे उसी विकास और अनुसन्धान कार्य को पूरा करने में असफल होते हैं तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । वे केवल लाभ चाहते हैं और ये देश के विकास के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं । यह रवैया सहन नहीं करना चाहिए । यह विधेयक उन लोगों के लिए बहुत नर्म हैं जो हमारे अनुसन्धान तथा प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हैं ।

हम विदेशी प्रौद्योगिकी के पीछे भाग रहे हैं । यह कोई नई बात नहीं है, यह निजी पूंजी है, हमारी सरकार भी उसी विदेशी प्रौद्योगिकी के पीछे भाग रही है । पश्चिमी देश अपनी पुरानी प्रौद्योगिकी को हमारे ऊपर डाल रहे हैं । उनके हाथों में यह एक साधन है ।

अमरीकी राष्ट्रपति के कांग्रेसनला समिति के वैज्ञानिक सलाहकार श्री जॉन पी० मेहागू को मैं उद्धृत करता हूं :

> "अब कई विकसित देश वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमता का सैनिक शक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र का एक पहलू उन्हें ऐसे राष्ट्रों की श्रेणी में जहां महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनैतिक प्रभाव है, में आने के लिए कहता है और क्योंकि अमरीका विश्व में विश्व नेता के रूप में विस्तारपूर्वक महसूस करता है । हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञ और हमारे औद्योगिक रूप से उन्नत मित्रों के साथ हमारे पहले से ही घनिष्ठ भागीदारी को मजबूत करने का लीवर विदेश नीति शक्तिशाली बन गई है तथा विकासशील देशों के साथ हमारे बढ़ते हुए सम्बन्धों में रचनात्मक प्रभाव और हमारे विरोधियों के साथ हमारे लाभों राजनैतिक वातावरण और प्रतियोगिताओं में परिवर्तन हुए हैं ।"

दूसरे व्यक्ति श्री जान ि.गरोपोंट जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण और वैज्ञानिक कार्य के राज्य विभाग के अध्यक्ष हैं :

> "द्विपक्षीय परस्पर सरकारी व्यवस्था प्रोत्साहित करती है और विशिष्ट विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी गतिविधियों का समर्थन करती है, राजनैतिक प्रभाव को सर्व प्रमुखता देती है और विदेश। नीति के महत्वपूर्ण साधन हैं ।"

वे अपने उद्देश्य में बहुत स्पष्ट हैं । परन्तु हम समझने में असफल हैं और इस प्रौद्योगिकी आयात के पीछे दौड़ते हैं । हम अपने राष्ट्रीय हित को एक प्रकार से दाव पर लगा रहे हैं ।

हमारे वैज्ञानिक बहुत-सी चीजों का विकास कर रहे हैं । लेकिन हम उनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं । हम जो कुछ आयात भी करते हैं उसके और आगे ग्रहण करने के लिए इसका हम विश्वास नहीं करते हैं । परन्तु हम और आगे आयात करते हैं । निजी क्षेत्र का यह रवैया है जो चल रहा है और सरकार भी निजी पूंजी की ओर नर्म रवैया लेती है । सरकार की ओर इन निजी पूंजीपतियों पर नजर डालने के लिए इच्छा का अभाव है जो हमारे देशी प्रौद्योगिकी के विकास में अपनी ड्यूटी पूरा करने में असफल है । इसलिए यदि हम वास्तविक रूप से अपनी देशी प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहते हैं तो हमें यह रवैया बदलना चाहिए तथा हमें कुछ व्यापक अधिनियम लाना चाहिए जो हमें और अधिक धन देगा । हम कर लगा सकते हैं तथा हम इस कर के प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं और केवल आयात प्रौद्योगिकी पर ही नहीं बल्कि कुल आयात पर उस कर को

लगा सकते हैं ताकि हम और अधिक पैसा बना सकें तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इसका उपयोग कर सकें। अतः इस मामले में मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सभी बातों को ध्यान में रखेगी—किस प्रकार से पश्चिमी देश विकसित देनों का शोषण करते हैं और उनका क्या रवैया है हमें अपने देशी प्रौद्योगिकी के विकास पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। हालांकि कभी-कभी हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं लेकिन वे लोग जो फिल्ड में हैं, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, वे इसके लिए बहुत अधिक अनिच्छुक हैं। इसलिए मुझे आशा है कि मन्त्री जी इन सबको ध्यान में रखेंगे तथा हमारे देशी प्रौद्योगिकी के विकास तथा अधिक साधनों को जुटाने के लिए व्यापक प्रस्ताव बनाएंगे।

**डा० फूसरेनु गुहा** (कन्टई) : मैं पूरे दिल से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को पहले आना चाहिए था।

ज्ञान सबसे सर्वोत्तम पूंजी है। यह विधेयक ज्ञान के विस्तार के लिए देश की मदद करेगा। हमारे देश में कई अनुसंधान किए गए थे और हमारे देश में भी कई अनुसंधान किए जा रहे हैं। यह सबसे अधिक सुखद बात है कि हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी अनुसंधान के अपने क्षेत्रों में अपना नाम स्थापित किया है। भारत गरीब हो सकता है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे अधिक लोग अनपढ़ हैं परन्तु हमारे वैज्ञानिकों को पूरे विश्व द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में अनुसंधान के लिए और आगे क्षेत्र है।

यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में किया जा रहा अनुसंधान उच्च कोटि का नहीं है इस क्षेत्र में विकास का काफी गुंजायश है। हमारे एक विद्वान दोस्त ने बताया है कि इस समय हमारे देश में कई अनुसंधान परियोजनाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता या किया जाता है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि अनुसधान परियोजनाओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है अनुसंधान का इतिहास हमें यह बताता है कि पूरे विश्व में कई अनुसंधानों को उनके प्रकाशन की अल्प अवधि के भीतर उपयोग नहीं किया जा सकता परन्तु बाद में उनका उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारे देश में भी अनुसंधान जारी रहना चाहिए और हम जानते हैं कि इस समय उन सभी का उपयोग नहीं किया जा सकता। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि मैंने कुछ माह पूर्व एक पत्रिका में पढ़ा है कि विश्व में अनुसंधान पर व्यय की जाने वाली राशि का आधे से अधिक भाग कैंसर पर खर्च किया जा रहा है। किन्तु जैसा कि आप जानते हैं, हमें आज तक इसका कोई इलाज नहीं मिला। क्या इसका यह मतलब है कि हमें कैंसर के सम्बन्ध में अनुसंधान बन्द कर देना चाहिए ? अतः जब भी आवश्यक हो अनुसंधान के प्रति दृष्टिकोण को बदलना चाहिए।

मैं कहना चाहती हूं कि एकत्रित उपकर को अत्यन्त सावधानी से खर्च करना चाहिए। मैं सरकार से सावधान रहने का अनुरोध इसलिए कर रही हूं क्योंकि कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो आयकर भी सही ढंग से नहीं देते। वे अपने व्यापार को सही दिशा में नहीं ले जाते। अतः उनमें से कई अनुसंधान और विकास पर खर्च नहीं भी करते। मैं इन बातों की और व्याख्या नहीं करना चाहती। विदेशों से प्रौद्योगिकी लाने वाले कुछ उद्योगपति सरकार को उपकर से वंचित रखने का प्रयत्न कर सकते हैं। सरकार को आरम्भ से ही पूरी निगरानी रखनी चाहिए तथा सुस्पष्ट व्यवस्था लागू करनी चाहिए। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि उपकर केवल 5 प्रतिशत नहीं होना चाहिए। यह कम से कम 15 प्रतिशत होना चाहिए। यदि अधिक लोगों पर उपकर लगाया जा सके तो अधिक अच्छा

रहेगा। किन्तु मेरा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि वे विचार करें कि 5 प्रतिशत उपकर कुछ नहीं होता क्योंकि सभी उद्योगपति धन कमा रहे हैं और वे हमारी आम जनता तथा देश को अलग-अलग तरीकों से वंचित रख रहे हैं। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि उपकर कम से कम 15 प्रतिशत किया जाए।

दूसरी बात यह है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए। इसका उपयोग अनुसंधान एवं विकास के लिए किया जाना चाहिए। सही निर्धारण के पश्चात् विकास के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए। यहां मैं अपनी सारी उम्र के अनुभव से एक बात कहना चाहूंगी कि अनुसंधानकर्ता जब तक देश में या विदेशों में किसी बड़े व्यक्ति को न जानते हों उन्हें मौका नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में मेरा आग्रह है कि अन्य अनुसंधानकर्त्ताओं को भी अवसर मिलना चाहिए। हम यह आशा नहीं कर सकते कि कोई युवा अनुसंधानकर्त्ता आरम्भ से ही देश में, या विश्व में विख्यात हो जाएगा किन्तु हम यह आशा तो कर ही सकते हैं कि उन सभी को प्रयोगशाला में काम करने का अवसर मिले। उनके कार्य करने के ढंग तथा कार्य के स्तर को देखकर चुनाव किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है। विकास के लिए धन भली प्रकार निर्धारण के बाद ही आवंटित किया जाना चाहिए। अनुसंधान के लिए दो बातों पर विचार किया जाना चाहिए। एक पहलु अनुसंधान का विषय है। यहां, मैं सुझाव देना चाहती हूं कि हमने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से विषयों का चुनाव इसलिए किया जाता है कि किसी अनुसंधानकर्त्ता की मदद करनी होती है, उससे देश को कोई लाभ नहीं होता। अत: विषय का चुनाव कुछ जानकारी रखते हुए अत्यन्त सावधानीपूर्वक करना चाहिए। महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे बड़ी सावधानी से विषय और अनुसंधानकर्त्ता चुनें।

यहां मैं यह कहना चाहती हूं कि अक्सर युवा अनुसंधानकर्त्ताओं को समर्थन नहीं मिलता। यदि उसके पीछे कुछ बड़े लोग नहीं हैं—बड़े लोगों से मेरा मतलब धनाढ्य लोगों से नहीं अपितु अन्य प्रकार के बड़े लोगों से है—उसे विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य उद्योगों में सही स्थान नहीं मिलता। उद्योगों में अक्सर ऐसे वैज्ञानिक चुने जाते हैं, जिनको वे जानते हैं। मैं उच्च वर्ग के अनुसंधानकर्त्ताओं की बात नहीं कर रही। किन्तु हम यह आशा नहीं कर सकते कि सभी युवा अनुसंधानकर्त्ता विख्यात हो जाएंगे। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि अनुसंधानकर्त्ता तथा विषय का चुनाव सावधानीपूर्वक करना होगा। इससे उद्योग तथा देश को सहायता मिलेगी। मैं यह कहना चाहती हूं कि हम यह आशा नहीं कर सकते कि सारे अनुसंधान के परिणामों का हमारे देश में तत्काल उपयोग हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि पहले भी हुआ है, बाद में भी कुछ अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का उपयोग किया गया है। यदि हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि कई बड़े अनुसंधानकर्त्ताओं ने पुराने अनुसंधानकर्त्ताओं के निष्कर्षों का लाभ उठाया है।

मैं इन शब्दों के साथ यह अनुरोध करती हूं कि धन का हमारे देश के विकास के लिए सही प्रयोग किया जाना चाहिए। यह विधेयक बहुत उचित समय पर सदन में लाया गया है किन्तु जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। इसे कुछ पहले लाया जाना चाहिए था ; मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और इसे लाने के लिए सरकार का धन्यवाद करती हूं।

**श्री आनन्द सिंह** (गोंडा) : मैं इस विधेयक का अपने अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी पर आत्म-निर्भरता की ओर एक और कदम के रूप में स्वागत करता हूं चाहे यह प्रयास कितना ही छोटा हो, और वास्तव में यह बहुत छोटा प्रयास है। यदि आप मुझे अन्य देशों के बारे में कुछ आंकड़े बताने

की अनुमति दें तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 1983-84 में अमेरिका ने 1,18,150 करोड़ रुपए और सोवियत संघ ने 40,000 करोड़ रुपए, जापान ने 39,000 करोड़ रुपए और भारत ने 12,000 करोड़ रुपए तथा अब यह 15 करोड़ रुपए की यह राशि अनुसंधान पर खर्च की। क्या 1200 करोड़ रुपए में यह 15 करोड़ और जोड़ने से कोई अन्तर आएगा जबकि जापान 40000 करोड़ रुपए अनुसंधान पर खर्च कर रहा है? मैं अमेरिका से तुलना नहीं कर रहा वह एक बड़ा देश है। बहरहाल यह प्रयास कितना ही छोटा हो, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

मैं सदन को पीछे की ओर 1972 की ओर ले जाना चाहता हूं जब हमारे प्रधान मन्त्री ने इस आवश्यकता को समझते हुए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय के मन्त्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे। न केवल प्रस्ताव रखे बल्कि 1976 में सदन में उनकी घोषणा भी की। मैं 'एप्रोच टू साइन्स एण्ड टैक्नालॉजी प्लान' से, जोकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा जनवरी, 1973 में प्रकाशित किया गया था, पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि :

> "इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी उद्योगों पर ग्रेड के आधार पर अनुसंधान एवं विकास उपकर लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त धन किसी केन्द्रीय अभिकरण में जमा कराया जाना चाहिए जो औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास निधि में से वितरण का कार्य करे..."

और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि :

> "...यह अनुमान लगाया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुसंधान एवं विकास कर से लगभग 300 करोड़ रुपए एकत्र किए जा सकेंगे।"

इस विषय में 1972 में निर्णय लिया गया था। बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय द्वारा इसकी रूपरेखा बनाई गई तथा यह आपके वित्त मन्त्रालय सहित सभी विभागों को उनकी टिप्पणी हेतु इसे भेजा गया। वे इससे निश्चित रूप से सहमत थे क्योंकि तभी 1976 में मन्त्री जी द्वारा सदन में घोषणा की गई थी। यह घोषणा बजट-भाषण में की गई थी कि अनुसंधान एवं विकास उपकर लगाया जाएगा तथा यह भी निर्णय किया गया था कि यह किस प्रकार लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक विकास विभाग इस उद्देश्य से उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों में संशोधन करने वाला एक विधेयक लाएंगे।

**4.00 म० प०**

इस समय एक अजीब घटना हुई। इन प्रस्तावों का क्या हुआ? मन्त्री महोदय श्री सी० सुब्रामणयम द्वारा 1976 में सदन में की गई घोषणा का क्या हुआ? यदि उसी समय वह विधेयक लाया गया होता तो अब इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अधिक विस्तृत होता, जैसा कि उस समय कहा गया था, इसका प्रबन्ध एक स्वतन्त्र निकाय द्वारा किया जाता और आज जिस स्वरूप में इसे लाने की योजना अर्थात 15 करोड़ की छोटी-सी राशि औद्योगिक विकास बैंक को देने की योजना है वह उससे बिल्कुल भिन्न होता।

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले की जांच कराएंगे क्योंकि यह

अत्यन्त गम्भीर मामला है और कुछ बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्य निहित स्वार्थों वाले देशों ने पर्दे के पीछे रहते हुए यह प्रयत्न किया कि यह विधेयक न लाया जाए क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होगा और भारत की जनता का हित होगा। उन्हें और भी मौका मिला क्योंकि 1976 के बाद 1977 आया और उस समय किसी भी प्रस्ताव या विधेयक पर ध्यान न देना बहुत आसान था और वास्तव में ऐसा ही किया गया। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री मण्डल के इस निर्णय को किसी ने नकारा था। यदि किसी को कोई आपत्ति थी तो सही रास्ता अपनाया जाता और इसे पहले निर्णय लेने वाले के पास उनकी टिप्पणी सहित भेजकर अनुरोध किया जाता कि वे विधेयक में परिवर्तन करें या इसे न लायें और तब समिति स्वयं ही विधेयक में संशोधन कर लेती। मेरे विचार में ये प्रस्ताव उनके पुनर्विचार के लिए उनके पास दोबारा कभी नहीं भेजे गए और यह आशा की गई कि समय के साथ लोग इसे भूल जाएंगे और लोग लगभग भूल ही गए थे, जैसाकि हम देखते हैं कि आज इन प्रस्तावों के बारे में कोई बात नहीं करता।

इस देश में नौकरशाही इतनी अधिक मजबूत है कि बजट भाषण में भी सदन में किसी बात पर दिए गए आश्वासन की नौकरशाही द्वारा पुनः जांच की जा सकती है। यहां प्रतिदिन कितने ही संकल्प पारित होते हैं और कई नौकरशाही के कारण इनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं किन्तु यह नौकरशाही द्वारा किया गया सबसे बड़ा परिवर्तन है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसकी जांच करें। किन्तु बात यहीं समाप्त नहीं होती। जब श्रीमती गांधी पुनः सत्ता में आईं तो उन्होंने दोबारा इन प्रस्तावों की अपने आदेश पर जांच करवाई और प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी कार्यान्वयन समिति द्वारा दोबारा प्रस्तावों को निकालकर पुनः संवारा गया। इन प्रस्तावों पर दोबारा विचार किया गया और इन्हें एक नया नाम दिया गया। मूल निर्णय के अनुसार इसे प्रौद्योगिकी विकास निधि कहा गया। इस पर अब भी काम हो रहा है। ये प्रस्ताव पुनः लाए गए हैं। यहां तक कि सचिव समिति ने भी जनवरी, 1986 में इस पर सहमति दे दी है। अब फिर यह राशि 500 करोड़ रुपए ही है। यह विधेयक तैयार हो रहा है। यह उद्योग मन्त्रालय द्वारा लाया जाएगा।

अब 1976 के अनुचित निर्णय के कारण, जिसका कुछ पता नहीं है, जिसके प्रस्ताव अथवा विधेयक के बारे में कुछ मालूम नहीं कि वे कहां हैं, दूसरा विधेयक तैयार हो रहा है और अब एक तीसरा विधेयक हमारे सामने है जिसमें बहुत कम राशि दी गई है और जिसका स्वरूप अत्यन्त सीमित है, मुझे नहीं मालूम कि 15 करोड़ रुपए का यह विधेयक पारित करने में हमारा उद्देश्य क्या है?

टी० पी० आई० सी० प्रस्ताव के अन्तर्गत एक अन्य विधेयक भी है, जो सम्भवतः शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है और इसमें अनुसंधान तथा विकास के अलावा उद्यम पूंजी और जोखिम वित्त भी शामिल हैं और इसका संचालन एक स्वायत्त निकाय करेगा।

सर्वप्रथम मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस विधेयक के पिछले इतिहास और 1976 के बजट के वास्तविक प्रस्ताव पर नजर डालें और विचार करें कि यह विधेयक क्यों लाया जा रहा है और कुछ निहित स्वार्थ किस तरह से नए विधेयक प्रस्तुत करके मुख्य विधेयक को समाप्त करवाने या इसे टालने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या यह विधेयक उद्योग मन्त्रालय द्वारा रखे जाने वाले विधेयक के अतिरिक्त होगा? क्या इसका प्रयोग इस विधेयक को रोकने के लिए पहिए में दांता

लगाने के समान किया जाएगा ? क्या यह दूसरे विधेयक का अतिक्रमण करेगा ? यदि वे विधेयक एक दूसरे के अनुपूरक हैं तब तो यह स्वागत योग्य है किन्तु यदि वे एक दूसरे का अतिक्रमण करते हैं तो इससे देश को नुकसान होगा। हमें इस विधेयक को लाने में देरी करने पर पहले ही 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, 300 करोड़ रुपए का घाटा पांचवी योजना में हुआ और छटी योजना में यह घाटा 600 करोड़ रुपए के करीब हुआ होगा। इस तरह राजकोष को अब तक कुल 800 से 1000 करोड़ रुपए तक हानि हो चुकी है। केवल इतना ही नही, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अनुसंधान कार्य को 10 वर्ष तक स्थापित रखने के कारण हमें कितना वित्तीय नुकसान हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि अनुसंधान को दस वर्ष तक टालने से आर्थिक रूप से कितनी हानि हुई? अतः इस हानि की गणना नहीं की जा सकती। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह एक व्यापक विधेयक लाएं जिससे देश को कुछ लाभ हो। इन 15 करोड़ रुपए से क्या होगा ? क्या यह अपर्याप्त नहीं है ? क्या आप भी वही अनुसंधान करेंगे जो अन्य मन्त्रालय करेंगे ? इस विधेयक का उद्देश्य पुनरावृत्ति को रोकना है किन्तु जब कोई दूसरा मन्त्रालय इस पर अनुसंधान शुरू करेगा तो पुनः इसकी पुनरावृत्ति का प्रश्न उठेगा। यदि कोई अन्य मंत्रालय भी ऐसा ही विधेयक लाने जा रहा है तो यह भी पुनरावृत्ति होगी। अतः यह बात मेरी समझ मे नहीं आई है।

मैं इस विधेयक का पूरे मन से स्वागत करता हूं क्योंकि यह एक सही दिशा में सही कदम है किन्तु क्या यह धनराशि की मात्रा के मामले में सही है, मुझे इसमें संदेह है; क्या इसका दृष्टिकोण सही है, मुझे इस पर भी संदेह है। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार करते समय उन्हें अन्य मंत्रालय के इसी उद्देश्य वाले विधेयकों को भी ध्यान रखना होगा और जैसा कि आपने कहा इस विधेयक के अनुसार 5% उपकर लगाया जाएगा किन्तु 100 करोड़ रुपए की राशि वसूल करने के लिए आपको इस उपकर में 50% तक वृद्धि करनी होगी। यदि आप इसमें 50% वृद्धि करते हैं तो आप विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः आपके पास संसाधनों में वृद्धि करने का भी व्यापक आधार नहीं है। यदि आप इसमें 5% और वृद्धि करते हैं तो आपको 30 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह अन्य मंत्रालयों द्वारा तैयार किए जा रहे अन्य विधेयकों पर नजर डालें। यह विधेयक लाने के बाद संसद अधिक बड़े विधेयक को पारित करने में अनिच्छा भी प्रकट कर सकती है और इस तरह हमें लाभ की बजाय हानि हो सकती है। अतः मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक से हमें किस तरह से सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस विधेयक पर पुनः नजर डालें। मैं इस विधेयक का इस आशा से समर्थन करता हूं कि इसे पारित करने से पहले मंत्री महोदय इसे इस तरह व्यापक बनाएंगे कि इससे देश के लिए अधिक लाभ हो सके।

**श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, यह विधेयक मुझे भ्रामक और अधूरा प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं कि इसका उद्देश्य प्रशंसनीय है। इसका उद्देश्य हर तरह की आयातित प्रौद्योगिकी पर उपकर लगाना है। यह राशि कर के रूप में एकत्रित की जायेगी और भारतीय औद्योगिक बैंक को दे दी जाएगी तथा वह बैंक इस राशि को 'वेंचर कैपिटल फंड" के नाम से जमा करेगा। इस राशि का उपयोग देशी प्रौद्योगिकी के विकास और घरेलू वस्तुओं के निर्माण को बढ़ाने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाने पर खर्च किया जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि इसका उद्देश्य प्रशंसनीय है किन्तु यदि आप विधेयक पर खण्डवार विचार करें तो इसका प्रयोजन ही देखेंगे कि वास्तव में समाप्त हो गया है।

आप कितनी राशि वसूल कर पाएंगे। यह राशि मात्र 1.5 करोड़ रुपए है और वह भी तब जब हम पूरा 5% उपकर लगाएंगे क्योंकि इसमें आपने 5% तक ही उपकर लगाने की बात कही है। आपने अभी निश्चय नहीं किया है कि आप पूरा 5% उपकर ही लगाएंगे। आपने कुछ छूट देने का भी प्रावधान रखा है। हर सरकार ऐसा प्रावधान करना चाहती है। आपने ऐसा किसलिए किया है? मैं जानता हूं कि आप कितनी मदों के लिए और किन्हें छूट देने जा रहे हैं। आपने विधेयक में इसका जिक्र नहीं किया है। यहां तक कि नियम बनाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। हम नहीं जानते कि छूट किन्हें दी जाएगी और क्या छूट सम्बन्धी अधिसूचना जारी की जाएगी या नहीं और क्या उसके लिए सभा के समक्ष आप जवाब देह होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यह वास्तव में भ्रम पैदा करने वाला है।

मैं एक स्वतन्त्रता सेनानी हूं और मैंने स्वदेशी आन्दोलन में भाग लिया था, मैं सरकार को एक बात के लिए सतर्क करना चाहूंगा। आजकल हम न केवल प्रौद्योगिकी अपितु हर चीज के आयात को बड़ी उदारता से प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आत्म-निर्भर होने की जो बात कही थी, उसका क्या हुआ। हमारे प्रधान मंत्री ने 1985 के आरम्भ में देश की बागडोर संभालने के तुरन्त बाद कहा था कि हम आत्म-निर्भरता की बात नहीं भूलेंगे, हम आत्म-निर्भर होने के लिए हर तरह से प्रोत्साहन देंगे। क्या सरकार की वर्तमान आयात नीति से आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहन मिल रहा है अथवा आप आत्म-निर्भर होने की बात भूलते जा रहे हैं?

हमारे देश का सम्मान खतरे में है, यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। पूरे विश्व की नजर हमारी ओर है; हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता हैं; हम राष्ट्रमण्डल के महत्त्वपूर्ण देशों में से हैं। हमें यह प्रभाव नहीं डालना चाहिए कि हम सब कुछ अन्य देशों से मंगा रहे हैं। हमें स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। सी० वी० आई० एम० के एक माननीय सदस्य ने भी यही बात कही है।

हमारे वैज्ञानिकों को बिलकुल प्रोत्साहन नहीं मिलता, उन्हें यहां पर्याप्त मान्यता नहीं दी जाती। वे अमरीका और पश्चिम के अन्य देशों में जाकर प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं, व्यापक अनुसंधान करते हैं; और भारत में उस प्रौद्योगिकी का आयात किया जाता है और हमें उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। हम ऐसा सब कर रहे हैं। हम प्रौद्योगिकी के आयात पर जितना धन खर्च कर रहे हैं वह धन हम अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, कुशल तकनीशियनों, जोकि विश्व में अद्वितीय हैं, पर खर्च क्यों नहीं करते। यहां कितने ही भाभा, जगदीश चन्द्र बोस, विश्वेश्वर, सर सी० वी० रमन और अन्य महान विभूतियां हुई हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि हम हर जगह हाथ फैला रहे है? इस सरकार के सत्ता में आने के बाद दिन प्रतिदिन हर चीज का ही आयात किया जाने लगा है। मुझे यह सोच कर बड़ा दुःख होता है। हमें अपनी अन्तरचेतना से पूछना चाहिए कि क्या यह ठीक है। हमारी स्थिति विश्व मे हास्यास्पद हो गई है। हम पर किसका आधिपत्य है? क्या यह नव-उपनिवेशवाद का नहीं है?

**4.14 म० प०**

**(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)**

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सतर्क हो और इस बात पर ध्यान दे कि आयात के मामले

में उनकी नीति क्या है। हमारे माननीय सदस्यों ने कई उदाहरण दिए हैं। मैं भी इस बारे में एक-दो उदाहरण दूंगा कि स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और हम स्वदेशी उत्पादन की लागत पर वस्तुएं आयात कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं कर्नाटक के एक महत्त्वपूर्ण दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकीय में से उद्धृत करूंगा इसके अनुसार :

> "खत्ती और भांडागारों में स्वदेशी उर्वरकों के भण्डार में नवम्बर, 1985 से लगातार वृद्धि हो रही है, जनवरी, 1985 में इसका भण्डार 39 ?00 टन था जो जनवरी, 1986 में बढ़कर 851000 टन हो गया और इस वर्ष मई में 1,606,000 टन हो गया, जो कि अभूतपूर्व है।
>
> इस असामान्य स्थिति का मुख्य कारण है आयात में अत्यधिक वृद्धि जो कि 1983-84 में 1,355,000 से बढ़कर 1984-85 में 3,82,000 टन तक पहुंच गया और 1985-86 में भी लगभग इतना ही आयात किया गया। ये आयात कृषि उत्पादन और उर्वरक की मांग की सम्भावनाओं के मूल्यांकन के आधार पर किए गए थे और इनके आयात का उद्देश्य मांग के मुकाबले स्वदेशी उर्वरक उत्पादन में कमी को पूरा करना था। व्यवहारिक रूप से कृषि उत्पादन सरकार की सम्भावनाओं के अनुरूप कम हुआ जिसके कारण उर्वरक जमा होते रहे।"
>
> "इनमें सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि सरकार उर्वरकों की मांग का ठीक से पता लगाने में असफल रही है अपितु यह भी कि उन्होंने स्वदेशी उर्वरक उद्योग में पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के होते हुए भी आयात का रास्ता अपनाया है।"

इसलिए हमारे भाण्डागारों में उर्वरकों का काफी भण्डार जमा पड़ा है। आपने उसका उपयोग न करके करोड़ों रुपए (लगभग 9000 करोड़ रुपए) के उर्वरक इस वर्ष आयात किए। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

इसी तरह एक और उदाहरण है। मैंने इस सभा में एच० एम० टी० का उदाहरण दिया था। रक्षा मंत्रालय केरल में एर्णाकुलम में एक सामरिक रक्षा उद्योग की स्थापना करना चाहता था। उन्होंने विश्व भर से निविदाएं आमन्त्रित की थीं केरल की एच० एम० टी० इकाई ने निविदाएं प्रस्तुत की थी और सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों ने निविदा की विशिस्टताओं पर संतोष व्यक्त किया था। वे उसकी क्षमता और अन्य विशेषताओं से पूरी तरह संतुष्ट थे और एच० एम० टी० का आर्डर लेने के लिए तैयार थे। लेकिन रक्षा मंत्रालय के उच्चाधिकारियों ने इसे मंजूर नहीं किया। यद्यपि एच० एम० टी० का प्रस्ताव कम था और उनके पास आवश्यक क्षमता थी, उन्होंने प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। वे चाहते थे कि पश्चिम जर्मनी की फर्म का आर्डर मंजूर किया जाए। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। मैंने सभा में भी इसका जिक्र किया था। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी मंत्री से इसका जबाब नहीं मिला। श्री थॉमस उस क्षेत्र से संसद सदस्य है और चूंकि एच० एम० टी० की वह इकाई उनके निर्वाचन क्षेत्र में आती है, उन्हें इस बारे में मुससे अधिक जानकारी है। रक्षा मंत्रालय के उच्चाधिकारी चाहते थे कि पश्चिमी जर्मनी की फर्म का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। क्यों ? यह तो वही अच्छी तरह जानते हैं। महोदय, मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इसकी जांच कराएं। सरकार को इसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। काम करने का यह कोई तरीका नहीं है। सरकार को इन मामलों में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपको

अपनी आयात नीति के बारे में बताना चाहिए। यदि आप में साहस है तो कहिए कि आप आयात करेंगे और आपको स्वदेशी उत्पादन की परवाह नहीं है फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे पास इसका क्या जवाब है। लेकिन आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। आप कहते हैं कि आप चाहते हैं देश में वस्तुओं का निर्माण हो और उनका विकास किया जाना चाहिए। लेकिन आप अपने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को भी प्रोत्साहन नहीं देते। एच० एम० टी० कोई एक पूंजीवादी की इकाई नहीं है। क्या स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने का यह कोई तरीका है ?

में ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं किंतु समय के अभाव के कारण मैं इस बारे में विस्तार से कहना नहीं चाहता। मैं अब केवल एक ही पहलू का जिक्र करना चाहूंगा और वह हमारे वैज्ञानिकों तथा अनुसंधान और विकास विभाग को प्रोत्साहन देने के बारे में है। श्री माधव रेहडी ने सही आंकड़े दिए हैं और मैं इन सबको दोहराना नहीं चाहता। हम विज्ञान और औद्योगिकी पर काफी धन खर्च कर रहे हैं। मैं यह बात जानता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना में योजना और गैर-योजना व्यय के लिए आवंटित मात्र 20 करोड़ रुपए की राशि को छठी पंचवर्षीय योजना में 3716 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि बढ़ाकर 7536 करोड़ रुपए कर दी गई। आपने इतनी अधिक राशि का प्रावधान रखा है। यह सारी राशि कहां जाती है ?

दुःख की बात केवल यह है कि यहां का प्रबंध ठीक नहीं है और हमारे वैज्ञानिकों तथा अनुसंधान और विकास विभाग को उचित प्रोत्साहन नही दिया जाता। अनुसंधान और विकास विभाग के लोग नहीं चाहते कि वहां वास्तव में योग्य उम्मीदवार बने रहे। वहां बहुत राजनीति चलती है। यह जरूरी है कि इस स्थिति को समाप्त किया जाए।

महोदय, आपने इन मदों के विस्तृत आंकड़े दिए हैं जिनके लिए प्रौद्योगिकियों का आयात किया गया है। आपने 3000 से अधिक मदों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति है। मैं केवल इतना कहूंगा कि हमारे देश की प्रतिष्ठा की लागत पर इसका आयात नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री हरीश रावत** (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, इस बिल के विषय में मुझे दो शिकायतें करनी हैं। एक तो यह कि माननीय मन्त्री जी इस बिल को लेकर बहुत देर में आए और उसके बाद भी आधे रास्ते ही चले। देर में तो इसलिए कि जिस समय हमने टेक्नालाजी का इम्पोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर एलाऊ किया था यदि उसी समय से इसको लगाया होता तो इस समय तक हम एक अच्छा-खासा एमाउन्ट इसपर खर्च कर चुके होते। आपने 300 करोड़ से भी ज्यादा टेक्नालाजी इम्पोर्ट पर खर्चा एलाऊ किया है और उसके एवज में हम लेंगे केवल 15 करोड़। और यह 15 करोड़ भी हम ले पाएंगे या नहीं—इसमें हमको ही नहीं आपको भी सन्देह है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बात पर विचार होना चाहिए कि किस तरीके से इस एमाउन्ट को बढ़ाया जाए। दोनों ही तरफ के माननीय सदस्य, जो भावनाएं आपने व्यक्त की हैं, उनसे सहमत हैं कि हम बहुत समय तक इस बात पर निर्भर नहीं रह सकते कि दूसरों से टेक्नालाजी इम्पोर्ट करते रहें। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था भी इस प्रकार की नहीं है कि बहुत समय तक हम इस प्रकार की स्थिति के साथ चल सकें। यूं ही हमारे विदेशी मुद्रा के भण्डार पर भार पड़ा हुआ है। जितने लाभ की उम्मीद हम करते थे उतना लाभ नहीं हो पाया है। देखने में तो यह आ रहा है कि जिन लोगों को हमने प्रौद्योगिकी के आयात की इजाजत

दी है उन्होंने उसको केवल एक किटबैग टेक्नालाजी के रूप में बदलकर रख दिया । वहां से लेकर आते हैं और यहां पर उसको इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं । मैं समझता हूं हम जब तक उसका भारतीयकरण नहीं करेंगे, उसको अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढालेंगे, अपनी आवश्यकतानुरूप विकसित नहीं करेंगे तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी पैसा इसके जरिए से रेज हो रहा है उसका उपयोग हम अपनी रीजनल रिसर्च लेबार्ट-रीज को पैसा देने में करें ताकि हमारी आवश्यकता के अनुसार वे प्रौद्योगिकी का विकास कर सकें ।

दूसरी तरफ हम इसमें से कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर को भी देते हैं । मुझे डर है कि आई० डी० बी० आई०, जिसके माध्यम से हम उनको पैसा देने की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में विशेष तौर से बड़े हाउसेज को भी वे पैसा देंगे लेकिन उनके पास तो बहुत पैसा है। उन हाउसेज से तो यह कहा जाना चाहिए कि आप जितना मुनाफा कमाते हैं, इम्पोर्टेड प्रौद्योगिकी के आधार पर जितना मुनाफा आपने कमाया है उसका एक अच्छा खासा अंग वे प्रौद्योगिकी के भारतीयकरण पर खर्च करें, अपनी टेक्नालाजी को विकसित करने पर खर्च करें । इसके अतिरिक्त जो पैसा भारत सरकार के कमाण्ड में है उसको हमें अपनी लेबार्टरीज में खर्च करना चाहिए ।

चूंकि हमारे माननीय दोस्तों ने अधिकांश विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त कर दिए हैं मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी रिसर्च लेबार्टरीज हैं वे इस वैज्ञानिक चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं लेकिन उसके लिए वातावरण पैदा करने का काम होना चाहिए ताकि उसके अनुसार वे ठीक से काम कर सकें । साथ ही उनको आवश्यक साधन उपलब्ध हो सकें—इस दिशा में भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए । इस समय तो यह हो रहा है कि जगह-जगह हमने रीजनल रिसर्च लेबार्टरीज या अन्य लेबार्टरीज खोली हैं लेकिन उनकी जानकारी का जिनके द्वारा उस प्रौद्यो-गिकी का विकास किया जाता है वहां उसका ठीक से उपयोग नहीं हो पाता है । मैं पिछली बार जम्मू गया था, वहां के लोगों ने, बीयर में डालने के लिए उसके उपयोग में जो काम में आता है उसको विकसित किया है और फार्मर्स को उस टेक्नालाजी को दिया और उन्होंने उसको अपने यहां पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन देखने में यह आया कि दूसरी तरफ जो बीयर निर्माता हैं उनको भी आपने इम्पोर्ट की इजाजत दी हुई है, उनको आपने रोका नहीं इस बात के लिए कि वे उसको इम्पोर्ट न करें और वे आज भी विदेशों से इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे वैज्ञानिक हतोत्साहित हुए हैं और साथ ही साथ जिन किसानों को उन्होंने उसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया था वे किसान भी डिस्करेज फील कर रहे हैं। उनका भी नुकसान हो रहा है । यह केवल जम्मू लेबार्टरी की ही बात नहीं है, दूसरी जगहों की लेबार्टरीज की भी यही स्थिति है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम इम्पोर्ट तो करें लेकिन इसके लिए एक टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए और उसके बाद इम्पोर्ट करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हमें उनको बता देना चाहिए कि जो उसको अपनी आवश्यकतानुसार नहीं ढालेंगे उनको इम्पोर्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी । प्राइवेट सैक्टर के ऊपर कोई इस प्रकार का अंकुश नहीं लगाएंगे, तो मुझे डर है कि प्राइवेट सैक्टर इस बात को लम्बे समय तक इसी रूप में चलाना चाहेगा ।

हमारे वैज्ञानिक जो लैबोरेट्रीज में काम करते हैं, वहां का वातावरण उन लोगों के लिए उप-युक्त नहीं है । हम उनको जीने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं देते हैं । इसका प्रभाव यह पड़ता है कि बराबर वैज्ञानिक भाग कर बाहर जा रहे हैं । हमने ब्योरोक्रेसी शिकंजा इतना ज्यादा कस दिया है कि वे अपने को हतोत्साहित फील करते हैं । आए दिन इस प्रकार की खबरें अखबारों में आ रही हैं ।

इस सम्बन्ध में कल ही अखबार में एक घटना आई है कि एक वैज्ञानिक ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। न केवल भागने की घटनाएं हो रही हैं, आत्म-हत्याएं भी हो रही हैं। एक तरफ उनके लिए कोई प्रमोशन्स नहीं हैं, और दूसरी तरफ उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। वे लोग आत्म हत्या करने के लिए भी बाध्य हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जिस उद्देश्य को लेकर आप यह बिल लाए हैं, उसकी मंशा अधूरी रहेगी। जब तक हम पर्याप्त पैसा देने की कोशिश नहीं करेंगे, सही वातावरण देश में तैयार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हतोत्साहित होते रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री शान्ताराम नायक** (पणजी) : अनुसन्धान एवं विकास उपकर विधेयक, 1986 कुल मिलाकर बहुत अच्छा विधेयक है तथा मैं इसका स्वागत करता हूं। विधेयक में बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

विधेयक में विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात पर 5 प्रतिशत तक उपकर लगाने की बात कही गई है। इसमें उद्यम पूंजी कोष (वेंचर केपिटल फण्ड) बनाए जाने की बात कही गई है जो कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अन्तर्गत रखे गए विकास सहायता कोष का अंग होगा। विधेयक के इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि उपकर एक ऐसा शुल्क है जिसे हम आयातित प्रौद्योगिकी पर लगा रहे हैं। जितने भी शुल्क हम लगाते हैं क्या प्रत्येक के लिए हम अलग-अलग कानून बनाते है ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कराधान के लिए हम हमेशा एक ही तरह का कानून बनाते हैं। इसलिए क्या मैं जान सकता हूं कि आयातित प्रौद्योगिकी पर लगाए जाने वाले उपकर पर एक अलग से अपने आप में पूर्ण कराधान क्यों है ? क्या यह आयात से सम्बन्धित किसी कराधान कानून का हिस्सा नहीं बन सकता था ? अगर रवैया यही रहा तो भविष्य में जब कभी भी हम भिन्न तरह का उपकर लगाएंगे तो हमें पृथक कानून बनाना होगा। क्या इसकी आवश्यकता है ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस उपकर को बनाना इस तरीके से लगाने से हमें आयात सम्बन्धी विधान का ही हिस्सा इसे बना देना चाहिए।

दूसरे, इस विधेयक का मूल उद्देश्य खण्ड 6 में बताया गया है :

> "विकास बैंक इस निधि का प्रयोग ऐसे व्यय के लिए करेगा जो विकास बैंक की राय में, देश में प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक प्रयोग का प्रयास करने वाले या.....औद्योगिक समुत्थानों को साधारण पूंजी या किसी अन्य रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।"

एक बात आप की ठीक है : आप उन लोगों को सहायता प्रदान करेंगे जो देश में प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक प्रयोग का प्रयास करेगा। विधेयक के अनुसार दूसरी श्रेणी उनकी है :

> ".....देश में विस्तृत रूप से प्रयोग करने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाएगा।"

मैं नहीं समझता इसकी कोई सीमा है। इससे धन का दुरुपयोग होगा। हरेक कम्पनी इस कार्य को करने की कोशिश करेगी यानि कि उसका दावा होगा कि वह देश में विस्तृत रूप से प्रयोग करने के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपना रहा है।

आप इसकी क्रियान्विति कैसे करेंगे जब तक आप इन बातों को स्पष्ट नहीं करते? खण्ड 7 इस प्रकार है :

> "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि वास्तव में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना आदि के द्वारा ऐसा कर सकती है।"

आप किसी भी औद्योगिक कम्पनी को उपकर न लगाने की छूट दे सकते हैं। लेकिन यहां आप कहते हैं कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। सार्वजनिक हित इसमें किस का हो रहा है? लोगों का भला तो उपकर लेने से होगा, सार्वजनिक हित तो आयातित प्रौद्योगिकी पर उपकर लगाकर धन एकत्र करने से होगा तथा उस धन को उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो देशी प्रौद्योगिकी के अनुसन्धान एवं विकास में लगे हुए हैं। सार्वजनिक हित इसमें नहीं है कि किसी भी कम्पनी को उपकर से मुक्त कर दिया जाए। दो बात हैं एक तो आप उपकर लगाने की बात कह रहे हैं तथा दूसरे उपकर में छूट दिए जाने की यहां तक तो ठीक है परन्तु विधेयक के अनुसार उपकर में छूट सार्वजनिक हित में है। दो बातें एकदम उलट एक साथ कैसे हो सकती हैं। एक खण्ड 6 में तथा दूसरी खण्ड 7 में? अत: इस विधेयक में यह एक विवादास्पद बात है।

खण्ड 5 में कोष के स्रोत की बात कही गई है। एक स्रोत है धारा 4 के तहत धन दिया जाना। यह तो ठीक है। इसके बाद खण्ड 5 (2) (ख) इस प्रकार है :

> "इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के रूप में दी गई रकम।"

यहां तक भी ठीक है। अब आता है खण्ड 5(1) (ग) :

> "किसी अन्य स्त्रोत से निधि को दी गई रकम।"

इसका क्या अर्थ है? इस एक निश्चित विधान में निश्चत तरीके से स्त्रोत का होना तो ठीक है परन्तु बिना किसी स्त्रोत को बताए आपने इसमें धन दिए जाने का प्रावधान किया है। मेरे विचार से इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर अनुसन्धान एवं विकास कार्य के लिए आप कुछ धन एकत्र करना चाहते हैं तो इस बात को तो मैं समझ सकता हूं। परन्तु कृपया करके आपको इसके स्त्रोत का स्पष्टीकरण करना होगा। ताकि इस विधान के तहत किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे।

इन 3-4 टिप्पणीयों के साथ मैं समझता हूं कि आप इसमें कुछ संशोधन करेंगे ताकि विधेयक को स्पष्ट बना दिया जाए एवं किसी प्रकार की खामी न रहे। अगर हम किसी उपाय या कानून के रूप में इस विधेयक को ला सकें तो यह अच्छा है।

**डा० दत्ता सामन्त** (बम्बई दक्षिण मध्य) : विदेशी कम्पनियों के साथ मिलकर चलाए जाने वाली भारतीय कम्पनियों से यदि हम उपकर के रूप में कुछ धन एकत्र करते हैं, तो यह अच्छी बात है परन्तु हमारे जैसे पिछड़े देश के लिए इससे प्राप्त 15 करोड़ रुपए कुछ भी नही हैं। हमारे यहां अत्यधिक अनुसन्धान एवं विकास किए जाने की आवश्यकता है।

पिछले तीन वर्षों में विदेशी कम्पनियों के साथ इतने समझौते हुए हैं जितने कि आजादी के पश्चात् हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में आजादी के पश्चात् की तुलना में दोगुनी कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि हम किस प्रकार दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। तथा सरकार के इस रवैये से भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। मेरे पास प्रतिवेदन है। कुल मिलाकर विदेशी सहायता प्राप्त कम्पनियों से निर्यात को प्रोत्साहन दिए जाने की गुंजाइश बहुत कम है। मेरे पास रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, विदेशी तकनीक के सहयोग से हमारे निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है चाहे लाइसेंसों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके विपरीत ऐसा करने से हमारे देश पर आयात का भार बढ़ता है। तथा न ही इससे भारतीय संसाधनों के उपयोग की गुंजाइश ही बढ़ती है। विदेशी सहायक कम्पनियों का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन है जिस पर हमें विचार करना है तथा यह समय इसके लिए उचित है। विदेशी कम्पनियों के साथ समझौता करने से सन् 1970 से 1978 के बीच हमारी उत्पादन वृद्धि 182 करोड़ रुपए का थी। 1980-81 में यह राशि 277 करोड़ रुपए की थी। परन्तु निर्यात लक्ष्य सिर्फ 30 करोड़ एवं 50 करोड़ रुपए कर ही रहा। अतः इन कम्पनियों के साझों की वजह से निर्यात में बढ़ोतरी नहीं हुई। इनकी वजह से भारत में उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में नहीं लाया गया। विदेशी मुद्रा को भारतीय अर्थ व्यवस्था पर थोपा जा रहा है। हमें बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना है। सरकार इस पर अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मैंने विदेशी सहायक कम्पनियों के परिणामों की खोज करनी चाही थी। भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा है। 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में रिजर्व बैंक ने इस पर अध्ययन किया था और यह पाया कि विदेशी सहयोग के कारण आयात 69 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए तथा 80 करोड़ रुपये तक का रहा है। जबकि हमारा निर्यात सिर्फ 8 करोड़ रुपये, 9 करोड़ रुपये तथा 11 करोड़ रुपये का रहा। इससे पता चलता है कि अनुपात दसवाँ भाग है। अतः, मैंने वास्तव में इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया कि इस प्रकार से तथा थोड़ी सी धनराशि लेकर हम अपने निर्यात को बढ़ाने में सहायता नहीं कर सकते, और इस व्यापार-अन्तर के कारण हमें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

विश्व बैंक ने हमसे अपने रुपये का मूल्य घटाने के लिए कहा है और वित्त मन्त्री को इस पहलू पर भी विचार करना होगा।

कुछ अन्य बातें हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। हमरे पास काफी ससाधन हैं। लेकिन सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हम बहुत चीजों का निर्यात नहीं कर रहे हैं। सब्जियों, फलों तथा ऐसी कृषि वस्तुओं के मामले में भी हम निर्यात नहीं कर रहे हैं जबकि हम काफी निर्यात कर सकते हैं। हम केवल 4 प्रतिशत के लगभग निर्यात कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का मात्र एक प्रतिशत है। भारत एक बड़ा देश है। हम अब निर्यात द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपये की मुद्रा कमा रहे हैं। अगर हम फलों और सब्जियों के ही निर्यात का विकास करें तो निश्चित ही हम अपने निर्यात व्यापार बढ़ा सकते हैं और काफी अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। हम काफी धन कमा सकते हैं।

मैंने हाल ही में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अनुसंधान और विकास खण्ड का दौरा किया है। यह अनुसंधान और विकास पर 10 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च कर रहा है। उनका कुल व्यवसाय 700 करोड़ रुपये का है। लेकिन वह अनुसन्धान पर प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहा है और उनका उत्पादन 70 करोड़ रुपए है। केन्द्रीय अनुसन्धान विभागों के

कुछ अधिकारी त्याग-पत्र देकर वहां पर चले गए हैं। मैंने पाया कि लगभग 97 लाख श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं, जिसमें फोटो-सिन्थेसिज पर भी कुछ कार्य कर रहे हैं, और इसकी वजह से 20 प्रतिशत अधिक उत्पादन होने की आशा है। अतः हमें इन लाइनों पर सोचना होगा। ऐसे गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों की ओर अच्छा है तथा केन्द्रीय सरकार इनसे सीखने का प्रयत्न करे।

एक और क्षेत्र में, नारियल के पेड़ों की जड़ों से विशेष प्रकार के 250 नारियल पौधे पैदा किए जाते हैं और यह नारियल के निर्यात में सहायक है। वे अधिक उत्पादन के लिए ऐसा वृक्षारोपण बड़े स्तर पर कर रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से अधिक धन अनुसन्धान पर खर्च कर रहा है!

सोयाबीन जड़ों पर भी मध्य प्रदेश में कुछ अनुसन्धान कार्य चल रहा है। कुछ अनुसन्धान कार्य चल रहा है और बहुत से लोग आधुनिकीकरण संयंत्रों में कार्यरत हैं। दूसरी ओर सारे देश में लगभग 5 करोड़ कपड़ा उद्योग के श्रमिक बेकार बैठे हैं। कपड़ा उद्योग के उद्योगपतियों ने लगभग 1500 करोड़ रुपए डकार लिए हैं और वह भी 4000 करोड़ रुपए में से। दिल्ली, कानपुर और बम्बई के मिल मालिक इससे लाभ ले रहे हैं और कपड़ा मजदूर नुकसान उठा रहे हैं। एक श्रमिक को उसके श्रम का केवल एक-चौथाई दिया जाता है अथवा दूसरे शब्दों में चार गुना होता है।

आप प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं। आधुनिकीकरण के साथ समन्वय अधिक नहीं है। और इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। मेरे विचार से प्रति वर्ष और पांच गुना अधिक बेरोजगार श्रमिक हो जाएंगे और वे इस देश के समक्ष बहुत अनेक बड़ी समस्याएं खड़ी करने वाले हैं।

और इस प्रक्रिया में लाभ मफतलाल, बिरला, टाटा तथा अन्य उद्योगपतियों को होता है। गरीब लोगों को इससे लाभ नहीं मिलने वाला है!

सरकार ने 31 करोड़ रुपए की रियायतें घोषित की हैं। सरकार ने ये रियायतें हमारे द्वारा विरोध करने के बावजूद घोषित की हैं। इस सभा में, हमें बताया गया था कि सरकार शुल्कों को कम करने अर्थात संशोधित करने जा रही हैं जिसका परिणाम यह होगा कि श्रमिकों को फिर से नुकसान उठाना होगा। इससे देश के गरीब और अमीर के बीच खाई पढ़ेगी।

यह भी घोषणा की गई है कि आई० डी० बाई० आई० कुछ धन वितरित करने वाली है। मैं यह कह सकता हूं कि इससे फिर उन्हीं लोगों को फायदा होगा। विकास के नाम पर वे इनका लाभ उठायेंगे। अगर व्यक्तिगत अनुसन्धान विकास को प्रोत्साहन दिया जाये तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, अथवा अगर अनुसन्धान और विकास केन्द्र होगा तो यह निश्चित ही देश की जरूरत को पूरा करने में सहायक होगा।

**श्री शरद विघे** (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं, अनुसन्धान और विकास उपकर विधेयक का, जिस पर सभा में चर्चा चल रही है, समर्थन करता हूं।

यह नहीं कहा जा सकता कि स्वदेशी तौर पर विकसित तकनीक के वाणिज्यिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा आयातित तकनीकी को विस्तृत देशीय इस्तेमाल के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के आयात पर की गयी सभी अदायगियों पर उपकर लगाने तथा एकत्रित करने का विचार अच्छा है।

मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसे सभा के सामने काफी देर के बाद लाया गया है। यही नहीं। यह एक बेमन से किया गया उपाय है। फिर भी दिसम्बर, 1985 में जारी किए गए नीति वक्तव्य में किए गए वायदे को कुछ हद तक पूरा करना है, जिसमें उद्यम पूंजी कोष बनाने का वायदा किया गया है, ताकि पांच प्रतिशत आर० एण्ड डी० उपकर लगाया जा सके तथा इस उद्देश्य के लिए जल्दी ही अप्रैल, 1986 तक 10 करोड़ रुपए की आरम्भिक पूंजी बनायी जा सके, लेकिन यह विधेयक जुलाई में लाया गया है। दूसरे, उद्यम पूंजी कोष के लिए 10 करोड़ रुपए की जो आरम्भिक पूंजी बनाने का वायदा किया गया है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। मन्त्री महोदय ने विधेयक का प्रस्ताव करते हुए इस बारे में भी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। मैं कहूंगा कि नेक कार्य की शुरुआत स्वयं से ही की जानी चाहिए। अगर हम इस उल्लेखनीय कार्य के लिए इस उपकर का प्रयोग करने के लिए चिंतित हैं तो यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह पहले सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपए की आरम्भिक पूंजी से उद्यम पूंजी कोष स्थापित करे। जब तक यह नहीं किया जाता, मेरे विचार से, जिस उद्देश्य व लक्ष्य के लिए यह विधेयक सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है इसका उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

इसमें 5 प्रतिशत उपकर का जो प्रस्ताव किया गया है मेरा उसके प्रति अधिक विरोध नहीं है। यह 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत हो सकता है। यह 100 प्रतिशत तक भी हो सकता है। इसकी सीमा नहीं है। यह समझ में आता है कि सरकार ने अपनी दीर्घकालीन नीति में पहले ही कहा है कि वह 5 प्रतिशत उपकर लगाएगी। अत: मैं यह समझ सकता हूं कि सरकार ने पहले ही अपनी दीर्घ-कालीन नीति में जो कहा है वह उससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन मुख्य एतराज यह है, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री माधव रेड्डी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि यहां हमने अधिकतम 5 प्रतिशत के लिए कहा है, और सरकार अधिसूचना के द्वारा निर्णय करेगी। अत: हमें निश्चित नहीं हैं कि सरकार इस उपकर को 5 प्रतिशत तय करेगी अथवा 1 प्रतिशत अथवा $\frac{1}{2}$ प्रतिशत भी। अत: मन्त्री महोदय को इस वाद-विवाद में आश्वासन देना चाहिए कि जहां तक इस विधेयक पर अमल करने की बात है सरकार यह कार्य 5 प्रतिशत उपकर से शुरू करेगी।

कई सदस्यों ने छूट वाले खण्ड का उल्लेख किया है। माननीय मन्त्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि सरकार के दिमाग में छूट वाले खण्ड के बारे में क्या विचार है। हम किसे छूट देने जा रहे हैं? इसके लिए क्या मार्ग निर्देश अथवा मापदण्ड हैं? अथवा क्या यह स्वैच्छिक होगा? मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इस वाद-विवाद का उत्तर देते समय इन छूटों के बारे में सरकार की मंशा स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। अन्यथा जनता और उद्योग-पतियों के दिमाग में सन्देह रहेगा कि इस शक्ति के प्रयोग के अन्तर्गत कौन-से वर्ग के उद्योगपतियों को यह उपकर देना होगा तथा कौन-से वर्ग के उद्योगपतियों को इससे छूट दी जाएगी।

अत:, जैसा कि मैंने कहा, सरकार को इस सभा को छूट के बारे में स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त दण्ड के बारे में एक खण्ड है और यह भी एक कारण है जिसकी वजह से मैंने इसे बेमन का उपाय बताया है क्योंकि इस खण्ड में सुझाया गया दंड बहुत ही कम है। जैसा कि खण्ड 9 में कहा गया है, अधिकतम दण्ड बकाया राशि के पांच गुना से अधिक नहीं होगा। यह बहुत ही कम दण्ड होगा। बहुत से उद्योगपति दण्ड देना बेहतर समझेंगे बजाय इस उपकर को देने के अथवा उपकर

है कि केवल 15 करोड़ की थोड़ी-सी राशि को एकत्र करने तथा अनुसन्धान के क्षेत्रों का निर्धारण किए बिना तथा अनुसन्धान की प्राथमिकताओं का निर्धारण किए बिना अनुसन्धान और विकास के लिए एक विधेयक लाने का कोई औचित्य नहीं है। आज अनेक स्थानों में अथवा देश के बहुत क्षेत्रों में हमारे पास पेय जल नहीं है जिससे लोग परेशान हैं। आज हम रक्षा के लिए हजारों करोड़ रुपए के अस्त्र और उपकरण आयात कर रहे हैं, किन्तु वे हमें प्रौद्योगिकी नहीं देते हैं, प्रौद्योगिकी तो यहीं विकसित करनी होगी। उसके विकसित न होने का क्या कारण है ? आप रक्षा मन्त्रालय के किसी भी अनुसन्धान और विकास संस्थान में जाइए आप वहां देखेंगे कि वे भारतीय नाम से वायुयान बनाने के लिए कहीं से इंजन मंगाने, कहीं से वायुयान का सामान मंगाने तथा टैंक तैयार करने में व्यस्त है। इतना ही नहीं है। इन क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा। हो सकता है कि वह उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी न हो किन्तु मेरा सुझाव है कि इस प्रकार का विधेयक हमें लाना होगा तथा इस प्रकार के विचार व्यक्त करने होंगे, विशेषकर इस निधि द्वारा पोषित अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी कार्य सम्पादित करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करनी होंगी।

महोदय, मैं आपका ध्यान यहां संलग्न वित्तीय ज्ञापन की ओर दिलाना चाहूंगा। इसमें निधि को एकत्र करने के लिए किए जाने वाले व्यय के बारे में बताया गया है। मेरे विचार से राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस काम के लिए 10 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं लेंगे। आखिर बैंक और मन्त्रालय को निधियों की सम्भाल करने के अतिरिक्त करना ही क्या पड़ता है ? और 10 प्रतिशत का व्यय मितव्ययी नहीं समझा जायेगा। मेरा सुझाव है कि इतने अधिक प्रतिशत व्यय को उचित ठहरा कर विभिन्न आर्थिक बाधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है वही मन्त्रालय आवश्यक खर्चों पर रोक लगाता है और यहां वही मन्त्रालय इतनी उदारता बरत रहा है। उनका कहना यह है कि वसूल पर 15 लाख प्रतिशत का खर्चा आना उचित है। यह और भी हो सकता है।

**व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गड़वी)** : यह एक प्रतिशत है, दस प्रतिशत नहीं।

**श्री अजय मुशरान** : हां यह 15 करोड़ के ऊपर 15 लाख है एक प्रतिशत। लेकिन ऐसे देश में एक प्रतिशत भी काफी अधिक है जहां आप अनुसन्धान और विकास पर 0.9 प्रतिशत से भी कम खर्च कर रहे हैं यह पर्याप्त नहीं है। अब वित्तीय ज्ञापन पत्र के साथ पठित खण्ड कहता है :

> "विधेयक का खण्ड 4 यह प्रावधान करता है कि केन्द्रीय सरकार यदि संसद इस निमित्त विधि बनाकर विनियोग द्वारा यह उपलब्ध करती है, तो समय-समय पर विकास बैंक को ऐसे आगम से संग्रहण के खर्च को काटकर निधि के प्रयोजन के लिए आयोजित किए जाने के लिए ऐसी धनराशियां देगी जो वह ठीक समझे।"

चूंकि हमारे यहां औद्योगिक विकास बैंक है। मेरा सुझाव है कि हमारे यहां एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जिसका नाम अनुसन्धान व विकास बैंक संस्थान हो जो इसकी देखभाल करें और इसके प्रशासन की निधि पूर्णतः वैज्ञानिक निकाय के हाथों में हो, वित्त मन्त्रालय के हाथों में नहीं।

इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के बाद उसके अधीन नियमों और विनियमों को बनाने के सम्बन्ध में या अन्तिम निर्णय के सम्बन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि कृषि के क्षेत्र से वैज्ञानिकों को और विशेष रूप से रक्षा और ऊर्जा से क्योंकि यह तीन क्षेत्र हैं जिसमें सबसे अधिक इस देश में विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है।

**5.00 म० प०**

अतः इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों को अनुसन्धान और विकास क्षेत्र में नई खोज करने का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। और उन्हें भी इस सम्बन्ध में खर्च करने की पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिए।

अन्त में, समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी प्रौद्योगिकी चाहे गैर सरकारी या सरकारी क्षेत्र में—स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया है और अगर इस प्रौद्योगिकी का निर्यात किया जा रहा है, तब वाणिज्य मन्त्रालय को अनुसन्धान और विकास के रास्ते में भी नहीं आना चाहिए। जब आप उस आधार पर प्रौद्योगिकी का आयात करें तो आप अपनी प्रौद्योगिकी का स्वयं विकास करें और उस स्थिति में आप उस प्रौद्योगिकी को और अपने माल को विश्व बाजार में बेच सकते हैं। तब वाणिज्य मन्त्रालय को नहीं कहना चाहिए कि नहीं, आप इस प्रौद्योगिकी का निर्यात नहीं कर सकते या आप पूर्वतया स्वदेशी माल का निर्यात नहीं कर सकते। इसी सम्बन्ध में अनुसन्धान और विकास विभाग को कार्य करना चाहिए और इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि जहां तक ऐसे विधेयकों का सम्बन्ध है, जिनका वाणिज्य, रक्षा, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मन्त्रालयों के साथ बहु-आयामी महत्व है, उनके बारे में इन नियमों को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि ये सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों के उपकर से प्राप्त निधियों को ठीक खर्च करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

**5.01 म० प०**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

आज उपकर की राशि बहुत थोड़ी है लेकिन कल उपकर राशि बहुत बड़ी हो सकती है। आज यह 15 करोड़ रुपए हो सकती है। कल यह 1500 करोड़ रु० या 15000 करोड़ रु० हो सकती है। लेकिन जब हम आज नियमों व विनियमों को बनाते हैं तो हमें उस छोटी राशि को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को नही बनाना चाहिए। हमारे विचार बड़े हैं, शुरूआत छोटी है। अतः हमें अनुसन्धान और विकास के उद्देश्य से बिल्कुल सही नियमों और विनयमों को त्रुटिरहित बनाना चाहिए।

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित)** : मैं प्रस्ताव करती हूं कि साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा जो 5 बजे होती है और जिसका माननीय गृह मन्त्री द्वारा उत्तर दिया जाना है उसको 5.15 पर लिया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी।

**कुछ माननीय सदस्य** : क्यों ?

**श्रीमती शीला दीक्षित** : कई वक्ता ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : उत्तर समाप्त होने दो और फिर हम वाद-विवाद जारी करेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसी विषय को हम जारी रख रहे हैं।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : अनावश्यक परिवर्तन।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, यह एक प्रकार का समायोजन है। मैं आशा करता हूं कि सदन सहमत है।

[हिन्दी]

**श्री राज कुमार राय** (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने रिसर्च एण्ड डैवलपमेंट सैस बिल पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

हमारे प्रधान मन्त्री, राष्ट्र नेता ने इस बात का अहद किया था कि वह इस देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे। उसका कुल मतलब था कि देश की टैक्नोलाजी को हम काफी समुन्नत करेंगे ताकि दुनिया के विकास की दौड़ में हम आगे आ सकें।

आपको याद होगा कि दिसम्बर, 1985 में लांग टर्म फिजकल पालिसी एनाउन्स हुई थी। उस समय भी कहा गया था कि हम रिसर्च डैवलपमैंट बिल लाएंगे। इस बात की आवश्यकता हो गई थी कि अगर हम टेक्नोलाजी को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी रिसर्च ज्यादा हो, डैवलपमैंट ज्यादा हो तो हमें उसके लिए फण्ड देना चाहिए।

हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, अगर देश में रिसर्च और डैवलपमैंट को बढ़ाना है, टेक्नोलाजी को बढ़ाना है तो उस पर कुछ न कुछ उप-कर (सैस) लगेगा। इसलिए पूरा सदन इस बात पर एक राय है कि इस किस्म का सैस लगना चाहिए। मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन एक दो शंकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। जब इस पूरे बिल को पढ़ा गया, अभी हमारे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे और मैं भी उनकी राय से सहमत हूं कि अगर सरकार आवश्यक समझती है तो उसका एग्जैम्पशन दे सकती है। क्या ग्राउण्ड्स होंगी, किन ग्राउण्ड्स में एग्जम्शन देंगे, यह डिसक्रिशन आरबीटरी होगा, जुडिशियसली होगा, इन सबके बारे में कुछ भी ले-डाउन्स में नहीं है। इस कारण इस तरह का डर पैदा हो जाता है। अगर यह शंका दूसरे लोगों ने उठाई है तो निर्मूल नहीं है। जब मन्त्री जी जवाब दें तो इन बातों को जरूर अपने दिमाग में रखें कि क्या-क्या परिस्थितियां होंगी जब वह इस तरह की छूट देंगे। किसी खास बात पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वह अपने डिसक्रिशन को गलत तरीके से यूज करेगा तो वह कुछ न कुछ जरूर करेगा।

इस बिल के आने से हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट का काम बढ़ेगा। आज दूसरे देशों से जो मैन्युस्क्रीप्ट्स वगैरह आते हैं, उसके लिए तो हमारी मिनिस्ट्री ने बहुत साधारण नियम बनाए हैं। उसको आपने ओ० जी० एल० में रखा है, लेकिन जो माइक्रो-फिलम्स होती हैं, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे मामलों पर भी आप ध्यान दें।

अब हम दूसरे देशों से एनशेंट मौटयूमेंट्स को लाना चाहते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं और उसी के बल पर रिसर्च और डवलपमेंट करते हैं तो जरूरी है कि चाहे हम उस पर सैस लगा दें, लेकिन उसको भी उस स्कीम में रखें।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पसकुरा) : महोदय, जैसा मैंने वाद-विवाद से जाना है, इस विधेयक की आलोचना न केवल विरोधी पक्ष द्वारा ने बल्कि सत्ता पक्ष द्वारा भी की गई है। (व्यवधान) कई खामियां निकाली गई हैं। मैं महसूस करती हूं कि यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है लेकिन इस विधेयक को जिस तरीके से बनाया गया है, निश्चय ही उससे उसके उद्देश्य पूर्ति नहीं होती। ऐसा क्यों है ? मैं प्रभारी मन्त्री से पहले से उठाई गई आपत्तियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करती हूं।

ऐसी स्पष्ट कमियां हैं जिनकी ओर पहले संकेत किया गया है। उनमें से एक 5 प्रतिशत के उपकर के कारण छोटी निधि का है। वह भी जो आवश्यक नहीं है। वास्तव में 15 करोड़ रुपए की निधि से कितनी संस्थाओं की सहायता की जानी है। यह एक गम्भीर मामला है यदि पूंजीगत माल को भी सूची में शामिल कर लिया जाता तब 20 प्रतिशत का उपकर लगाया जा सकता था और तब वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण कदम होता वास्तव में कुछ किया जा सकता था। अन्यथा यह 15 करोड़ की कम या अधिक एक पवित्र इच्छा हो जाती है।

5.08 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरे, हममें से अधिकतर लोगों ने बताया है कि विधेयक में ही दर्शाने की बजाय वास्तविक दर को प्रशासनिक विवेक पर छोड़ा गया है। इसका उल्लेख भी अपने आप में रुचिकर है।

तब इस विधेयक में छूट देने का अधिकार भी है। मेरे विचार में इस वास्तविक दर का प्रशासन द्वारा लगाया जाता है और प्रशासन के विवेक पर इसे छोड़ने के अधिकार का सामान्य भ्रष्टाचार के अलावा राजनीति के उद्देश्यों के लिए भी इसके दुरुपयोग की सम्भावना हो सकती है। मेरे विचार से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था।

धन लगाए जाने के मामले में भी कई कमियां हैं। प्रथम तो यह कि इसे अन्य रूप में भी दिया जाएगा और साथ ही अनुसन्धान और विकास प्रयास करने वाले संस्थान को इक्विटी पूंजी के लिए भी दिया जाएगा। इसे सीधे ही उन अनुसन्धान और विकास प्रयासों के वित्त पोषण के लिए दिया जाना चाहिए जिन्हें योजना आयोग, डी० जी० टी० डी० तथा सी० एस० आई० आर० जैसे संस्थानों ने मंजूरी दे दी हो और इस प्रकार सामान्य रूप से वित्त पोषण अर्थात् इक्विटी पूंजी के स्थान पर, जो कि उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है, क्योंकि निधि विशाल नहीं है, प्रत्यक्ष वित्त-पोषण से अधिक सहायता मिलेगी।

यह दिलचस्प बात है कि जिन संस्थानों को सहायता मिलेगी, उन संस्थानों में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। मैं विश्वास करती हूं कि जहां तक सामान्य वित्तीय सौदों का सम्बन्ध है, इस धन का अधिकांश भाग एम० आर० टी० पी० और फैरा कम्पनियों को ही होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह स्पष्ट कहा जाना चाहिए कि अनुसन्धान और विकास प्रयोगशालाएं, मध्यम, और लघु उद्यमों और विभिन्न सरकारी तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए इस निधि में से सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा प्राथमिकताओं का सम्बन्ध है। इसमें इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

अतः अगर इसका प्रयोग 'आफ्टर शेव लोशन' आदि जैसे सामान के निर्माण के लिए किया जाना है तो, इसका ध्येय ही समाप्त हो जाएगा। ये विलासिता की वस्तुएं हैं और इन्हें प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार नई इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं को जो विलासिता के लिए उपभोक्ता वस्तुएं हैं, प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। दालें, तिलहन और इसी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुसन्धान और विकास की दिशा में सहायता दी जानी चाहिए। ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों और सामाजिक आवश्यकता के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए। अतः मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यह विधेयक आधे मन से लाया गया है।

अतः मैं, मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करती हूं कि अनुसन्धान और विकास एक उद्योग है, जो प्रारम्भिक अवस्था में है, और इसे जीवित रखने के लिए इसे संरक्षण दिया जाना चाहिए। अतः अगर देशी तकनीकी विकास और अनुसन्धान को बचाना है और संरक्षण देना है तब विदेशी तकनीक से स्थानीय उत्पादन पर अनुपातिक तरीके से उपकर लगाया जाना चाहिए। इससे तकनीकी आत्म निर्भरता के लिए राशियां जुटाई जा सकेंगी। जब तक आप तकनीकों का आयात कम नहीं करते, तब तक इस अनुसन्धान और विकास उद्योग को प्रभावी संरक्षण नहीं मिल सकता। अगर आप चाहते हैं कि अनुसन्धान और विकास उद्योग को विकसित किया जाए तो, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक की कमियों को दूर किया जाए।

———

**5.14 म० प०**

## देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा

[—जारी]

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बूटा सिंह।

**श्री अमल दत्त** (डायमण्ड हार्बर) : क्या आप उन आरोपों का उत्तर देने जा रहे हैं ?

इण्डियन एक्सप्रैस आदि मामलों·····

**अध्यक्ष महोदय** : आप वकील हैं। आपको अपना संक्षेप (ब्रीफ) पढ़ कर आना चाहिए।

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि बोलने के लिए मेरे उठने पर माननीय सदस्य की नींद खराब हो गई है।

**श्री अमल दत्त** : कृपया दोहराइए। मैंने आपकी बात नहीं सुनी। क्या आपने मुझ से कुछ कहा था।

**सरदार बूटा सिंह** : श्रीमान, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर इस सभा में जिसका मैं परम आदर करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्रों, सहयोगओं और संसद सदस्यों ने सभा में कहा है कि हम कठोर हृदय है और हम सभा में नहीं आते, सपने में भी, मेरा जैसा विनम्र व्यक्ति,

जिसे राष्ट्र ने इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है, नहीं सोच सकता कि इस सभा की अनदेखी करूं। माननीय सभा जानती है कि पिछले लगातार दो दिन तक मैं राज्य सभा में प्रात: से सायं तक व्यस्त था, चर्चा के दौरान मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम यहां उपस्थित रहे। जिस तरह से उन्होंने चर्चा पर ध्यान दिया और कल इसका उत्तर दिया, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं महसूस कर रहा था कि जिस तरह से उन्होंने स्थिति को समझा है, मैं शायद न समझ पाता। उन्होंने अपने अनुभव और सरकारी नीति के बारे में बताया है। अहमदाबाद में जो कुछ घटित हुआ, यह उनका प्रथम अनुभव था। मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने सारी चर्चा का संचालन सुचारू से किया और हमें प्रौढ़ सलाह दी। आपने चर्चा के लिए अच्छा आधार तैयार किया।

मैं प्रो० दण्डवतेजी का भी हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने वर्तमान राजनैतिक स्थिति और घटनाओं से ऊपर उठकर इस चर्चा का स्तर उच्च रखा। उन्होंने मूल विषयों, जोकि देश की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा कर रहे हैं, के बारे में चर्चा की।

श्रीमान्, इसके अलावा अन्य विशिष्ट नेताओं, जैसे श्री इन्द्रजीत गुप्त और सम्बन्धित राजनैतिक दलों के माननीय नेताओं ने सभा में चर्चा के दौरान महत्त्वपूर्ण योगदान और पिछले तीन दिनों के दौरान हमारे देश के सामने व्याप्त सबसे कठिन समस्या—साम्प्रदायिक सद्भावना—और कानून और व्यवस्था के बारे में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

यह बड़े शर्म की बात है कि आजादी के लगभग 40 वर्ष, बाद भी प्रत्येक वर्ष तीन चार महीने में हमारे सामने वही स्थिति आ जाती है। इससे हम सबका सिर शर्म से झुक जाता है इससे पता चलता है कि हमारा राजनैतिक ढांचा, असगत नहीं तो, कम से कम अप्रभावी बनता जा रहा है। देश में जो कुछ हो रहा है, उस पर हम अप्रभावी हो रहे हैं। यहां पर उन शक्तियों के प्रति इशारा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन सभी जानते हैं, सभी राजनैतिक दल और संगठन जानते हैं कि वास्तव में वे तत्व कौन हैं; उन्हें कहां से और कैसे सहायता मिल रही है! इसके क्या कारण हैं। हर वर्ष हमें यही स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे मुझे अपने कृषि मंत्रित्व वे समय की याद आती है। मुझे बाढ़ जैसी राष्ट्रीय विपदाओं का सामना करना पड़ा था। हर वर्ष बाढ़ आती है। इसमें हजारों जानें और करोड़ रुपए की सम्पत्ति का नुकसान होता है। हम राज्य सरकारें—तभी चेतना में आती हैं जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। हम नावें भेजते हैं, डाक्टर, खाने के पैकेट आदि भेजते हैं और इसी प्रकार के अन्य आवश्यक सामान भेजते हैं, जैसे ही पानी कम होता है, सभी वापस चले जाते हैं। हम इसे भूल जाना चाहते हैं। जब मैं कृषि मंत्री था तो मैंने इस ओर अध्ययन किया। बिल्कुल स्पष्ट निदेश दिए गए हैं, इस सभा तथा विभिन्न विधान सभाओं द्वारा पुस्तकें प्रकाशित हैं कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि की तलहटी पर उद्योग, भवन आदि का निर्माण न किया जाए। लेकिन हम पोत है कि इन निदेशों का उल्लंघन करके वहां ये सब स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार प्रति वर्ष बड़ी दुर्घटनाएं और वारदातें होती हैं। लेकिन हम पाते हैं कि इन नियमों, पुस्तकों की अनदेखी की जाती है। प्रो० दण्डतते ने ठीक ही कहा है कि हमारा दृष्टिकोण दमकल केन्द्र जैसा है। शायद हमारी कानून तन्त्र की यह विडम्बना है कि जब अपराध हो जाता है तभी हरकत में आते हैं। उससे पहले कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां की जाती हैं, बाद में कोई कार्यवाही नहीं की जाती और सब भूल जाते हैं। इस अपराध में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर उनपर मुकदमा चलाया जाता है और फिर भूला दिया जाता है। हमें इस रवैये को बदलना होगा। जैसा कि मैंने कहा आज मैं आरोप लगाने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं, देश में घटित कुछ बड़ी वारदातों और

विभिन्न परिस्थितियों के बारे में भारत सरकार के रवैये को स्पष्ट करने जा रहा हूं। हमें प्रत्येक बड़ी छोटी घटना से सीख लेनी चाहिए और हमें उपचारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि वही घटना पुनः न होने पाये और अगर पुनः होती भी है तो वह उतना नुकसान न कर सके जितना उसने पिछले वर्ष किया था। हमें नुकसान को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए कि ऐसी विपदायें पुनः न हों। यह विपदा मनुष्य ने स्वयं पैदा की हैं। आम आदमी ही पीड़ित होता है। दुर्भाग्य से जो व्यक्ति पवित्रमत होने का दावा करते हैं वे आम आदमी नहीं हैं, साधारण लोग नहीं हैं। आम आदमी तो ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। लेकिन ये पवित्रतम व्यक्ति जो एक मस्पर्श को छूते नहीं हैं, जब निर्दोष लोगों के खून बहाये जाने की बात आती है तो देश में इन दुर्घटनाओं के पीछे इन लोगों का हाथ होता है। वे यही लोग होते हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : अगर आप बुरा न मानें तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके अपने सहयोगी का इस बारे में विश्लेषण कुछ और ही है। मैं उनके भाषण की प्रशंसा करता हूं। उनके अनुसार इन सबके पीछे अवैध मद्य व्यापारी, तस्कर और समाज-विरोधी तत्व हैं, आपने ठीक कहा है कि इनके पीछे कुछ दूसरे ही लोग हैं।

**सरदार बूटा सिंह** : मैं समझता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त शायद इसे समझ नहीं पाये। उन्होंने कहा था कि एक तरह के अपराधी तत्व, अवैध शराब व्यापारी आदि हैं। वे तो एक तरह के तत्व है। (व्यवधान) ये तो थोड़े से अपराधी तत्व हैं जो ऊपर नजर आते है। उन्होंने कुछ ताकतों—साम्प्रदयिक, राजनैतिक, धार्मिक—आदि का भी जिक्र किया है। इन आपराधिक तत्वों के पीछे इन बड़ी ताकतों का हाथ है।

कुछ समाचार पत्रों में ऐसा कहा गया है कि कुछ नामी तस्करों और ठेकेदारों को साम्प्रदायिक, राजनैतिक, धार्मिक संगठनों से सहायता मिल रही है। ये धार्मिक स्थल धर्मस्थानम, मस्जिद, गुरुद्वारा या मन्दिर हो सकते हैं। इन धार्मिक स्थलों से उन्हें सहायता मिलती है। जब उन्होंने यह कहा कि इन तत्वों के विरु. सख्त कार्यवाही की जायेगी तो इस संदर्भ में, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मुकदमें चलाये जा रहे हैं और दोषी पाये जाने पर इन राजनैतिक, धार्मिक या साम्प्रदायिक या समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध वही कार्यवाही की जायेगी जोकि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध की जाती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा। किसी को इस प्रकार के अपराधों की छूट नहीं दी जा सकती है।

मैं केन्द्र और राज्य सरकार की इस बारे में भूमिका के प्रति गम्भीरता से सोचता रहा हूं। मुझे हैरानी है कि प्रति वर्ष एक निश्चित समय और निश्चित अवसरों पर ही ऐसी घटनायें क्यों होती हैं। इसका अर्थ है कि हम पहले से सूचना एकत्र नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा होता, जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है, तो ऐसी घटनाएं नहीं हो पातीं।

पहले से ही, सही प्रकार से, इस बारे में अनुमान लगाया जाना चाहिए। 200 के करीब लोगों को पकड़ा गया है। मैं समझता हूं कि इनमें से अधिकांश लोग उसी श्रेणी के हैं, जिनका मेरे सहयोगी ने जिक्र किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : परहेज दवा से बेहतर है।

**सरदार बूटा सिंह** : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जिन तत्वों का जिक्र किया है, वे शायद इस सूची में नहीं हैं। अतः हम देखेंगे कि भविष्य में जब कभी भी किसी साम्प्रदायिक दंगे की आशंका हो तो, हम न केवल असामाजिक तत्वों का ही, बल्कि उन लोगों को भी जो राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं; हिरासत में लें, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके और ऐसी स्थिति न पैदा हो। कल मेरे माननीय साथी श्री चिदरबरम ने एक बात कही थी कि वह जिला अधिकारियों—पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरायेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों तरह से हम सक्षम हैं तथा हम इस कार्य को करेंगे।

मैंने अपने माननीय सहयोगी द्वारा कही गई बात पर कार्यवाही स्वरूप अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। हम राज्य सरकारों से आग्रह करने जा रहे हैं कि जिला अधिकारी न केवल दोष रहित प्रणाली विकसित करे अपितु जिला अधिकारी द्वारा चूक होने पर—चाहे वह पुलिस अधिकारी हो अथवा कलैक्टर हो, उसकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि की जाएगी कि वह अपने नियंत्रणाधीन जिले में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के अपने कर्त्तव्यों को निभाने में विफल रहा।

गुप्तचरी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस पूरी परिस्थिति के पांच-छह पहलू हैं। उनमें से एक गुप्तचरी है।

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नामी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या जिम्मेदारी का अर्थ एक प्रविष्टि करना ही है अथवा उससे कुछ अधिक।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : प्रविष्टि का परिणाम आवश्यक रूप से सेवा से निकाला जाना चाहिए।

**सरदार बूटा सिंह** : बनातवाला जी, यह प्रविष्टि उसके रिकार्ड में सदा बनी रहेगी। परन्तु यदि किसी अधिकारी को संबद्ध पाया गया तो उसे अपेक्षित दण्ड दिया जाएगा। इसके अलावा साम्प्रदायिक स्थिति को संभाल न पाने के बारे में काला धब्बा उस पर लगा रहेगा।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** (वडागरा) : आप उसे सेवा में सदा बनाये रखेंगे।

**श्री अताउर्रहमान** (बारापेट) : व्यवहारिक रूप में निदेश ऊपर से, मुख्य सचिव से आयुक्त तक तथा जिला अधिकारियों तक रहेगा जो मुख्य मन्त्री की हां में हां मिलाएंगे। यदि मुख्य मन्त्री ऐसी स्थिति में सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाने में विफल रहता है तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी और सभी आश्वासन धरे रह जाएंगे।

**सरदार बूटा सिंह** : जैसा कि मैंने बताया कि हम राज्य सरकारों पर यह जोर डालने की चेष्टा कर रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि इसके अन्तर्गत उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए।

**श्री अमल दत्त** : क्या आप मुख्य मन्त्रियों की भी गोपनीय रिपोर्टें रखेंगे?

**सरदार बूटा सिंह** : आज सुबह जब विपक्ष के सभी नेता आपसे आपके कक्ष में मिले थे.....मुझे उम्मीद थी कि वे ऐसा संकल्प पारित करेंगे। यदि विपक्ष की ओर से ऐसा प्रस्ताव

आएगा तो मैं उसे स्वीकार करना चाहूंगा। जब तक हम राजनीतिज्ञों पर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लगाएंगे—चाहे वे इस पार्टी के हों अथवा उस पार्टी के—हालात में सुधार नहीं होगा। अत: इस तरह का अनुशासन और उत्तरदायित्व मुख्य मन्त्रियों अथवा पार्टी नेताओं पर रहना चाहिए। न केवल मुख्य मन्त्री अपितु विपक्ष के नेता पर भी बराबर की जिम्मेदारी है और उसे विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हम तैयार हैं।

**सरदार बूटा सिंह** : वास्तव में हम इससे अधिक भी कहेंगे। प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य अथवा सरपंच को भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। शायद यही ठीक रास्ता है। केवल तभी हमारी राजनीतिक प्रणाली में सुधार आएगा। (**व्यवधान**)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दोहरी प्रविष्टियां नहीं होनी चाहिए जैसे कि व्यवसायिक रिकार्डों में की जाती हैं। अकेली एक प्रविष्टि होनी चाहिए।

**सरदार बूटा सिंह** : प्रो० दण्डवते, प्रो० स्वैल, श्री ओवेसी तथा श्री इन्द्रजीत ने नाजुक इलाकों में साम्प्रदायिक जलूसों पर प्रतिबन्ध लगाने का महत्वपूर्ण मामला उठाया था। उन पर रोक लगाने की मांग की गई। मेरा कहना है कि यह व्यावहारिक नहीं है क्योंकि हमारा समाज मुख्यत: धर्म-परक है। अत: हम लोगों की भावनाओं पर रोक नहीं लगा सकते। परन्तु इसके लिए हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि अधिकांश राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय पर्व क्षेत्र तथा जाति पर अवलम्बित हैं। सभी जानते हैं कि कौन-सा पर्व कब आएगा। हम धार्मिक उपासना में बाधा पैदा किए बिना, किसी तरह का प्रतिबन्ध लगाने की चेष्टा करेंगे। ये ऐसे विनियम होंगे जोकि जिला अधिकारियों को विदित होगा कि किस तरह के नारे लगाए जाएंगे·····किस तरह के भाषण होंगे·····

[**हिन्दी**]

**श्री हरीश रावत** : हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ऐसा न हो कि ट्रेजीशनल प्रोसेशंस के अलावा नये-नये प्रोशेशंस इस तरीके से निकलते रहें।

[**अनुवाद**]

**सरदार बूटा सिंह** : जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय तथा परम्परागत पर्वों से हम सदियों से परिचित हैं। ये नये नहीं हैं। लाऊड स्पीकरों भद्दे नारों तथा बैनरों के उपयोग को विनियमित किया जा सकता है·····

**श्री अताउर्रहमान** : हाथियों के उपयोग को भी।

**सरदार बूटा सिंह** : मैं उसे भी ले रहा हूं। मुझे देश की बहुत-सी घटनाएं याद आ रही हैं। किसी विशेष दिन किसी विशेष पशु को मस्जिदों में धकेल दिया जाता है, तथा लोगों की जानें जाती हैं। किसी अन्य अवसर पर किसी दूसरे पशु को मन्दिर में फेंक दिया जाता है तथा फिर कई व्यक्तियों की जानें जाती हैं। ऐसी बातों पर आत्म-नियन्त्रण रहना चाहिए। मुख्य दायित्व आयोजकों

पर होगा। निःसन्देह उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके जुलूस अनुशासित रहें तथा उन मानदण्डों का पालन करें जोकि उन्हें जिला अधिकारियों द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से दिए जाते हैं।

इसमें जनता को सम्बद्ध किया जाना चाहिए। ऐसा एक ही धर्म अथवा सम्प्रदाय के जुलूसों पर ही क्यों हो। आजकल बहुत से ऐसे पर्व हैं जिनमें सभी धर्मों के अनुयायी भाग लेते हैं जैसा कि गुजरात में होता है तथा जैसा कि श्री चिदम्बरम ने उल्लेख किया है कि कल जबकि रथ-यात्रा निकल रही थी तो अल्प-संख्यक समुदाय के एक वर्ग के लोग आगे आए तथा मूर्ति को पुष्पाहार पहनाया। उन्होंने प्रसाद भी स्वीकार किया तथा रथ यात्रा का स्वागत किया। इस प्रकार की सद्भावना रहनी चाहिए। यदि कोई समुदाय शोभा यात्रा निकालता है तो अल्प धर्मों को उसका सम्मान करना चाहिए। इसके लिए लोगों को परस्पर सहयोग करना चाहिए। उस तरीके से देश को इस तरह की राजनीति से बचाया जाना चाहिए।

**श्री हरुभाई मेहता** : रूटों के चयन की क्या बात है ?

**सरदार बूटा सिंह** : मैं उसे भी लूंगा। प्रो० मधु दण्डवते, श्री मेहता तथा श्री ओवेसी पाठ्य-पुस्तकों की विशेषतः इतिहास पुस्तकों की पुनरीक्षा करना चाहते थे। यह कार्य हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, असम और मेघालय के अलावा अन्य राज्यों में यह कार्य पहले से पूरा किया जा चुका है। इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं तथा निकट भविष्य में हम पाठ्य-पुस्तकों की विशेषतः इतिहास की पुस्तकों की पूरी समीक्षा कराएंगे। अल्प-संख्यक समुदायों के लोगों को पुलिस बल विशेषतः संवेदनशील राज्यों में सशस्त्र बलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रश्न उठाया गया था। श्री जैनुल बशर, प्रो० मधु दण्डवते, ओवेसी ऐसा ही चाहते थे। जैसा कि पहले ही मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम ने बताया। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों को इसका अनुसरण करने का निदेश दिया गया था। शान्त बनाए रखने के लिए हमने छः बटेलियनों को तैयार किया है। हमने प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित किया है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या ऐसा प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है अथवा आप देने जा रहे हैं।

**सरदार बूटा सिंह** : यह पहले ही दिया गया है।

[हिन्दी]

**श्री जैनुल बशर** : 6 बटैलियन बहुत कम हैं; जगह-जगह आपको भेजना होता है, इसलिए 6 बटैलियन बहुत कम हैं।

[अनुवाद]

**सरदार बूटा सिंह** : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए गठित छः बटैलियनों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अतिरिक्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या उन्हें इन किन्हीं क्षेत्रों में तैनात किया गया था। क्या उनका इन क्षेत्रों में उपयोग किया गया था।

**सरदार बूटा सिंह** : अहमदाबाद में उनका उपयोग किया गया था तथा आपने उसके परिणाम देख लिए।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : श्री चिदम्बरम के वहां पहुंचने के बाद।

**सरदार बूटा सिंह** : इससे पहले कि बल वहां पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति पर काबू पा लिया।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : ये बल जाने चाहिए परन्तु एक अन्य महत्वपूर्ण बात है। जब ये बल भेजे जाते हैं, उन्हें राज्य के नियन्त्रण में रखा जाता है तथा वही राज्य सरकार के अधिकारी उन्हें निदेश देते हैं। यदि उन्हें उनके नियन्त्रण में रखा जाता है तो वे प्रभावी नहीं हो सकते।

**सरदार बूटा सिंह** : मुझे खेद है मैं श्री बनातवाला को शिक्षित नहीं कर सकता, वे जानते हैं कि के० रि० पु० की नियुक्ति राज्य सरकार के सहयोग से होती है। परन्तु यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए विधेयक लाया जा सकता है, जिसे आप स्वीकार करें। सभी दल इसे स्वीकार करें। वर्तमान उपलब्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय बल राज्य सरकार की अनुमति से लगाई जाती हैं। यही बात इसका प्रमाण है कि प्रभावित क्षेत्रों की राज्य सरकारों की मांग के अन्तर्गत के० रि० पु०, सी० सु० ब० आदि को भेजा जाता है तथा उन्हें केन्द्रीय बलों पर विश्वास है। बलों ने अपना दायित्व अहमदाबाद में निभाया न केवल हमने अल्प संख्यकों तथा कमजोर वर्गों को इन सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया अपितु तथ्य यह है कि पूरे प्रशिक्षण का नवीकरण किया गया है। यह अंग्रेजी राज्य की पुरानी परम्परा के अनुसार नहीं है। उन्हें विशेष हालात में विशेष उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए हम सभी सुरक्षा बलों को नए सिरे से प्रशिक्षण दे रहे। हैं जैसा कि कल मेरे साथी द्वारा कहा गया था, हम प्रशिक्षण पर अधिक से अधिक बल दे रहे हैं। दुर्भाग्यवश हमने यह पाया है कि ऐसी परिस्थिति का परिणाम यह होता है कि लोग स्थानीय सशस्त्र पुलिस से बहुत डर जाते हैं। हमने देखा कि स्थानीय सशस्त्र पुलिस को मिला प्रशिक्षण अपर्याप्त है। यह आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए वे कुछ पीछे रह जाते हैं और स्थिति के अनुसार नहीं चल पाते।

एक माननीय सदस्य श्री राम नगीना मिश्र ने भी कल एक बात कही। इस चर्चा में मुझे एक अनोखी बात देखने को यह मिली है कि श्री राम नगीना मिश्र और श्री शाहबुद्दीन एक दूसरे से सहमत हैं। जी हां, हमें सहमत होना पड़ेगा क्योंकि यह एक मूल प्रश्न है, यह मानव-जीवन का प्रश्न है। आप साम्प्रदायिक गोष्ठियों में बड़े-बड़े भाषण दे सकते हैं किन्तु जब अपने सम्बन्धियों के जीवन और सम्पत्ति को बचाने की बात आती है तो आप इस प्रकार का अलगाववाद नहीं सह सकते। हमें मिल-जुल कर रहना है। भारत माता हम सबकी भूमि है [हिन्दी] जिसके ऊपर हमारा खून गिरता है [अनुवाद] इसलिए कल जब मिश्र जी ने कहा कि यह हमारे खून में है तो वह ठीक ही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि "आप एक विशेष वातावरण में पैदा हुए और पले-बढ़े व्यक्ति को क्या प्रशिक्षण दे सकते हैं?" एक परिवार में छोटे बच्चे को लाठी देकर खुले पार्क में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे यह सिखाया जाता है कि देश में केवल वह ही सच्चा राष्ट्र भक्त है और अन्य समुदाय सच्चे देश भक्त नहीं है। उसे बचपन से ही अपने पड़ोसी तक की निष्ठा में संदेह होता है क्योंकि उसका पहनावा अलग प्रकार का है अथवा वह किसी अन्य देवता की पूजा करता है। इस प्रवृति को रोकना होगा। हम आने वाली पीढ़ी को उनके बचपन में ऐसी प्रवृति नहीं अपनाने देंगे। समाज में यह भावना होनी चाहिए।

मैं इस बात पर श्री इन्द्रजीत गुप्त से सहमत हूं कि हमारी धर्म-निरपेक्षता का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में प्राप्त विरासत को नष्ट करने की छूट मिल गयी है। हमें यह भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि प्रत्येक भारतीय वह चाहे किसी भी वर्ण, धर्म अथवा समुदाय का हो, पहले भारतीय है बाद में कुछ और। केवल तभी हम अपने देश में इस प्रकार का वातावरण बना सकते हैं और लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** हम ऐसा छोटे बच्चों के माध्यम से कर सकते हैं, यदि हम उन्हें आरम्भ से ही राष्ट्रीय भावना और एकता के महत्व के बारे में शिक्षित करें।

**डा० वत्ता सामन्त :** जहां तक धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा गुरुद्वारों अथवा मस्जिदों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्रश्न है, आप इसे चौथी कक्षा तक समाप्त कर दें।

**सरदार बूटा सिंह :** जो लोग कहते हैं कि धर्म और राजनीति को एक साथ रखा जाना चाहिए मैं उन्हें स्मरण करा दूं। मुझे अधिक नहीं मालूम क्योंकि मैं अधिक शिक्षित नहीं हूं। राजनीतिक शास्त्र के एक बड़े विद्वान ने कहा था कि राजनीति किसी दुर्जन का अन्तिम आश्रय है, निश्चय ही—

**प्रो० मधु दण्डवते :** सम्भव है उन्होंने हम जैसे लोगों का पूर्वानुमान लगाया हो।

**सरदार बूटा सिंह :** यदि उनका इरादा यही है कि राजनीति दुर्जनों का अन्तिम आश्रय है तो धर्म को भी दुर्जनों का अन्तिम आश्रय बनने दिया जाए।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : राजनीति और धर्म में अन्तर न करना एक गम्भीर बात है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन ऐसा नहीं कर रहा? कौन ऐसा कर रहा है? हमारी मांग है कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए·····

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने भी यही कहा है। इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा।

**सरदार बूटा सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। उन्हें इधर-उधर देखना होगा——

(व्यवधान)

यह आपके साथी हैं। सभी प्रकार के लोग मिले हुए हैं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** हम उनके साथ नहीं रहते।

**श्री बूटा सिंह :** उस दिन जब इस स्थिति पर चर्चा हो रही थी और लोग सभा से बाहर चले गए तो मार्क्सवादी भी, यद्यपि वे सिद्धान्त रूप में सरकार के दृष्टिकोण से सहमत थे, सभी साम्प्रदायिक लोगों के साथ सभा से बाहर चले गए।

**श्री वसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : किस बात पर ?

**सरदार बूटा सिंह** : केवल, शेष विपक्षी दलों के साथ अपनी निष्ठा जताने के लिए । महोदय माननीय सदस्य चाहते थे कि साम्प्रदायिक दंगों के प्रति अधिक संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाया जाये । कल मेरे साथी ने यह जानकारी दी कि उन्होंने पूरे देश में 88 ऐसे जिलों का, जो दंगों के प्रति अतिसंवेदनशील हैं और 98 ऐसे जिलों का संवेदनशील हैं, पता लगाया है । प्रत्येक राज्य में ऐसे जिलों का पता लगाया गया है । अब यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का काम है कि इन जिलों के प्रधिकारी निष्ठावान हों, अपनी धर्म-निरपेक्षता के लिए प्रसिद्ध हो, साम्प्रदायिक तौर पर पृथकतावादी न हों राष्ट्रीय भाईचारे के प्रति वचनबद्ध हों । ऐसे व्यक्तियों को जिला मुख्यालयों का कार्यभार सौंपा जाये ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : यदि आप संवेदनशील क्षेत्रों भी घोषणा कर देंगे तो मुझे आशंका है कि जो लोग दंगा करना चाहते हैं । वे गैर-संवेदनशील क्षेत्रों का चुनाव करेंगे । इसलिए आप यह जानकारी अपने तक ही सीमित रखें ।

**सरदार बूटा सिंह** : मैंने इसलिए केवल संख्या ही बताई हैं, नाम नहीं । महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था, हमें निवारक उपाय करने चाहियें और दंगा भड़काने वालों को भी रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा तभी किया जा सकता है यदि हम इंटेलीजैंस संवर्ग अथवा उस क्षेत्र के माध्यम से यह पता लगा सकें कि वे लोग कौन लोग हैं ।

महोदय, हमें शीघ्रता से काम करना चाहिए । घटना होने के बाद जैसे-जैसे समय बीत्ता जाता है—हम ढ़ीले पड़ जाते हैं । कई प्रकार के दबाव भी होते है—राजनीतिक दबाव, धार्मिक दबाव, साम्प्रदायिक दबाव इससे दोषी छूट जाता है । इसलिए हमने पहले ही राज्य सरकारों को यह सूचना दे दी है कि यदि वे सामान्य कानूनी प्रक्रिया में ऐसा करना कठिन पायें तो इस काम के लिए विशेष न्यायालय बना सकते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अहमदाबाद में कोई जिला न्यायाधिकारी नियुक्त किया जाएगा और ऐसा प्रतिवेदन देगा जैसा कि उन्हें कहा जाएगा । यह सही नहीं है । उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो किसी समुदाय अथवा समाज से किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं होगा, इस मामले की जांच करेगा और हम उसके निष्कर्षों पर विचार करेंगे । हम राज्य सरकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि तत्थों पर शीघ्र विचार पूरा किया जाये तथा दोषी को सजा दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि राज्यों के पास ऐसी परिस्थितियों की गम्भीरता से बचने के लिए कुछ आपातिक योजनाएं होनी चाहिए । कुछ मामलों में यह पाया गया है कि यद्यपि जिला प्राधिकारियों एवं राज्य प्राधिकारियों के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध थी पर वे स्थिति की आवश्यकतानुरूप काम नहीं कर सके । पास के जिलों से रक्षा बलों को बुलाया जा सकता है । हमें रक्षा-बलों को तैयार रखने की सूचना दी जा सकती थी तथा अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता था और आपातिक योजनाएं होनी चाहिए ताकि जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हों, किसी ऐसी व्यवस्था से काम लिया जा सके । हमें दंगा होने तक इन्तजार नहीं करना चाहिए बल्कि पहले ही उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब सभी राजनीतिक दलों, स्वयं-सेवी संगठनों का पूरा सहयोग प्राप्त हो और राज्य के अधिकारी किसी ऐसी परिस्थिति में आपातिक योजना का प्रयोग करने में सक्षम हों ।

महोदय, आज सुबह आपने अत्यन्त रचनात्मक सुझाव दिए । मैं इन सुझावों पर विचार करूंगा । आपने कहा कि साम्प्रदायिक दंगों के कारण हुए अपराधों की संक्षिप्त सुनाई होनी चाहिए

और यह सुनवाई विशेष न्यायालयों में होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि हमें सामान्य कानूनी प्रक्रिया के गति में आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उसमें समय लगता है। उनका दृष्टिकोण परम्परागत है और कभी-कभी असावधानीपूर्ण भी।

**श्री जी० एम० बनातवाला :** विशेष न्यायालयों में उस जिले से बाहर का एक विशेष अभियोजक होना चाहिए। यह मदान जांच आयोग की सिफारिश है। मैंने अपने भाषण में दो या तीन उदाहरण दिए थे किन्तु मदान आयोग ने यह भी कहा है कि अभियोजक जिले से बाहर का एक विशेष अभियोजक होना चाहिए।

**सरदार बूटा सिंह :** हम इस पर विचार करेंगे। यह अच्छा सुझाव है। किसी भी प्रयोजन से धार्मिक समुदायों, परिषदों अथवा संगठनों को राज्यों द्वारा मान्यता देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए। जी हां, राज्य अत्यधिक फण्ड देते हैं और इनमें से कुछ तथाकथित स्वयंसेवी संगठनों के विभिन्न नाम हैं। उनकी आड़ में कुछ बड़े साम्प्रदायिक संगठन काम कर रहे हैं। राज्यों अथवा सरकारी अभिकरणों द्वारा संरक्षण प्रदान करने से पूर्व हमें पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि यह धन समाज को हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

मैं इस माननीय सभा को बता दूं कि हमने पहले ही इनमें से अधिकतर संगठनों को, जो कि विभिन्न नामों से काम कर रहे हैं, और देश की एकता को हानि पहुंचा रहे हैं, मिलने वाले विदेशी धन पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हमने अत्यन्त कड़े उपाय किए है और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आपके पास जब कभी ये संगठन आएं तो आप मुझसे उनकी सिफारिश न करें, क्योंकि मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा।

आपने प्रशासकीय उपायों का उल्लेख किया। जिले के प्रभारी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह सूचित कर दिया गया है। आपने जुलूस आदि का भी उल्लेख किया। विपक्षी दलों के साथ एक समझौता किया गया था कि हम कुछ नियम बनाएंगे तथा जुलूस आदि का प्रबन्ध ऐसा करेंगे कि उनका अन्त साम्प्रदायिक दंगों के रूप में न हो। उनका अन्त भली प्रकार होना चाहिए। जुलूस के बाद लोग आशीर्वाद फूल तथा अपने हाथों में प्रसाद लेकर जाएं न कि जख्मी होकर एमरजेंसी गाड़ियों में इधर-उधर जाएं। जुलूस का अन्त सुखदायी होना चाहिए।

आपने समाचार पत्रों के लिए एक आचार-संहिता के बारे में पूछा था। जी हां, ऐसी स्थिति में समाचार-पत्रों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। जो काम राज्य सरकारें अथवा अन्य संगठन नहीं कर सकते समाचार-पत्रों के माध्यम से किया जा सकता है। समाचार-पत्रों में छपने वाली एक पंक्ति से पूरे शहर में हलचल मच सकती है। इसलिए हमें सम्पादकों तथा अगुआ पत्रकारों से यह कहना चाहिए कि वे तथ्यों पर आधारित समाचार दें और तथ्यों को छापने के कई तरीके हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते :** यह संहिता सबके लिए समान होनी चाहिए।

**सरदार बूटा सिंह :** यह संहिता समान होगी और स्वैच्छिक होने को प्राथमिकता दी जाएगी। यह स्वैच्छिक होनी चाहिए क्योंकि जब तक यह स्वैच्छिक नहीं होगी इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। आप चाहे कुछ भी करें। आपको एक तानाशाह भी कहा जा सकता है क्योंकि वे कुछ भी लिखने के लिए स्वतन्त्र हैं। वे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बना सकते है। उनके पास शक्तिशाली कलम है।

अब समाचार-पत्रों और विचारों की बात करें। कल मेरे साथी ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि विश्व के एक अग्रणी दैनिक में लगातार तीन दिन तक एक ही लेख छपता रहा और किसी को यह पता नहीं लगा कि प्रतिदिन एक ही लेख छप रहा है। समाचारों से ही अन्तर पड़ता है। समाचारों को इस प्रकार नहीं छापना चाहिए जिससे कि स्थिति और भी बिगड़े। समाचार ऐसा होना चाहिए जिससे स्थिति संभले। हिंसा को इससे दूर रखना चाहिए ताकि लोगों को महसूस हो कि जो कुछ हुआ है वह शर्मनाक था और उसे दोहराना नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ है उसके परिणामस्वरूप कितने मासूम लोगों की जान गई हैं। समाचार दोबारा इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे स्थिति संभले न कि और बिगड़े।

हमारे कुछ नेताओं, चाहे वे राजनैतिक हों या धार्मिक हों या सम्प्रदायों के प्रतिनिधि हों, एक अफवाह पर भी अपने विचार व्यक्त करके प्रतिक्रिया व्यक्त करने की प्रवृत्ति है। वे इस बात की पुष्टि करने का भी कष्ट नहीं उठाते कि कुछ हुआ भी है अथवा नहीं। यदि एक बस स्टॉप पर दो व्यक्तियों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, अचानक यदि किसी साम्प्रदायिक नेता को यह मालूम हो जाता है कि एक सरदार जी था और दूसरा बिना पगड़ी वाला था तो समस्त कस्बे में गड़बड़ शुरू हो जाती है, वे यह नहीं जानते कि उनका झगड़ा उन बातों पर हुआ है जिनका किसी सम्प्रदाय से कतई सम्बन्धित नहीं हैं। अतः साम्प्रदायिक नेताओं और विशेष तौर पर राजनैतिक नेताओं को अपने आपको नियन्त्रण में रखना चाहिए और यदि उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है तो असलियत का पता लगाना चाहिए। पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्हें अफवाहों पर निस्संन्देह, तब तक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए जब तक वे सही तथ्य न जान जाएं।

राजनैतिक दलों की आचरण संहिता के सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने सुबह विरोधी दलों के नेताओं के साथ बैठक में कहा था, हम सब यहां महान राष्ट्र भारत की सेवा करने के लिए हैं। जब हमारे लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने का अवसर आता है तो हमें तुच्छ राजनैतिक भावनाओं, तुच्छ राजनैतिक खेलों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें महान राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए, जिनका एक सपना था कि भारत ऐसा प्रतीत हो। उन्होंने कहा था :

[हिन्दी]

"मेरे स्वप्न का भारत ऐसा है, जिसमें ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो और जो गरीब से गरीब है, उसको यह अनुभव हो कि इस देश में मेरी राय भी सुनी जाती है, मेरे कहने का भी इस देश में प्रभाव है।"

[अनुवाद]

यह महात्मा जी के सपने की एक झलक है। यह सभा स्वयं भी ऐसी सभा है जिसमें हम उन गरीबों और दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्वयं अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकते। हमें उनकी ओर से बोलना होता है। हमें यह देखना चाहिए कि गरीबों के साथ कोई अन्याय न हो। हमें हमेशा बहुराष्ट्रीय बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के विचारों को प्रकट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कभी-कभी !

**सरदार बूटा सिंह** : हमें उन लोगों की उम्मीदों को प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए जो दलित हैं, और अगले वाक्य में महात्मा जी कहते हैं :

[हिन्दी]

"मेरे स्वप्न का भारत ऐसा है, जिसमें ना कोई ऊंचा हो, ना कोई नीचा हो, सभी जातियां मिल कर रहें।"

[अनुवाद]

यह वर्तमान स्थिति, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, का मर्म है। यदि एक जाति कहती है कि भारत पर उनका एकाधिकार है, तो अन्य जातियों का क्या होगा। यह महात्मा जी का भारत नहीं होगा; हम उस सच्ची भावना से मातृभूमि की सेवा नहीं कर रहे होंगे जिस भावना से महान राष्ट्र पिता हमसे अपेक्षा रखते थे। 'सभी जातियां मिल कर रहें' का अर्थ है कि हमें दूसरों के धर्म के प्रति समान आदर रखना चाहिए, अपना धर्म दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए, हमें उनके धर्म के प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए। केवल तभी हम ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जिसमें सभी सम्प्रदायों, सभी जातियों में यह भावना पैदा की जा सकती है कि वे सभी इस देश के स्वतन्त्र नागरिक हैं। (व्यवधान) दत्ता सामन्त जी ने जो कहा है, मैं नहीं सुन सका।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : इसे छोड़िए।

**सरदार बूटा सिंह** : कल सैयद शाहबुद्दीन जी, बनातवाला जी और कई अन्य सदस्यों ने राम जन्म भूमि और इससे पैदा होने वाली समस्याओं का जिक्र किया। यदि मैं यह कहता हूं कि :

[हिन्दी]

भारत राम-जन्म भूमि है, मेरा हृदय, हरेक भारतवासी का हृदय राम जन्म भूमि है।

[अनुवाद]

तो क्या यह अनुचित है, या अतिश्योक्ति है। हृदय राम जन्म भूमि है। यदि एक छोटे से जमीन के टुकड़े, जिसका नाम राम जन्म स्थान है, पर झगड़ा है तो मैं समझ सकता हूं। परन्तु राम-जन्म भूमि को बीच में क्यों घसीटते हैं। आप कहते हैं राम जन्म भूमि। इसका तात्पर्य है कि आपको शक है कि राम असम के नहीं हैं अथवा राम कश्मीर के नहीं हैं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : आपने भी ऐसा कहा है।

**श्री बूटा सिंह** : हां, मैं इसमें विश्वास करता हूं। मुझे आपको बता देना चाहिए कि हम उस छोटे से झगड़े को नहीं भूले हैं। हम इसके प्रति पूर्ण जागरूक हैं। बहुत लोगों का विश्वास है कि हम भूल गये हैं। मैं लगातार नेताओं के सम्पर्क में हूं और मैं इस महान सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि हम सौहार्दपूर्ण आपसी सहमति वाला हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि उन सभी की कृपा से जो इस विषय विशेष से सम्बन्धित हैं और इस सभा की कृपा से, आप सब की कृपा से वह दिन दूर नहीं, मुझे विश्वास है निकट भविष्य में हम एक आपसी सहमति वाले समाधान पर पहुंच जाएंगे और देश राहत की सांस लेगा। इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आपसी विचार-विमर्श, आपसी समझौते द्वारा नहीं किया जा सकता। आदान-प्रदान की गुंजा-

इश हमेशा होती है; समझौते की गुंजाइश हमेशा होती है और यदि आप दूसरे की बात मानने को तैयार हैं तो वे हमेशा समझौते के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं। हम इतिहास में यह देख चुके हैं कि वे सेनाएं जो एक दूसरी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, अन्त में जब वे समझौता करने को राजी हुई, उन्होंने समस्या को सुलझा लिया। मुझे आपको बता देना चाहिए कि किसी भी किस्म का रूढ़िवाद खतरनाक है, जहरीला है, यह देश की समस्त ताकत को खोखला कर देगा, नष्ट कर देगा। रूढ़िवाद की अनुमति नही दी जायेगी और न ही दी जानी चाहिए चाहे यह किसी भी रूप में उभरता है; रूढ़िवाद कुछ ऐसी वस्तु हैं जो मूलत: महान भारत वर्ष की एक राष्ट्र की भावना के विरुद्ध है जिसके लिए हमारे पूर्वजों, देश भक्तों और हमारे शहीदों ने अपनी जान कुर्वान कर दी और यह रूढ़िवाद भारतवर्ष की एकता की जड़ पर प्रहार करता है। हम इस रूढ़िवाद को फैलने की अनुमति नहीं देंगे।

**6.00 म० प०**

वे रूढ़िवादी कौन हैं जो दूसरों पर अपने जीने का ढंग सौंपना चाहते हैं, चाहे यह उन्हें पसन्द हो या नहीं ? और प्रत्येक धर्म दो पहलुओं का प्रचार करता है। वे इनका प्रचार नहीं करते परन्तु हम स्वयं प्रत्येक धर्म के दो पहलुओं को लेते हैं। एक यह है कि हम इसे दूसरों पर थोपें और हम कहें कि हम धर्म प्रचारक बन गए हैं और हम इसे दूसरों पर थोपने की कोशिश करें। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्रेम और सहानुभूति के कामों से अपने धर्म का प्रचार करते हैं। प्रत्येक धर्म में इसके उदाहरण हैं। मैं सभी प्रमुख धर्मों से कई उदाहरण दे सकता हूं। प्रचारकों के हमेशा दो वर्ग होते हैं: एक वह जो कहता है, "मैं अपने धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन दे दूंगा और दूसरों की जान ले लूंगा" दूसरे वे हैं जो कहते हैं, "नहीं, नहीं, मैं अपने धर्म का प्रचार करूंगा और अनुनय-विनय प्रेम व सहानुभूति द्वारा लोगों को इसका अनुयायी बनाऊंगा, मैं अपने पैगम्बर, अपने महान गुरु, अपने अवतार के सन्देश को सुनने के लिए इतने लोगों को लाऊंगा जो बाकी विश्व को यह सन्देश दे सकें क्योंकि उनके द्वारा जो सन्देश दिया गया है वह प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।"

किसी भी धर्म संस्थापक द्वारा संस्थापित धर्म उसी सम्प्रदाय विशेष के लिए होता है अथवा वर्ग विशेष के लिए, उस वर्ग के पुरुषों के लिए होता है; और वह उपदेश जो चाहे वेदों द्वारा प्रवाहित होता है या दुकान द्वारा, गीता द्वारा प्रवाहित होता है या गुरु ग्रन्थ द्वारा या रामायण द्वारा प्रवाहित होता है वह वही है यानि सार्वभौम प्रेम। और 'यह' रूढ़िवाद इन शिक्षाओं द्वारा दिए गए सन्देश के ठीक विपरीत कार्य कर रहा है और मुझे सभा को यह विश्वास दिला देना चाहिए कि भारत सरकार .....(व्यवधान), हमारे प्रधानमन्त्री, हमारे युवा प्रगतिशील प्रधानमन्त्री महोदय को इस बात का दोषी ठहराया जा रहा है कि वे एक बार एक समझौता किए जा रहे हैं। महोदय, वे ऐसा इस देश की महान लोकतान्त्रिक परम्परा की भावना के अन्तर्गत कर रहे हैं जो हमें पीढ़ियों से पढ़ाई गई है। वे लोगों में एक नया एवं लोकप्रिय भारत के निर्माण की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी एक नई शताब्दी में प्रवेश करने के सपने देख रहे हैं।

क्या हम अपने खून से रंगे हाथों के साथ नई शताब्दी में पैर रखेंगे ? क्या हम अगली शताब्दी में भालों, त्रिशूलों, स्टेनगनों अथवा छुरों के साथ कदम रखेंगे ? नहीं, अगली सदी में अपने सपनों के भारत के साथ प्रवेश करेंगे जिसके लिए श्री राजीव गांधी दिन-रात काम कर रहे हैं, यह केवल समाज के सभी वर्गों के सहयोग से सम्भव हो सकेगा, चाहे वे एक धर्म में विश्वास रखते हैं अथवा वे किसी भी धर्म में बिल्कुल भी विश्वास न रखते हैं। अत: हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना

होगा और यह देखना होगा कि किसी भी ताकत को, छोटी हो या बड़ी, चाहे देश के अन्दर हो या बाहर, को हमारे देश की मूलभूत एकता और अखण्डता में बाधा न डालने दी जाए। और मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि केवल एक ही नहीं परन्तु प्रत्येक गांव में और प्रत्येक कस्बे में आप भगतसिंह, उधम सिंह, चन्द्रशेखर आजाद के भाई मिल जाएंगे जो इस देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए और भारतीय लोगों को जीवित रखने के लिए जब मातृभूमि की ओर से पुकार होगी, अपना खून बहाने के लिए खड़े हो जाएंगे। भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हम किसी भी ताकत को नहीं छोड़ेंगे चाहे यह एक धर्म से आती है या दूसरे धर्म से और विशेष तौर पर उनको जो अपने आपको एक धर्म विशेष का मुक्तिदाता कहते हैं अथवा मुक्तिदाता होने का दावा करते हैं, उनको अन्य धर्मों के लोगों के जीवन और समाज को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस सभा के सामने इस निवेदन के साथ, मुझे आपको विश्वास दिला देना चाहिए कि हमारी सरकार यह जानने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी कि सभी भारतीयों और विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों, जो कभी-कभी यह महसूस करते हैं कि वे कमजोर हैं, के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की जाए, क्योंकि जब एक आक्रामक स्थिति होती है, तो आपको उन लोगों को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक हो जाता है जो स्वाभाविक रूप से भयभीत हो जाते हैं चाहे वे एक राज्य में बहुसंख्यक हो सकते हैं अथवा दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक। मेरे मन मे कोई विशेष सम्प्रदाय नहीं है। परन्तु डा० दत्ता सामन्त जी, मैं आपसे निवेदन करता हू कि कृपा करके आप लोक सभा सचिवालय द्वारा दिए गए अनुमति पत्र का उपयोग कीजिए और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा कीजिए और भारत के लोगो के हालचाल देखिए ताकि आप उनके जीवन के बारे में कुछ जानें।

**डा० दत्ता सामन्त** : श्रमिक वर्ग की कोई जाति नहीं होती है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

**6.07 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 जुलाई, 1986/3 श्रावण, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मौजपुर, दिल्ली-53.